आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

बेहतर संवृद्धि द्वारा राष्ट्र का सशक्तीकरण

48वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

मिशन/विजन एवं उद्देश्य

मिशन/विजन

(i) ग्रामीण एवं शहरी आबादी के जीवन स्तर को उन्नत एवं बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाना।

(ii) देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क सहित परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं प्रोत्साहन के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन के प्रोत्साहन में, कारपोरेशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्त्रोतों के प्रोत्साहन, ऊर्जा संरक्षण, उन्नयन एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर जोर के साथ विद्युत वितरण पर केंद्रित परियोजनाओं का प्रोत्साहन एवं इनका वित्तपोषण तथा भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन।

2. दुर्गम, पर्वतीय, रेगिस्तानी, जन-जातीय, तटवर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण आदि से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों और गतिविधियों का विस्तार करना और इनमें विविधता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्त्रोतों से धन जुटाना और राज्य विद्युत बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं के लिए ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए निगम के प्रचालनों के लिए आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिफल की अधिकाधिक दर की प्राप्ति अर्थात (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाओं का विकास; (ii) बिजली की मांग का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तीव्र गति से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं आत्म-सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय-सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मंडल	3
3.	कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य	4
4.	अध्यक्ष का संदेश	6
5.	सूचना	13
6.	निदेशकों का विवरण	22
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	25
8.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	62
9.	निगमित सुशासन पर रिपोर्ट	73
10.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	99
11.	कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट	100
12.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	114
13.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	117
14.	वार्षिक प्रतिलाभ का सार	125
15.	ठेकों के विवरण अथवा संबद्ध पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं	136
16.	डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण	139
17.	तुलन-पत्र	144
18.	लाभ एवं हानि का विवरण	145
19.	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	146
20.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	152
21.	नकदी प्रवाह विवरण	200
22.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	205
23.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	213
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	215
25.	समेकित वित्तीय विवरण	216
26.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	217
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	285
28.	प्रबंधन दल	291
29.	आरईसी कार्यालयों के पते	293

कंपनी के बारे में सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. अरूण कुमार वर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री अरूण सिंह
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती आशा स्वरूप
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. सुनीता सिंह

कंपनी सचिव

श्री जे.एस. अमिताभ

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाष: 011-24365161 फैक्स: 011-24360644
ई-मेल: complianceofficer@recl.in वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095

जहां शेयर सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

डिपॉजिटरी

नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
ए. आर. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार

सचिवालयी लेखापरीक्षक

संजय ग्रोवर एंड एसोशिएट्स,
प्रैक्टिसकर्ता कंपनी सचिव

आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसीटीपीसीएल के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड
घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
डब्ल्यूआर-एनआर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड

बैंकर्स

ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कैनरा बैंक
कारपोरेशन बैंक
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
आरबीएल बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
विजया बैंक
यस बैंक

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (इक्विटी एवं ऋण प्रतिभूतियों के लिए)

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सिलेनियम टावर - बी, प्लाट 31-32, गाचीबोवली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत
दूरभाष : 040-67161500, 040-67161586,
: 040-67161635,
फैक्स : 040-23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट (ऋण प्रतिभूतियां)

बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड,
बीटल हाऊस, तृतीय तल, 99 मदनगीर,
स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली - 110062
दूरभाष : 011-29961281-83
फैक्स : 011-29961284
ई-मेल : recbonds@gmail.com
: beetal@beetalfinancial.com

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083
दूरभाष : 022-4918 6200
फैक्स : 022-4918 6060
ई-मेल : bond.helpdesk@linkintime.co.in

निदेशक मंडल

डॉ. पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डॉ. अरूण कुमार वर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अरूण सिंह
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती आशा स्वरूप
अंशकालिक गैर-सरकारी
स्वतंत्र निदेशक

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

पिछले 10 वर्षों से निरंतर संवृद्धि

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
शेयरधारकों की निधि										
(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**1974.92**	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	858.66	858.66
आरक्षित एवं अधिशेष	**31350.67**	27630.30	23869.57	19682.00	16466.92	13575.58	11801.16	10092.88	5331.42	4509.05
नेट वर्थ	**33325.59**	28617.76	24857.03	20669.46	17454.38	14563.04	12788.62	11080.34	6190.08	5367.71
उधारियां (₹ करोड़ में)										
भारत सरकार से	**-**	-	3.07	7.93	15.14	24.64	36.13	49.42	64.74	81.92
बांड/डिबेंचर	**145686.84**	139732.73	124683.85	102806.71	85249.04	71372.20	51208.53	40857.14	32631.48	24089.61
वित्तीय संस्थाओं से	**750**	1100	1450	2995	4020	4370	4720	4070	3350	3500
विदेशी मुद्रा उधारियां	**21080.55**	21923.72	24028.20	17621.15	15238.19	10698.09	7605.90	2076.37	1493.67	1048.45
बैंकों से आवधिक ऋण	**-**	-	125.00	269.40	788.80	1091.54	6469.14	5811.43	4801.05	4434.80
वाणिज्यिक पेपर	**-**	5600.00	-	2540.00	980.00	-	-	2450.00	1295.00	-
अल्पावधि/मांग ऋण	**-**	749.93	734.00	-	1500.00	2500.00	-	630.00	1300.00	1128.00
जोड़	**167517.39**	169106.38	151024.12	126240.19	107791.17	90056.47	70039.70	55944.36	44935.94	34282.78
निधि सृजन	**28495.18**	31254.92	41189.82	36934.37	30759.16	29709.36	25855.35	24028.24	14895.00	8377.23
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान)(₹ करोड़ में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**997**	625	609	1035	1031	1091	658	492	506	881
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**83870.82**	65471.10	*61421.37	*70739.48	*79470.49	*51296.77	*66419.98	*45357.36	*40745.84	*46769.76
संवितरण	**66076.15**	50630.81	46446.82	37969.99	40183.06	30593.30	28517.11	27127.14	22277.86	16303.70
उधारकर्ताओं द्वारा वापसी	**57388.24**	24394.48	11812.63	14260.45	13345.92	8119.69	8772.58	5806.54	5119.36	5600.24
वर्ष के अंत में शेष रकम	**201928.68**	201278.29	179646.94	148641.10	127355.52	101426.26	81725.45	65978.75	50652.81	38614.83
उपलब्धियां (संख्या में)										
अ-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**6015**	7108	1405	1197	2587	7934	18306	18374	12056	9301
वर्ष के अंत तक	**122159**	116144	109524	108280	107083	104496	96562	78256	59882	47826
बीपीएल आवासों को बिजली के नि:शुल्क कनेक्शन प्रदान करना										
वर्ष के दौरान	**2242763**	1439144	759377	961730	1296541	3444902	5883355	4718468	3084788	1621182
वर्ष के अंत तक	**25468200**	23225437	21833995	21683554	20721824	19425283	15980381	10097026	5378558	2293770
कार्यचालन परिणाम (₹ करोड़ में)										
कुल आय	**24095.35**	23756.28	20388.05	17120.80	13598.67	10509.07	8495.26	6707.60	4931.28	3537.66
वित्तीय लागत	**13775.12**	14283.12	11844.61	10038.46	8083.76	6431.35	4851.01	3912.85	2898.70	2072.75
प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1109.47**	1089.85	802.96	312.02	130.68	52.27	0.22	0.22	2.37	39.99
अन्य व्यय	**345.02**	332.65	306.68	234.99	216.53	229.32	164.72	145.27	112.17	111.11
मूल्यह्रास	**5.04**	5.45	6.76	4.21	3.75	3.27	3.03	2.15	1.36	1.39
कर-पूर्व लाभ	**8860.70**	8045.21	7427.04	6531.12	5163.95	3792.86	3476.28	2647.11	1916.68	1312.42
कराधान हेतु प्रावधान	**2614.94**	2417.55	2167.17	1847.42	1346.33	975.83	906.35	645.69	644.60	452.27
कर-पश्चात लाभ	**6245.76**	5627.66	5259.87	4683.70	3817.62	2817.03	2569.93	2001.42	1272.08	860.15
इक्विटी पर लाभांश	**#1382.44**	1688.55	1056.58	938.09	814.65	740.59	740.59	603.21	386.40	257.60

* इसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी गई मंजूरियां शामिल नहीं हैं।

[#] इसमें ₹ 2.65 प्रति इक्विटी शेयर की दर से प्रस्तावित अंतिम लाभांश शामिल नहीं है।

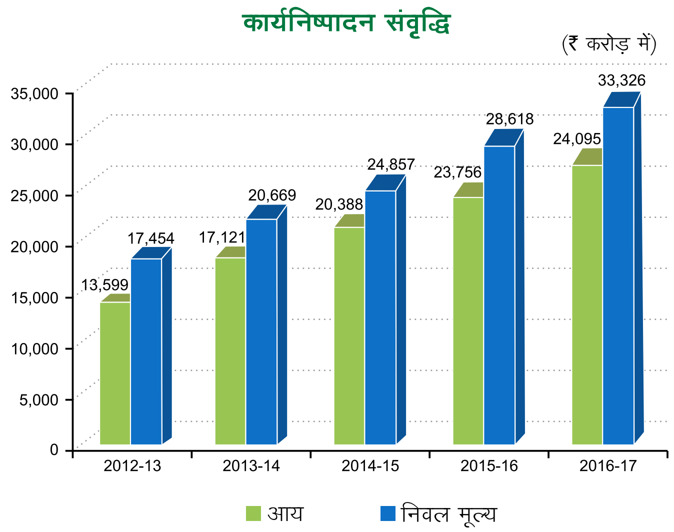

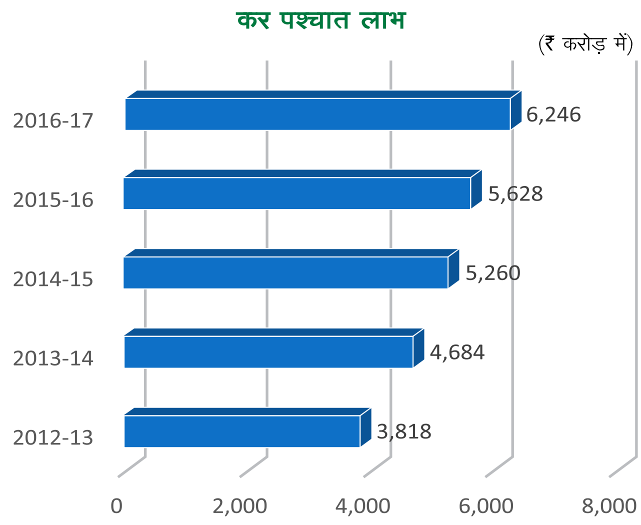

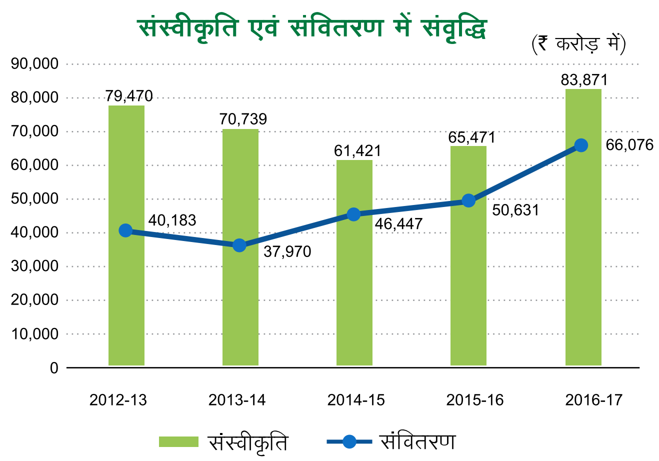

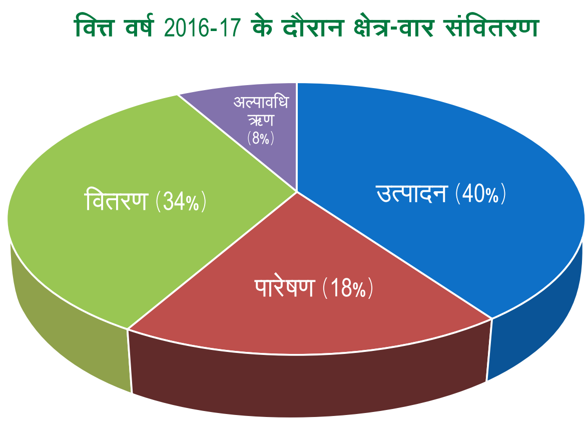

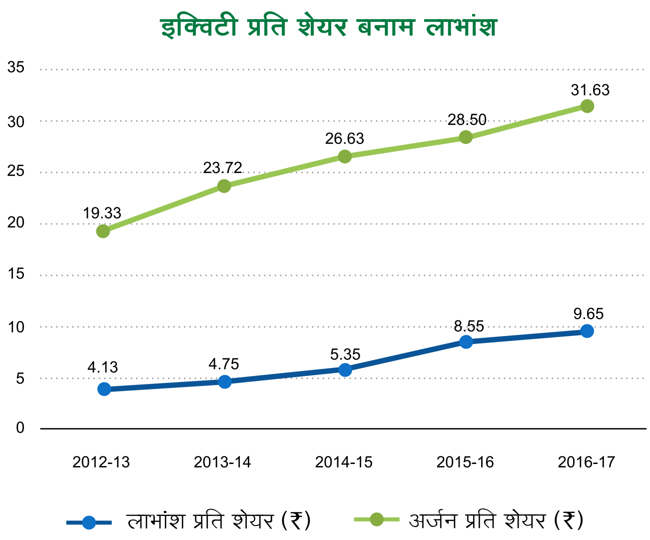

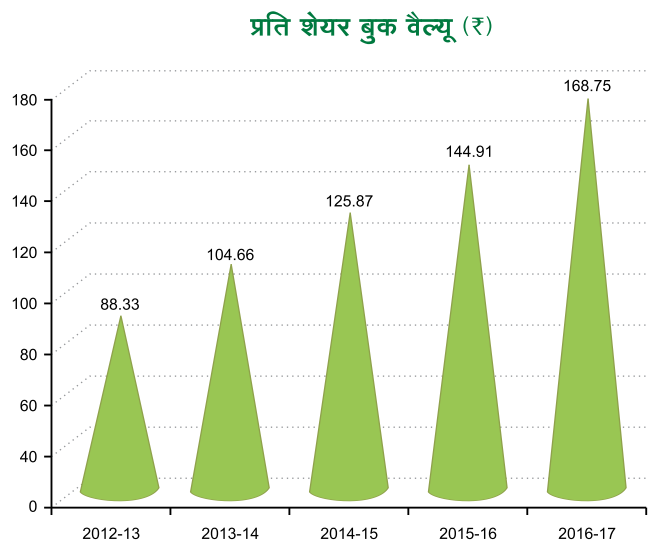

इक्विटी प्रति शेयर, लाभांश के लिए आंकड़ों और पिछले वर्षों की बुक वैल्यू को, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसी द्वारा 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के अनुरुप समायोजित किया गया है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप के समक्ष आरईसी की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। आपकी कंपनी भारत की अग्रणी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान बनी हुई है जो समूचे राष्ट्र में विद्युत के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वित्त-पोषण कर रही है। इस वर्ष भी, आरईसी ने असाधारण रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है और सभी मानदण्डों पर सतत् वृद्धि दर्शाई है। चुनौतीपूर्ण समय और विद्युत क्षेत्र के सदैव बदलते आयामों के बावजूद आरईसी अल्पावधि तथा साथ ही साथ दीर्घावधि में उभरते हुए व्यापार अवसरों को पूरा करने तथा उन चुनौतियों से निपटने के लिए भली-भांति तैयार तथा तत्पर है।

वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर निवेश, विनिर्माण तथा व्यापार के संबंध में आशाजनक संकेत दिख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार विश्व की संवृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है जो वर्ष 2016 में 3.1% से 2017 में 3.5% और वर्ष 2018 हेतु 3.6% अनुमानित है। इस आरोही वृद्धि गति के पीछे का कारण मजबूत आर्थिक क्रियाकलाप, एक अधिक दृढ़ मांग की उम्मीदें, कम मुद्रास्फीति का दबाव और आशावान वित्तीय बाजार हैं। तथापि, निम्न उत्पादकता वृद्धि, उच्च आय असमानता और संरक्षणवाद के संकेत जैसी ढांचागत समस्याओं के चलते बेहतर रिकवरी अभी भी शेष है। अभी के अनुसार, विश्व को दृढ़ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और नवीकृत बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता है ताकि सतत् वैश्विक आर्थिक एकीकरण को प्राप्त किया जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि जारी है और वैश्विक विकास परिदृश्य में इसका एक उल्लेखनीय स्थान बना हआ है। गत तीन वर्षों में, भारत में कई सुधार हुए, साथ ही सकारात्मक नीतिगत उपाय, व्यापक व्यापार लाभ और आपूर्ति पक्ष उपायों की एक श्रृंखला को देखा जा सकता है। आईएमएफ अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.2% और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.7% तक बढ़ने की संभावना है । तथापि, वित्तीय तथा कारपोरेट क्षेत्र के तुलन-पत्रों पर दबाव, मन्द निजी निवेश और कमजोर बाहरी मांग अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। फिर भी देश सतत् दीर्घावधि वृद्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना एक ऐतिहासिक सुधार है जिससे भारत की मध्यम अवधि वृद्धि 8% से अधिक बढ़ने की संभावना है। यद्यपि, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र बढ़ते हुए एनपीए के बोझ से मन्द पड़ा हुआ है फिर भी सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत उपायों के साथ सहयोगात्मक बनी हुई है।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य हरित ऊर्जा की ओर बदलाव को दर्शा रहा है जिसमें ऊर्जा दक्षता पर अधिक फोकस है। विश्व का ऊर्जा मिश्रण तेजी से सौर विद्युत, पवन विद्युत तथा जल विद्युत जैसे स्वच्छतर तथा निम्न कार्बन वाले ईंधनों की ओर जा रहा है। समूचे संसार में सरकारें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने को अपना एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रही हैं ताकि जलवायु परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और साथ ही साथ अपने नागरिकों को सस्ती, विश्वसनीय तथा स्वच्छ ऊर्जा मुहैया करायी जा सके।

विद्युत क्षेत्र का परिदृश्य

विद्युत, आर्थिक वृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सरकार द्वारा लागू किए गए सुधार तथा नीतिगत उपायों की एक श्रृंखला और साथ ही निवेश में वृद्धि, बढ़ते हुए उपभोग तथा गांवों एवं घरेलू विद्युतीकरण पर एक अबाधित फोकस के चलते भारतीय विद्युत क्षेत्र ने पिछले तीन वर्षों में एक रूपांतरित वृद्धि देखी है। समूची विद्युत मूल्य श्रृंखला में सरकार द्वारा निर्णायक कदम उठाए गए हैं जो अधिशेष विद्युत, अधिक राजकोषीय अनुशासन तथा यूटिलिटियों में अधिक दक्षता, पर्याप्त कोयला उपलब्धता और स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अप्रत्याशित वृद्धि में परिणत हुए हैं। 31 मार्च, 2017 के अनुसार देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 326.8 गीगावाट है। देश की ट्रांसमिशन क्षमता में भी वृद्धि देखी गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017 के अंत में ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई 3.67 लाख सीकेएम है।

कमियों तथा गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के अभाव वाले परिदृश्य से, भारत में विद्युत एक्सचेंज में सस्ती दरों पर बहुत ही कम समय में अधिशेष विद्युत उपलब्ध हुई है। इसके अतिरिक्त, देश में वितरण परिदृश्य में तेजी से सुधार हो रहा है और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे सुधार कार्यक्रमों के लाभों ने परिणाम दर्शाने प्रारंभ कर दिए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मोर्चे पर एक निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश का अभिमुखीकरण सौर तथा पवन विद्युत की लागतों के अत्यधिक कम होने से भी प्रदर्शित होता है। विद्युत क्षेत्र के सुधार जारी रहने के साथ-साथ, भारत विश्व बैंक की वैश्विक विद्युत पहुंच रैंकिंग में कई स्थान आगे बढ़कर 99वें से 26वें स्थान पर आ गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्पादन क्षमता में 24,761 मेगावाट की वृद्धि देखी गई जिसमें से 58% नवीकरणीय ऊर्जा से; 31% तापीय ऊर्जा से आई तथा शेष को अन्य स्रोतों से प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्षमता वर्धन परंपरागत ऊर्जा खंड में क्षमता वर्धन से

अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन 1,160 बीयू था जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष यह 1,107 बीयू था। वित्तीय वर्ष 2017 हेतु कुल विद्युत आपूर्ति घाटा कम होकर 0.7% और पीक विद्युत घाटा भी कम होकर 1.6% रह गया जो विद्युत आपूर्ति स्थिति में सुधार दर्शाता है। देश का राष्ट्रीय ग्रिड अब विश्व में साथ-साथ चलाए जाने वाले सबसे बड़े प्रचालनशील ग्रिडों में से एक है। भारत के राष्ट्रीय ग्रिड को समक्रमित रूप से भूटान तथा नेपाल और असमक्रमित रूप से बांग्लादेश के साथ भी जोड़ा गया है।

ये उपलब्धियां सरकार द्वारा की गई नीति तथा सुधार पहलों के बिना संभव नहीं हो सकती थीं। सरकार ने तापीय क्षेत्र में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं जिसमें कि कोयला ब्लाक आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, कोयला उपलब्धता तथा आपूर्ति में सुधार, खान तथा संयंत्र पर कोयले की गुणवत्ता जांच, कोयला वाशरियों में कोयले का परिष्करण और कोयला लिंकेज को नए सिरे से परिभाषित करना शामिल है। जल विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को वर्ष 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली से छूट देना, डिवलपरों को मूल्यह्रास दरों तथा दिन-के-समय के अनुसार टैरिफ में लचीलापन की अनुमति देना और वितरण लाइसेंसधारियों को सामान्यतः स्वीकार्य 35 वर्षों से आगे के और 15 वर्षों हेतु दीर्घावधि पीपीए के विस्तार की अनुमति देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बन गया है। सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने तथा वर्ष 2030 तक कुल स्थापित क्षमता में नवीकरण ऊर्जा के प्रतिशत को बढ़ाकर 40% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसके अतिरिक्त, ग्रिड में इतनी बड़ी मात्रा की नवीकरणीय विद्युत के एकीकरण को सुगम बनाने के लिए देश में कई हरित गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं और विद्युत के बाधा रहित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नई आईसीटी प्रौद्योगिकियों अर्थात स्काडा/ ऑटोमेशन, स्मार्ट तथा बुद्धिमतापूर्ण ग्रिड को समूची उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण व्यवस्थाओं में विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा दक्षता के साथ अपनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, व्यापक बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल सचलता और चार्जिंग आधारभूत ढांचे के क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकियां देश में स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा जलवायु नियंत्रण में नए मार्ग खोल देंगी।

संक्षेप में, विद्युत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं और यह क्षेत्र उभरते हुए अवसरों से भरा हुआ है। आरईसी अपने सभी हितधारकों के श्रेष्ठ हितों हेतु इन उभरते हुए अवसरों के उपयोग के लिए तैयार है।

कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

आपकी कंपनी द्वारा स्वीकृति, संवितरण तथा लाभ के प्रमुख मोर्चों पर वृद्धि दर्ज करना जारी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने 83,870.82 करोड़ रूपये की कुल ऋण सहायता स्वीकृत की, जबकि इसकी तुलना में यह पिछले वित्तीय वर्ष में 65,471.10 करोड़ रूपये थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कपंनी ने 58,038.61 करोड़ रूपये की कुल ऋण राशि का संवितरण किया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 46,025.83 करोड़ रूपये थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों को 8,037.54 करोड़ रूपये का भारत सरकार का अनुदान वितरित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु एकल आधार पर कंपनी की प्रचालन आय 23,350.79 करोड़ रूपये है जबकि इसकी तुलना में गत वित्तीय वर्ष में यह 23,638.35 करोड़ रूपये थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निवल लाभ 6,245.76 करोड़ रूपये था जबकि इसकी तुलना में गत वित्तीय वर्ष यह 5,627.66 करोड़ रूपये था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 को आरईसी का निवल मूल्य 33,325.59 करोड़ रूपये था जो 31 मार्च, 2016 के 28,617.76 करोड़ रूपये के निवल मूल्य से 16% अधिक है।

31 मार्च, 2017 के अनुसार आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बही 2,01,928.67 करोड़ रूपये थी जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च, 2016 को यह 2,01,278.29 करोड़ रूपये है। आरईसी की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां का स्तर निम्न बना हुआ है। 31 मार्च, 2017 के अनुसार आपकी कंपनी के सकल एनपीए 4,872.68 करोड़ रूपये थे जो सकल ऋण परिसंपत्तियों का 2.41% थे और 31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए 3,237.34 करोड़ रूपये के थे जो निवल ऋण परिसंपत्तियों का 1.62% थे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किसी संदिग्ध ऋण को पुनः निर्धारित नहीं किया गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 97.56% की वसूली दर प्राप्त की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कपंनी ने बाजार से 28,495.18 करोड़ रूपये जुटाए, जिसमें 7,662.92 करोड़ रूपये पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड, 18,600 करोड़ रूपये संस्थागत बॉण्ड और 2,232.26 करोड़ रूपये (अर्थात 330 मिलियन अमेरिकी डालर) बाहरी वाणिज्यिक ऋणों से जुटाए थे। इसके अतिरिक्त, 19,916.85 करोड़ रूपये की राशि वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से भी जुटाई गई थी।

कंपनी की घरेलू ऋण लिखतों ने "एएए" रेटिंग प्राप्त करने को जारी रखा अर्थात क्रीसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च और आईसीआरए द्वारा दी जाने वाली उच्चतम रेटिंग। कंपनी को मूवी तथा फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है जो क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जुटाई गई निधियों हेतु ऋण की समग्र भारित औसत वार्षिकीकृत ब्याज दर 6.79% प्रति वर्ष थी और 31 मार्च, 2017 को बकाया ऋणों हेतु यह 8.02% प्रति वर्ष थी। परिणामस्वरूप आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्त-पोषण को करने में समर्थ थी।

लाभांश

मार्च, 2017 में अदा किए गए 7.00 रूपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 2.65

रूपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल लाभांश 9.65 रूपये प्रति शेयर है जो कंपनी द्वारा जारी किए गए बोनस इश्यू के पश्चात वृद्धित प्रदत्त शेयरपूंजी के 96.5% को दर्शाता है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष यह 17.10 रूपये प्रति शेयर था जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 171% को दर्शाता था। पिछले वर्ष से लाभांश के प्रतिशत में कमी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर को जारी करने के चलते है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कुल लाभांश भुगतान 1,905.80 करोड़ रूपये होगा जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है।

विद्युत परियोजनाओं का वित्त-पोषण

कंपनी परंपरागत ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु वित्त-पोषण सहायता मुहैया करवा रही है। आपकी कंपनी देश में ट्रांसमिशन तथा वितरण नेटवर्क हेतु आधारभूत ढांचे के सृजन तथा सुधार में एक सक्रिय भूमिका भी निभाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना की नोडल एजेंसी के रूप में आपकी कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरों के विद्युतीकरण के सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायित्व में भी योगदान देती है।

उत्पादन परियोजनाओं का वित्त-पोषण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने 22 उत्पादन/आर एण्ड एम ऋण स्वीकृत किए, जिसमें 6 अतिरिक्त ऋण सहायता भी शामिल है, और इसका कुल वित्तीय परिव्यय 28,208.93 करोड़ रूपये था जिसमें अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समूह बनाकर किया गया वित्त-पोषण शामिल था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने उत्पादन परियोजनाओं के प्रति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 21,697.61 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया गया।

पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं का वित्त-पोषण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने 40,953.12 करोड़ रूपये की कुल ऋण सहायता को शामिल करते हुए 924 टी एण्ड डी योजनाओं को स्वीकृत किया था। इसमें उत्पादन संयंत्रों से सबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी योजनाएं, प्रणाली सुधार योजनाएं, मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, टावर सामग्री, केबल आदि जैसे उपकरणों/सामग्री की खरीद तथा स्थापन हेतु योजनाएं, कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत मुहैया करवाने के लिए डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस जैसी सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाएं और आधारभूत ढांचा योजनाएं शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी एण्ड डी योजनाओं के अंतर्गत कुल संवितरण 26,270.30 करोड़ रूपए था।

नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं का वित्त-पोषण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने 367 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 16 नई ग्रिड कनेक्टिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 2,089.77 करोड़ रूपये की ऋण सहायता स्वीकृत की, जिसमें कुल 280 मेगावाट की 11 सौर फोटो-वोल्टिक परियोजनाएं; 61 मेगावाट की 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं और 26 मेगावाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,035.53 करोड़ रूपये होती है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रति कुल 1,617.68 करोड़ रूपये की राशि का संवितरण किया गया। आने वाले समय में आपकी कंपनी नवीकरणीय परियोजनाओं के वित्त-पोषण में एक बड़ी छलांग लगाने हेतु तैयार है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

आरईसी "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है जो ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली के सभी पहलुओं के सुदृढ़ीकरण हेतु एक एकीकृत योजना है। यह भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है जो समग्र ग्रामीण विकास को अनुपोषित करता है और निर्धारित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में "सभी के लिए 24x7 विद्युत" को सुगम बनाता है। सभी तत्कालीन ग्रामीण विद्युत योजनाओं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को घोषणा की थी कि देश में सभी शेष 18,452 विद्युतीकरण रहित (यूई) गांवों का 1000 दिनों के भीतर विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने सभी यूई गांवों के विद्युतीकरण को मिशन मोड में लिया है और डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के समन्वय तथा निगरानी का उत्तरदायित्व आरईसी को सौंपा है। कंपनी ने ग्राम विद्युतीकरण कार्यों की उपलब्धि आधारित निगरानी हेतु फील्ड में युवा इलेक्ट्रीकल अभियंताओं अर्थात "ग्राम विद्युत अभियंताओ" (जीवीए) को नियोजित किया है और "गर्व एप्प" विकसित किया है जो पारदर्शी तथा जवाबदेह निगरानी हेतु एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा घरों के विद्युतीकरण पर बल दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए अद्यतन गर्व एप्प को दिसम्बर, 2016 में देश में सभी 5.97 लाख गावों के घरों के विद्युतीकरण की निगरानी हेतु प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, पोर्टल में संवाद नाम का एक फीचर दिया गया है जो आम जनता द्वारा अपने प्रश्न पूछने और डिस्कॉम के पदाधिकारियों के साथ परस्पर चर्चा करने को सुगम बनाता है जिससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही स्थापित होती है।

उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय)

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में "उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना" (उदय योजना) की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों

(डिस्कॉम) का वित्तीय कायाकल्प, पुनरूद्धार तथा पुनः सशक्तिकरण और डिस्कॉम की समस्या का एक सतत स्थायी समाधान सुनिश्चित करना भी है, जोकि 4.3 लाख करोड़ रूपये के ऋण तथा 3.8 लाख करोड़ रूपये की संचित हानियों के बोझ तले दबी हुई हैं।

आरईसी उदय योजना हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। उदय योजना के माध्यम से डिस्कॉम को निम्नलिखित पहलों के माध्यम से 2-3 वर्षों में लाभ-हानि रहित स्तर पर पहुंचने का अवसर मुहैया करवाया जाता है :

क) डिस्काम की प्रचालन दक्षताओं में सुधार
ख) विद्युत की लागत में कमी
ग) डिस्काम की ब्याज लागत में कमी
घ) सरकारी वित्त के साथ मिलान के माध्यम से डिस्काम पर वित्तीय अनुशासन को लागू करना
च) तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को कम करना
छ) आपूर्ति की लागत तथा प्राप्त राजस्व के मध्य अंतर को कम करना।

उदय योजना हेतु, आरईसी ने राज्य डिस्कॉम के निष्पादन की निगरानी हेतु एक उन्नत वेब पोर्टल तथा एक ऑनलाइन एप्प विकसित किया है। 26 राज्य और 1 केन्द्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हुए हैं और इनमें से 16 ने वित्तीय पुनर्संरचना में भाग लिया है और 10 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश ने केवल प्रचालनात्मक सुधारों ने प्रतिभागिता की है। राज्यों तथा डिस्काम द्वारा 2.32 लाख करोड़ रूपये तक के बॉण्ड जारी किए गए हैं। राज्यों ने 2.09 लाख करोड़ रूपये के डिस्काम के ऋण को ग्रहण किया है।

यह उल्लेख करना संगत है कि उदय योजना के कार्यान्वयन के पश्चात डिस्कॉम हेतु महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हुए हैं। उदय राज्यों की औसत एटी एण्ड सी हानियों तथा एसीएस एवं एआरआर के मध्य अंतर में घटने की प्रवृत्ति देखी गई है। इन लाभों के अतिरिक्त, निम्न ब्याज भार भी डिस्काम हेतु बेहतर लाभ में योगदान दे रहा है।

अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं, जो ग्राहकों को मूल्यवर्धन सेवाएं मुहैया कराती हैं जिसमें ट्रांसमिशन, वितरण, बोली प्रक्रिया संव्यवहार, परामर्शी सेवाएं, परियोजना प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्रों में परामर्श का व्यापार शामिल है। ये अनुषंगी कंपनियां है :

✓ आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल); और

✓ आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)।

आरईसीटीपीसीएल, समय-समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई स्वतंत्र अंतर-राज्य तथा अंतरा-राज्य ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पर आधारित टैरिफ के माध्यम से ट्रासमिशन सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक " के रूप में कार्य करता है। ऐसी प्रत्येक स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजना का विकास प्रारभ करने के लिए आरईसीटीपीसीएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में परियोजना विशिष्ट विशेष परियोजना वाहन (एसपीवी) का गठन करता है जोकि आरईसी की ही पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे एसपीवी को बाद में टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को इसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ अंतरित किया जाता है। बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त, वित्तीय-वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने परियोजना प्रबंधन परामर्श, तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन निरीक्षण, बिड प्रकिया प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन तथा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कई कार्य प्राप्त किए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीटीपीसीएल की आय 52.38 करोड़ रूपये, इसका कर पश्चात लाभ 34.46 करोड़ रूपये और 31 मार्च, 2017 के अनुसार निवल मूल्य 157.86 करोड़ रूपये था।

आरईसीपीडीसीएल के प्रमुख व्यापार में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण, सामग्री निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं, परियोजना कार्यान्वयन और ऊर्जा दक्षता मिशन में वृद्धि करना शामिल है। आरईसीपीडीसीएल को ऊर्जा दक्षता हेतु बीईई के आंशिक जोखिम गारंटी निधि के प्रबंधन हेतु अग्रणी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियोजित किया गया है और इसने समूचे भारत में एलईडी पथ प्रकाश के स्थापन हेतु ईईएसएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग्रामाण विद्युतीकरण की निगरानी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने 191.57 करोड़ रूपये का कुल राजस्व प्राप्त किया, इसका कर पश्चात लाभ 40.33 करोड़ रूपये और 31 मार्च, 2017 के अनुसार निवल मूल्य 157.84 करोड़ रूपये था।

आरईसी ने तीन अन्य पीएसयू, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी के साथ मिलकर 10 दिसम्बर, 2009 को एनर्जी एफिशियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। अद्यतन तिथि के अनुसार आरईसी ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 31.71% धारित किए हुए है। ईईएसएल को ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर बाजार पहुंच को बनाने तथा उसे बनाए रखने, विशेष रूप से नगर पालिकाओं, भवनों, कृषि, उद्योग आदि जैसी जनसुविधाओं में और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की कई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी गठित किया गया है। ईईएसएल वृद्धित ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार संबंधी क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर ईईएसएल का प्रचालनों से राजस्व 1,150.86 करोड़ रूपये और कर पश्चात लाभ 51.86 करोड़ रूपये था।

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट फॉर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर) की स्थापना वर्ष 1979 में हैदराबाद में विद्युत क्षेत्र के अभियंताओं तथा प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। सायर विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उद्योग संगत विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सायर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय तथा कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ग एवं घ श्रेणी के कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय तथा कार्यान्वयन के अतिरिक्त सायर ने विभिन्न विषयों पर 132 कार्यक्रमों का आयोजन किया और 16,314 श्रम दिवसों के प्रशिक्षण के साथ 2,701 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया। सायर को 'लीडरशिप, डेवलपमेंट, इन्नोवेशन एण्ड इंडस्ट्री इंटरफेस ' में इसके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए गत 3 वर्षों हेतु लगातार प्रतिष्ठित व्यापार स्कूल द्वारा "एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड" और एबीपी न्यूज नेशनल एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा अन्य ग्राहकों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित संकाय और प्रबंधकीय क्षमता के साथ सायर को मजबूत करने के लिए उपाय किए गए हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण तथा कल्याण को अत्यधिक महत्व देती है। इस दिशा में कंपनी की प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन नीति का उददेश्य बेहतर निष्पादन तथा उत्पादकता हेतु कर्मचारियों के व्यापार कौशलों तथा दक्षता को सुदृढ़ करना है। पेशेवर कौशलों में मुहैया करवाए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त जिस क्षेत्र में कंपनी प्रचालन करती है उस सामाजिक-आर्थिक परिवेश के संबंध में कर्मचारियों को अवगत भी कराया जाता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और मनोवृत्ति विकास के प्रति मार्गदर्शित प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। कर्मचारियों को खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और उनके प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए अंतर-कारपोरेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

अगले 15 वर्षों हेतु कंपनी की मानव संसाधन आवश्यकताओं की एक व्यापक समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरईसी चुनौतियों से निपटने के लिए अपेक्षित होने वाले मानव संसाधनों से सुसज्जित हो और भविष्य द्वारा प्रस्तुत अवसरों का उपयोग कर सके। आरईसी सेवानिवृत्त हो रही प्रतिभा को प्रतिस्थापित करने के लिए भविष्य के अपेक्षित कौशलों तथा दक्षताओं के साथ आवश्यक मानव संसाधनों को शामिल करने का प्रस्ताव है। यह उल्लेख करना संगत है कि आरईसी संख्या में कम तथा दक्ष बने रहने को जारी रखेगा, तथा श्रेष्ठ मानव संसाधनों को नियोजित करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

सूचना प्रौद्योगिकी मोर्चे पर कंपनी में वर्ष 2009 से प्रचालन हेतु एक एकीकृत व्यापार ईआरपी प्रणाली प्रचालनरत है जिसमे नई विशेषताएं शामिल करते हुए लगातार सुधार किया जा रहा है। ईआरपी प्रणाली के लाभों का विस्तार बेहतर सेवा के एक हिस्से के रूप में ऋण लेने वालों को किया गया है। ईआरपी प्रणाली आरईसी के डाटा सेंटर पर होस्ट की गई है और आरईसी के प्राथमिक डाटा केन्द्र तथा आपदा बहाली केन्द्र दोनें आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है। ईआरपी प्रणाली का उन्नयन किया जा रहा है और इसका देश की बदलती हुई आवश्यकाताओं के अनुरूप आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी ने भारत में अपने समूचे कार्यालयों में एक पूर्णतः सुसज्जित उन्नत वीडियो कॉफ्रेंसिंग समाधान कार्यान्वित किया है। नई दिल्ली में कारपोरेट कार्यालय और कंपनी के सभी फील्ड कार्यालय वाई-फाई एनेबल हैं।

हाल ही की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों में कारपोरेट वेबसाइट का सुधार शामिल है ताकि इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल, सूचनाप्रद तथा प्रतिउत्तर वाली बनाया जा सके । इसके अलावा, आरईसी ने अपने क्रियाकलापों की प्रभावी निगरानी हेतु कई इन-हाउस एप्लीकेशनों को विकसित तथा कार्यान्वित भी किया है। गर्व ऐप्प दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन की निगरानी में अत्यधिक प्रभावी रहा है।

वर्तमान में विशेषीकृत ई-ऑफिस एप्लीकेशन को प्रारंभ करके आरईसी को कागज-रहित बनाने हेतु प्रक्रिया प्रगतिधीन है। एक व्यापक एप्लीकेशन बनाने के लिए व्यापार प्रक्रियाओं की एक व्यापक समीक्षा करवाई जा रही है और इस एप्लीकेशन मे ईआरपी, ई-ऑफिस, मानव संसाधन प्रबंधन तथा अन्य एप्लीकेशन शामिल होंगे।

कारपोरेट सुशासन

आप जानते हैं कि आरईसी कारपोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है और आंतरिक व्यापार को एक नैतिकतापूर्ण तथा उत्तरदायी तरीके से करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य विद्यमान नियामक ढांचे के भीतर सभी हितधारकों हेतु सतत मूल्य सृजन है। कंपनी समूचे विश्व में कारपोरेट सुशासन के क्षेत्र में अपनाए जा रहे श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने तथा स्वीकृत करने में लगी है। एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम के तौर पर आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015, डीपीई दिशा निर्देशों तथा अन्य लागू विधियों में यथा विहित कारपोरेट सुशासन की आवश्यकताओं का पालन कर रही है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

आरईसी अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के एक भाग के रूप में सतत समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से

विभिन्न पहलों को क्रियान्वित रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कंपनी ने 146.57 करोड़ रूपये के सीएसआर बजट को आवंटित किया था अर्थात, कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2%। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित देशभर में कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय धारणीयता, स्वास्थ्य देख-रेख, पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं, के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित किया था। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आरईसी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति स्वीकृत की गई कुल वित्तीय सहायता 181.23 करोड़ रूपये थी और सीएसआर क्रियाकलापों के प्रति संवितरित कुल राशि 69.80 करोड़ रूपये की थी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरईसी ने विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों यथा "स्वच्छ भारत पखवाड़ा", "स्वच्छ भारत मिशन" (स्वच्छता पखवाड़ा) और "स्वच्छता अभियान" (राष्ट्रीय सफाई अभियान) का आयोजन किया था आरईसी के सभी कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में अत्यधिक जोश के साथ भाग लिया और अपने संबंधित कार्यालय परिसार तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों हेतु विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया है"। पुराने तथा अवांछित रिकार्डों को आवधिक रूप से समाप्त किया जाता है और स्वच्छता के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है।

एमओयू रेटिंग तथा पुरस्कार

आरईसी के कार्य-निष्पादन को वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में दिए गए प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में प्राप्त परिणामों के आधार पर "उत्कृष्ट" के रूप में रेट किया गया है। आरईसी को 23 वर्षों से लगातार "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई है; और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु भी "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। कंपनी के निष्पादन को विभिन्न मंचों पर मान्यता दी गई है तथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरईसी को "बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी"; वर्ष 2014–15 हेतु "स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड इंश्योरेंस कंपनी" गोल्ड ट्रॉफी; और अप्रैल, 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए माननीय राष्ट्रपति से वर्ष 2014–15 के लिए "स्कोप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एण्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट" प्रदान किया गया था।

अन्य पहलें

कंपनी समय-समय पर अपनी नीतियों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है ताकि उन्हें इसके दीर्घावधि कारपोरेट उद्देश्यों, परिवर्तनशील बाजार आवश्यकताओं और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आरईसी ने निजी क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एकल ऋण सीमाओं संबंधी अपनी नीतियों तथा दिशा-निर्देशों, गैर-परंपरागत उत्पादन परियोजनाओं हेतु ब्याज दरों संबंधी नीति, समय से पूर्व चुकौती हेतु नीति और ऋणों का पूर्व भुगतान तथा सीएसआर एवं धारणीयता नीति जैसी कुछ नीतियों को अपनाया/उनमें संशोधन किया था।

आरईसी प्रबंधन संगठन के भीतर नवाचार तथा सहयोगात्मक प्रयासों की संस्कृति को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। कंपनी ने "आरईसी नवाचार केन्द्र" को प्रारंभ किया है, जो एक आंतरिक विचार सृजन तथा सप्रेषण पोर्टल है जिसका लक्ष्य व्यापार विकास, ब्रॉण्ड निर्माण तथा कार्यात्मक सुधारों हेतु अपने कर्मचारियों के विचारों तथा सुझावों की अपार संभावनाओं को देखना है।

बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बावजूद कंपनी वृद्धि तथा लाभप्रदता के अपने कारपोरेट उद्देश्यों को अपने सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखने में समर्थ हो पाई है।

भविष्य की रणनीति

आपकी कंपनी पूरे देश में समूची मूल्य श्रृंखला में विद्युत क्षेत्र की आवश्यकताओं के वित्त-पोषण के लिए उत्पादों की एक व्यापक श्रेणी की पेशकश करती है। जहां आरईसी की प्रचालनों के अपने विद्यमान क्षेत्र में एक मजबूत मौजूदगी है, कंपनी व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए भी तैयार है। तदनुसार, हम विविधीकरण हेतु अवसरों को तलाश रहे हैं जैसे कि विद्युत उपकरण विनिर्माण का वित्त-पोषण, ऋण समूहों, अन्य वित्तीय संस्थानों हेतु शुल्क आधारित परियोजना मूल्यांकन, बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माताओं हेतु ऋण, भंडारण तथा चार्जिंग आधारभूत ढांचा और इसी प्रकार से अन्य अवसर। भविष्य की रणनीति तथा कार्ययोजना को बनाने के लिए संगठन में वर्तमान में एक समग्र रणनीतिक आयोजना क्रियाकलाप जारी हैं। रणनीतिक आयोजना में व्यापार परिवेश तथा उभरती हुई प्रवृत्तियों, विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला तथा संबद्ध क्षेत्रों में जोखिम तथा अवसर, प्रमुख नीतिगत घटनाक्रम और क्षेत्र की परिवर्तनशीलता तथा व्यापार अवसरों पर उनके प्रभाव आदि का आकलन कवर होता है। इस क्रियाकलाप में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापार प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी और प्रचालनात्मक सुधार भी कवर होते हैं। इस क्रिया का उद्देश्य कंपनी के हितधारकों को प्रतिफल को एक सतत् आधार पर अधिकतम करना है।

विद्युत क्षेत्रक घटकों के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा अगले कुछ वर्षों हेतु आपकी कंपनी का मुख्य फोकस क्षेत्र होगा जो इस खंड को विकसित करने पर भारत सरकार के महत्वकांक्षी बल दिए जाने को ध्यान में रखते हुए है। आपकी कंपनी का नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों तरीकों से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी नियमित रूप से अपनी आंतरिक ऋण नीतियों को अधिक बाजार अनुकूल बनाकर तथा अपने ऋण लेने वालों को समूचे देश में और अधिक ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने को सुकर बनाकर स्वयं को इस क्षेत्र की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल रही है।

आपकी कंपनी दीर्घावधि मूल्य सृजन और धारणीयता के प्रति प्रतिबद्ध है तथा कारपोरेट अभिशासन के श्रेष्ठ मानको की ओर जाने के प्रयास को जारी रखेगी जिसमें बल प्रबंधन के प्राधिकार तथा स्वतंत्रता और साथ में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा पेशेवर रवैये पर दिया जाएगा।

भविष्य का पथ

भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वृद्धि हेतु एक इंजन के रूप में उभरी है जिसमें सरकार का प्रमुख फोकस ढांचागत सुधारों तथा वित्तीय समेकन, जीएसटी के कार्यान्वयन, नई दिवालिया संहिता, जन-धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु उदारीकृत तंत्र, काले धन को रोकने और डिजटलीकरण को प्रोत्साहित करने के उपाय तथा आधारभूत ढांचे में बढ़ते सार्वजनिक निवेश पर है, जो सभी मिलकर वृद्धि को एक दृढ़ प्रोत्साहन मुहैया करवा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत के विद्युत क्षेत्र हेतु भविष्य का पथ अपार संभावना वाला है।

सीईए अनुमानों के अनुसार विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 5 वर्षों की अवधि में 37% तक बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 1,566 बीयू होने का अनुमान है। भारत सरकार और राज्य सरकारें सभी के लिए 24x7 गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक, सस्ती, पहुंच वाली विद्युत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सरकार के डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस तथा उदय जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में वितरण आधारभूत ढांचे में अप्रत्याशित निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की है जिसके बेहतर वितरण दक्षता, कम आपूर्ति-मांग असंगति, कम तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों, बेहतर राजस्व वसूली तथा प्रौद्योगिकीय रूप से बेहतर स्मार्ट वितरण नेटवर्क को स्थापित करने में परिणत होने की संभावना है।

इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने से देश में विद्युत के फैलाव में वृद्धि होने की संभावना है जिससे मांग में वृद्धि होगी। सरकार वर्ष 2017 तथा 22 के मध्य की 5 वर्षों की अवधि में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान तथा आने वाली विद्युत प्रणाली में आरईसी के भविष्य हेतु अपार संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत भंडारण उपकरण, विद्युत वाहन, ऊर्जा बचत उपकरण, छोटी ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणालियां आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां व्यापार विस्तार हेतु नए अवसरों को तलाश रही है। इसके अतिरिक्त, आरईसी पड़ोसी देशों में निवेश अवसरों और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश अवसरों को भी तलाश रहा है।

तथापि, यह उल्लेख करना संगत होगा कि विद्युत क्षेत्र को बढ़ते हुए एनपीए, बड़ी विद्युत परियोजनाओं के अभाव, बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, ब्याज दर व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों और सामान्य तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में मन्द वृद्धि के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत क्षेत्र परियोजनाएं प्रमोटरों की इक्विटी बाध्यताओं, पीपीए चुनौतियों, अधिक समय क्षितिज और परिवर्तनशील नीतिगत परिवेश जैसे मुद्दों का भी सामना कर रही हैं। अतः कंपनी निम्न लागत पर संसाधनों को जुटाने और श्रेष्ठ प्रतिफलों की पेशकश करने वाले अवसरों में अपने संसाधनों के नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए सतत तथा गम्भीर प्रयास कर रही है।

व्यापक पूंजीगत व्यय और उतने ही व्यापक प्रचालनात्मक आधारभूत ढांचे के विकास की संभावना के साथ आरईसी निकट भविष्य तथा साथ ही साथ दीर्घावधि में एक आशावान व्यापार परिदृष्य की आशा कर रहा है। क्षेत्र के अवरोधकों पर ध्यान देने तथा उनके समाधान के लिए सरकार की सक्रिय पहल के इस संभावित परिदृश्य को सुदृढ़ कर रही है। आरईसी बाजार मांगों को पूरा करने के लिए भलीभांति सुसज्जित है और देश के आर्थिक विकास में एक ठोस भूमिका निभाने को तत्पर है।

आभार

मैं इस अवसर का उपयोग माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य पदाधिकारियों के प्रति कंपनी के लिए उनके समर्थन तथा मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टाक एक्सचेंजो तथा डिपॉजिट्री के पदाधिकारियों के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। इसके अलावा, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवालयीय लेखापरीक्षकों, रजिस्ट्रार और कंपनी से संबद्ध अन्य पेशेवरों का उनके मूल्यवान योगदान के लिए भी आभारी हूं।

मैं, हमारे निदेशकों, ऋणदाताओं तथा ऋण लेने वालों के प्रति भी आरईसी में अपना विश्वास जताने के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं बोर्ड के अपने प्रतिष्ठित सहकर्मियों और संगठन के सभी कर्मचारियों के प्रति भी कंपनी को वृद्धि के पथ पर आगे ले जाने के लिए उनके अथक प्रयासों के प्रति भी आभारी हूं। मैं, अपने सभी ग्राहकों, विशेष रूप से राज्य सरकारों, विद्युत यूटिलिटियों तथा निजी उद्यमों के प्रति भी अत्यधिक सराहना रिकार्ड करता हूं।

अंत में, किन्तु महत्वपूर्णरूप से, मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों के प्रति उनके सतत समर्थन तथा सद्भाव के लिए तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि आपके सहयोग और टीम आरईसी के समर्पित प्रयासों के साथ, हम और मजबूत होंगे तथा आने वाले समय में सतत वृद्धि की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

रमेश

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

21 अगस्त, 2017

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** (“**आरईसी**” या “**कंपनी**”) (सीआईएनःएल40101डीएल1969जीओआई005095) **की 48वीं (अड़तालिसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 21 सितंबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, मानेकशॉ सेंटर , परेड रोड , दिल्ली छावनी (कैंट), नई दिल्ली-110010, भारत** में निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगीः-

साधारण कार्य

मद संख्या 1 : निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2 : वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की अदायगी की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

मद संख्या 3 : डॉ. अरुण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4 : वित्त वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन ।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

“**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों (जिनमें कोई सांविधिक आशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) और समय-समय पर लागू कानूनों/किसी विधान के अधीन बनाए गए लागू कानूनों/नियमों के अनुसरण में और समुचित प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति से, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) द्वारा इनर्जी एफिसिएंसी लिमिटेड (ईईएसएल) या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ निष्पादित संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेन-देन (लेन-देनों) को कंपनी की सहमति और एतद्द्वारा निष्पादित किया जाए । यह निष्पादन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष के दौरान माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से) बेचे/खरीदे जाने के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का पट्टे पर दिए जाने, समय-समय पर वित्तीय सहायता, जनशक्ति की नियुक्ति, सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करने सहित सेवाओं का लाभ उठाने या सेवाएं देने से संबंधित हैं, बशर्ते कि ऐसे संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं), लेन-देन (लेन-देनों) का समेकित मूल्य तत्काल पूर्व के वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) से अधिक न हो।”

“**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल (“बोर्ड”) या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ व्यक्तिगत संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) अनुमोदित कर सकता है, परंतु यह संविदा व्यवस्था या लेन-देन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आरईसी के कुल कारोबार की समग्र दो प्रतिशत (2%) की सीमा के अंदर हो, इसमें संबंधित पक्षकार का नाम और संबंधों का प्रकार, उस संविदा या व्यवस्था का प्रकार और अवधि तथा ब्योरों का उल्लेख किया जाएगा, जो ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ निष्पादित किया जाएगा, अन्य बातों के साथ-साथ इस संविदा की महत्त्वपूर्ण शर्त यह होगी कि कीमत और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के तरीकों में किए गए या प्राप्त की गई अग्रिम अदायगी, यदि कोई हो, संविदा के मूल्य सहित, जिसमें संविदा का भाग या संविदा और/या किसी अन्य मामले के भाग के रूप में जिसके संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है, दोनों शामिल होंगे।”

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथाप्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी भी शामिल है, को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसा सभी कृत्य, कार्य और बातें कर सकता है और निष्पादित कर सकता है जो उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक समझी जाए।”

मद सं. 6 : प्रतिभूतियों की निजी नियुक्ति के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

“**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उसके अधीन बनाए गए

नियमों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई सांविधिक आशोधन या पुन: अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति जारी करना तथा सूचीबद्ध करना सहित अन्य लागू विधि) (संशोधन) विनियम, 2012 और अन्य लागू सेबी विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश, परिपत्र/ निदेश/ मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी के संस्था ज्ञापन और संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों और लागू आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा आवश्यक अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, जिसमें विद्यमान उधारदाता/ डिबेंचरों के न्यासी/धारक, यदि आवश्यक हो, करार/विलेख की शर्तों के अधीन और निर्धारित शर्तों और आशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति दिए जाते समय, जिन्हें निदेशक मंडल (मंडल) या निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकारी, की अनुमोदन से कंपनी को यह अनुमोदन दिया जाए और एतद्द्वारा अनुमोदन दिया जाता है कि वह अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ डिबेंचरों की प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 65,000 करोड़ की निधि इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर जुटा जा सकती है। यह निधि एक या एक से अधिक शृंखलाओं में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जुटाई जा सकती है, जो कंपनी के बांड/ डिबेंचरों के धारक हों या न हों, जैसाकि निदेशक मंडल (या निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकारी) अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है जिसमें पात्र निवेशक (भले ही वे निवासी हों और/या अनिवासी हों और/या संस्था/निगम/निकाय और/या व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक या अन्यथा हों, जो घरेलू और/या एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में हों), जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थान, निगमित निकाय, कंपनी, प्राइवेट या सरकारी या अन्य ऐन्टिटिटी, प्राधिकारी या एक या एक से अधिक व्यक्ति भी शामिल हैं जो एक या एक से अधिक शृंखलाओं में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए मिलकर निवेश कर सकते हैं और जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है (जिसकी समग्र सीमा जैसे पहले बताई गई है ₹ 65,000 करोड़ हो), यदि कोई हो ऐसी शर्तों पर, जो समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन तय की जाएं और ऐसी शर्तों पर, जो निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाए।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** प्रतिभूत/अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों का प्राइवेट प्लेसमेंट करने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक मंडल (बोर्ड) या निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकारी को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह निर्गम की शर्तों को निर्धारित करे, जिसमें ऐसे निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाएंगे, सहित प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम कीमत, टेनर, ब्याज दर, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रचलित ब्याज कीमत पर दी जाएगी, निर्गम की रकम बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी के लिए निर्गम कीमत में छूट, सूचीकरण/अपेक्षित घोषण और वचनपत्र आदि, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रस्ताव पत्र भी शामिल है और वह तत्समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के अधीन ऐसे सभी कार्य, कृत्य और बातें कर सकता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
आईसीएसआई सदस्य संख्या एफसीएस 4298

स्थान: कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 21 अगस्त, 2017

टिप्पणियां :-

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक के आरंभ होने से कम से कम 48 (अड़तालीस) घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म और बैठक के स्थल का रूट मैप संलग्न है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।**

   कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले तथा कुल मिलाकर कंपनी की कुल अंश पूंजी का अधिकतम (10%) धारण करने वाले अधिकतम पचासा (50) सदस्यों की ओर से प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाला सदस्य, जिसके पास कुल अंश पूंजी के 10% से अधिक शेयर हैं, प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विशेष कारोबार की प्रत्येक मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. पुनः नियुक्ति की मांग के लिए निदेशक (निदेशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

4. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **शनिवार, 16 सितंबर, 2017 से गुरुवार, 21 सितंबर, 2017 तक (जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेंगी ।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में ₹ 2.65 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की गई, यदि वह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में **शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017** या इससे पूर्व कंपनी/आरएंडटीए के पास दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान है, **सोमवार, 9 अक्टूबर, 2017** को अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के उन "लाभार्थी स्वामियों" को देय होगा, जिनके नाम **शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017** को कारोबार बंद होने के समय नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।

   इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 14 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर ₹ 7.00 प्रति इक्विटी शेयर पर अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जो 6 मार्च, 2017 को अदा किया गया था। शेयरधारकों से भी इसकी पुष्टि करने का अनुरोध है।

6. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या किसी अन्य शेयर से संबंधित मामले तथा अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपन संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

7. जिन सदस्यों को अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने उनका नकदीकरण उसकी वैधता अवधि में नहीं कराया है, वे वारंटों को पुनः वैधीकरण कराने या ऐसे वारंटों के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर या कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिख सकते हैं।

   कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में 7 वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी लाभांश राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (कंपनियों के पास अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी राशियों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में 21 सितंबर, 2016 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) की स्थिति के अनुसार, कंपनी में अप्रदत्त तथा अदावाकृत पड़ी राशियों के ब्योरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) पर तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आईईपीएफ को हस्तांतरित अप्रदत्त/अदावाकृत राशि का ब्यौरा कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

8. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए प्रॉक्सी फार्म/उपस्थिति पर्ची के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र (मुखतारनामे) की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे:-

   क) नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;

   ख) बैठक में भाग लेने के लिए, एतद्द्वारा इसके साथ प्रेषित उपस्थिति पर्ची बैठक के प्रवेश स्थल पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत करनी होगी, क्योकि सभागार में प्रवेश, बैठक के स्थल के काउंटर पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;

   ग) कंपनी/ आरएंडटीए के साथ समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/ग्राहक आईडी और डीपीआईडी संख्या का उल्लेख करें;

   घ) नोट करें कि सुरक्षा कारण से ब्रीफकेस, खाने के सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

   ङ) नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

10. क्योंकि सेबी ने निदेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/ प्रत्यक्ष क्रेडिट

अधिदेश प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट/ वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) अर्थात **कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः आरईसी, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली , फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, हैदराबाद-50002, भारत** से एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें भेज सकते हैं। जिन्होंने एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म कंपनी/आरएंडटीए को पूरे विवरणों सहित पहले ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11. लाभांश वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए जो सदस्य एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा का विकल्प नहीं देना चाहें, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण यथा बैंक की शाखा का नाम और पता, बैंक खाता संख्या, नौ अंकों वाला बैंक का एमआईसीआर कोड, आईआईएफएससी कोड, लेखे का प्रकार आदि 15 सितंबर, 2017 तक आरएंडटीए को अवश्य भेज दें ताकि उनके लाभांश वारंट पर ये विवरण मुद्रित किए जा सकें।

12. **सेबी ने अंतरिती (अंतरितियों) के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक रूप से धारित शेयरों के अंतरण के संबंध में पंजीकरण और प्रतिभूति बाज़ार लेनदेनों तथा ऑफ-मार्कीट/प्राइवेट लेनदेन के लिए कंपनी/आरटीए को पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें। तद्नुसार, भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य कंपनी/आरटीए को प्रेषित अंतरण के प्रत्येक अनुरोध के संबंध में अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।**

13. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से बहु-फोलियो में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को उनके समेकन के लिए आवेदनपत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों, तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिनका नाम क्रम में सबसे ऊपर हो।

14. जिन सदस्यों के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अथवा पुनःनियुक्त किया जाता ह तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे।

21 सितंबर, 2016 को आयोजित कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/ संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तद्नुसार, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 36,00,000 (केवल छत्तीस लाख रुपए) का पारिश्रमिक और सेवा कर की अदायगी को अनुमोदित कर दिया है। नियमानुसार यह राशि सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मैसर्स ए आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार में बराबर बांटी जाएगी। निदेशक मंडल ने यह भी अनुमोदित किया है कि उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को ऐसा वास्तविक उचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जाएगी, जैसाकि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जाए।

इसके अलावा, मैसर्स ए आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी) और मैसर्स जी.एस. माथुर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 008744एन) को भारत के नियंत्रक और महालेखा लेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया गया है। **तद्नुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें कि वह वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, जैसा वे उपयुक्त समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करें।**

15. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन यथाअनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियमावली, 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सीधे भेजा जा सकता है।

16. इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना वार्षिक आम बैठक के समय उपलब्ध की जा सके।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक बैठक, अन्य दस्तावेज़ भौतिक रूप से भेजने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकती हैं। तद्नुसार, कंपनी का प्रस्ताव अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज़ अथवा नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि अब से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का है। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप उपयुक्त दस्तावेज़ और इस संबंध में कानून के अंतर्गत सभी अपेक्षित दस्तावेज़ कंपनी से अनुरोध करने पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट आरएंडटीए (अगर भौतिक रूपमें शेयर हैं)/ (अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम रूप में शेयर हैं) संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की हरित पहल में अपना योगदान दें।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखा जाने वाला निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे जाने वाले संविदा और व्यवस्था रजिस्टर जिसमें निवेशक रुचि रखते हों और इस नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज़ सभी कार्य दिवसों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय, बैठक के स्थान पर ही उपलब्ध होंगे।

19. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे (क) भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए भारत वापस आने पर अपनी आवासीय प्रस्थिति में परिवर्तन और भारत में रखे गए बैंक खाते के ब्योरे, जिसमें नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या, बैंक का पता तथा उसका पिन कोड के संबंध में आरएंडटीए को उस स्थिति में तत्काल सूचित करें यदि उन्होंने पहले यह सूचना नहीं दी हो।

20. कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों संबंधी सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए यह कंपनी शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा दे रही है, ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों के संबंध में अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। इस प्रयोजन के लिए ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। जो शेयरधारक ई-मतदान न करना चाहें, वे वार्षिक आम बैठक में मतपत्र की प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए श्री संजय ग्रोवर, मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है ताकि शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान प्लेटफार्म पर और बैठक में मत-पत्र प्रक्रिया दोनों ही माध्यमों से किए गए मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा सके।

इसके अलावा, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वार्षिक आम बैठक में मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख, **शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017** तय की है। जो व्यक्ति इस अंतिम तारीख तक सदस्य न हो, वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

ई-मतदान पोर्टल **सोमवार, 18 सितंबर, 2017 (1000 बजे) से बुधवार, 20 सितंबर, 2017 (1700 बजे)** तक मतदान के लिए खुला रहेगा। कथित ई-वोटिंग अवधि के अंत में, ई-मतदान पोर्टल को तुरंत ब्लॉक कर दिया जायेगा।

जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी/आरएंडटीए के पास पंजीकृत हो, उन्हें प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड की सूचना देते हुए, आरएंडटीए द्वारा ई-मेल भेज दिया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए विशिष्ट पासवर्ड, प्रॉक्सी फार्म पर मुद्रित किया जाता है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों और अन्य सूचनाओं को सावधानी से पढ़े:

i कार्वी से किसी सदस्य को ई-मेल प्राप्त होने पर https://evoting.karvy.com पर लॉग ऑन करें या ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आप ई-मतदान के लिए कार्वी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपने मतदान के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ii इस नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्सी फार्म के नीचे अथवा आरएंडटीए से प्राप्त ई-मेल में उल्लिखित लॉगइन क्रेडेंशियल (अर्थात प्रयोक्ता-आईडी और पासवर्ड) को अन्यथा दर्ज करें। आपका फोलियो/डीपी आईडी और ग्राहक आईडी भी आपका प्रयोक्ता आईडी होगा।

प्रयोक्ता आईडी	**डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:-**
	क) एनएसडीएल के लिए: 8 डिजिट वाले डीपीआईडी के पश्चात 8 अंक का डीपी उपभोक्ता आईडी
	ख) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट का लाभकर्ता आईडी
	फिजिकल रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:
	इवेंट संख्या के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशेष पासवर्ड नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्स (प्रतिनिधि) पत्र पर मुद्रित है/कार्वी से प्राप्त ई-मेल में भी उल्लिखित है।
कैपचा	सत्यापन कोड प्रविष्टि करें अर्थात शब्दों तथा संख्या को उसी तरीके से प्रविष्ट करें जैसे सुरक्षा कारणों से वे प्रदर्शित किए गए हैं।

iii समुचित रूप से इन ब्योरों को प्रविष्ट करने के पश्चात "लॉगइन" पर क्लिक करें।

iv अब आप पासवर्ड परिवर्तन मीनू पर पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचकर आपके द्वारा अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदला जाना अपेक्षित है। नए पासवर्ड में कम से कम 8 करेक्टर्स होंगे, जिनमें कम से कम एक बड़े अक्षरों (A-Z) में एक छोटे अक्षरों (a-z) में एक संख्या (0-9) में तथा एक विशेष वर्ण (@#$) आदि होगा। सिस्टम आपको प्रथम लॉगइन पर अपना पासवर्ड बदलने तथा सम्पर्क ब्योरे और मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि अद्यतन करने के लिए कहेगा। आप पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न तथा उसका उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको यह चेतावनी दी जाती है कि आप पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा यह कि आप अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

v आपको अपने नए ब्योरों के साथ पुनः लॉगइन करना होगा।

vi सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर सिस्टम आपको रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए ई-वोटिंग-इवेंट संख्या का चयन करने के लिए कहेगा।

vii मतदान पृष्ठ पर "के लिए/के विरोध में" नीचे अंतिम तारीख के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से "के लिए" में आप अंशतः किसी भी संख्या के नीचे और अंशतः "विरोध में" के नीचे प्रविष्ट कर सकते हैं, किंतु "के लिए/विरोध में" के तहत कुल संख्या मिलाकर यहां ऊपर बताई गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप निषेध विकल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि शेयरधारक "के लिए अथवा के विरोध में" में से किसी को भी निर्दिष्ट नहीं करता है तो इसे "निषेध" माना जाएगा तथा धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अधीन नहीं की जाएगी।

viii बहु-फोलियो/डीमेट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमेट खाते के लिए पृथक-पृथक रूप से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

ix नोटिस की प्रत्येक मद के लिए मतदान पृथक-पृथक किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट मद पर अपना मत नहीं डालना चाहते तो उसे "निषेध" के रूप में माना जाएगा।

x तब आप किसी समुचित विकल्प का चयन कर अपना मत डालेंगे और "प्रस्तुत" पर क्लिक करेंगे।

xi अब एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि के लिए "ओके" पर क्लिक करें अथवा आशोधित करने के लिए "निरस्त" पर क्लिक करें। आपके द्वारा एक बार पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात आपको अपना मत आशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, सदस्य तब तक कितनी ही बार लॉगइन कर सकते हैं जब तक कि वे संकल्प (संकल्पों) पर अपना मत नहीं डाल देते।

xii कॉरपोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति विशेष, हिंदु अविभक्त कुटुंब, अनिवासी भारतीय आदि को छोड़कर) से भी अपेक्षित है कि वे ई-मेल आईडीः scrutinizer.recl@gmail.com पर संवीक्षाकर्ता को विविध प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) भेजें तथा उसकी एक प्रति e-voting-karvy.com को चिन्हित करें। उपर्युक्त दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रति दिए गए नाम प्रारूप "Corporate Name_EVEN NO." में होना चाहिए।

xiii यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तारीख को शेयरधारण करता है तो वह कंपनी के आरएंडटीए से ई-मतदान के लिए प्रयोक्ता आई कार्ड और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

xiv इसके अलावा, यदि आप ई-मतदान से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर हेल्ड एंड एफएक्यू को देखें या टोल-फ्री नंबर 1800 345 4001 पर हमारे आरएंडटीए पर संपर्क करें या श्री एस वी राजू/श्री एस बालाजी रेड्डी, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर, बी, प्लॉट 31-32, गाची बावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानाकरमगुडा, हैदराबाद-500032, फोन नंबर 040-67161569/67161571, ई-मेलः einward.ris@karvy.com / raju.sv@karvy.com / balaji.reddy@karvy.com पर संपर्क करें।

21. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मत डाल देने के पश्चात शेयरधारकों को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. बैठक में कार्यसूची की मदों पर एक बार चर्चा पूरी होने पर प्रत्येक प्रस्ताव को मत-पत्रों की प्रक्रिया (इंस्टा पोल) के माध्यम से मतदान के लिए बैठक में रखा जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान किया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. संवीक्षाकर्ता, वार्षिक आम बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान संपन्न होने के बाद, मत-पत्रों के माध्यम से बैठक में डाले गए मत-पत्रों की गिनती करेगा और उसके पश्चात ऐसे कम से कम दो साक्षी, जो कंपनी में सेवारत न हों, की उपस्थिति में ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान (वोटों) को खोलेगा और संवीक्षाकर्ता की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

24. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में किए गए मतों की संख्या अमान्य मतों की संख्या के परिणामों का उल्लेख और इस बात का उल्लेख करते

हुए कि प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार किया गया है या नहीं तथा संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर डाला जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित समझा जाएगा।

25. कंपनी इस बैठक से संबंधित वीडियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।

26. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विवरण।

निम्नलिखित विवरणों में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए है।

मद संख्या 5

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या नियम के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक "संबंधित पक्षकार" के साथ कोई संविदा या व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में शेयरधारक अपनी सहमति दें। अन्य बातों के साथ-साथ, "संबंधित पक्षकार" शब्दावली में इनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) की संबद्ध कंपनी है।

आरईसी समय-समय पर ईईएसएल या किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ संविदा व्यवस्था लेनदेन निष्पादित करना चाहेगा। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक का हो सकता है। अतः, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी द्वारा ईईएसएल या किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ कोई संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) को करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्य माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से) बेचने/ खरीदने, किसी प्रकार संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता सहित किसी सहायता का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने, जनशक्ति की नियुक्ति करने, सहायक या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर की जाने वाली संविदा आदि भी शामिल है। परंतु संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) करने का संचयी मूल्य वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान कंपनी द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में किए जाने वाले किसी लेनदेन (लेनदेनों) पर लागू नहीं होंगे, जो उसके निकट न हो। तद्नुसार, ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनियों (विद्यमान या भावी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में ही अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जो प्रत्यक्षतः इसके निकट न हो।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("बोर्ड") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (विद्यमान या भावी) के साथ संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) की प्रकृति, अवधि, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य और ब्योरों को अंतिम रूप दे और अनुमोदित करे, जो वित्त वर्ष 2016–17 के आरईसी के कुल कारोबार की दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के अंतर्गत हो।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 जुलाई, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 5 में लिखित साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणी और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की अभिदान के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्तावित प्रस्ताव या आमंत्रण को प्रत्येक प्रस्ताव आमंत्रण के संबंध में विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले अनुमोदित न कर दिया गया हो। लेकिन, "अपरिवर्तनीय डिबेंचरें" से संबंधितं प्रस्ताव या आमंत्रण के मामले में यह पर्याप्त होगा, यदि उस वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के संबंध में सभी प्रस्ताव (प्रस्तावों) या आमंत्रण (आमंत्रणाओं) के संबंध में वर्ष में केवल एक बार कंपनी द्वारा पहले विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो।

तद्नुसार, कंपनी के शेयरधारकों ने 21 सितंबर, 2016 को आयोजित कंपनी की पिछली (47वीं) वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित कर दिया

है कि एक या एक से अधिक श्रृंखला में ₹ 50000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाई जाए। ये बांड ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जारी किए जाएं, जो कंपनी के बांड/ डिबेंचरधारक हों या नहीं। ये बांड कंपनी के समग्र बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत होंगे। लेकिन शेयरधारकों का उपर्युक्त अनुमोदन केवल 20 सितंबर, 2017 तक विधिमान्य है। उसके बाद निधि जुटाने की सुविधा के लिए और उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अंदर रहते हुए यह आवश्यक है कि इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अप्रतिभूत/ प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/ डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाने के लिए इस वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है।

अत: प्रस्ताव है कि विशेष संकल्प पारित किया जाए ताकि कंपनी इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 20 सितंबर, 2018 तक ₹ 65,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/ प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटा सके। ये बांड/डिबेंचर एक या एक से अधिक शृंखलाओं में होंगे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे, जो कंपनी के बांड/डिबेंचर धारक हों या नहीं। ये बांड/ डिबेंचर समग्र बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत होंगे, जैसाकि समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसके अलावा, ₹ 65,000 करोड़ की उक्त सीमा 10 जून, 2014 को डाक मत पत्रों के माध्यम से पारित विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा के अंतर्गत है।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("बोर्ड") या निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह इस निर्गम की शर्तों को तय करे, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी भी शामिल होगी, जिन्हें ये बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाएंगे, इसमें प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन बाज़ार कीमत पर प्रीमियम/ बट्टा, जारी करने की रकम, बांड/डिबेंचरों के धारकों की श्रेणी को जारी की जाने वाली कीमत में बट्टा, सूचीकरण, घोषणा/वचन-पत्र जारी करना भी शामिल होगा जो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल करना होगा और ऐसे सभी कृत्य, कार्य और बातें निष्पादित करनी होंगी जो तत्समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के अधीन अपेक्षित हों।

संस्था ज्ञापन और संस्था अंतर्नियम तथा सभी संबंधित दस्तावेज़ कारोबार समय के दौरान सभी कार्यदिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध होंगे और वे वार्षिक आम बैठक के बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 6 में उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्पों के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
आईसीएसआई सदस्यता सं. एफसीएस 4298

स्थान: कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 21 अगस्त, 2017

21 सितंबर, 2017 को आयोजित होने वाली 48वीं वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	डॉ. अरुण कुमार वर्मा, सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीआईएनः 02190047)
जन्म तिथि	7 जुलाई, 1959
नियुक्ति की तारीख	6 अक्टूबर, 2015
योग्यता	भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, एफआरआई और सी, देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (एआईजीएनएफए) के एसोसिएट सदस्य, जनजाति विकास नीति में पीएच.डी. भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु और मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजन एंड इंटरनेशनल अफेयर, साइराक्यूस विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से लोक नीति और प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजीपीपीएम)। इसके अलावा, ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	डॉ. वर्मा को 30 साल से अधिक की अवधि का प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी अनुभव है। आपने पहले प्रबंध निदेशक, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के पद पर विद्युत क्षेत्र में कार्य किया है । विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के सदस्य सचिव और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंधन के परियोजना निदेशक के पद पर 29 जुलाई, 2011 से 14 नवंबर, 2014 तक कार्य किया है। आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक भी हैं।
अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्य	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
आरईसी से भिन्न अन्य सभी सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	अध्यक्ष - स्टेकहोल्डर संबंध और शेयरधारकों / निवेशक शिकायत समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	डॉ. अरुण कुमार वर्मा का कंपनी के किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक अथवा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।
प्रदत्त/ प्रदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक / बैठक शुल्क पाने का पात्र नहीं है।
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या का उल्लेख कारपोरेट सुशासन की रिपोर्ट में किया गया है, जो वित्त वर्ष 2016-17 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

निदेशकों का विवरण

डॉ. पी वी रमेश, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (डीआईएनः 02836069)*

डॉ. पी वी रमेश, 58 वर्ष, 5 जनवरी 2017 से आरईसी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आरईसी में कार्य-भार ग्रहण करने से पहले, डॉ रमेश आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रमुख सचिव और विकास आयुक्त थे तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पदेन विशेष प्रमुख सचिव थे। डॉ रमेश ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर, से चिकित्सक के रूप में स्नातक किया है।

वे 31 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के दौरान, आंध्र प्रदेश सरकार में प्रधान वित्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और उद्योग आयुक्त के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। ये राज्य पुनर्गठन विभाग के प्रमुख भी रहे हैं जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया।

इन्होंने लगभग 13 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम किया है, जहां इन पर राष्ट्रीय विकास रणनीतियों और योजनाओं, कार्यक्रम डिजाइन, पर्यवेक्षण, निगरानी, मूल्यांकन, निधि प्रशासन और कार्यक्रम प्रबंधन तैयार करने का दायित्व था। वे आईएफएडी, यूएनओपीएस और यूएनएफपीए के एक कार्मिक सदस्य थे। आप ने एशियाई प्रशांत तथा अफ्रीकी महाद्वीपों और यूरोप के कई देशों और न्यूयॉर्क में यूएनओपीएस मुख्यालय में काम किया है। यूएनओ में अपने कार्यकाल के दौरान, आप देश के उच्च पदों पर कार्यरत रहे जिनमें आईएफएडी / यूएनओपीएस के एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए कार्यक्रम प्रबंधक, पश्चिम एशिया, यूरोप और अरब राज्यों के लिए वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबंधक, यूएनओपीएस क्षेत्रीय कार्यालय के दक्षिण पूर्वी अफ्रीका कार्यालय के लिए कार्यवाहक निदेशक; अफगानिस्तान में यूएनएफपीए में देश के प्रतिनिधि; और अफगानिस्तान के वित्त मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार, प्रमुख पद हैं।

डॉ. रमेश, 5 जनवरी 2017 से आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी हैं ।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार डॉ. रमेश के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *निदेशक (वित्त) (डीआईएन : 02231613)*

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, आयु 57 वर्ष, 01 अगस्त, 2012 से आरईसी के निदेशक (वित्त) हैं। इन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी. कॉम (ऑनर्स) किया है। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 34 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने महाप्रबंधक/ कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा तथा कराधान शामिल हैं। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ये टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे। आप 22 अगस्त 2012 से इंडियन इनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) और 27 दिसंबर 2008 से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक भी हैं।

इनका दायित्व वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। आप निगम के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशानिर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाज़ार व्यवसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। आप ट्रेजरी संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, उधार प्रचालन और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह भी देते हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल के पास कंपनी के 484 इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन : 03464342)*

श्री संजीव कुमार गुप्ता, आयु 55 वर्ष, 16 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) हैं। इन्होंने जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड से वैद्युत इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री हासिल की है। आपको भारतीय विद्युत क्षेत्र के कई कार्यों अर्थात योजना, डिजाइन, निर्माण, बड़ी ईएचवी पारेषण प्रणाली के ओएंडएम परियोजना, प्रबंधन, विभिन्न विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय परियोजनाओं आदि की वित्त व्यवस्था का 35 वर्ष का अनुभव है।

इन्होंने 16 मार्च, 2010 से हमारी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर कार्य किया है। आपने आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है और नेशनल इलेक्ट्रीसिटी फंड (एनईएफ) के नोडल अधिकारी भी रहे हैं। ये कंपनी के सभी तकनीकी कार्यों और कारोबार विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं।

ये 12 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल के और 26 अक्टूबर 2015 से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड में नामित निदेशक भी हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है। .

डॉ. अरुण कुमार वर्मा, *सरकार द्वारा नामित निदेशक (डीआईएन : 02190047)*

डॉ. अरुण कुमार वर्मा, 58 वर्ष, 06 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक हैं। ये गुजरात कैडर के 1986 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपके पास भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। आप एफआरआई और सी, देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (एआईजीएनएफए) के एसोसिएट सदस्य हैं। आपने जनजाति विकास नीति में पीएच.डी. की है। इन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु और मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजन एंड इंटरनेशनल अफेयर, साइराक्यूस विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से लोक नीति और प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजीपीपीएम) भी प्राप्त की है। इनको 30 साल से अधिक अवधि का प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी अनुभव है। आपने विद्युत क्षेत्र में प्रबंध निदेशक, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के पद पर कार्य किया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के सदस्य सचिव और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंधन के परियोजना निदेशक के पद पर 29 जुलाई, 2011 से 14 नवंबर, 2014 तक कार्य किया है। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी सरकारी नामित निदेशक हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री अरुण सिंह, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00891728)*

श्री अरुण सिंह, 52 वर्ष, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री सिंह अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार हैं और इन्हें वित्त, कराधान, बैंकिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में 28 वर्ष का अत्यधिक अनुभव है। आप अरुण सिंह एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली में एक अग्रणी साझेदार हैं। आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड और भारतीय स्टेट बैंक में निदेशक के रूप में कार्य किया है। आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति के सदस्य थे। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के खाद्य और कृषि संगठन की विभिन्न परियोजनाओं को भी संभाला है।

आपने प्रबंधन कार्यक्रम और प्रबंधन संस्थानों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रबंधन और वित्त विषय के अतिथि संकाय के रूप में भी कार्य किया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार श्री अरुण सिंह के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00871792)*

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, 62 वर्ष, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला (इकोनॉमिक्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एक योग्य प्रमाणित सहयोगी भी हैं। आपको बैंकिंग क्षेत्र के सभी कार्यों का लगभग 40 वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव है। आपने 39 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय स्टेट बैंक में सेवा की, जहां आपने वर्ष 1975 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और आप अप्रैल, 2011 में प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक के पद तक पंहुचे। भारतीय स्टेट बैंक में सुदीर्घ और विशिष्ट सेवा के दौरान आपने विभिन्न जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों को किया है, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के फुटकर कारोबार को 16000 से अधिक शाखाओं तक फैलाया है और भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को भी किया है जिसमें 36 देशों में 190 कार्यालयों की स्थापना करना भी शामिल है। आप नवंबर, 2014 के अंत में अपनी अधिवर्षिता तक बैंक की नीति बनाने और कार्यनीतियों को तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में थे। आप एसबीआई सेक्युरिटी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो स्टेट बैंक की एक सहायक कंपनी है, के निदेशक मंडलों के सदस्य भी रहे हैं। इस दौरान, आपको प्रतिभूति, बीमा और क्रेडिट कार्ड उद्योग में मूल्यवान ज्ञान भी प्राप्त हुआ। आप आंध्र बैंक, सतगुरु कैटालाइजर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरक्षा एसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और टीवीएस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रहे। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड बोर्ड के एक लोकहित डायरेक्टर भी रहे हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और इनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00008651)*

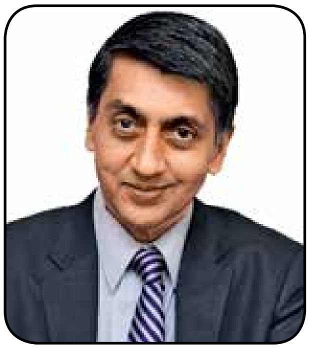

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन, 61 वर्ष, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। आप आईआईटी, मुंबई से बी.टेक और आईआईएम, कोलकाता से पीजीडीएम हैं और आपने ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यूयार्क विश्वविद्यालय से डॉक्ट्रेट की डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में, आप भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में वित्त और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इन्होंने शैक्षिक क्षेत्र में जाने से पहले परामर्शी और वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। आप टाटा इकॉनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज में डिविजनल प्रबंधक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में स्ट्रैटेजी प्रमुख और बेयर स्टर्न्स एशिया, हांगकांग के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड और एसबीआईसीएपी सिक्योरिटीज लिमिटेड और एचआर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में निदेशक भी हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

प्रो. राम मोहन वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बैंक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं और विभिन्न मंचों पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों पर वार्ताएं की हैं। इनके वर्तमान शोध के क्षेत्र में बैंकिंग सुधार, निजीकरण और कारपोरेट सुशासन शामिल हैं। इन्होंने कई लेख लिखे हैं और प्रमुख प्रकाशनों जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस स्टैंडर्ड और द हिंदू के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार श्री टी.टी. राम मोहन के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

श्रीमती आशा स्वरूप, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00090902)*

श्रीमती आशा स्वरूप, 67 वर्ष, 08 फरवरी, 2017 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। आप हिमाचल प्रदेश कैडर की 1973 बैच की एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और आईडीआरसी, कनाडा के पीयरसन फेलो हैं। आपने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (2007-08) के सचिव और हिमाचल प्रदेश सरकार (2008-10) के मुख्य सचिव के रूप में सेवा की है। आप हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रही हैं ।

इन्होंने वाणिज्य मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय में अपर सचिव एवं आर्थिक सलाहकार (2004-07), ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (2001-04), मानव संसाधन मंत्रालय के युवा मामलों तथा खेल विभाग की संयुक्त सचिव (1993-98) के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

सेवानिवृत्ति के बाद आप एचपी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के अध्यक्ष, मंत्रालयों के परिणाम केमवर्क दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट सचिवालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह और तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए वार्षिक लक्ष्य को अंतिम रूप देने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समूह विशेषज्ञ समूह की सदस्य के रूप में कार्यरत रही हैं। ये एसजेवीएन लिमिटेड के बोर्ड की /मंडल में स्वतंत्र निदेशक भी रही हैं।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, श्रीमती आशा स्वरूप, के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई *परस्पर* संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित विवरण सहित 48वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमुख तथ्य

1.1. पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

मानदंड	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
संस्वीकृत ऋण	**83,870.82**	65,471.10
संवितरण	**58,038.61**	46,025.83
डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अंतर्गत सब्सिडी	**8,037.54**	5,023.99
वसूलियां (ब्याज सहित)	**46,747.17**	47,921.00
कुल प्रचालन आय	**23,350.79**	23,638.35
कर पूर्व लाभ	**8,860.70**	8,045.21
कर पश्चात लाभ	**6,245.76**	5,627.66

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 23,638.35 करोड़ रुपए की तुलना में 23,350.79 करोड़ रुपए थी। कर-पश्चात लाभ पिछले वर्ष के दौरान 5,627.66 करोड़ रुपए की तुलना में 11% बढ़कर 6,245.76 करोड़ रुपए हो गया है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बही पिछले वर्ष में 2,01,278.29 करोड़ रुपए की तुलना में 2,01,928.67 करोड़ रुपए थी। ऋण परिसंपत्तियों में यह वृद्धि उज्ज्वल स्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत प्राप्त 33,910.05 करोड़ रुपए के ऋणों के पुनर्भुगतान को मानने के बाद है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, 1,67,517.39 करोड़ रुपए का उधार बकाया था।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) 10/- रुपए के प्रत्येक शेयर पर 31.63 रुपए था। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी का निवल मूल्य 28,617.76 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,325.59 करोड़ रुपए हो गया जो 16% है।

1.3 लाभांश

मार्च, 2017 में प्रदत्त 7.00 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 2.65 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो 48वीं वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल लाभांश प्रति शेयर 9.65 रुपए परिकलित होगा, जो 17.10 रुपए प्रति शेयर के विरुद्ध कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 96.5% को दर्शाता है जो पिछले वर्ष में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 171% है *(पिछले वर्ष से लाभांश के प्रतिशत में कमी वर्ष के दौरान 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के कारण है)*। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अदा किए गए कुल लाभांश की राशि 1,905.80 करोड़ रुपए (जिसमें 384 करोड़ रुपए का लाभांश संवितरण कर शामिल नहीं है) होगी।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1,200 करोड़ रुपए थी जिसमें प्रति 10 रुपए के इक्विटी शेयर के 120 करोड़ रुपए शामिल हैं और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1,200 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए हो गई थी, जैसा कि कंपनी के शेयरधारकों ने 21 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी 47वीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया था।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के शेयरधारकों ने 47वीं वार्षिक आम सभा में 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के लिए प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया था (अर्थात प्रति 10 रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए प्रति 10 रुपए का एक नया इक्विटी शेयर)। 98,74,59,000 बोनस

शेयर जारी किए गए थे और 30 सितंबर, 2016 को आबंटित किए गए थे तथा 06 अक्तूबर, 2016 तक पात्र शेयरधारकों के खाते में जमा कर दिए गए थे। बोनस शेयर जारी किए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा जारी की गई और प्रदत्त शेयर पूंजी प्रति 10 रुपए के 98,74,59,000 के इक्विटी शेयर से युक्त 987.46 करोड़ रुपए से बढ़कर प्रति 10 रुपए के 197,49,18000 इक्विटी शेयर से युक्त 1,974.92 करोड़ रुपए होंगे।

इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 25 जनवरी, 2017 को कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 1.28% अर्थात 2,51,33,733 इक्विटी शेयर बेच दिए और 22 मार्च, 2017 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिमय व्यापार फंड (सीपीएसई ईटीएफ) के तहत शेयरों की बाजार बिक्री के माध्यम से कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.50% अर्थात 98,97,155 इक्विटी शेयर बेच दिए। तद्नुसार, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास 116,25,04,472 इक्विटी शेयर अर्थात कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 58.86% है।

2. स्वीकृत किए गए ऋण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 83,870.82 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है जबकि पिछले वर्ष 65,471.10 करोड़ का ऋण मंजूर किया था। इस वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण का राज्य-वार और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः **तालिका-1 और तालिका-2** में दिया गया है। 31 मार्च, 2017 तक आपकी कंपनी द्वारा उसके प्रारंभ से की गई संचयी स्वीकृतियां **तालिका-3** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7,65,350.05 करोड़ रुपए थीं।

3. संवितरण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल 58,038.61 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी जबकि पिछले वर्ष में 46,025.83 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के तहत 8,037.54 करोड़ रुपए (डीडीयूजीजेवाई-आरई घटक के तहत 7,876.85 करोड़ रुपए की सब्सिडी तथा डीडीजी के तहत 160.69 करोड़ रुपए की सब्सिडी) की राशि संवितरित की गई। इस निगम की स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2017 तक संवितरित की गई संचयी राशि 3,87,577.01 करोड़ रुपए थी जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, संचयी आंकड़ों और शेष ऋण सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाए गए ऋण का विवरण संलग्न **तालिका-4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 कंपनी मूलधन, ब्याज आदि संबंधी अपनी देयताओं की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ब्याज सहित वसूल की जाने वाली राशि 46,298 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 48,278 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 45,169 करोड़ रुपए की कुल वसूली की है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 46,641 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 97.56% की वसूली दर का लक्ष्य हासिल किया। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि 1,129 करोड़ रुपए थी।

4.2 आपकी कंपनी की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) निम्न स्तर पर बनी रहीं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां 4,872.68 करोड़ रुपए थी, जो कुल ऋण परिसंपत्तियों का 2.41% था तथा निवल एनपीए 3,237.34 करोड़ रुपए था जो निवल ऋण परिसंपत्तियों का 1.62% था। इसके अतिरिक्त, कोई भी संदिग्ध ऋण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सूची में नहीं रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, पुनः सूचीबद्ध ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण		**वित्तीय वर्ष 2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16
मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	**19**	23
	बकाया धनराशि	**27,784.80**	22,829.88
उप मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	**0**	3
	बकाया धनराशि	**0**	1,402.44
कुल	**उधारकर्ताओं की संख्या**	**19**	26
	बकाया धनराशि	**27,784.80**	24,232.32

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16
प्रचालनों से राजस्व	**23,350.79**	23,638.35	**23,945.16**	24,012.88
अन्य आय	**744.56**	117.93	**740.84**	117.05
कुल आय	**24,095.35**	23,756.28	**24,686.00**	24,129.93
वित्त लागत	**13,775.12**	14,283.12	**13,786.36**	14,282.35
अन्य प्रचालन व्यय	**350.06**	338.10	**816.97**	604.74
प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,109.47**	1,089.85	**1,110.31**	1,096.18
कुल व्यय	**15,234.65**	15,711.07	**15,713.64**	15,983.27
कर पूर्व लाभ	**8,860.70**	8,045.21	**8,972.36**	8,146.66
कराधान के लिए प्रावधान	**2,614.94**	2,417.55	**2,658.99**	2,455.24
कर पश्चात लाभ	**6,245.76**	5,627.66	**6,313.37**	5,691.42
घटाएं : विनियोजन				
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित	**1,881.06**	1,900.00	**1,881.06**	1,900.00
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**413.33**	390.00	**413.33**	390.00
लाभांश	***1,382.44**	1,688.55	***1,382.44**	1,688.55
लाभांश संवितरण कर	***277.46**	341.71	***277.46**	345.68
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**196.59**	196.59	**201.20**	196.59
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**-**	570.00	**3.50**	572.89
तुलन-पत्र में ले जाई गई अधिशेष निधि	**2,094.88**	**540.81**	**2,154.38**	**597.71**

* लाभांश और लाभांश वितरण कर के आंकड़ों में यह मानते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश से संबंधित राशि शामिल नहीं है (उपर्युक्त पैरा 1.3 में दिए गए अनुसार) कि कंपनी को संशोधित लेखाकरण मानक 4 के अनुसार इस संबंध में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

5.2 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने राजकोष में 4,097.79 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष 3,749.55 करोड़ रुपए का अंशदान किया था। यह अंशदान कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता, लाभांश संवितरण कर, प्रत्यक्ष कर, और सेनवेट क्रेडिट सहित सेवा कर आदि के भारत सरकार को अदा किए गए लाभांश की अदायगी के रूप में था, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष **2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	**1,126.05**	880.19
लाभांश संवितरण कर	**379.98**	293.47
प्रत्यक्ष कर	**2,546.34**	2,540.96
सेनवैट क्रेडिट सहित सेवा कर	**45.42**	34.93
कुल	**4,097.79**	3,749.55

5.3 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
प्रति शेयर अर्जन (रुपए)	**31.63**	28.50
औसत निवल मूल्य पर आय (%)	**20.17**	21.05
प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए)	**168.75**	144.91
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**5.03**	5.91
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**5.72**	2.92
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.64**	1.56

* मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन एनएसई में क्रमशः 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को बाजार बंद होने पर आरईसी के इक्विटी शेयर के आधार पर किया गया है।

5.4 संसाधनों का उपयोग

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बाजार से 28,495.18 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें 7,662.92 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्ति कर छूट बांड के माध्यम से, 18,600 करोड़ रुपए सांस्थानिक बांडों के माध्यम से, 2,232.26 करोड़ रुपए (अर्थात 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर) विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) से उगाहे गए हैं। इसके अतिरिक्त, 19,916.85 करोड़ रुपए की राशि भी वाणिज्यिक दस्तावेज (सीपी) के माध्यम से अर्जित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बांड का सृजन

दिनांक 30 जून, 2017 को आरईसी ने अमेरिकी डॉलर में ग्रीन बांड शुरू करने वाले प्रथम भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बनने के लिए अपने प्रथम यूएसडी ग्रीन बांड शुरू किए और भारतीय विद्युत क्षेत्र में ग्रीन ऊर्जा की व्यापक संभावना तथा भारत सरकार के इस क्षेत्र में विकास करने के ऊपर जोर देने के निमित्त अब तटीय बाजार से 10 वर्षों की अवधि के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए।

ये बांड 3.965% के उत्पादन पर जारी किए गए हैं और आरईसी के मौजूदा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मध्यावधिक नोट (एमटीएन) कार्यक्रम के तहत पेश किए गए हैं। ग्रीन बांड लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

डॉ. पी. वी. रमेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरईसी द्वारा 30 जून, 2017 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बांड्स की शुरुआत

इन ग्रीन बांडों को क्लाइमेट बांड इनिसिएटिव, लंदन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जबकि आरईसी द्वारा तैयार किया गया "ग्रीन बांड फ्रेमवर्क" केपीएमजी द्वारा सत्यापित किया गया है। यह राशि पुनः वित्तपोषण तथा सोलर, विंड, बायोमास और लघु हाइड्रो (25 मेगावाट से कम) में नई पात्र ग्रीन परियोजनाओं सहित क्लाइमेट बांड मानक के तहत क्षेत्र विशिष्ट तकनीकी मानदंड की उपलब्धता के लिए मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आबंटित की जाएगी। इसमें एएनजेड, बार्कलेज बैंक, बीएनपी परिबास, मिजुहो सिक्योरिटीज, एमयूएफजी सिक्योरिटीज और एचएसबीसी संयुक्त रुप से प्रमुख प्रबंधनकर्ता थे।

नकद उधार सुविधाएं

कंपनी में अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से 5,710 करोड़ की सीमा तक अनुमोदित नकद उधार क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल उपलब्ध है।

5.5 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी की घरेलू ऋण लिखितों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं आईसीआरए से "एएए" रेटिंग प्राप्त होना जारी रहा है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे मूडी और फिच से सार्वभौमिक रेटिंग के समतुल्य अतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी-" है।

5.6 उधार की लागत

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जुटाई गई निधियों की वार्षिक आधार पर समग्र औसत ब्याज दर 6.79% प्रति वर्ष थी और यह 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार 8.02% प्रति वर्ष है। परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.7 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 23,490.05 करोड़ रुपए की रकम का पुनर्भुगतान किया। इसमें संस्थागत बांड धारकों को 14,910.60 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांड 5,349.91 करोड़ रुपए, अवसंरचना बांडों के निमित्त 130.75 करोड़ रुपए विदेशी वाणिज्यिक उधार का 2,695.51 करोड़ रुपए और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण का 403.28 करोड़ रुपए का पुनर्भुगतान शामिल है। कंपनी ने 350 करोड़ रुपए के दीर्घावधि ऋण तथा 25,750 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक दस्तावेजों का भी मोचन कराया है।

5.8 वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन 2,09,236.24 करोड़ रुपए के थे। इस राशि में से इक्विटी शेयर पूंजी 1,974.92 करोड़ रुपए, आरक्षित तथा अधिशेष 31,350.67 करोड़ रुपए, वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण और बांडों के माध्यम से बाजार उधार तथा वाणिज्यिक दस्तावेज 1,67,517.39 करोड़ रुपए, आस्थतिगत कर देयताएं 40.26 करोड़ रुपए और अन्य देयताएं तथा प्रावधान 8,353.00 करोड़ रुपए के रूप में शामिल थे। इन निधियों का नियोजन 2,00,293.33 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण (जिसमें भत्तों का निवल 1635.34 करोड़ रुपए), अचल परिसंपत्तियां (मूल्यह्रास का निवल) 181.26 करोड़ रुपए (चल रहे पूंजीगत कार्यों सहित), 2696.45 करोड़ रुपए का निवेश, नकद और बैंक शेष 4490.02 करोड़ रुपए तथा 1,575.18 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्तियां में किया गया।

5.9 नीतिगत पहलें

कंपनी बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा साथ ही अपने कारपोरेट उद्देश्यों के अनुसार भी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधार सीमाओं में संशोधन करके, अपारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऋण दरों में संशोधन करके, निजी क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दिशा-निर्देश अल्पकालिक अधिशेष निधियों के नियोजन/निवेश, ऋण के समय-पूर्व भुगतान/पूर्व भुगतान के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों में संशोधन, राज्य-क्षेत्र की यूटिलिटियों/सीपीएसयू को ब्याज दर में छूट देने संबंधी नीति में संशोधन, डीई अनुपात की मॉनीटरिंग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश, राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के सीओडी विस्तार करने और लाभांश वितरण नीति और सीएसआर संधारणीयता नीति में परिवर्तन जैसे विभिन्न दिशा-निर्देशों और विभिन्न नीतियों को अपनाया है तथा उनमें संशोधन किए हैं।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी स्वस्थ माहौल, कारोबार संवृद्धि के अपने उद्देश्यों में संतुलन और लाभप्रदता बनाए रख पाई है।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य

पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग का वर्तमान परिदृश्य उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के बढ़ते हुए रूप में शामिल होने से तथा विद्युत ग्रिड में भारी बढ़ती हुई नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की आवश्यकता बहुत ही प्रभावी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 31 मार्च, 2017 की रिपोर्ट के आधार पर देश की केंद्रीय, राज्य तथा निजी यूटिलिटियों की संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 327 गीगावाट की ऊंचाई तक है। इसके अतिरिक्त, सीईए के 2017–18 के लिए एलजीबीआर के अनुसार देश में व्यस्ततम विद्युत अधिशेष 6.8% होगा और ऊर्जा अधिशेष 8.8% होगा जो कि वस्तुतः एक ईर्ष्यालु स्थिति बन जाएगी। इससे हमारे द्वारा पारंपरिक रूप से प्रयोग की जा रही ऊर्जा की तुलना में देश के विद्युत परिवेश में पूर्ण चरण परिवर्तन होगा, यहां तक कि डिस्कॉमों की पर्याप्त विद्युत की खरीद की इच्छा के अभाव में तथा पारेषण एवं वितरण स्तर पर अपेक्षित सशक्त अवसंरचना की उपलब्धता के अभाव में भारी उत्पादन क्षमताएं रुकी पड़ी हैं।

सन्, 2022 तक 175 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के माध्यम से भारित क्षमताएं जोड़े जाने की योजना है और इससे स्वयं ही प्रत्येक परवर्ती बोली, कम लागत के वित्त पोषण की आवश्यकताओं से बढ़ते हुए कम प्रशुल्क से होने वाले कई जोखिमों

का भय प्रतीत होता है। तथापि, संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भूमि, पारेषण कनेक्विटी आदि जैसी सभी प्रमुख स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के साथ-साथ समर्पित सोलर पार्कों की स्थापना से काफी हद तक ये जोखिम कम हो गए हैं। इस आलोक में आगे के पारेषण एवं वितरण प्रणाली विकास के लिए समुचित योजना तथा इन स्त्रोतों से ऊर्जा व्यापक रुप से अंतरवर्ती हो सकती है जो कि बहुत व्यावहारिक हो गया है। तद्नुसार, इस आपूर्ति/भार मानदंडों का ध्यान रखने के लिए पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने/उसे बढ़ाने के साथ समर्पित ग्रीन पारेषण कॉरीडोरों की योजना बनाई जा रही है। इस सबसे बढ़ती हुई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकासों तथा नवीकरणीय उत्पादन केंद्रों के विकास के लिए अपेक्षित अल्पकालिक अवधि के साथ प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना के सृजन के अनुरूप योजना बनाए जाने की आवश्यकता होगी, इस प्रकार प्रणाली वृद्धि के लिए ट्रांसको और डिस्कॉमों पर अतिरिक्त दायित्व पड़ेगा।

तथापि, वितरण विभिन्न कारणों से विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला और उससे निबटने में सबसे अधिक कठिनाई में एक कमजोर कड़ी बन जाती है। आपकी कंपनी ने मौजूदा नेटवर्क की वृद्धि/उसे सुदृढ़ बनाने तथा नई अवसंरचना के सृजन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आपकी कंपनी विभिन्न सुधार उपायों को शीघ्र करने तथा प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन, मीटरिंग तथा ग्राहक सेवाओं के लिए आईटी सक्षम प्रणालियां, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकिय हस्तक्षेप और उनके प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन में सहायता करने सहित बेहतर परिपाटियां अपनाने के लिए डिस्कॉमों को प्रोत्साहित कर रही है। चूंकि वितरण, विद्युत क्षेत्र में आने वाले समस्त राजस्व के लिए एक प्रवेश द्वार है, अतः वह समस्त विद्युत क्षेत्र के विकास एवं संधारणीयता में प्रमुख भूमिका निभाता है।

वितरण क्षेत्र द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों में डिस्कॉमों की संचित हानियां तथा कम निवल मूल्य शामिल हैं जिनसे इनकी वित्तीय स्थिति में भारी अड़चन आई है। उच्च एटीएंडसी हानियां, पूंजीगत व्यय वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीमित क्षमता, प्रशुल्क आदेश में विलंब से विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन, प्रशुल्कों के तर्कसंगतीकरण में कमी के कारण क्रॉस सब्सिडी का होना, खुली पहुँच के मुद्दे, राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी विलंब से जारी करना, विलंब से राजस्व संग्रहण चक्र इत्यादि के कारण डिस्कॉम के नकदी प्रवाह में कमी आई है। राज्य वितरण यूटिलिटियों का समग्र निष्पादन उपर्युक्त कारकों के कारण चिंता का विषय रहा है। समय तथा प्रभावी परिवेश के साथ चलते हुए, जिसमें यूटिलिटियां उपभोक्ता की अपेक्षाओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष कर रही हैं, आपकी कंपनी आज समग्र वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है और हमेशा औचित्य तथा स्वस्थ मूल्यांकन तंत्र के आधार पर डिस्कॉमों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए तैयार है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी में एक समर्पित नीतिगत कारोबार समूह का गठन किया गया है। उदय, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत अधिकतर राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और योजना के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रचालनात्मक मानदंडों के सुधार में कुछ समय लग जाएगा, जैसा कि समझौता ज्ञापन में भी परिभाषित किया गया है।

आपकी कंपनी अपनी सभी प्रमुख पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भागीदारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और डीडीयूजीजेवाई (नोडल एजेंसी), आईपीडीएस, उदय, एनईएफ (नोडल एजेंसी), स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स आदि जैसे कार्यक्रमों में गहरी रुचि के साथ देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा आपकी कंपनी को आशान्वित है कि वितरण परिदृश्य शीघ्र ही बेहतर हो जाएगा जब संबंधित राज्यों द्वारा सुधार उपायों के साथ इन हस्तक्षेपों के प्रभाव तथा परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और वितरण के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे।

साथ ही, इस समय विद्युत का सीमा पार व्यापार बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन/विद्युत व्यापार करार के तहत किया जा रहा है। विद्युत का सीमा पार व्यापार बेहतर पारदर्शिता, अधिकार क्षेत्र में विनियामक दृष्टिकोण में सतत रूप से और पूर्व अनुमानित रूप से सुकर/संवर्द्धित करने के उद्देश्य से तथा विनियामक संबंधी जोखिमों की अवधारणा को कम से कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विद्युत के सीमा पार व्यापार संबंधी दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं के विकास में भाग लेने के लिए ईपीसी संविदाकारों को पात्र बनाने तथा बूम से बूट तक के विकासात्मक मॉडल में परिवर्तन करने आदि के संदर्भ में प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली पर कार्यान्वित की जा रही पारेषण परियोजनाओं के मानक बोली दस्तावेजों में विभिन्न अन्य परिवर्तन प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं के मानक बोली दस्तावेजों में कुछ परिवर्तन भी अधिसूचित किए गए हैं।

बदलते आर्थिक परिवेश के संदर्भ में विनियामकों ने इन परिवर्तनों में क्षेत्र को पुनः बनाने के लिए अनेक प्रकार की विद्युत परियोजनाओं के लिए इक्विटी पर आय में संशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमों द्वारा अल्पकालिक एवं मध्यकालिक विद्युत खरीद के संबंध में नीतियों में संशोधन से पारदर्शिता में सुधार करने और उनके प्रचालनों की वित्तीय अर्थक्षमता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इन सबसे देश की बदलती वास्तविकताओं के साथ इस क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है, जैसे कि पर्याप्त पूंजी निवेश संवर्द्धित होगा तथा विद्युत उपभोक्ताओं का ब्याज भी सुरक्षित होगा।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार (जीओआई) ने विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों द्वारा समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं ताकि एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। इसके अतिरिक्त,

कुछ डिस्कॉम विशेष क्षेत्रों में प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए मामला-दर-मामला आधार पर फ्रेंचाइजी नियुक्त करने में आगे बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त, उदय के तहत भारत सरकार ने डिस्कॉमों के वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन तथा प्रचालनात्मक परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं ताकि वे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में समवर्ती रूप से सुधार लाने में सक्षम हों। इसके अतिरिक्त, एनईएफ-ब्याज सब्सिडी योजना भी वितरण क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया शीघ्र करने तथा पूंजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वयनाधीन है। डीडीयूजीजेवाई का वित्तीय परिव्यय 43,033 करोड़ रुपए (भारत सरकार की 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता) तथा आईपीडीएस का कुल परिव्यय 32,612 करोड़ रुपए (भारत सरकार की बजटीय सहायता 25,354 करोड़ रुपए) है जिससे डिस्कॉमों की पहले से ही दबावयुक्त तुलन पत्र पर अधिक जोर डाले बिना वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश की गति में पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा। आरईसी डीडीयूजीजेवाई और एनईएफ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है तथा उदय के कार्यान्वयन में भारत सरकार के प्रयासों की सहायता करने में प्रमुख सहायता निभा रहा है। आरईसी ज्यादातर डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण भी प्रदान कर रहा है।

"सभी के लिए विद्युत" दस्तावेज अब सभी राज्य द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अंतिम रूप से कार्य करने के लिए देश के हर भाग में प्रतियोगिता दर्शाता है जो विगत में दूर तक भी असंभव प्रतीत नहीं होता था। पीएफए दस्तावेज से संबंधित राज्यों द्वारा समस्त पूंजी निवेश प्रस्तावित करने में सक्षम है, जैसा कि उत्पादन (पारपंरिक/गैर-पारंपरिक), पारेषण, वितरण सहित सभी के लिए विद्युत 24X7 प्राप्त करना अपेक्षित है और इस प्रकार उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रयास आगे लाए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित पूंजी व्यय की आवश्यकता बहुत अधिक है और कई बहुपक्षी एजेंसियां यथा विश्व बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक आदि ने उसमें भाग लेने की अपनी इच्छा दर्शाई है। आपकी कंपनी अपेक्षित वित्तपोषण उपलब्ध कराने के संदर्भ में संबंधित राज्य यूटिलिटियों के प्रयासों में भागीदार बनकर तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन्हीं संभावित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ कार्य करके इन प्रयासों में सहायता भी कर रही है।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) भी देश में सभी राज्य डिस्कॉमों की समेकित मूल्यांकन प्रणाली पर भी कार्य कर रहा है, जिससे कार्य-निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन समर्थकारी बनता है। यह प्रणाली इन डिस्कॉमों को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जांचने के योग्य बना देगी और उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में केंद्रित दृष्टिकोण को समर्थ बनाएगी। यह बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण कंपनियों को निधिकरण के प्रस्तावों पर विचार करते समय सामंजस्य को अपनाने में सहायता करेगी।

विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रारंभण से विद्युत वितरण क्षेत्र विद्युत प्रणाली को "स्मार्ट" और नियर-रियल टाइम सूचना बनने में पूरी प्रणाली को एक समेकित फ्रेमवर्क का प्रबंधन करने, विद्युत की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से समझने और विद्युत मांग, आपूर्ति, मूल्य में परिवर्तन की यूटिलिटियों को अनुमति होगी। विद्युत मंत्रालय स्मार्ट ग्रिड को प्रारंभ करके प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपणीय उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है और इसने विविध पायलट परियोजनाओं को पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है। भारत सरकार 100 स्मार्ट शहरों के विकास का संवर्धन कर रही है जिसके फलस्वरूप आगे वितरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में बहुत अधिक आवश्यकता उत्पन्न होगी।

जैसाकि उपर्युक्त हस्तक्षेपणीय उपायों से पता चलता है, भारत दो अलग-अलग मंचों पर काम कर रहा है, पहला सभी को विद्युत प्रदान करना और दूसरा यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन को सुधारना है। इन उपायों के परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं और इन्होंने विभिन्न राज्यों में विनियामक द्वारा दरों की समय से अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करना, एपीआर में इक्विटी की वापसी का दावा, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता निर्मुक्त करना आदि में प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। यद्यपि, भारत सरकार, राज्य सरकार और डिस्कॉमों द्वारा बहुत सारी पहलें आरंभ की गई हैं, तथापि, समेकित स्तर पर वितरण खंड की स्थिति में यद्यपि सुधार आया है, परंतु इस समय कमजोर बनी हुई है। डिस्कॉमों के तुलन-पत्र कमजोर हैं, विलंबित परियोजना कार्यकरण संबंधी देरी का सामना कर रहे हैं, बहुत कम पूंजी व्यय खर्च कर रहे हैं, प्रति यूनिट राजस्व और आपूर्ति की लागत में जारी अंतर के कारण विद्युत प्रापण के कार्य में कमी आई है। यद्यपि, यूटिलिटी नियमित फाइल करने और डिस्कॉमों पर इक्विटी पर आय से इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तथापि, अधिकतर डिस्कॉमों द्वारा कार्य-निष्पादन संबंधी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा रही है, जिसके कारण तंत्र के माध्यम से अपर्याप्त टैरिफ पारेषण हो रहा है। डिस्कॉमों के बढ़े हुए पूंजी व्यय से नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलती है जिससे तेजी से बढ़ रही उच्च स्तर की एटीएंडसी हानियों को कम किया जा सके और तदोपरांत उपभोक्ताओं के अंतिम व्यक्ति तक विद्युत की गुणवत्ता/विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

6.2 उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

नवंबर, 2015 में शुरू की गई उदय योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सबके लिए 24x7 वहनीय एवं पहुँच योग्य विद्युत के लक्ष्य के लिए एक अत्यंत नवीन सुधार है। वित्तीय रूप से तनावग्रस्त डिस्कॉम वहनीय दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थे जिससे लंबे समय तक जीवन की गुणवत्ता, समग्र आर्थिक वृद्धि और देश में विकास कुप्रभावित हो गया। शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण और फिर 100% घरों के विद्युतीकरण, 24x7 विद्युत आपूर्ति एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रयासों को डिस्कॉमों का पर्याप्त क्षमता निर्माण किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, लगातार विद्युत बंदी के मुद्दों को "मेक इन इंडिया" और "डिजीटल इंडिया" जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। तथापि, डिस्कॉमों में हल न किए गए उत्तरदान के मुद्दों से वे ऋण से वित्तपोषित की जा रही प्रचालनात्मक हानियों के साथ

दुश्चक्र में फंस गए हैं। डिस्कॉमों का बकाया ऋण 2011-12 के अंत में लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2014-15 में 4.3 लाख करोड़ रुपए हो गया था। लंबे समय से चले आ रहे तथा संभावित भावी मुद्दों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए उदय की शुरूआत की गई थी जो गतिमान एवं दक्ष डिस्कॉमों को आश्वासन देती है। यह डिस्कॉमों को 2-4 वर्ष में ही समस्या समाप्त करने के अवसर के लिए सशक्त बनाती है। यह मुख्यतः चार पहलों के माध्यम से हैः (i) डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार लाना, (ii) विद्युत की लागत में कमी, (iii) डिस्कॉमों की ऋण लागत में कमी और (iv) राज्य वित्त के समान रखने के जरिए डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लागू करना।

इस कार्यक्रम को पहले ही विभिन्न राज्य सरकारों/डिस्कॉमों से महत्वपूर्ण आकर्षण प्राप्त हुआ है और 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब "उदय" के भाग हैं, 16 राज्य व्यापक सुधार के लिए इसमें आ रहे हैं और शेष 10 राज्य एवं 1 संघ राज्य क्षेत्र प्रचालनात्मक परिवर्तन के लिए शामिल हो रहे हैं। इसकी शुरूआत के एक वर्ष में ही उदय पहले ही उत्साहवर्धक परिणाम दर्शा रहा है। डिस्कॉमों की 2.09 लाख करोड़ रुपए मूल्य की देयताएं राज्य सरकारों द्वारा अपने ऊपर ले ली गई हैं और अतिरिक्त रूप से 0.23 लाख करोड़ रुपए पहले ही बांड जारी करके पुनर्निर्माण किए गए हैं। उनकी पुनः कीमत निर्धारित की गई है, इस प्रकार डिस्कॉमों का तुलन पत्र साफ कर दिया गया है और उन्हें पूंजी व्यय चक्र पुनः शुरू करने में सक्षम बनाया गया है तथा विद्युत क्षेत्र के सभी दावेदारों अर्थात डिस्कॉमों, ट्रांस्को, जेनको, आईपीपी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं आदि के वित्तीय रूप से अर्थक्षम प्रचालनों को भी सक्षम बनाया गया है।

आपकी कंपनी उदय वेब पोर्टल http://www.uday.gov.in और उदय मोबाइल ऐप के विकास में एक साधन रही है जो इस कार्यक्रम में उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख सक्षम कारक है। वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से डिस्कॉमों के निष्पादन के संबंध में सभी ब्यौरे इस योजना के तहत नियोजित मार्ग की तुलना में तैयार रूप में उपलब्ध हैं। तद्नुसार, निष्पादन में कोई भी विचलन सभी दावेदारों के लिए उपयुक्त रूप से उल्लिखित किए जाते हैं और इस प्रकार डिस्कॉम तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और अन्य उनकी स्थिति का उचित रूप से मूल्यांकन करते हैं। डिस्कॉमों के निष्पादन के संबंध में नवीनतम सूचना अब 1 से 3 माह के अंतराल में व्यापक रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध है।

इस क्षेत्र के आमूल-चूल परिवर्तन के लिए अपेक्षित सभी पहलों को शामिल करके "उदय" केवल डिस्कॉमों को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रतिभागी राज्यों की कोई भी तथा सभी चिंताओं/मुद्दों को संभव दावेदारों के साथ लेने के लिए उनको एक केंद्रीय मंच प्रदान कर संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के अधिकतर वर्तमान एवं भावी मुद्दों को तीव्रता से हल कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उदय ने एनटीपीसी की धारिता आदि के माध्यम से कोयले को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दों का समाधान तथा पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र की दक्षता में सुधार का कार्य किया है जिससे गैर-पारंपरिक उत्पादन बढ़ाने तथा पारेषण क्षेत्र की हानि में कमी लाने के लिए बेहतर आरपीओ अनुपालन सुनिश्चित हुआ है। आपकी कंपनी इस कार्यक्रम के तहत परिकल्पित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/यूटिलिटियों के साथ संपर्क बनाने के लिए भारत सरकार के साथ भागीदारी कर रही है।

उदय के कार्यान्वयन से, विभिन्न उदय राज्यों ने सामान्य रूप से ब्याज लागत में कमी तथा प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार पाया है जिससे उनके पिछले वर्ष के निष्पादन की तुलना में उनकी एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतराल में काफी कमी आई है और इस प्रकार इस निमित्त वे भारी धनराशि की बचत कर पाए हैं। आशा है कि आगामी वर्षों में इस पहले के परिणाम और अधिक उल्लेखनीय होंगे।

6.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की नोडल एजेंसी है - 8,466 करोड़ रुपए (ब्याज सब्सिडी की तुलना में) के प्रावधान वाली ब्याज सब्सिडी योजना वितरण योजनाओं के लिए ₹ 25,000 करोड़ के ऋण संवतिरण की 14 वर्षों से अधिक तक प्रदान की जाने वाली राशि 2 वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपलब्ध की जानी है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। यह योजना सुधार आधारित है और एनईएफ दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सुधार आधारित मानदंडों पर उपलब्ध के आधार पर डिस्कॉमों को 3% से 7% ब्याज सब्सिडी देय है। वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान, आपकी कंपनी ने एनईएफ के अधीन लाभ उठाते हुए, 15 राज्यों के 25 डिस्कॉमों को 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की यूटिलिटियां योजना के अधीन अनुमोदित 59.34 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी से पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं।

6.4 ऊर्जा मित्र

ऊर्जा मित्र विद्युत मंत्रालय का एक वितरण क्षेत्र की पहल है जो आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। ऊर्जा मित्र अपने किस्म का एक पहला अनुप्रयोग है जो एसएमएस/ई-मेल/पुश सूचना के माध्यम से पूरे भारत में शहरी/ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बंदी की सूचना प्रसारित करने के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों हेतु एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म (वेब पोर्टल www.urjamitra.com अथवा मोबाइल ऐप) प्रदान करता है। पूरे राष्ट्र में विद्युत उपभोक्ता को संभावित अवधि तथा निर्धारित विद्युत बंदी के कारण और अनिर्धारित विद्युत बंदी की अवधि की दोष पश्चात सूचना की पूर्व सूचना होगी। यह देश के किसी भी भाग में वास्तविक समय की विद्युत बंदी देखने के लिए, विद्युत बंदी संबंधी शिकायत दर्ज करने आदि के लिए एक मंच है जो संबंधित दावेदार से जोड़ना वर्नाक्युलर मोबाइल ऐप देकर

सुनिश्चित करना, जिसका प्रयोग क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा बंदी संबंधी शिकायतों के संबंध में विद्युत बंदी सूचना दबाकर/आगे की बंदी देखकर/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रयोज किया जा सकता है।

27 राज्यों के 49 डिस्कॉमों के लगभग 10.10 करोड़ उपभोक्ताओं के आंकड़े इस अनुप्रयोग में पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं और 6.45 करोड़ से अधिक विद्युत बंदी संबंधी एसएमएस उपभोक्ताओं को भेजे गए हैं।

6.5 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम

11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग विद्युत मंत्रालय की एक वितरण क्षेत्र की पहल है, जिसका कार्यान्वयन आपकी कंपनी की सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से किया जा रहा है। देश में पूरे वितरण नेटवर्क की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए और सभी के लिए विद्युत 24x7 की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत के वास्तविक समय आपूर्ति मानदंडों को लेना अनिवार्य समझा गया है और इसकी प्राप्ति वास्तविक वितरण मानदंडों को लेकर अर्थात विद्युत आपूर्ति बंदी तथा फीडर-वार ऊर्जा लेखा परीक्षा करके और एटीएंडसी हानियों का परिकलन करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता/गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के द्वारा की जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए "11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम" शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण फीडर मीटर के आंकड़े मोडम के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और आगे के विश्लेषण के लिए केंद्रीय मीटर डाटा ऐप्लिकेशन सिस्टम (एमडीएएस) को भेजे जाएंगे तथा उसे सभी दावेदारों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय पावर पोर्टल (एनपीटी) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों और उन 66/33 केवी आने वाले फीडरों, जहां से विद्युत आपूर्ति मॉनीटरिंग, अलर्ट, मीटर डाटा विश्लेषण, सूचना प्रसारण एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए वास्तविक समय आधार पर सार्वजनिक पोर्टल पर सभी के लिए सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा 11 केवी ग्रामीण फीडर लगे हैं, के विभिन्न अनिवार्य मानदंड प्राप्त कर पूरे देश के लगभग 1.1 लाख ग्रामीण एवं कृषि फीडरों के लिए स्वनिर्धारित स्वतंत्र वेब आधारित ऑटोमेटिव प्रणाली विकसित करना है।

इस प्रणाली से विद्युत आपूर्ति, समुचित योजना, निर्णय सहायता की मॉनीटरिंग के लिए सहायता मिलेगी तथा विद्युत आपूर्ति स्तर पारदर्शी रूप से प्रसारित करने के अलावा व्यापार क्रियाकलापों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने में भी सहायता मिलेगी। इससे फीडरों पर संस्थापित मीटरों से डाउनलोड किए गए विभिन्न मानदंडों को एक सामान्य डाटा बेस में समेकित करने में सुविधा मिलेगी और इस प्रकार विश्लेषण और कार्रवाई के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें तैयार की जा सकेंगी।

6.6 तरंग

तरंग बेहतर मॉनीटरिंग के लिए पारेषण क्षेत्र की एक पहल है जिसका संचालन आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी आरईसीटीपीसीएल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आरईसीटीपीसीएल ने रियल-टाइम मॉनीटरिंग और वृद्धि के लिए "तरंग" पारेषण ऐप विकसित किया है। तरंग में पारेषण प्रणाली की पैन इंडिया प्रगति के संबंध में सूचना दायर माध्यम का प्रावधान है जिसे विश्लेषण प्रयोजन के लिए माह-वार, एजेंसी-वार, राज्य-वार ड्रिल किया जा सकता है। रुकी हुई/विलंब वाली परियोजनाओं के ब्यौरे विलंब के कारणों सहित अलग से लिए गए हैं ताकि सभी दावेदार परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर लाभ लेने के लिए समय पर सुधारात्मक निर्णय ले सकें। तरंग पारेषण प्रणाली की प्रगति अर्थात प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) तथा विनियमित प्रशुल्क तंत्र के माध्यम से अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है।

तरंग विभिन्न पारेषण यूटिलिटियों पैन इंडिया द्वारा चलाई जा रही एनआईटी के साथ संभावित उभरती हुई अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय परियोजनाएं भी दर्शाता है। तरंग भावी पारेषण परियोजनाओं के लिए आगे आने के लिए बोलीदाताओं को मदद करते हुए पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित बढ़ती हुई पारेषण परियोजनाओं की अग्रिम सूचना प्रदान करता है।

7. वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

7.1 विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने विद्युत

तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में भुपालपल्ले मंडल में आरईसी द्वारा वित्तपोषित काकातिया थर्मल परियोजना

उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण की 22 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें अतिरिक्त ऋण सहायता की 06 स्कीमें भी शामिल हैं और इनका कुल वित्तीय परिव्यय 28,208.93 करोड़ रुपए था जिसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तपोषण की मात्रा शामिल है।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत किए गए ऋणों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की संख्या	ऋण की धनराशि
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	14	22,497.39
अतिरिक्त ऋण	2	945.83
निजी क्षेत्र		
नया ऋण	2	4,765.71
अतिरिक्त ऋण	4	
कुल	**22**	**28,208.93**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 367 मेगावाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी 16 नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,089.77 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें कुल 280 मेगावाट की 11 सौर फोटो-वोल्टिक परियोजनाएं; 61 मेगावाट की 4 लघु जल विद्युत परियोजनाएं तथा 26 मेगावाट की 1 पवन ऊर्जा परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,035.53 करोड़ रुपए है।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित सोलर पीवी परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर इसके द्वारा अधिक जोर दिए जाने का उदाहरण

वर्ष के दौरान कुल संवितरण 1,617.68 करोड़ रुपए था, जैसाकि नीचे दिया गया है:

विवरण	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
संस्वीकृत परियोजनाएं	संख्या	16	11
संस्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	367	688
परियोजनाओं की लागत	करोड़ ₹ में	3,035.53	4,444.78
संस्वीकृत ऋण		2,089.77	2,965.72
संवितरित ऋण		1,617.68	304.07

7.3 पारेषण और वितरण

आपकी कंपनी अपने टी एंड डी पोर्टफोलियो के तहत देश में पारेषण और वितरण नेटवर्क के अधीन नई अवसंरचना के सृजन के लिए और विद्यमान अवसंरचना में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। अवसंरचना सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा खास तौर पर वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजनाओं को वित्तपोषित करती रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने 924 पारेषण और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें 40,953.12 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता शामिल थी। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी की योजनाएं, प्रणाली सुधार योजनाएं, मीटर ट्रांसफार्मर कंडक्टर टावर मैटेरियल केबिल आदि की खरीद एवं संस्थापना की योजनाएं शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमों तथा

अवसंरचना स्कीमों जैसी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमें कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की पहुँच प्रदान करने के लिए हैं।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित 1040 मेगावाट के हिंदुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लिमिटेड से आने वाली ट्विन मूज डबल सर्किट (डीसी) लाइन

7.4 अल्पावधि ऋण और अन्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को अल्पावधि ऋणों, मध्यम अवधि ऋणों, विशेष ऋणों के रूप में 12,619 करोड़ रुपए (4,919 करोड़ रुपए के विशेष ऋण सहित) की राशि स्वीकृत की है ताकि उनकी लघु/मध्यम अवधि और कार्यशील पूंजी, आदि निधियों की आवश्यकता पूरी हो सके।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 1427.18 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और पूर्वोत्तर राज्यों में पारेषण एवं वितरण, नवीकरणीय परियोजनाओं सहित उत्पादन आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1,433.87 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी।

7.6 वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए आरईसी की अपनी स्वयं की प्रविधि है। आरईसी की ब्याज दरें निजी क्षेत्र की परियोजनाओं तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को समनुदेशित ग्रेडों के साथ संबद्ध हैं। पीएफसी के साथ आरईसी राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत दर निर्धारण में विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है तथा विभिन्न बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा संशोधित रेटिंग को अपनाता है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग विभिन्न मापदंडों अर्थात वित्तीय, प्रशुल्क, विनियामक उपायों, सरकारी सहायता तथा प्रबंधन इत्यादि पर आधारित जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

7.7 कार्यनीतिक कारोबार समूह (एसबीजी) के अधीन नई नीति/वित्तपोषण पहलें

कंपनी के कार्यनीतिक कारोबार समूह (एसबीजी) ने परियोजना ऋण पुनर्वित्तपोषण के क्षेत्र में नम्य अवसंरचना और बल दिए जाने वाले पहलुओं की मॉनीटरिंग के क्षेत्र में विनियामक पर्यावरण में बदलाव का मुकाबला करने के लिए नीतियां बनाई हैं। एसबीजी ने जोखिम कारकों में कमी का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से तथा परियोजनाओं के शुरू होने पर परियोजना के जोखिम वर्गीकरण में सुधार के उद्देश्य से बीबीबी से कम न होने वाली ऋण दर तथा शुरू की गई परियोजनाओं वाले उधारकर्ताओं को ब्याज दर छूट के लिए भी नीति तैयार की।

7.8 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए/निपटाए गए निवेश

कंपनी ने अप्रैल, 2016 में 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 21.78 रुपए की लागत पर कुल 567.50 करोड़ रुपए पर बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के तहत एनएचपीसी लिमिटेड के 26,05,42,050 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में सब्सक्राइब किया। उसमें से मार्च, 2017 में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा बाई बैक स्कीम के तहत 32.25 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कंपनी ने 7,65,30,185 इक्विटी शेयर बेचे। कंपनी ने 10% से अधिक लाभांश अर्जित किया और इक्विटी शेयरों की बिक्री पर 40% से अधिक पूंजी आय प्राप्त की।

कंपनी को मई, 2017 माह में 10 रुपए प्रति शेयर की 60 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर कुल 2.08 करोड़ रुपए की राशि के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के तहत आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के 3,47,429 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी ने केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए ऋण की तीन लाइनें प्राप्त कीं। 31 मार्च, 2017 तक सभी को आहरित किया गया है। केएफडब्ल्यू-I और केएफडब्ल्यू-II ओडीए ऋण प्रत्येक 70 मिलियन (लगभग 454.02 रुपए करोड़ और 480.97 करोड़ रुपए क्रमशः) और केएफडब्ल्यू-3 यूरो 100 मिलियन है (लगभग ₹ 753.73 करोड़)। उपर्युक्त के अलावा, आरईसी ने जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए ऋण की दो पद्धतियां प्राप्त कीं। दोनों पूरी तरह आहरित की गई हैं। जेआईसीए-I और II ओडीए ऋण, क्रमशः जेपीवाई 16,949.38 मिलियन (लगभग ₹ 820.12 करोड़) की संचयी धनराशि और जेपीवाई 11,809.48 मिलियन (लगभग ₹ 640.64 करोड़), 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, आहरित किए हैं।

9. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण वितरण के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत योजना है। स्कीम के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण की पहली सभी योजनाएं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित) डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर ली गई हैं। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से जीवन पद्धति में परिवर्तन

डीडीयूजीजेवाई भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है जो समग्र ग्रामीण विकास की सहायता कर रहा है और निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में "24x7 सभी के लिए विद्युत" की दिशा में सुविधा प्रदान कर रहा है:

(i) कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग-अलग करके गैर-कृषीय उपभोक्ताओं को सुधरी गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और स्वचलन;

(iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटर लगाना; और

(v) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (पूर्व आरजीजीवीवाई सहित)।

इस योजना में, ग्रामों/बस्तियों की जनसंख्या का मापदंड हटा दिया गया है और 100 से कम की जनसंख्या वाले गांव/बस्तियां भी पात्र हैं।

योजना के लक्ष्यों को यथार्थ बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों की सहभागिता, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विद्युत समितियों (अब दिशा) का गठन करके पहले ही संस्थागत कर दिया गया है। 'दिशा' डीडीयूजीजेवाई को मॉनीटर करने, समीक्षा करने और कार्यान्वयन के लिए सशक्त बनाया गया है।

9.1 ग्रामीण विद्युतीकरण

स्वतंत्रता के समय, केवल 3,060 गांव विद्युतीकृत थे, और इसलिए, गांवों के विद्युतीकरण पर सतत बल दिया गया। भारत का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम कई चरणों से गुजरा। भारत सरकार के कई कार्यक्रमों के अलावा, 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, 18,452 गांव अभी भी ऐसे थे, जिनका विद्युतीकरण किया जाना था।

15 अगस्त, 2015 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बाकी बचे गैरविद्युतीकृत गांवों (यूई) को 1,000 दिनों के अंदर विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में किया। परंतु ये शेष 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव अत्यधिक अगम्य क्षेत्रों (घने जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, आदि वाले) में, कठिन तराई, असाधारण तापमान वाले, अधिकार क्षेत्र का सामना कर रहे क्षेत्र (आरओडब्ल्यू) उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित थे। इन चुनौतियों और पिछले कुछ वर्षों के दौरान गांवों के विद्युतीकरण की गति को ध्यान में रखते हुए, बाकी बचे गांवों के विद्युतीकरण में 10 वर्ष लग जाने थे।

डीडीयूजीजेवाई स्कीम के तहत विद्युतीकृत, उत्तर प्रदेश के आनंदपुर गांव में ट्रांसफार्मर का निरीक्षण करती आरईसी की टीम

प्रत्येक गांव की नियमित प्रगति का पता लगाने के लिए एक

नया मॉनीटरिंग तंत्र गठित किया गया था। इसके अधीन, गांव विद्युतीकरण की पूरी प्रक्रिया 12 खंडों में विभक्त थी। नौजवान विद्युतीय इंजीनियरों को 'ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए)' के रूप में ब्लॉक/जिला स्तर पर नियुक्त किया गया। मिशन की जिम्मेदारी लेने और इसकी गति को बढ़ाने के लिए, इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए स्वीकार किए गए तंत्र 'गर्व ऐप' का डिजाइन किया गया और विकसित किया गया। ऐप का उद्घाटन माननीय विद्युत मंत्री द्वारा 14 अक्तूबर, 2015 को किया गया। 'गर्व ऐप' को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह ऑनलाइन प्रणाली के जरिए सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति को उत्तम तरीके से मॉनीटर कर सके और उसकी जांच कर सके।

'गर्व ऐप्प' की मुख्य-मुख्य विशेषताएं हैः वास्तविक-समय डैशबोर्ड, पेपरविहीन कार्य, गांव-वार माइलस्टोन प्राप्त करना, फोटोग्राफ अपलोड करना/ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) समन्वय, कार्यान्वयन संबंधी रुकावटों, यदि कोई हैं, को समय पर उजागर करना, आवासस्थान-वार अवसंरचना, ऑनलाइन डाटा की प्रविष्टि, कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब का पता लगाना, कम जनसंख्या वाले गांवों की बस्तियों को अलग करना, राज्य-वार फोटो-चित्र, गांवों/जिलों/राज्यों का अंगीकरण और उनके संबंधित कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड और फीडबैक भी तथा उपयोगकर्ताओं के सुझाव।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा, अब घरेलू विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए सभी 5.97 लाख गांवों में घरेलू विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग के लिए दिसंबर, 2016 में अद्यतन गर्व ऐप शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, आम जनता को प्रश्न उठाने की सुविधा देने के लिए तथा डिस्कॉम अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करने के लिए संवाद नामक विशेषता सहित एक पोर्टल सामान्य आदमी को अधिकार देने के लिए प्रदान किया गया है।

9.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कार्य निष्पादन

क. संस्वीकृति

विद्युत मंत्रालय की मॉनीटरिंग समिति ने डीडीयूजीजेवाई के अधीन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ग्रिड के माध्यम से 8 राज्यों में विद्युतीकरण के लिए 199.93 करोड़ रुपए (163.91 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी सहित) की परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

उपर्युक्त के अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अधीन ऐसे गैर-विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को विद्युत प्रदान करने के लिए, जिनमें ग्रिड संयोजनीयता न तो संभव है और न ही लागत-प्रभावी है, विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 6 राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 255.98 करोड़ रुपए की डीडीजी परियोजनाएं (203.60 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी सहित) संस्वीकृत की गईं हैं।

ख. निधियां निर्मुक्त करना

योजना के अधीन, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसियों को 8,600.60 करोड़ रुपए (ऋण 563.06 करोड़ रुपए तथा सब्सिडी 8,037.54 करोड़ रुपए) की धनराशि संवितरित की गई है।

भारत सरकार से सब्सिडी आरईसी के माध्यम से बढ़ाई जाती है और राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऋण/इक्विटी से शेष धनराशि का प्रबंध किया जा सकता है।

ग. विद्युतीकरण की प्रगति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के अधीन, 6,015 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण (राज्य योजना के अंतर्गत 298 सहित) और 63,330 गांवों का सघन विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, 22.42 लाख बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

राज्य-वार स्वीकृत की गई धनराशि, निर्मुक्त निधियां और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युतीकरण की प्रगति के ब्यौरे **तालिका-5** में संलग्न हैं।

9.3 31 मार्च, 2017 तक संचयी कार्य-निष्पादनः

डीडीयूजीजेवाई के अधीन, 31 मार्च, 2017 तक 1,08,757 करोड़ रुपए की 5,777 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को 49,662 करोड़ रुपए (45,136 करोड़ रुपए के भारत सरकार के अनुदान सहित) संवितरित किए गए हैं।

जहां तक वास्तविक प्रगति का संबंध है, 31 मार्च, 2017 को 1,22,159 गैर-विद्युतीकृत गांवों (राज्य योजना के अंतर्गत 771 गांवों सहित) में विद्युतीकरण और 4,14,563 गांवों के सघन विद्युतीकरण के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 254.68 लाख बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।

मिशन मोड संबंधी ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने के लिए 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांवों में से 13,123 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है, 837 गांव आवास-रहित पाए गए हैं जिनमें 4,492 गैर-विद्युतीकृत गांव शेष हैं और मई, 2018 तक उनको विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

संचयी संस्वीकृति के राज्य-वार ब्यौरे जारी निधि तथा उपलब्धियां **तालिका-6** में दी गई हैं।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी, राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर ही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह कंपनी नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए निरंतर नवाचारों की खोज करती है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक की 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार स्तर-II के अधीन आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, जिसके अधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना (चरण-I और II) में 25 राज्यों की 413 परियोजनाएं और 12वीं योजना में 15 राज्यों में 273 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आरक्यूएम द्वारा विनिर्माताओं के परिसरों में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 11वीं योजना में चरण-I परियोजनाओं में 242 गांवों का, 11वीं योजना में चरण-II परियोजनाओं में 2,122 गांवों तथा 55 वास्तविक निरीक्षण एवं 12वीं योजना की परियोजनाओं में 2,191 गांवों का और 1,150 वास्तविक निरीक्षण किए गए हैं।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और सुरक्षा नीति आती है। एएलएम नीति में असंगतताओं की परिभाषा, मापन और मॉनीटरिंग की व्यवस्था तथा सुरक्षा नीति के अंतर्गत मुद्रा जोखिम प्रबंधन शामिल है। वर्ष के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई और संशोधित नीति निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनाई गई।

11.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है और निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी), एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक और वित्त तथा प्रचालन प्रभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

एएलसीओ नकदी की तरला, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों को मॉनीटर करती है। नकदी की तरलता संबंधी जोखिम की मॉनीटरिंग नकदी की कमी के विश्लेषण द्वारा की जाती है और यह समिति नकदी जोखिम का प्रबंधन अनुमानित संवितरण और तरलता की संबंधित परिपक्वता प्रोफाइल पर आधारित संसाधन बढ़ाने के कार्यक्रम जैसी भावी कार्यनीतियों के मिश्रित समूह के माध्यम से करती है। ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग ब्याज दर संवेदनशील विश्लेषण के माध्यम से की जाती है और इसका प्रबंधन उधार देने की दरों, उधार की लागत और उधार लेने तथा देने की शर्तों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। विनिमय दर और ब्याज दर से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से किया जाता है।

11.2 उद्यम व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने कंपनी के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है, जोकि अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है और कंपनी के समेकित जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) इसके सदस्य हैं।

आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों, जिनके उत्पन्न होने की संभावना हो, 500 करोड़ रुपए और इससके अधिक के बकाया ऋण की धनराशि और तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को मॉनीटर करना और साथ ही प्रचालन में उत्पन्न जोखिमों और कंपनी के अन्य संबंधित मामलों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान कर ली है और उन्हें कम करने के समुचित उपाय किए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(i) **ऋण (क्रेडिट) जोखिम:**

ऋण जोखिम एक्सपोजर एक ऐसा जोखिम है जो वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या पेशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं।

(ii) **बाजार जोखिम:**

बाजार जोखिम संभावित हानि होती है, जो बाजार दरों और बाजार कीमतों में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमारे प्राथमिक बाजार जोखिम उदभासन (एक्सपोजर) मुख्यतः ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनियम दरों में घट-बढ़ के कारण होते हैं। ब्याज दर जोखिम कम करने के

लिए कंपनी अपनी उधार लागत के आधार पर उधार देने की अपनी दरों की आवधिक समीक्षा करती है। इसके पश्चात हम लागू बाजार दरों, हमारी भारित औसत वित्तपोषण लागत की और हमारे कर-पश्चात लाभों (मार्जिनों) पर आधारित उधार देने की अपनी दरों को निर्धारित करते हैं।

(iii) **लिक्विडिटी जोखिम:**

लिक्विडिटी जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। हम ऐसे लिक्विडिटी जोखिमों का सामना करते हैं, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

(iv) **विदेशी मुद्रा जोखिम:**

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दर की घट-बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्धित परिसंपत्तियों, देयाताओं और तुलन-पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा के उधार से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक बचाव (हेजिंग) नीति लागू की है।

(v) **विधिक जोखिम:**

विधिक जोखिम हमारे उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित संविदाओं के प्रवर्तन की अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। यह प्रवर्तन की प्रक्रिया को विलंब से शुरू करने या संविदा के दायित्वों की प्रयोज्यता में कठिनाई के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हम विधिक प्रलेखन और विधिक दस्तावेज़ों में भावी संविदात्मक प्रावधानों के द्वारा विधिक जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं।

(vi) **प्रचालनात्मक जोखिम:**

प्रचालनात्मक जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो अपर्याप्त और असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। हमने अपने व्यवसाय में प्रचालन जोखिमों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए अपनी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का निरंतर सुदृढ़ीकरण किया है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति, 2008 तैयार की गई, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लंबे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था।

इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और हैदराबाद स्थित सायर द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंधी अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

13. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहल

कंपनी के सभी बड़े कारोबार संबंधी कार्यों को शामिल करते हुए एकीकृत ईआरपी प्रणाली 2009 से चल रही है। बेहतर सेवा के भाग के रूप में, ईआरपी प्रणाली के लाभ उधारकर्ताओं को भी दिए जा रहे हैं। ईआरपी प्रणाली आरईसी के डाटा सेंटर में है और प्राथमिक डाटा सेंटर (पीडीसी) तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) दोनों आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित है।

खरीद में पारदर्शिता के लिए अब सभी सामानों की खरीद और 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य की सेवाएं ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से की जा रही हैं। यह प्रणाली सीवीसी दिशा-निर्देशों तथा आरईसी खरीद संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-रिजर्व नीलामी का अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने बेहतर ई-गवर्नेंस प्राप्त करने के लिए आईटी पहलों के भाग के रूप में कई भीतरी रूप से विकसित प्रणालियां भी लगाई हैं।

आपकी कंपनी ने अपने सभी कार्यालय पैन इंडिया में परिपूर्ण अत्याधुनिक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) सॉल्यूशन कार्यान्वित किए हैं। वीसी सुविधा का प्रयोग बोर्ड/समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है। निगमित कार्यालय और कंपनी के सभी फील्ड कार्यालयों में वाई-फाई सुविधा है। आरईसी ने निगमित नेटवर्क से बाहर गोपनीय तथा महत्वपूर्ण सूचना दिए जाने पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त डाटा लीकेज एंड प्रीवेंशन (डीएलपी) पैकेज का चयन शुरू कर दिया है।

आईटी पहलों में वेबसाइट को अधिक सूचनापरक, जानकारी बताने जैसी विशेषताओं सहित उत्तरदायी बनाने के लिए तथा इसे आरईसी की एक ब्रांड छवि के रूप में प्रयोग करने के लिए आधुनिक बनाया है। मौजूदा स्थिर वेबसाइट का पुनः डिजाइन बनाने और उसे प्रभावी एवं वार्ताकारी बनाने के लिए कार्य किया गया है तथा आधुनिक पोर्टल अधिक सूचनापरक, उत्तरदायी होगा एवं उसमें बातचीत, ब्लॉग, जानकारी बांटने और

अध्यक्ष डेस्क से संदेश जैसी विशेषताएं होंगी।

कर्मचारियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में एचआर-ईआरपी पहुँच कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के लिए इंटरनेट पर अब उपलब्ध है जिसे वे इस्तेमाल कर सकते हैं। आईटी प्रभाग माई गॉव, ई-गवर्नेंस, डिजीटल इंडिया आदि जैसी भारत सरकार की आईटी पहलों की सुविधा कंपनी के भीतर देता है और इसका संवर्द्धन करता है। कर्मचारियों को कम्प्यूटर का अनुपात 100% है। आईटी प्रभाग कंपनी के कर्मचारियों का कम्प्यूटर कौशल उन्नत करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है तथा उन्हें प्रशिक्षण भी देता है।

14. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)

आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर) की स्थापना की गई थी, ताकि विद्युत क्षेत्र संगठनों के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अत्याधुनिक विद्युत उत्पादन विषयों, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सायर को प्रसिद्ध व्यापार स्कूल तथा एबीपी न्यूज नेशनल ऐजुकेशन अवार्ड द्वारा संस्थान के 'नेतृत्व, विकास, नवाचार और उद्योग इंटरफेस' के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के लिए लगातार "एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड" प्रदान किया गया।

14.1 डीडीयूजीजेवाई के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

आरईसी/सायर समूह ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित, डीडीयूजीजेवाई/आरजीजीवीवाई के तहत राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसी है। वर्ष 2016-17 के दौरान समूह ग और घ श्रेणी के 26,151 कर्मचारियों के शेष प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में 29,153 को प्रशिक्षित किया गया है। इससे डीडीयूजीजेवाई के तहत 12वीं योजना के दौरान विद्युत यूटिलिटियों द्वारा ग और घ श्रेणी के 1,25,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। कुल मिलाकर 31 मार्च, 2017 को समाप्त 12वीं योजना अवधि के दौरान ग और घ श्रेणी के 1,28,002 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

विद्युत यूटिलिटियों के अनुरोध पर सायर ने विभिन्न स्थानों यथा जम्मू/ऊधमपुर (जे एंड के), जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर (राजस्थान), बेहरमपुर (ओडिशा), शिमला /सोलन/धर्मशाला/उना/हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), इंदौर (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), वारंगल (तेलंगाना) आदि जैसी स्थानों पर अपने पैनल के तले कर्मचारियों की ग और घ श्रेणी के 1,949 प्रतिभागियों के लिए 78 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

14.2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर को आईटीईसी/एससीएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, सायर ने 8 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 169 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित थे यथा सौर विद्युत उत्पादन - ग्रिड इनेबलिंग (4 सप्ताह); ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत प्रबंधन (8 सप्ताह); डिजाइन इरेक्शन, ईएचवी सब-स्टेशनों का ओएंडएम (4 सप्ताह), विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली की योजना एवं प्रबंधन (8 सप्ताह), विद्युत वितरण में उत्तम पद्धतियां (4 सप्ताह), सूचना प्रौद्योगिकी/ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करके विद्युत कंपनियों का प्रबंधन (5 सप्ताह), इलेक्ट्रिक विद्युत प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (12 सप्ताह) और थर्मल विद्युत उत्पादन में नवीनतम प्रवृत्तियां (4 सप्ताह)।

इन कार्यक्रमों में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, कंबोडिया, मिश्र, इथोपिया, फिजी, गांबिया, घाना, गुआना, होंडुरास, इंडोनेशिया, ईराक, माली, मलावी, मारीशस, मंगोलिया, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, फिलिपींस, सेनेगल, सूडान, साउथ सूडान, सूरीनाम, सीरिया, ताजकिस्तान, तंजानिया, ट्यूनिशिया, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा और जिम्बाब्वे, इत्यादि देशों के प्रतिभागी थे।

14.3 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर ने विभिन्न विषयों जैसे इलेक्ट्रॉनिक संस्थापनाओं में अर्थिंग प्रैक्टिस तथा सुरक्षा उपाय, विद्युत अंतरण संरक्षण-परीक्षण एवं अनुरक्षण, सौर संयंत्रों और ग्रिड इनेबलिंग में आयोजना एवं प्रबंधन, वितरण ट्रांसफार्मर-ओएण्डएम में हाल के रूख, ईएचवी उप-केंद्रों का डिजाइन एवं निर्माण तथा गुणवत्ता नियंत्रण, विद्युत व्यापार एवं ऊर्जा एक्सचेंज, वितरण उप-केंद्रों का ओएण्डएम तथा संरक्षा पहलू, श्रम कानून, ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी क्षतिपूर्ति तथा संविदा श्रम अधिनियम-न्यायालय मामले के संबंध में प्रक्रियाएं, भूमिगत केबल-डिजाइन, बिछाना, परीक्षण एवं अनुरक्षण, वितरण प्रणाली के लिए तकनीकी विनिर्दिष्टियां एवं निर्माण मानक, विद्युत वितरण प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, विद्युत क्रय करार, ओवर हेड वितरण पारेषण लाइनों में नए विकास-डिजाइन से निर्माण, प्रशुल्क नीति और एआरआर प्रस्तुत करना-विनियामक अनुपालन, उन्नत दक्षता के लिए ताप विद्युत संयंत्रों का निष्पादन प्रबंधन, गैस इंसुलेटेड तथा इंडोर सब-स्टेशन, ईएचवी उप-केंद्रों का ओएण्डएम लाइन तथा गुणवत्ता आश्वासन, ईएचवी उप-केंद्र के लिए संरक्षा, मीटरिंग में नई प्रौद्योगिकियां, बिलिंग तथा संग्रहण, खुली पहुंच, विद्युत व्यापार तथा उपलब्धता आधारित प्रशुल्क (एबीटी) स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट ग्रिड, विद्युत तथा लाइनों का डिजाइन एवं निर्माण, वितरण हानि कमी-मुद्दे, चुनौतियां एवं उपचारात्मक उपाय, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिस्पर्द्धी बोली-किफायती प्रापण तथा विद्युत वितरण प्रबंधन पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कंपनियों के कार्मिकों के लिए 27 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 320 प्रतिभागी उपस्थित थे।

14.4 सहयोग से आयोजित कार्यक्रम

सायर ने अग्रणी कारोबार प्रबंधन संस्थानों अर्थात् सार्वजनिक उद्यम संस्थान और विषय विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया और 7 कार्यक्रम आयोजित किए अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 तथा निगमित अभिशासन, विद्युत क्षेत्र में दूसरा एएस (आईएफआरएस) अपनाना, विद्युत उत्पादन केंद्र में संरक्षा, निगमित सामाजिक दायित्व, सामग्री प्रबंधन क्रय प्रक्रिया एवं ई-प्रापण तथा ओवर हेड विद्युत पारेषण लाइन निर्माण प्रबंधन में 64 प्रतिभागी रहे।

14.5 कस्टमाइज्ड कार्यक्रम

यूटिलिटियों की आवश्यकताओं के उपयुक्त पांच कस्टमाइज्ड कार्यक्रम डिजाइन और आयोजित किए गए। आयोजित किए गए कार्यक्रम हैं- "वितरण प्रणाली में दक्षता सुधार उपाय" तथा इंदौर में एमपीपीएकेवीवीएनएल के लिए "विद्युत वितरण प्रबंधन में बेहतर प्रक्रियाएं" पंजाब राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के सिविल इंजीनियरों के लिए दो कार्यक्रम सायर परिसर में जल विद्युत एवं सौर विद्युत उत्पादन पर जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसीएल) कार्यपालकों के लिए दो सप्ताह के टीओटी कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर 120 प्रतिभागियों को कस्टमाइज्ड कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।

14.6 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सायर ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए 6 आंतरिक कार्यक्रम भी आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 51 कर्मचारियों ने भाग लिया। नेतृत्व कौशल, कारोबार संचार तथा प्रस्तुतिकरण कौशल आरईसी में दूसरे एएस का कार्यान्वयन, ऋण प्रलेखन, निगमित सामाजिक दायित्व और परियोजना मूल्यांकन पद्धतियां और डीपीआर तैयार करना विषय शामिल हैं।

14.7 कौशल विकास कार्यक्रम

बेरोजगार इंजीनियरों (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) के लिए 6 सप्ताह की अवधि का "विद्युत प्रबंधन" पर एक कौशल विकास सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया गया जिसमें 28 प्रतिभागी थे।

14.8 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सीएण्डडी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय और मॉनिटरिंग करने के अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल मिलाकर विभिन्न थीम/विषयों पर सायर ने 132 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 16,314 श्रम दिवस प्रशिक्षण से 2,701 कार्मिक प्रशिक्षित किए हैं।

15. आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

दावों पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी ने निगमित कार्यालय के 6 प्रमुख प्रभागों और संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रीय/उप-कार्यालयों में आईएसओ 9001:2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां कार्यान्वित की हैं।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी के कार्यपालकों की शक्ति को व्यावसायिक बनाने और नवयुवकों को भर्ती करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान परिसर भर्ती के दौरान 5 कार्यपालक नियुक्त किए गए। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 566 थी जिसमें 441 कार्यपालक और 125 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

16.1 रोजगार में आरक्षण

विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समूह-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या					
	कुल		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16
क	**377**	391	**36**	40	**14**	14
ख	**84**	99	**12**	13	**2**	2
ग	**35**	36	**6**	7	**0**	0
घ	**70**	74	**21**	22	**2**	1
कुल	**566**	600	**75**	81	**18**	17

16.2 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

कर्मचारियों के कौशल का उन्नयन करने सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और निष्पादन की उच्च सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और एचआरडी पर प्राथमिकता दी जाती रही। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को तेज करना तथा अपना निष्पादन और उत्पादकता सुधारने के लिए कर्मचारियों को सभी संभव अवसर उपलब्ध कराना और उनकी सहायता करना है। व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक परिवेश, जिसमें कंपनी का कारोबार किया जाता है, के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण जो कर्मचारियों को आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया में सहायता करता है, भी दिया गया। कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए कंपनी ने 103 कर्मचारियों को देश के भीतर और विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि के लिए भेजा। इसके अतिरिक्त, 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक रूप से आयोजित किए गए जिनमें लगभग 100 कर्मचारियों ने भाग लिया। इन पहलों से कुल मिलाकर कंपनी 589 प्रशिक्षण श्रम दिवस हासिल कर सकी। इसके अतिरिक्त, 18 कार्यपालकों को जापान, जर्मनी, दुबई आदि में कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

16.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार सदस्यों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने 5 अस्पताल बढ़ाकर सीधे भुगतान योजना के अंतर्गत पैनल के अस्पतालों का विस्तार किया है। कर्मचारियों को ऑनसाइट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चार स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अंशकालिक सेवाओं के लिए लगाए गए। कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन उपकरणों का भी निधियन किया है तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने को बढ़ावा दिया है तथा एर्गोनोमिक्स पर स्वास्थ्य चर्चा/कार्यशाला भी आयोजित की गई।

खेल गतिविधियां

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आपकी कंपनी ने जयपुर में इंटर-सीपीएसयू कबड्डी टूर्नामेंट की मेजबानी की और विद्युत खेल-कूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वाधान में विभिन्न विद्युत क्षेत्र सीपीएसयू द्वारा आयोजित बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस, क्रिकेट आदि जैसे विभिन्न इंटर सीपीएसयू स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए अपने कर्मचारी भी भेजे। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, पेपर प्रस्तुतिकरण और सिम्युलेशन प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

16.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 96 स्थायी महिला कर्मचारी थी जो कुल जनशक्ति का 16.96% है। लिंग के आधार पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं है। महिला कर्मचारियों के कल्याण और उनके समग्र विकास का ध्यान रखने के लिए कंपनी में एक महिला एकक प्रचालनरत है। आरईसी महिला एकक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई। कर्मचारी कल्याण के मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में सहायता मिली जिससे प्रेरक जनशक्ति बनी और कारोबार निष्पादन में सुधार हुआ।

16.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

एक समयबद्ध तरीके से जनता की शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजन से आरईसी में एक लोक शिकायत एकक बनाया गया है। यह एकक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को देखता है जोकि अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिकों हेतु एक प्लेटफार्म है। सीपीग्राम्स पोर्टल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है और रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने कंपनी और अपने ग्राहकों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया है और शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी ने कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक शिकायत निवारण समिति बनाई है।

17. निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास

कंपनी ने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास नीति कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों और लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए सीएसआर और धारणीय विकास

के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई है। आरईसी निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपने शेयरधारकों के हितों को महत्व देते हुए सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ आरईसी के कारोबार प्रचालनों को एकीकृत करने की दृष्टि से कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास (सीएसआरएण्डएसडी) पहलें जारी रहीं। सीएसआरएण्डएसडी परियोजनाओं को धारणीय विकास के सिद्धांतों से संबद्ध किया गया। राष्ट्रीय योजना लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीएसआरएण्डएसडी का उद्देश्य कार्यनीति पर केंद्रित था जिसमें लिंग संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए मिलेनियम विकास लक्ष्य, कौशल वृद्धि, उद्यमशीलता, स्थानीय संस्थानों/लोगों के साथ सह-सृजन मूल्य द्वारा रोजगार सृजन शामिल है। इस प्रकार की पहलों को अभिचिह्नित करते हुए कंपनी ने ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण की दृष्टि से मापित सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हितों का समाधान करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षण पर्यावरणीय धारणीयता, स्वास्थ्य जिसमें वृद्ध और दिव्यांग भी शामिल हैं, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, जिनमें स्वच्छ भारत कोष में अंशदान शामिल है, के क्षेत्रों में विभिनन सीएसआर पहलें शुरू की हैं। सीएसआर कार्यनीति परियोजना आधारित जवाबदेह दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ विकसित की गई हैं। बेसलाइन सर्वे, निश्चित समय-सीमा, अभिचिह्नित माइलस्टोन, आवधिक निगरानी और प्रभाव आंकन के साथ परियोजना मोड में कार्यान्वित की गई है। सीएसआर के अंतर्गत आवंटित निधियों का संविरण माइलस्टोन और सुपुर्दगीयोग्य की उपलब्धि से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 146.57 करोड़ रुपये (विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% की दर से) के सीएसआर बजट के लिए 181.23 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए और 69.80 करोड़ रुपये संवितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपेक्षित न्यूनतम राशि खर्च नहीं करने के कारणों और परियोजनाओं के ब्यौरे सहित निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीयता गतिविधियां संबंधी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

थीमेटिक क्षेत्रों, स्थान, मंजूरी एवं संवितरण तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपेक्षित न्यूनतम राशि खर्च करने में कमी के औचित्य सहित सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में सूचना सामाजिक निगमित दायित्व और धारणीयता कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट में दी गई है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

18. सतर्कता कार्य-कलाप

कर्मचारियों में अखंडता और सत्यनिष्ठा को इष्टतम करने तथा सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता प्रभाग ने निरंतर प्रयास किए। प्रशासनिक और वित्तीय कार्यो से संबंधित मामलों में प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने को भी प्राथमिकता दी गई। प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग पर बल दिया जाता रहा जिससे ऋणों, योजनाओं, निविदाओं, तीसरे पक्षकार बिलों, भर्ती आदि से संबंधित सूचना ऑनलाइन है। निविदाओं की जांच की गई और खरीद प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्द्धा और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए। जहाँ गलतियां पाई गईं, मामला संबंधित प्रभाग के साथ उठाया गया जिससे मूल्यांकन प्रणाली/दिशा-निर्देश सुदृढ़ हुए। इस दिशा में सभी कर्मचारियों को इस बात के लिए संवेदनशील बनाया गया कि यह सुनुश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि आरईसी सीडीए नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा सदैव नैतिक और सत्यनिष्ठा के उच्च मानक बनाए रखे जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं को संवितरित ऋणों के संबंध में गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों के मुद्दे का समाधान करने के लिए मूल्यांकन दिशा-निर्देशों की समीक्षा और मौजूदा ग्रेडिंग और मूल्यांकन तंत्र में नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण की भी सलाह दी गई।

कंपनी द्वारा 01 अप्रैल, 2016 को अथवा उसके बाद 2 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य की जारी की गई लगभग सभी निविदाएं ई-प्रापण मोड के जरिए दी गई। इन्हें अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में सतर्कता प्रभाग द्वारा प्रचालन प्रभागों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की गईं। प्रचलित ऑनलाइन सतर्कता निकासी मॉड्यूल में त्याग-पत्र, सेवानिवृत्ति, सरकारी विदेशी दौरों के लिए सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रावधान शामिल करने के लिए एचआर प्रभाग को सलाह दी गई। सहमत सूची और इन अधिकारियों, जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है, की सूची को अंतिम रूप दिया गया। अभिचिह्नित महत्वपूर्ण पदों से रोटेशनल स्थानांतरण का मामला निरंतर एचआर प्रभाग के साथ उठाया जा रहा है। निर्धारित आवधिक, सांख्यिकीय रिटर्न भी सीवीसी और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी जा रही है।

31 अक्तूबर, 2016 से 05 नवंबर, 2016 तक कंपनी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया गया। सप्ताह के दौरान आरईसी निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए आरईसी ने सतर्कता शपथ दिलाई, निबंध लेखन और वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की और एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसने दिल्ली में तीन कॉलेजों और दो स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे परिचर्चा/वाद-विवाद, कविता पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। संपूर्ण देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य कार्यालयों और आरईसी सहायक कंपनियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का समापन समारोह 04 नवंबर, 2016 को आरईसी निगमित कार्यालय में आयोजित किया गया। समारोह में आरईसी के वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों ने भाग लिया।

सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों द्वारा फील्ड कार्यालयों में नियमित/औचक निरीक्षण किए गए और कर्मचारियों को सतर्कता के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाया गया। सतर्कता की दृष्टि से लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच की गई।

सभी कार्यपालकों की अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) का ब्यौरा आरईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और सतर्कता निकासी को आईपीआर समय पर प्रस्तुत करने से जोड़ दिया गया है। कर्मचारियों की अचल संपत्ति रिटर्न व्यवस्थित जांच के अध्यधीन है।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार सीवीओ द्वारा की गई नियमित समीक्षा के अतिरिक्त सतर्कता प्रभाग के निष्पादन की समीक्षा सीवीसी, निदेशक मंडल और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा आवधिक रूप से की गई।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2016-17 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए। हिंदी में किए गए काम की मात्रा की समीक्षा करने के लिए कंपनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित की गई। इन सभी बैठकों में वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया।

सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए 11 अप्रैल, 2016 को आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू का संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। समिति ने क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू द्वारा हिंदी में किए जा रहे काम की प्रगति की सराहना की। इसकी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर समिति और विद्युत मंत्रालय को भेज दी गई है।

विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आरईसी निगमित कार्यालय तथा आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर का राजभाषा नीति से संबंधित निरीक्षण क्रमशः 28 फरवरी, 2017 और 03 मार्च, 2017 को सफलतापूर्वक किया गया। इसके अतिरिक्त, 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी आंतरिक निरीक्षण किए गए।

कंपनी में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वातावरण बनाने के लिए निगमित कार्यालय में 01 सितंबर, 2016 से 15 सितंबर, 2016 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों, मध्यम स्तर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 9 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल 89 कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें से 41 कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिए गए। सभी क्षेत्रीय/राज्य कार्यालयों में भी हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

निगमित कार्यालय के सभी उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के कमरों में तथा सभी आंतरिक प्रभागों में *'मुझे खुशी होगी यदि हम आपस में हिंदी में बात करें'* हिंदी वाक्य भी लगाया गया।

इसके अतिरिक्त, अपने सरकारी कार्य के निर्वहन में हिंदी के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं में भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए चार हिंदी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में 123 कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया। यह हिंदी में सरकारी काम करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने और राजभाषा नीति तथा सबंधित विषयों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने के लिए किया गया। 03 तथा 04 नवंबर, 2016 को क्षेत्रीय/राज्य/उप-कार्यालय/सायर में नामित नोडल अधिकारियों के लिए कोलकाता में दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

आंतरिक हिंदी पत्रिका ऊर्जायन के दो संस्करण (जनवरी-जून, 2016 तथा जुलाई-दिसंबर, 2016) प्रकाशित किए गए जिनमें रूचिकर और उपयोगी लेख तथा कर्मचारियों के साहित्यिक लेख शामिल थे।

वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा नीति के प्रगामी प्रयोग और कार्यान्वयन में उनके उत्कृष्ट काम के लिए संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी तथा तिरुवनंतपुरम को क्रमशः द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया।

इस वर्ष हैदराबाद-सिकंदराबाद टॉलिक (पीएसयू) के तत्वावधान में सायर द्वारा 05 अगस्त, 2016 को इंटर-पीएसयू हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव से संबंधित ब्यौरा

20.1 ऊर्जा संरक्षण

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्कोप कॉम्प्लेक्स में स्थित है जहां सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अनुरक्षण स्कोप द्वारा किया जाता है। परंपरागत लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगाना, समग्र ऊर्जा जागरूकता, ऊर्जा दक्ष उपकरण, सौर ऊर्जा के प्रयोग तथा स्कोप की टेक्नीकल टीम द्वारा विद्युत खपत की प्रभावी मॉनिटरिंग से वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग 2.19 करोड़ रुपये के समतुल्य विद्युत की 2.09 मिलियन यूनिटों की काफी बचत हुई है।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिस्राव

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई। तथापि, ब्याज, मूलधन चुकौती, वित्तीय प्रभारों तथा अन्य व्यय के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1801.44 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा बहिस्राव हुआ।

21. अनुषंगी कंपनियां

वितरण, पारेषण आदि क्षेत्रों में परामर्शी के अतिरिक्त कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली दो अनुषंगी कंपनियां हैं:

i. आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएनःयू40101डीएल2007जीओआई165779)

ii. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएनःयू40101डीएल2007जीओआई157558)

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्य पारेषण परियोजना का विकास आरंभ करने के लिए आरईसीटीपीसीएल परियोजना विशिष्ट विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) को पूर्णतया स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया द्वारा सफल बोलीदाता के चयन के बाद विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पारेषण परियोजनाओं को इसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ चयनित बोलीदाता को अंतरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटित पारेषण परियोजनाओं के लिए 3 (तीन) एसपीवी निगमित किए गए, 4 (चार) एसपीवी सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए गए तथा और 2 (दो) एसपीवी के नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी पंजीयक से हटाए गए। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) आरईसीटीपीसीएल की पूर्णतः स्वामित्व की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के रूप में विद्यमान हैः

1. डिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40300डीएल2015जीओआई288066)
2. घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40300डीएल2016जीओआई308788)
3. ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40300डीएल2017जीओआई310436)
4. डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40100डीएल2017जीओआई310478)

21.1 आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने अपने प्रमुख कारोबार जैसे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई), सामग्री निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं में आर-एपीडीआरपी भाग-क के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्षता मिशन बढ़ाना तथा स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत आरईसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत स्कूलों में शौचालय के निर्माण से संबंधित टर्न-की कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्ट कार्य किया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए प्रमुख नए कार्यों में (i) एनएसजीएम दिशा-निर्देशों अनुसार स्मार्ट ग्रिड परियोजना के टर्न-की निष्पादन के लिए पीएमए कार्य तथा चंडीगढ़ विद्युत विभाग के लिए 66 केवी पारेषण लाइन का डिपोजिट कार्य; (ii) आरईसी की सीएसआर पहल के तहत राष्ट्रपति भवन में 508 केडब्ल्यूपी क्षमता का सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट के निर्माण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा आरईसी की धारणीय विकास पहल के अंतर्गत ओडिशा में एससी/एसटी रिहायशी स्कूलों के लिए 16 सोलर पावर प्लांट; (iii) (क) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 300 डब्ल्यूपी सोलर पावर पैक तथा 40 डब्ल्यूपी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाकर अरुणाचल प्रदेश में 895 ऑफ ग्रिड गाँवों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के लिए पीएमसी तथा पीआईए कार्य; (ख) 75 रुपये/डब्ल्यूपी के एमएनआरई बेंचमार्क रेट से काफी कम रिकॉर्ड दरें हासिल करने के लिए आरईसीपीडीसीएल के साथ असम में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का कार्यान्वयन तथा (ग) एम.पी. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के नरसिंगपुर सर्किल (जिला) की वितरण प्रणाली के वाणिज्यिक और तकनीकी विश्लेषण के लिए परामर्शी सेवाएं।

इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता के लिए बीईई आंशिक जोखिम गारंटी निधि का प्रबंध करने के लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कंपनी को लगाया गया है तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में अग्रिम कदम उठाने के रूप में संपूर्ण भारत में एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए पीएमसी तथा एएमसी के रूप में कार्य करने के लिए ईईएसएल के साथ एक समझौता-ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है।

गैर-विद्युतीकृत गाँवों/वासस्थलों के विद्युतीकरण की मॉनिटरिंग

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने सभी 18,452 गैर-विद्युतीकृत (यूई) गाँवों का विद्युतीकरण मिशन मोड में करने का निर्णय लिया है। विद्युत मंत्रालय ने गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण कार्य की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है और आरईसी ने दिन प्रतिदिन से संबंधित मॉनिटरिंग, वेबसाइट का अनुरक्षण और अद्यतनीकरण, आरई मोबाइल अनुप्रयोग (गर्व एप) का विकास, नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, कॉल सेंटर और गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण के दौरान क्वालिटी निगरानी का कार्य लागत आधिक्य के आधार पर आरईसीपीडीसीएल को सौंपा है।

गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य की प्रगति की प्रभावी और तीव्रतम तरीके से मॉनिटरिंग के लिए कंपनी ने ब्लॉक/जिला स्तर पर "ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए)" तथा जिला स्तर पर 75 "जिला विद्युत अभियंता (डीवीए)" के रूप में नौजवान इंजीनियरों को हायर और प्रतिनियुक्त किया है। जीवीए गाँवों की मॉनिटरिंग तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा तथा फोटोग्राफ दैनिक आधार पर गर्व एप (मोबाइल फोन एप्लीकेशन) पर अपलोड करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, गर्व एप देश के लगभग 6 लाख गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के संबंध में घरों के विद्युतीकरण के डाटा उपलब्ध कराने तथा आम जनता में भागीदारी बढ़ाने के लिए नई विशेषताएं अद्यतन की गई हैं, यह अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए नागरिक इंगेजमेंट विंडो "संवाद" भी उपलब्ध कराता है जो उनके डैशबोर्ड पर एसएमएस तथा ई-मेल के जरिए डिस्कॉम के संबंधित अधिकारियों को ऑटोमेटिकली सचेत करेगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीपीडीसीएल का वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीपीडीसीएल का कुल राजस्व 191.57 करोड़ रुपये था और कर-पश्चात् लाभ 40.33 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष के 151.54 करोड़ रुपये के राजस्व तथा 36.17 करोड़ रुपये के कर पश्चात् लाभ की तुलना में क्रमशः 26.42% तथा 11.15% अधिक है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य पिछले वर्ष के 117.50 करोड़ रुपये की तुलना में 157.84 करोड़ रुपये हो गया जो 34.33% की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपये अंकित मूल्य पर) 2,421/- रुपए (दो हजार चार सौ इक्कीस रुपये मात्र) के लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

21.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित अंतरराज्य पारेषण परियोजनाओं को विकासकर्ता के चयन के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (डीपीसी) के रूप में कार्य करने के लिए आरईसीटीपीसीएल को लगभग 2,237 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत आवंटित की है:

(i) नई डब्ल्यूआर-एनआर 765 केवी इंटर-रीजनल कॉरिडोर

(ii) इस्टर्न रीजन स्ट्रेंथेनिंग स्कीम-XXI (ईआरएसएस-XXI)

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 3X660 मेगावाट घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना से विद्युत की निकासी के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु आरईसीटीपीसीएल को 2,570 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली एक अंतर्राराज्य पारेषण परियोजना भी आवंटित की है।

प्रत्येक पारेषण परियोजना के लिए विकासकर्ता का चयन करने हेतु भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) विशेषताओं वाली 2 चरण की बोली प्रक्रिया अपनाई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आवंटित निम्नलिखित पारेषण परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया पूरी हो गई है और संबंधित परियोजना एसपीवी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिए गए हैं:

क्र.सं.	पारेषण परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी के अंतरण की तारीख
1	एनईआर सिस्टम स्ट्रेंथेनिंग स्कीम-II (भाग-ख) एवं V	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड	स्टरलाइट ग्रिड 4 लिमिटेड	31 मार्च, 2017
2	ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथेनिंग इन डब्ल्यूआर एसोसिएटेड विद खरगोन टीपीपी (1320 मेगावाट)	खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड	स्टरलाइट ग्रिड 4 लिमिटेड	22 अगस्त, 2016
3	बाबई (आरआरवीपीएनएल) में सीकर-नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन के एलआईएलओ के साथ "सिस्टम स्ट्रेंथेनिंग स्कीम इन नॉर्दर्न रीजन (एनआरएसएस-XXXVI)"	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड	22 अगस्त, 2016
4	धनबाद में 400/220 केवी सब-स्टेशन के सृजन के साथ एनटीपीसी की नॉर्थ करणपुरा (3X660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी-जेयूएसएनएल (ईआरएसएस-XIX) का प्रस्ताव	नॉर्थ करणपुरा ट्रांसको लिमिटेड	अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	08 जुलाई, 2016

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी पंजीयक (आरओसी) का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा हरियाणा ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत कंपनी पंजीयक से नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम हटाने के लिए आवेदन अनुमोदित किए हैं तथा क्रमशः 25 मई, 2016 तथा 16 जुलाई, 2016 को डिजॉल्यूशन के लिए प्रमाण-पत्र जारी कर दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित पारेषण परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया प्रगति पर है:

क्र.सं.	पारेषण परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी के निगमन की तारीख	बोली प्रक्रिया पूरा होने का संभावित समय
1	अरुणाचल प्रदेश में पारेषण प्रणाली के लिए चरण-I उत्पादन परियोजना	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	02 दिसंबर, 2015	वित्तीय वर्ष 2017-18
2	घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 3X660 मेगावाट से विद्युत की निकासी	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	02 दिसंबर, 2016	
3	इस्टर्न रीजन स्ट्रेंथेनिंग स्कीम-XXI (ईआरएसएस-XXI)	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	11 जनवरी, 2017	
4	न्यू डब्ल्यूआर-एनआर 765 केवी इंटर-रीजनल कॉरिडोर	नॉर्थ करणपुरा ट्रांसको लिमिटेड	12 जनवरी, 2017	

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीटीपीसीएल को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) से संबंधित कार्य, तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई), बोली प्रक्रिया प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन एजेंसी से संबंधित कार्य एचपीसीएल, विशाखापट्टनम तथा गोवा, मिजोरम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य से प्राप्त किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसीटीपीसीएल का वित्तीय निष्पादन

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 52.38 करोड़ रुपये की आय सृजित की है। कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात् लाभ क्रमशः 49.86 करोड़ रुपये तथा 34.46 करोड़ रुपये था। आरईसीटीपीसीएल का निवल मूल्य पिछले वर्ष के दौरान 123.41 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 157.86 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आरईसीटीपीसीएल के निदेशक मंडल ने प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 2,760 रुपये का लाभांश देने की सिफारिश की है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

22. संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनी के ब्यौरे

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों अर्थात् पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है। आरईसी ने 31 मार्च, 2017 तक 146.50 करोड़ रुपए (ईईएसएल की प्रदत्त पूंजी का 31.71%) का अंशदान किया है।

ईईएसएल की स्थापना विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग इत्यादि जैसे सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात् वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है। कंपनी के व्यवसाय संबंधी मूलभूत तत्वों में अन्य के अलावा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीसीएम), नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम), वितरण ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, भवन, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई), परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड-ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन प्लान (पीएटी-जेआईपी), कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े क्रियाकलापों इत्यादि में ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) मोड में परियोजनाएं क्रियान्वित करना शामिल है।

वर्तमान में, ईईएसएल विभिन्न नगरपालिका निगमों के साथ नगरपालिका स्ट्रीट लाइट गली प्रकाशन परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में अदक्ष कृषि पंपसेट प्रतिस्थापित करने के लिए एजीडीएसएम परियोजनाएं, विभिन्न कंपनियों की यूटिलिटियों और सीएसआर परियोजनाओं सहित ईएससीओ मोड में सभी घरेलू आवासीय क्षेत्र में वहनीय कीमत पर एलईडी प्रदान करके घरेलू दक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) उन्नत ज्योति और विभिन्न कंपनियों की सीएसआर परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

वर्ष के दौरान ईईएसएल के कार्य-निष्पादन में सुधार आया है तथा कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी का कुल राजस्व पिछले वर्ष के 774.89 करोड़ रुपए की तुलना में 1,150.86

करोड़ रुपए है। कर पश्चात् लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के 50.19 करोड़ रुपए की तुलना में 81.65 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, कर-पश्चात् लाभ (पीएटी) पिछले वर्ष के 37.08 करोड़ रुपए की तुलना में 51.86 करोड़ रुपए हो गया है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और लेखाकरण मानक-21 के अनुसरण में कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों अर्थात् आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल और संयुक्त उद्यम कंपनी ईईएसएल सहित समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है जिसे 48वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण सहित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, आरईसीटीपीसीएल द्वारा निगमित पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसरण में आरईसी द्वारा तदनंतर निपटान के लिए निगमित किया गया है, को कंपनी के वित्तीय विवरण में समेकित नहीं किया गया है, कंपनी के वित्तीय विवरणों में समेकित नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के अनुसरण में सहायक कंपनियों और संयुक्त कंपनी के फॉर्म एओसी-1 में वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण का भाग है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षित लेखाओं सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण इस कंपनी की वेबसाईट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध है। तथापि, ये दस्तावेज कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्राप्त करने में रूचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मंडल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर) निर्धारित सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधनों के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान श्री राजीव शर्मा (डीआईएनः 00973413), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद भार छोड़ने पर 01 अक्तूबर, 2016 से कंपनी की सेवाओं से कार्यमुक्त हुए तथा श्री भगवती प्रसाद पाण्डे (डीआईएनः 01393312), विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30 सितंबर, 2016 के आदेश संख्या 46/8/2011-आरई के तहत 01 अक्तूबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक प्रारंभ में 3 माह की अवधि के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तदनंतर, उनका कार्यकाल 04 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दिया गया था। उसके पश्चात्, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 05 दिसंबर, 2016 के पत्र संख्या 36/02/2016-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में 05 जनवरी, 2017 से डॉ. पी.वी. रमेश, आईएएस (आंध्र प्रदेशः 1985) ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य भार संभाला।

इसके अतिरिक्त, श्रीमती आशा स्वरूप को विद्युत मंत्रालय द्वारा 08 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 46/2/2010-आरई वॉल्यूम-II (पार्ट-IV) के तहत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 17 मई, 2012 के आदेश की शर्तों के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल ने 01 अगस्त, 2012 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य भार संभाला है तथा उनका पाँच वर्ष का कार्यकाल 31 जुलाई, 2017 को समाप्त होना था। विद्युत मंत्रालय ने अपने 19 जुलाई, 2017 के आदेश के तहत उनका कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल 01 अगस्त, 2017 से 31 मई, 2020 अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया है।

सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप सभी स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित घोषणा दी गई थी कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करें और कोई भी निदेशक पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 और 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत क्रमशः अंशकालिक निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से सरकारी कंपनियों को छूट दे दी है। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यात्मक और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तथा कंपनी की संघ की नियमावली के अनुच्छेद 91 (iv) के प्रावधानों के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047), सरकार द्वारा नामित निदेशक 48वीं आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्ताव देने हेतु पात्र हैं। निदेशक मंडल निदेशक के रूप में उनकी पुन:नियुक्ति की सिफारिश करता है। उनका संक्षिप्त ब्यौरा एजीएम के नोटिस के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदंड किस तरीके से किया गया है।

तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा निदेशकों के मामले में मूल्यांकन किया जाता है तो उपर्युक्त अपेक्षा से सरकारी कंपनी को छूट दी गई है जोकि अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय है। तदनुसार सरकारी कंपनी होने के कारण आरईसी को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना की शर्तों से छूट दी गई है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट करता है कि स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा तथा मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

26. समझौता-ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की दृष्टि से आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को "उत्कृष्ट" रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94, अर्थात् जब सरकार के साथ प्रथम एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, से यह लगातार 23वां वर्ष है जब आरईसी ने "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भी, कंपनी को "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

वर्ष के दौरान कंपनी को सीबीआईपी पुरस्कार, 2017 में "बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी" प्राप्त हुआ है; वर्ष 2014-15 के लिए "स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक सेक्टर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड इंश्योरेंस कंपनी" के लिए गोल्ड ट्रॉफी जीती तथा अप्रैल, 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति से वर्ष 2014-15 के लिए "स्कोप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एण्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट" भी प्राप्त हुआ।

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) भारत के माननीय राष्ट्रपति से वर्ष 2014-15 के लिए "स्कोप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एण्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट" प्राप्त करते हुए

27. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि:

(i) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत् रूप से लागू किया गया है (वित्तीय विवरणों के लिए लेखाओं के नोट में प्रकट किए अनुसार लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को छोड़कर) तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सभी और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; तथा

(vi) उपर्युक्त प्रणालियां बनाई गई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

28. "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आम वार्षिक बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज फिजिकल रूप से भेजने के अतिरिक्त अपने सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए भेजें।

एक उत्तरदायी निगमित नागरिक के रूप में कंपनी ने कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) की ग्रीन पहल के कार्यान्वयन का समर्थन किया है और 2010-11 के बाद उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पहले ही पंजीकृत है और जिन्होंने इस प्रकार के दस्तावेज फिजिकल रूप में प्राप्त करने के लिए विकल्प नहीं दिया है, को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी लागू की है। लाभांश (अंतरिम/अंतिम) की सूचना भी उन शेयरधारकों, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जा रही है। कंपनी ने अपने प्रचालनों के डिजिटाइजेशन के लिए एक आईटी प्रबंधन परामर्शदाता भी नियुक्त किया है ताकि कागज की खपत कम करके कागजरहित कार्यालय परिवेश सृजित किया जा सके।

उन सदस्यों, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अब तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएण्डटीए) के पास पंजीकृत करा दें और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी की ग्रीन पहल में भागीदार बनें तथा "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" पहल का समर्थन करें।

यह दोहराया जाता है कि उन सदस्यों, जिन्होंने इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी का विकल्प दिया है, सहित सदस्य से मांग किए जाने पर लाभ और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि सहित कानून की अपेक्षानुसार कपनी के तुलन-पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए कंपनी का प्रत्येक सदस्य पात्र है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। ई-मतदान के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस सूचना में दिए गए हैं।

29. स्वच्छ भारत अभियान

आरईसी ने कंपनी के निगमित कार्यालय में विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए हैं अर्थात् 01 मई, 2016 से 15 मई, 2016 तक "स्वच्छ भारत पखवाड़ा", 16 जून, 2016 से 30 जून, 2016 तक "स्वच्छ भारत मिशन" (स्वच्छता पखवाड़ा) तथा 26 सितंबर, 2016 से 02 अक्तूबर, 2016 तक "स्वच्छता अभियान" (राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान)। स्वच्छता कार्यक्रमों के दौरान कर्मचारियों और आम जनता में जागरूकता लाने के लिए कार्यालय परिसरों में और उसके आस-पास बैनर और पोस्टर लगाए गए। आरईसी के सभी कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से भाग लिया और अपने-अपने कार्यालय परिसरों, शौचालयों, सीढ़ियों, लिफ्ट तथा आस-पास के अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार पुराने और अवांछित रिकॉर्ड को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में लगभग 4,000 कि.ग्रा. वेस्ट सरकारी कागज, पत्रिकाएं, आवधिक पत्रिकाएं, ड्राफ्ट रिपोर्टें आदि का निपटान किया गया। स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के लिए कंपनी के सभी फाइल कवरों, लिफाफों तथा पत्र शीर्षों पर स्वच्छ भारत मिशन का लोगो छापना आरईसी में अब भी जारी है। स्वच्छता एक सतत् कार्रवाई है और आरईसी में यह जारी रहेगी।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में "सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005" को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	298
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र	288
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	10
4.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	26

5.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई अपीलें	26
6.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	12
7.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा निपटाई गई द्वितीय अपील सूचनाएं	12

31. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईएस) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के अधीन रिपोर्टिंग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्वाधीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्रय नीति आदेश, 2012 में सभी निर्देशों को आरईसी के खरीद दिशा-निर्देशों में शामिल कर लिया गया है और इसे आरईसी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Public_Procurement_Policy.pdf पर लिंक पर अपलोड कर दिया गया है।

वित्तीय संस्था होने के कारण आरईसी कोई परियोजना निष्पादित नहीं कर रहा है। अतः छोटे विक्रेताओं से लेखन सामग्री और कार्यालय उपकरण जैसी केवल खुदरा खरीद की जाती है। तथापि, इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एमएसई से 1.44 करोड़ रुपये की अधिप्राप्ति की गई।

32. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध ओर निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

33. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में वार्षिक विवरणी का सार फार्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

34. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाताओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म एओसी-2 में प्रकट किए गए हैं।

35. लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स राज हर गोपाल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन), नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर. एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी), नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) ने मैसर्स जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 008744एन), नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर. एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी), नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में सचिवालयी लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र संख्या 3850), नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार उन्होंने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35.1 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

यद्यपि कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कंपनी के स्टैंड अलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी कोई अर्हता, आरक्षण, विपरीत टिप्पणी अथवा दावा नहीं किया है परंतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं। टिप्पणियों का उत्तर इस प्रकार है:

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण (अनुबंध-ग) तथा समेकित वित्तीय विवरण (अनुबंध-क) पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत संदर्भित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध हमारे विचार से कंपनी में (i) प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत के रूप में ऋणों और अग्रिमों के वर्गीकरण से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ईआरपी प्रणाली में गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का निर्धारण, संरचना, पुनर्संरचना के कारण ऋण स्थगन अवधि में परिवर्तन, ऋणों की स्वीकृतियों का पुन:वैधीकरण तथा ऋणों के आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं करने/अस्वीकृत करने/निपटाने की रिकॉर्डिंग, (ii) ऋण लेने वालों को संवितरित निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण, तथा (iii) ट्रेवल एजेंटों के दावों पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया, अधिक वित्तीय रिपोर्टिंग को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।	उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

कंपनी के सचिवालयी लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में एक अलेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, उन्होंने संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित है:

सचिवालयी लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी ने सामान्य कारोबार में की गई प्रविष्टि एक संबंधित पक्षकार लेन-देन को छोड़कर अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार के समेकित की है तथा कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑन आर्म्स लेंथ, लेखा परीक्षा समिति का कार्योपरान्त अनुमोदन प्राप्त किया गया था जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार नहीं है।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसी ने प्रतिस्पर्द्धी बोली के जरिए अपने सामान्य कारोबार में तथा ऑन आर्म्स लेंथ आधार पर बॉण्ड जारी करने के जरिए धन जुटाने के लिए व्यवस्थाकर्ता के रूप में एसबीआई कैप सिक्योरिटिज लिमिटेड, एक संबंधित पक्षकार को नियुक्त किया था। कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रकार के लेन-देन के लिए लेखा परीक्षा समिति अथवा निदेशक मंडल का कोई अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं था। तथापि, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार सभी संबंधित पक्षकार लेन-देन के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। चूंकि व्यवस्थाकर्ता के रूप में एसबीआई कैप सिक्योरिटिज लिमिटेड की नियुक्ति प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर की गई थी इसलिए इस संबंध में लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना कठिन था। इसके अतिरिक्त, एसबीआई कैप सिक्योरिटिज लिमिटेड को नियुक्त करते ही लेखा परीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। तथापि, भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार इस प्रकार के सभी संबंधित पक्षकार लेन-देन के लिए लेखा परीक्षा समिति का ओमनिबस अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

36. भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक ने दिनांक 03 अगस्त, 2017 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में "शून्य" टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है।

37. ऋण-पत्र (डिबेंचर) न्यासी

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्गत बॉण्डों की भिन्न-भिन्न श्रृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

38. सांविधिक प्रकटन

क) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए जो चल रहे

कंपनी के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया, जिससे विभिन्न लेन-देनों की सही और समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्यौरों के लिए इस रिपोर्ट के साथ संलग्न "प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट" देखें।

ड़) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों के गठन, विचाराधीन विषय, बैठकों से संबंधित सूचना, सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना तथा निदेशकों की फेमिलियराइजेशन/प्रशिक्षण नीति के लिए वेब लिंक, संबंधित पक्षकार लेन-देन की सामग्री संबंधी नीति तथा तृतीय पक्षकार लेन-देन तथा प्रमुख सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को मुआवजा स्वतंत्र निदेशकों को सीटिंग फीस आदि निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में उल्लिखित की गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों का वित्त पोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई सिक्योरिटी कंपनी पर लागू नहीं है, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेश के ब्यौरे स्टैंड अलोन वित्तीय लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 10 में दिए गए हैं।

छ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षत नहीं है।

ज) सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी को निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित सांविधिक प्रावधानों तथा कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट ने मूल्यांकन तंत्र के संबंध में प्रकटीकरण से छूट है।

झ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए।

ञ) कंपनी ने निदेशकों अथवा कंपनी के किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

39. गुरुग्राम में आरईसी निगमित कार्यालय भवन के निर्माण की स्थिति

गुरुग्राम, हरियाणा में निगमित कार्यालय भवन का निर्माण अप्रैल, 2015 में शुरू हुआ था और दूसरी मंजिल (तीन बेसमेंट सहित) तक आरसीसी कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, तीसरी मंजिल पर आरसीसी से संबंधित कार्य, एचवीएसी डक्ट तथा अग्निशमन पाइप आदि लगाने का कार्य साथ-साथ किया जा रहा है।

गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में आरईसी के प्रस्तावित कारपोरेट कार्यालय भवन का काल्पनिक दृश्य

इस परियोजना को मार्च, 2017 में 8वें गृह समिट के दौरान गृह रेटिंग के अंतर्गत पैसिव आर्किटेक्चर डिजाइन के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए गृह कौंसिल द्वारा अवार्ड दिया गया था। इसके अतिरिक्त, इस भवन में सपोर्ट रूफ टॉप सोलर परगोला का कंपोजिट स्ट्रक्चर, रेडिएंट कूलिंग स्लैब्स का प्रावधान, आयातित शैटरिंग के प्रयोग सहित सीमलेस व्हाइट फेयर फिनिश कॉलम आदि तथा विकसित देशों के समतुल्य निर्माण प्रौद्योगिकी अपनाने जैसी अद्वितीय विशेषताओं वाली है।

40. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित संशोधित सूचीकरण करारों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्न रूप में इस रिपोर्ट के साथ सलग्न है:

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	III
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	IV

कंपनी के सचिवालयी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक विवरण का सारांश	VII
संबंधित पक्षकारों सहित संविदाओं और व्यवस्थाओं के विवरण	VIII
बॉण्डों की विभिन्न शृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे	IX

41. आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत् सहयोग, समर्थन और कपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं का कपनी के निरंतर सहयोग देने और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों, आरईसी के बॉण्डों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत् सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स राज हर गोपाल एण्ड कंपनी और मैसर्स ए.आर. एण्ड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स संजय ग्रोवर एण्ड एसोसिएट्स, सचिवालयी लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

रमेश

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21 अगस्त, 2017

सारणी-1 : आरईसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृत योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ब्योरे/राज्य	योजनाओं/परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	1	3,96,511.00
2	छत्तीसगढ़	1	55,000.00
3	गुजरात	1	5,02,500.00
4	कर्नाटक	1	1,25,695.00
5	महाराष्ट्र	1	2,40,571.00
6	ओड़िशा	1	51,800.00
7	पंजाब	2	3,043.60
8	राजस्थान	1	3,00,000.00
9	तमिलनाडु	4	5,15,189.50
10	तेलंगाना	1	1,00,000.00
11	उत्तर प्रदेश	0	54,012.00
12	प्राइवेट (उत्पादन)	2	4,76,571.00
	उप-जोड़ -(क)	**16**	**28,20,893.10**
ख.	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	1	14,000.00
2	केरल	2	27,129.00
3	नागालैण्ड	1	616.00
4	राजस्थान	1	11,254.00
5	पश्चिम बंगाल	1	6,928.00
6	प्राइवेट (नवीकरणीय)	10	1,49,050.00
	उप-जोड़-(ख)	**16**	**2,08,977.00**
ग.	**टी एवं डी परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	72	3,25,255.70
2	बिहार	3	2,35,816.87
3	छत्तीसगढ़	58	2,51,551.10
4	दिल्ली	1	13,964.10
5	गोवा	4	69,273.58
6	गुजरात	2	3,80,808.00
7	हरियाणा	101	1,32,313.57
8	हिमाचल प्रदेश	32	34,383.13
9	कर्नाटक	14	63,049.44
10	केरल	2	2,06,300.00
11	मध्य प्रदेश	84	1,43,535.64
12	महाराष्ट्र	96	2,13,063.89

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ब्योरे/राज्य	योजनाओं/परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
13	मणिपुर	2	18,500.00
14	नागालैण्ड	10	421.76
15	पुदुचेरी	2	5,268.97
16	पंजाब	18	2,01,740.36
17	राजस्थान	22	2,85,552.26
18	तमिलनाडु	31	4,61,582.99
19	तेलंगाना	51	3,23,756.37
20	उत्तर प्रदेश	260	4,04,467.24
21	उत्तराखंड	13	81,057.91
22	पश्चिम बंगाल	46	1,94,216.69
23	प्राइवेट (टी एवं डी)	0	49,432.00
	उप-जोड़ -(ग)	**924**	**40,95,311.58**
घ.	**लघु अवधि ऋण, मध्यम अवधि ऋण एवं अन्य ऋण सहायता**		
1	आंध्र प्रदेश	3	1,15,000.00
2	बिहार	6	70,000.00
3	छत्तीसगढ़	1	26,500.00
4	झारखंड	1	15,000.00
5	कर्नाटक	6	60,000.00
6	मध्य प्रदेश	2	50,000.00
7	महाराष्ट्र	1	15,000.00
8	मेघालय	1	25,000.00
9	पंजाब	2	25,000.00
10	राजस्थान	5	3,35,400.00
11	तमिलनाडु	2	1,00,000.00
12	तेलंगाना	4	1,30,000.00
13	उत्तर प्रदेश	7	2,95,000.00
	उप-जोड़ -(घ)	**41**	**12,61,900.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**997**	**83,87,081.68**

सारणी-2 : आरईसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृत श्रेणी-वार योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं..	श्रेणी	श्रेणी कोड	योजनाओं/ परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**विद्युत उत्पादन**			
1	तापीय	तापीय	9	17,64,260.50
2	कोयला खान	कोयला खान	2	1,05,000.00
3	जल विद्युत	जल विद्युत	2	4,96,632.60
4	अन्य ऋण		3	4,55,000.00
	उप-जोड़		**16**	**28,20,893.10**
ख.	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	सौर पीवी	एसपीवी	11	1,63,050.00
2	पवन	पवन	1	11,254.00
3	लघु जल विद्युत	एसएचपी	4	34,673.00
	उप-जोड़		**16**	**2,08,977.00**
ग.	**टी एवं डी**			
	वितरण			
1	प्रणाली सुधार	एसआई	89	5,41,529.39
2	उपकरण/सामग्री की खरीद और स्थापन	बल्क	79	2,84,940.99
3	कृषि सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत पहुंच मुहैया करवाने के लिए आधारभूत ढांचा	आईई	76	1,39,349.02
4	आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस	आर-एपीडीआरपी/ आईपीडीएस	162	2,85,430.62
5	डीडीयूजीजेवाई	डीडीयूजीजेवाई	152	3,68,502.81
	ट्रांसमिशन			
1	प्रणाली सुधार	एसआई	362	20,16,058.74
2	अन्य ऋण		4	4,59,500.00
	उप-जोड़		**924**	**40,95,311.58**
घ.	**एसटीएल, एमटीएल और अन्य ऋण सहायता**		**41**	**12,61,900.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)		**997**	**83,87,081.68**

सारणी-3 : आरईसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 तक दी गई संचयी राज्य-वार स्वीकृतियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्योरे/राज्य	2001-02 तक		X वीं योजना		XI वीं योजना		XII वीं योजना 2016-17 तक		2016-17 तक संचयी	
		परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	4,810	4,40,263.00	1,104	12,09,532.12	558	13,00,954.48	476	39,97,771.16	6,948	69,48,520.76
2	अरुणाचल प्रदेश	159	29,954.00	54	1,04,019.57	16	73,949.07	0	0	229	2,07,922.64
3	असम	393	32,984.00	33	30,404.38	20	1,50,196.78	1	8,433.00	447	2,22,018.16
4	बिहार	1,664	55,272.00	73	1,89,856.52	78	16,71,581.51	42	7,68,317.98	1,857	26,85,028.01
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	5,16,315.14	63	4,86,756.14	120	6,05,285.31	205	16,08,356.59
6	दिल्ली	2	817.00	6	47,323.00	1	3,63,707.00	16	86,506.24	25	4,98,353.24
7	गोवा	16	2,007.00	0	0	0	0	4	69,273.58	20	71,280.58
8	गुजरात	1,784	2,53,470.00	124	5,27,966.27	42	7,26,831.98	5	9,29,532.00	1,955	24,37,800.25
9	हरियाणा	1,209	1,16,989.00	148	3,95,304.36	253	9,57,795.03	406	11,62,521.72	2,016	26,32,610.11
10	हिमाचल प्रदेश	419	52,240.00	37	1,16,177.14	125	2,15,488.85	124	1,51,066.51	705	5,34,972.50
11	जम्मू एवं कश्मीर	500	67,243.00	34	93,791.86	69	1,62,056.63	43	1,04,416.77	646	4,27,508.26
12	झारखंड	0	0	27	1,47,602.49	12	2,55,580.82	1	15,000.00	40	4,18,183.31
13	कर्नाटक	2,384	3,07,390.00	472	3,88,445.49	213	12,76,890.39	312	17,16,134.67	3,381	36,88,860.55
14	केरल	1,454	2,42,741.00	297	2,41,884.17	20	1,04,897.17	91	5,78,880.25	1,862	11,68,402.59
15	मध्य प्रदेश	5,111	2,36,175.00	133	2,35,711.17	255	9,71,789.13	103	6,46,937.93	5,602	20,90,613.23
16	महाराष्ट्र	4,602	4,40,595.00	833	15,16,910.29	418	27,53,166.66	554	25,67,439.67	6,407	72,78,111.62
17	मणिपुर	146	20,696.00	3	9,462.64	2	9,169.22	15	22,488.00	166	61,815.86
18	मेघालय	105	19,351.00	4	31,571.20	10	44,645.16	5	46,268.10	124	1,41,835.46
19	मिजोरम	46	7,879.00	24	20,360.35	7	14,342.75	0	0	77	42,582.10
20	नागालैंड	71	7,791.00	23	5,648.47	36	28,107.67	11	1,037.77	141	42,584.91
21	ओडिशा	1,624	77,691.00	21	1,20,627.30	55	4,08,198.64	26	7,25,154.20	1,726	13,31,671.14
22	पुदुचेरी	0	0	0	0	2	12,506.79	3	11,627.15	5	24,133.94
23	पंजाब	1,303	2,59,737.00	216	6,57,148.09	125	11,61,462.31	228	15,68,709.24	1,872	36,47,056.64
24	राजस्थान	3,012	3,82,940.00	597	5,56,041.59	449	29,02,505.72	203	28,95,420.69	4,261	67,36,908.00
25	सिक्किम	36	2,910.00	4	5,625.82	2	3,101.08	0	1,887.00	42	13,523.90
26	तमिलनाडु	3,003	1,75,458.00	597	3,80,609.65	364	26,04,367.97	192	26,42,184.54	4,156	58,02,620.16
27	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	203	30,85,903.69	203	30,85,903.69
28	त्रिपुरा	172	15,732.00	6	36,373.77	3	11,188.99	0	0	181	63,294.76
29	उत्तराखंड	0	0	84	3,06,792.19	20	1,72,884.14	87	5,50,944.63	191	10,30,620.96
30	उत्तर प्रदेश	3,027	2,23,840.00	102	6,70,276.50	557	21,46,380.48	795	59,22,864.75	4,481	89,63,361.73
31	पश्चिम बंगाल	1,256	59,750.00	198	4,42,874.90	78	11,26,535.95	162	17,45,682.44	1,694	33,74,843.29
32	प्राइवेट टी एवं डी	0	0	9	4,955.00	10	1,07,084.96	7	3,57,861.54	26	4,69,901.50
33	प्राइवेट उत्पादन	6	3,347.00	19	6,02,002.57	64	50,66,680.00	19	27,27,511.00	108	83,99,540.57
34	प्राइवेट नवीकरणीय	0	0	0	0	0	0	41	3,09,263.99	41	3,09,263.99
35	प्राइवेट एसटीएल	0	0	0	0	0	0	2	75,000.00	2	75,000.00
	जोड़	**38,314**	**35,35,262.00**	**5,304**	**96,11,614.00**	**3,927**	**2,72,90,803.47**	**4,297**	**3,60,97,325.52**	**51,842**	**7,65,35,005.00**

उपर्युक्त आंकड़ों में डीडीयूजीजेवाई और डीडीजी परियोजना लागत (पूंजी सब्सिडी और ऋण) केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना तक शामिल हैं।

सारणी-4 : वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य-वार एवं कार्यक्रम-वार संवितरण तथा कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31 मार्च, 2017 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	ब्योरे/राज्य	पारेषण	वितरण	विद्युत उत्पादन - पारंपरिक	विद्युत उत्पादन - नवीकरणीय ऊर्जा	डीडीयूजीजे-वाई-आरई (डीडीजी सहित)	एसटीएल	अन्य (एमटीएल और टीएफएल सहित)	वर्ष 2016-17 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2016-17 के अंत में बकाया राशि
											वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	1,34,085	1,19,722	78,972	4,185	578	1,00,000	15,000	4,52,542	26,32,612	3,52,287	15,52,553	10,80,059
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	24,394	1,166	21,850	2,544
3	असम	-	-	-	-	3,974	-	-	3,974	59,935	4,230	34,486	25,450
4	बिहार	52,468	34,926	2,32,800	-	9,645	70,000	-	3,99,839	11,40,731	88,128	1,37,054	10,03,676
5	छत्तीसगढ़	-	84,647	-	-	-	-	-	84,647	4,52,092	30,145	2,82,614	1,69,478
6	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093	-	1,093	-
7	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	2,65,000	-	-	-	-	-	-	2,65,000	9,08,823	724	6,41,441	2,67,382
9	हरियाणा	18,534	51,862	592	-	-	-	-	70,988	15,40,785	3,88,442	9,75,237	5,65,548
10	हिमाचल प्रदेश	3,324	12,319	103	-	-	-	-	15,746	2,74,664	54,600	2,19,669	54,996
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	409	-	7,026	-	-	-	7,435	1,37,000	8,395	1,00,915	36,086
12	झारखंड	1,646	-	-	-	3,618	-	-	5,264	1,53,150	7,742	1,11,321	41,829
13	कर्नाटक	-	1,29,728	3,238	-	258	20,000	40,000	1,93,224	14,32,861	57,366	6,05,529	8,27,332
14	केरल	2,557	1,51,829	-	-	491	-	-	1,54,877	7,31,200	18,663	4,64,310	2,66,890
15	मध्य प्रदेश	-	30,065	-	-	4,773	27,500	22,500	84,838	8,75,319	4,41,687	7,29,597	1,45,722
16	महाराष्ट्र	48,358	2,08,453	3,65,482	-	42	-	-	6,22,334	43,49,093	2,04,720	16,20,401	27,28,692
17	मणिपुर	14,487	-	-	-	415	-	-	14,902	38,541	1,392	8,859	29,683
18	मेघालय	-	-	23,991	-	-	-	-	23,991	90,900	22,062	36,158	54,741
19	मिजोरम	-	-	-	-	155	-	-	155	27,332	355	24,909	2,423
20	नागालैंड	-	500	-	151	104	-	-	755	25,842	1,727	15,388	10,453
21	ओडिशा	538	-	1,01,427	1,500	9,042	-	-	1,12,507	3,44,961	2,364	1,34,158	2,10,804
22	पुदुचेरी	2,550	-	-	-	-	-	-	2,550	6,124	357	357	5,767
23	पंजाब	50,520	84,178	6,305	-	-	25,000	-	1,66,003	24,89,182	4,26,835	16,95,365	7,93,816
24	राजस्थान	50,842	1,10,985	5,06,267	-	3,556	-	30,000	7,01,650	45,64,346	13,51,778	26,82,446	18,81,900
25	सिक्किम	10,767	-	88,843	-	-	-	-	99,610	5,14,661	194	4,016	5,10,644
26	तमिलनाडु	1,31,076	65,629	21,616	-	-	50,000	38,996	3,07,317	36,84,911	8,81,292	18,39,158	18,45,754
27	तेलंगाना	50,190	1,35,365	2,65,211	-	-	1,30,000	20,000	6,00,767	18,83,859	1,37,283	3,47,532	15,36,327
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	12,843	180	11,536	1,306
29	उत्तर प्रदेश	1,52,624	2,59,913	79,007	-	19,035	30,000	1,45,000	6,85,580	43,85,855	5,97,254	23,65,188	20,20,667
30	उत्तराखंड	6,195	18,674	11,703	-	525	-	-	37,097	4,86,437	24,729	2,63,216	2,23,221
31	पश्चिम बंगाल	38,246	73,903	-	-	95	-	-	1,12,244	12,69,956	3,13,602	7,32,053	5,37,903
32	प्राइवेट	19,917	-	3,84,203	1,48,906	-	25,000	-	5,78,026	42,16,721	3,19,125	9,04,945	33,11,775
	प्राइवेट कुल	**10,53,925**	**15,73,106**	**21,69,761**	**1,61,768**	**56,306**	**4,77,500**	**3,11,496**	**58,03,861**	**3,87,57,701**	**57,38,824**	**1,85,64,833**	**2,01,92,868**
	डीडीयूजीजेवाई–सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	7,87,685	-	-	-	-
	डीडीजी - सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	16,069	-	-	-	-
	सकल जोड़	**10,53,925**	**15,73,106**	**21,69,761**	**1,61,768**	**56,306**	**4,77,500**	**3,11,496**	**66,07,615**	**3,87,57,701**	**57,38,824**	**1,85,64,833**	**2,01,92,868**

सारणी-5 : डीडीयूजीजेवाई के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण (जिसमें X,XI,XII वीं योजना की परियोजनाएं और नई डीडीयूजेजीवाई शामिल है)

(31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय मापदंड (₹ करोड़ में)						वास्तविक मापदंड (संख्या में)		
		संस्वीकृति (ऋण एवं सब्सिडी)			जारी (ऋण एवं सब्सिडी)			अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवासों को बिजली का कनेक्शन
		ग्रिड परियोजनाएं	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	जोड़	ग्रिड परियोजनाएं	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	जोड़			
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	138.65	2.32	140.97	0	5,500	4,16,593
2	अण्डमान एवं निकोबार	20.96	0	20.96	0	0	0	0	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	0	41.83	41.83	101.33	0	101.33	175	0	0
4	असम	0	0	0	554.83	83.85	638.68	1,218	768	26
5	बिहार	0	0	0	1,388.48	0	1,388.48	556	7,306	7,79,668
6	छत्तीसगढ़	9.48	91.26	100.74	74.93	50.98	125.91	294	949	12,373
7	गोवा	0	0	0	110.41	0	110.41	0	0	0
8	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	27	0	0
11	जम्मू एवं कश्मीर##	0	0	0	104.09	0	104.09	5	25	721
12	झारखंड	25.90	48.98	74.88	362.40	0	362.40	816	1,976	2,687
13	कर्नाटक	0	0	0	147.30	0	147.30	14	0	89,004
14	केरल	0	0	0	137.85	1.38	139.23	0	0	9,097
15	मध्य प्रदेश	20.03	0	20.03	468.34	0	468.34	159	10,007	2,85,163
16	महाराष्ट्र	11.53	0	11.53	257.04	0	257.04	0	0	0
17	मणिपुर	0	0	0	40.20	0	40.20	121	0	0
18	मेघालय	0	32.32	32.32	25.51	0	25.51	681	0	74
19	मिजोरम	0	0	0	15.53	0	15.53	24	0	447
20	नागालैंड	42.18		42.18	22.46	0	22.46	76	0	0
21	ओडिशा		38.29	38.29	1,169.30	0	1,169.30	1,092	2,678	48,592
22	पंजाब	20.15	0	20.15	1.20	0	1.20	0	0	0
23	राजस्थान	0	0	0	360.20	24.68	384.88	253	8,596	89,639
24	सिक्किम	49.70	0	49.70	0	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	0	0	110.34	0	110.34	0	0	1,192
26	तेलंगाना	0	0	0	20.20	0	20.20	0	0	0
27	त्रिपुरा	0	0	0	77.63	0	77.63	17	216	23,221
28	उत्तर प्रदेश	0	0	0	2,454.86	0	2,454.86	162	21,404	4,82,521
29	उत्तराखंड	0	3.30	3.30	21.40	0	21.40	18	0	0
30	पश्चिम बंगाल	0	0	0	272.91	0	272.91	9	3,970	27,238
	उप-जोड़	**199.93**	**255.98**	**455.91**	**8,437.39**	**163.21**	**8,600.60**	**5,717**	**63,395**	**22,68,256**
	अन्य * (राज्य योजना के अधीन)	0	0	0	0	0	0	298	0	0
	कटौती#	0	0	0	0	0	0	0	65	25,493
	सकल जोड़	**199.93**	**255.98**	**455.91**	**8,437.39**	**163.21**	**8,600.60**	**6,015**	**63,330**	**22,42,763**

* राज्य योजना के अधीन 298 गांवों झारखंड (288) और राजस्थान (10) को विद्युतीकृत किया गया है।

(i) अरूणाचल प्रदेश (1), असम (5), जम्मू एवं कश्मीर (7), केरल (37), मध्य प्रदेश(12), राजस्थान (2) और सिक्किम (1) राज्यों में 65 आईई गांवों की कमी शामिल है।

(ii) राज्यों में बीपीएल में कमी 25,493 थी जो अरूणाचल प्रदेश (41), असम (13), जम्मू एवं कश्मीर (8), मध्य प्रदेश(415), नागालैण्ड (75), ओडिशा (6564), राजस्थान (17,996) और पश्चिम बंगाल (381) में थी।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य को डीडीयूजीजेवाई अनुदान में से ₹ 104.09 करोड़ रूपए पीएमडीपी परियोजनाओं के लिए जारी किए गए थे।

सारणी-6 मार्च: 31 मार्च, 2017 तक डीडीयूजीजेवाई (X,XI,XII वीं योजना और नई डीडीयूजीजेवाई सहित) के अधीन संचयी उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय (₹ करोड़ में)		वास्तविक (संख्या)		
		स्वीकृत	जारी	अविद्युतीकृत गांव	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवास
1	आंध्र प्रदेश	1,566.14	732.69	0	21,614	24,14,555
2	अण्डमान एवं निकोबार	20.96	0	0	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	1,456.35	991.71	2,252	1,305	51,621
4	असम	5,819.80	3,575.47	9,819	12,839	12,10,211
5	बिहार	18,405.72	8,657.72	25,596	24,215	40,01,205
6	छत्तीसगढ़	3,190.08	1,411.66	1,986	18,290	11,49,267
7	गोवा	20.01	0	0	0	0
8	गुजरात	1,239.63	481.10	0	16,144	8,42,945
9	हरियाणा	489.07	156.27	0	5,137	1,98,580
10	हिमाचल प्रदेश	456.77	323.40	118	7,896	16,290
11	जम्मू एवं कश्मीर	1,648.65	937.30	246	2,908	69,148
12	झारखंड	8,521.62	3,438.82	19,015	5,634	12,76,404
13	कर्नाटक	2,866.23	1,047.21	69	24,779	9,81,694
14	केरल	703.18	299.41	0	1,087	1,50,305
15	मध्य प्रदेश	7,268.48	3,229.23	1,091	51,686	17,44,129
16	महाराष्ट्र	2,872.22	896.18	0	36,154	12,21,350
17	मणिपुर	697.03	475.32	1,004	1,322	70,307
18	मेघालय	768.22	431.88	2,521	2,947	1,04,457
19	मिजोरम	420.25	319.86	194	517	29,710
20	नागालैंड	443.19	315.52	178	1,152	54,484
21	ओडिशा	9,088.08	5,065.50	16,727	29,947	28,12,621
22	पंजाब	289.89	59.90	0	6,131	92,988
23	पुदुचेरी	20.15	1.20	0	0	0
24	राजस्थान	5,481.62	1,777.53	4,554	43,741	11,90,717
25	सिक्किम	262.15	191.03	25	412	13,601
26	तमिलनाडु	1,306.75	524.91	0	9,673	5,02,394
27	तेलंगाना	782.28	328.43	0	9,176	7,08,865
28	त्रिपुरा	566.36	351.45	167	918	1,43,968
29	उत्तर प्रदेश	22,783.52	9,770.50	29,275	39,524	19,68,738
30	उत्तराखंड	1,638.66	781.26	1,532	10,042	2,37,921
31	पश्चिम बंगाल	7,659.21	3,089.55	4,200	29,373	22,09,725
32	दादर और नगर हवेली	5.00	0	0	0	0
	उप-जोड़	**1,08,757.25**	**49,662.08**	**1,20,569**	**4,14,563**	**2,54,68,200**
	अन्य * (राज्य योजना के अधीन)	0	0	771	0	0
	अन्य डीडीयूजीजेवाई	0	0	819	0	0
	सकल जोड़	**1,08,757.25**	**49,662.08**	**1,22,159**	**4,14,563**	**2,54,68,200**

* राज्य योजना के अधीन 771 गांवों - असम (122), छत्तीसगढ़ (10), झारखंड (615) और राजस्थान (24) को विद्युतीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन सहित उद्योग के परिदृश्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1. व्यापार परिवेश

वैश्विक व्यापार परिवेश

वैश्विक आर्थिक क्रियाकलाप में निवेश, विनिर्माण एवं व्यापार में बहु-प्रतीक्षित चक्रीय सुधार के साथ वृद्धि के संकेत दृष्टिगत हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, वैश्विक समृद्धि 2016 में 3.1% से बढ़कर 2017 में 3.5% होने की प्रवृत्ति दर्शा रहा है तथा 2018 में यह 3.6% होने का अनुमान है। इस ऊर्ध्व प्रवृत्ति के पीछे के कारण अपेक्षाकृत मजबूत क्रियाकलाप, अपेक्षाकृत अधिक मांग की अपेक्षाएं, मुद्रा अवस्फीति का कम दबाव और आशाजनक वित्तीय बाजार है। हालांकि, अपेक्षाकृत ठोस सुधार, निम्न उत्पादकता वृद्धि और उच्च आय असमानता के कारण रुका हुआ है। विकसित अर्थव्यवस्था को अभी भी अनिश्चित नीतिगत दिशा, धीमा निवेश एवं सुस्त उत्पादकता के कारण धीमा विकास एवं कम मुद्रा स्फीति से संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर भी, वैश्विक वित्तीय स्थितियां बाजार की अपेक्षाओं में सुधार के कारण कम रही हैं। वर्तमान में, विश्व को वैश्विक आर्थिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक नीतियों एवं नए बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता है।

उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई), जो उत्पादन एवं खपत की दृष्टि से वैश्विक विकास का प्रायः 75% है, वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ईएमडीई का विकास भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति अर्थात 2016 में 3.5% से बढ़कर 2017 में 4.1% तथा 2018 में 4.5% अनुमानित है। हालांकि, ईएमडीई बाह्य मांग, व्यापार की शर्तों और बाहरी वित्तीय स्थितियों जैसे कारकों से संवेदनशील है। फिर भी, ये अर्थव्यवस्थाएं अपने मानव एवं भौतिक पूंजी में निवेश कर, अपनी नीतिगत एवं संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ बनाकर, व्यापार एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संवर्धन कर एवं उच्च चालू खाता घाटों और बाह्य ऋण के बोझ के कारण जोखिम की संभावनाओं को रोककर बहुत आगे जा सकती है। मध्यम अवधि में, ईएमडीई के विकास से विश्व अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होने की संभावना है।

ऊर्जा के मोर्चे पर, विश्व में हरित ऊर्जा अपनाने के प्रति अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिबद्धता, ऊर्जा कार्यक्षमता पर बढ़ा हुआ ध्यान और विकासशील, अर्थव्यवस्थाओं से बढ़ती हुई मांग के साथ संक्रमण रूप में है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन की आवश्यकताओं के आलोक में, विश्व ऊर्जा मिश्रण सौर बिजली, पवन बिजली एवं पन बिजली जैसे अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं निम्नतर कार्बन वाले ईंधन की ओर तेजी से जा रही है। विश्व अब अपनी ऊर्जा मिश्रण में सभी फॉसिल ईंधनों को एक साथ लेने की स्थिति में इसकी तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से और अधिक क्षमता वृद्धि कर रहा है। पूरे विश्व में सरकारें अपने नागरिकों को सस्ता, विश्वसनीय एवं अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा देने तथा आने वाले वर्षों में इस ग्रह को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी नवीकरणीय ऊर्जा के पर्योग का संवर्धन करने के लिए इसे प्रमुख ध्यान क्षेत्र बना रही है।

भारतीय व्यापार परिवेश

भारत प्रमुख संरचनात्मक सुधार, सामान्य मानसून और घटे हुए बाह्य जोखिम की संभावनाओं के कारण विश्व में तेजी से विकास कर रही उभरती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू खाता घाटा नियंत्रण में रहा है, राजकोषीय घाटों में सुधार हो रहा है तथा विदेशी मुद्रा भंडार सहज स्तरों पर है। सरकार ने राजकोषीय समेकन एवं संरचनात्मक सुधार लागू करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। भारत सरकार की विमुद्रीकरण की कार्रवाई का उद्देश्य काले धन को काबू में करने, आंतकियों को निधि उपलब्ध कराने से रोकने और औपचारिक अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने के रूप में अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकाल में लाभ पहुँचाना है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.2% तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.7% की दर से बढ़ने की संभावना है। भारत मजबूती से विकास कर रहा है और वैश्विक परिदृश्य में इसका एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है जो ठोस व्यापार लाभ, सकारात्मक नीति के संबंध में कार्रवाई, अनेक आपूर्ति की ओर दिए गए उपाय एवं एक सापेक्ष सख्त मौद्रिक रुख के कारण हो रहा है। इसके बावजूद, वित्तीय एवं कारपोरेट क्षेत्र के तुलन-पत्रों पर दबाव, सुस्त निजी निवेश एवं कमजोर बाह्य मांग के रूप में चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि, यह देश दीर्घ अवधि में सतत विकास को सहयोग देने के लिए अत्यधिक कदम उठा रहा है। हाल के समय में वस्तु एवं सेवा कर इस प्रकार का एक ऐतिहासिक सुधार है जिससे भारत का मध्य अवधि में 8% के विकास दर की संभावना है यद्यपि यह लाभ प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। परिसमापन एवं दिवालियापन से संबंधित कानूनों को बनाना, वित्तीय सब्सिडी एवं लाभ के संवितरण के लिए आधार विधेयक बनाना, आदि भी कुछ ऐसी पहलें है जिन्हें पिछले एक वर्ष में किया गया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का कार्य निष्पादन आम तौर पर धीमा बना हुआ है। बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता की स्थिति धीमा वाणिज्यिक बैंकों की बढ़ती हुई गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियों के साथ और खराब हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र की ऋण वृद्धि भी नगण्य रही है। सरकार ने दिवालियापन संहिता लाकर इस क्षेत्र को एक मजबूत नीतिगत बल दिया है, इसके बावजूद दबाव वाली परिसंपत्तियों में वृद्धि एक बड़ी समस्या अब भी बनी हुई है।

2. उद्योग क्षेत्र का ढांचा और विकास

उद्योग क्षेत्र का सिंहावलोकन

विद्युत किसी अर्थव्यवस्था में विकास के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक है। देश में विद्युत क्षेत्र ने पिछले तीन वर्षों में सरकार की अनेक पहलों, पारेषण क्षमता के आधुनिकीकरण के प्रति भारी मात्रा में निवेश और वितरण नेटवर्क, गांवों का विद्युतीकरण और सभी घरों को बिजली देने के बाद, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता एवं खपत स्तरों को बढ़ाने दोनों के मामले में परिवर्तनकारी वृद्धि को देखा है। सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी निर्णायक कदम उठाए गए हैं जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त विद्युत, यूटिलिटी कंपनियों में राजकोषीय अनुशासन, कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वास्तव में, भारत में कोयले के आयातों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 217.78 मिलियन टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 203.95 मिलियन टन एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 190.95 मिलियन टन तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। सरकार निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने के देश के जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते समय कर्ज में डूबी वितरण कंपनियों को लाभप्रद बनाने तथा परंपरागत विद्युत संयंत्रों की प्रचालन संबंधी लागतों को कम करने पर भी कार्य करती रही है। ऊर्जा कार्य क्षमता एवं विपथित ताप विद्युत की परिसंपत्तियों के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं।

देश में पारेषण क्षमता ने ऐतिहासिक वृद्धि देखी है। इसके अलावा, उदय योजना के अंतर्गत, वितरण कंपनियों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय पुनर्गठन ने परिणाम दर्शाना शुरू कर दिया है। साथ ही, सौर एवं पवन बिजली की लागतों में क्रमशः 2.44 रुपए प्रति इकाई तथा 3.46 रुपए प्रति इकाई तक अप्रत्याशित कमी आई है। एक सर्वांगीण नीतिगत बल एवं निवेश में अचानक वृद्धि के साथ, भारत का विद्युत क्षेत्र कमी एवं गुणवत्ता आपूर्ति की कमी की समस्या के हालिया परिदृश्य से निकलकर विद्युत एक्सचेंज पर सस्ती दरों पर वास्तविक समय में उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त बिजली तक पहुँच गया है।

जून, 2017 के अंत में, देश में संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 329.3 गीगावाट थी। कुल 99,209 मेगावाट परंपरागत बिजली 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88,537 मेगावाट की लक्षित क्षमता वर्द्धन की तुलना में बढ़ाई गई थी। भारत सरकार की पहलों का लक्ष्य महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और सौर लागतों का निम्नगामी पथ के साथ-साथ ऊर्जा कार्य क्षमता में सुधार लाना था जिसका कोयले से चलने वाले मौजूदा विद्युत संयंत्रों एवं भविष्य में भी प्रस्तावित ऐसे संयंत्रों पर प्रभाव पड़ा है। भारत में पहली बार, सौर ऊर्जा की अर्थव्यवस्था कोयले से उत्पादित बिजली की अर्थव्यवस्था से अधिक हो गई है और इसके व्यापक प्रभाव को भी पूरे देश में देखा जा सकता है। इसी परिदृश्य के कारण ऐसा हुआ है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अनुमान लगाया है कि 2017-22 की अवधि में कोई कोयला आधारित क्षमता वर्द्धन अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, भारत में कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों की योजनाबद्ध लगभग 13.5 गीगावाट मई, 2017 में रद्द कर दी गई थी।

कोयला आबंटन एवं आपूर्ति की पूरी प्रणाली को ठीक करने के लिए पिछले तीन वर्षों में उठाए गए सहक्रियाशील कदमों के कारण स्पिनिंग भंडार की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है जिससे विद्युत संयंत्रों के पास कोयले की भंडार के अभाव में ग्रिड के ब्रेकडाउन की आशंकाएं कम हो गई हैं। देश विदेशी मुद्रा पर भी भारी बचत कर सकता है जो मौजूदा कोयला आधारित संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले के आयात पर अन्य प्रकार से खर्च हुआ होता।

वित्तीय वर्ष 2016-17 ने 24,761 मेगावाट तक संस्थापित क्षमता में वृद्धि देखी है जिसमें से 58% (14,411 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा से, 31% (7,655 मेगावाट) थर्मल ऊर्जा से आयात और शेष अन्य स्त्रोतों से आई। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पहली बार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता वर्द्धन परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता वर्द्धन से अधिक हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा बढ़कर 57 गीगावाट से अधिक हो गया है जो देश में कुछ संस्थापित विद्युत क्षमता का 17.5% है। सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, वर्ष 2022 तक 225 गीगावाट की स्वच्छ विद्युत क्षमता प्राप्त करने तथा कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 47% तक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

देश की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 3,000 कि.वा. प्रति घंटा से अधिक के विश्व औसत की तुलना में 1,075 कि.वा. प्रति घंटा (वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार) की दर से बहुत कम रहना जारी है। अधिशेष कोयले एवं बिजली के साथ, सरकार ने सभी लोगों को 24x7 विद्युत प्रदान करने के लिए अनेक पहलें की हैं। चूंकि, विद्युत क्षेत्र में सुधार जारी है, अतः भारत विश्व बैंक का वैश्विक विद्युत सुगम्यता रैंकिंग में 99वें स्थान से कई पायदान आगे बढ़कर 26वें स्थान पर पहुँच गया है।

उद्योग क्षेत्र का ढांचा

उत्पादन

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 326.8 गीगावाट थी जिसमें यह राज्य क्षेत्र में 1,03,967 मेगावाट (31.8%), केंद्रीय क्षेत्र में 80,257 मेगावाट (24.6%) और निजी क्षेत्र में 1,42,624 मेगावाट (43.6%) थी। देश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 59.8% था और निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए यह 55.7% था। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, टाइप से उत्पादन क्षमता के संबंध में संस्थापित थर्मल क्षमता 2,18,330 मेगावाट (66.8%) थी, संस्थापित हाइड्रो क्षमता 44,478 मेगावाट

(13.6%) थी और नवीकरणीय ऊर्जा में संस्थापित क्षमता 57,260 मेगावाट (17.5%) थी। नाभिकीय क्षमता में वर्ष 2016-17 के दौरान 1000 मेगावाट की वृद्धि हुई जो 6780 मेगावाट (2.1%) थी।

देश में विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 4.7% के समग्र विकास की दर से बढ़ा और वर्ष 2017 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन राजकोषीय वर्ष में 1107.4 बीयू की तुलना में 1159.8 बिलियन यूनिट (बीयू) थी। राजकोषीय वर्ष 2017 के लिए सकल विद्युत आपूर्ति घाटा गिरकर 0.7% हो गया जो पिछले राजकोषीय वर्ष में सूचित 2.1% का एक तिहाई है। उसी प्रकार से, अधिकतम विद्युत घाटा भी घटकर 1.6% हो गया जो पिछले राजकोषीय वर्ष में सूचित किए गए आंकड़ों का आधा है और इस प्रकार से विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार दृष्टिगत हुआ।

वर्ष 2014 तक, विद्युत क्षेत्र अभिज्ञात परियोजनाओं को दीर्घ अवधि कोयला लिंकेज का स्लिपेज, कैप्टिव कोयला खान ब्लॉकों से योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता, स्वदेशी कोयला और गैस का उत्पादन बढ़ाने में असमर्थता, आयात किए जाने वाले ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, भूमि अधिग्रहण, अनुसंधान एवं विकास तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों आदि जैसी प्रमुख बाधाओं के कारण कठिन दौर से गुजर रहा था। लगभग 33,000 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, जिसमें 18,000 मेगावाट से अधिक पहले ही चालू हो गए है, के पास अभी भी दीर्घ अवधि विद्युत खरीद करार वर्तमान में नहीं है। इन मुद्दों का समाधान निकालने के लिए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पारदर्शी नीलामी मार्ग से कोयले की खानों का आबंटन, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) द्वारा समर्थित सब्सिडी युक्त आयात किए गए गैस आपूर्ति के माध्यम से 30% से कम पर प्रचालित गैस आधारित विपथित परियोजनाओं को गैस की घरेलू आपूर्ति जैसे सह-क्रियाशील प्रयास एवं पहल, राज्य यूटिलिटी कंपनियों के प्रचालन के अधीन रुग्ण एककों का अधिग्रहण करने के लिए तथा स्वदेश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए हैं।

परिणाम स्वरुप स्वदेशी कोयले के उत्पादन में वृद्धि, आयात किए गए कोयले की मात्रा में कमी के रूप में देखा जा सकता है जिसके फलस्वरूप, कोयले की लागू कीमतों में कमी तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के बाहर जाने में बचत हुई है। 100% तोड़े हुए तथा धुले कोयले की आपूर्ति करने, कोयले आबंटन का युक्तिकरण, कोयले के लिंकेज को अकार्यक्षम से कार्यक्षम संयंत्रों में अंतरित करने, सकल कैलोरी वाले मूल्य (जीसीवी) आदि के आधार पर कोयले की गुणवत्ता की जांच आदि कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जो संयंत्रों के प्रभावी प्रचालन में सहायक होगा तथा काफी हद तक कार्बन के बाहर निकलने में कमी लाएगा। बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे निधि प्रदान करने तथा दबाव युक्त परिसंपत्ति से संबंधित मुद्दों का बल करने के एक प्रयास में परियोजना की प्रगति एवं उसे चालू करने में बाधक बनने वाले मुद्दों का समाधान तेजी से करने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य उल्लेखनीय पहलों में इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा पर सतत ध्यान, सरकारी स्थलों अर्थात रेलवे, रक्षा आदि पर स्वयं के बल पर विकास करने वाले सौर ऊर्जा संस्थापना मॉडलों के विकास के लिए समर्थ बनाने वाले उपकरणों को लागू करना, सभी बड़ी एवं छोटी पन बिजली परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए नीतिगत कदम, 11.6 गीगावाट से अधिक की विपथित पन बिजली क्षमता का पुनरुद्धार, त्वरित स्वीकृति तथा ईंधन लिंकेज प्राप्त करने के लिए विकासकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना, मौजूदा स्वदेशी विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करना तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना शामिल है।

पारेषण एवं वितरण

पारेषण

पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) उद्योग में वर्तमान परिदृश्य बहुत उत्साहजनक और गतिशील है। विद्युत क्षेत्र में विकास घटनाक्रम प्राथमिकता के आधार पर नेशनल ग्रिड के तेज गति से कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देती है ताकि विद्युत के निर्धारित/अनिर्धारित आदान-प्रदान को सक्षम बनाया जा सके और साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को सहयोग करने के लिए खुली पहुँच प्रदान की जा सके। सरकार बढ़ते हुए रूप में ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण के आदर्शतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल ग्रिड की क्षमता में वृद्धि करने हेतु अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय कड़ियों को स्थापित करने के लिए पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

देश में पारेषण एवं वितरण प्रणाली में तीन स्तरीय एकीकृत ढांचे के रूप में क्षेत्रीय ग्रिड, राज्य ग्रिड और वितरण नेटवर्क होता है। पांच क्षेत्रीय ग्रिड, जिनका कंफ्रीग्रेशन भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया है, विद्युत अधिशेष राज्य से विद्युत घाटे वाले राज्य में विद्युत के अंतरण को सक्षम बनाती है। क्षेत्रीय ग्रिड अनुरक्षण और आउटेज के आदर्शतम समय निर्धारण एवं विद्युत संयंत्रों के बीच बेहतर समन्वय को सुकर बनाती है। क्षेत्रीय ग्रिड, राष्ट्रीय ग्रिड की एक एकीकृत ग्रिड के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत को फिर से एक अन्य क्षेत्र, जहां विद्युत की कमी है, को निर्देशित किया जा सकता है और इस प्रकार से राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का एक आदर्शतम उपयोग की अनुमति प्राप्त होती है। अंतर्क्षेत्रीय ग्रिड की संयोजकता ने लचीलापन दिया है और इससे इस प्रणाली को उबरने की क्षमता प्राप्त हुई है।

इस देश में राष्ट्रीय ग्रिड अब विश्व में एक सबसे बड़े प्रचालित समतुल्य ग्रिडों में से एक है। राष्ट्रीय ग्रिड को भूटान और नेपाल से भी जोड़ा गया है और इसे बांग्लादेश से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, भारत ने विद्युत के एक निवल आयातक से विद्युत के एक निवल निर्यातक तक अपने आप में सुधार लाया है। अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017 के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को लगभग 5,798 मिलियन यूनिट (एमयू) का निर्यात किया है जो भूटान से लगभग 5,585 मिलियन यूनिट के आयात से 213 मिलियन यूनिट अधिक है। नेपाल और बांग्लादेश को बिजली के निर्यात में पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 2.5 गुना और 2.8 गुना वृद्धि हुई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के भार में वृद्धि और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के वर्तमान अनुमानों के आधार पर विश्लेषण और अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रमुख उच्च क्षमता वाले पारेषण कॉरीडोर (जिसकी योजना पहले ही बना ली गई है और जो कार्यान्वयन के अधीन है) वर्ष 2021-22 में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के आयात/निर्यात को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा और यह कि इसके अलावा उच्च क्षमता पारेषण प्रणाली की आवश्यकता जब कभी उनकी योजना बनाई जाएगी तब उच्च क्षमता उत्पादन परियोजनाओं, यदि कोई हो, के लिए होगी।

प्रमुख प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को देश में इस प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत एकीकृत ग्रिड नेटवर्क का निर्माण करने और उसे प्रचालित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो देश के एक भाग से बिजली की बहुत अधिक मात्रा में अंतरण एक दूसरे भाग में करने की अनुमति देगा। इस प्रकार का एक उपाय अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र का विकास नवीकरणीय उत्पादन एकीकरण और प्रचालन का प्रबंध करने के लिए है जिसमें ऊर्जा संतुलन और उत्पादन के निर्धारण के पूर्वानुमान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा से अनेक क्रियाकलाप शामिल होंगे।

राजकोषीय वर्ष 2017 के अंत में, देश में पारेषण लाइनों की कुल लंबाई कुल मिलाकर लगभग 3.67 लाख सर्किट किलोमीटर थी जो पिछले राजकोषीय वर्ष के अंत में लगभग 3.41 लाख सर्किट किलोमीटर की तुलना में अधिक है। कुल 26,300 सर्किट किलोमीटर राजकोषीय वर्ष 2017 में पारेषण क्षमता में जोड़ी गई थी। सरकार की "एक राष्ट्र एक ग्रिड" पहल के अनुरूप, राजकोषीय वर्ष 2017 के अंत में कुल सब-स्टेशन परिवर्तन क्षमता 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी की तुलना में 7.39 लाख एमवीए थी जो पिछले राजकोषीय वर्ष के अंत में 6.58 लाख एमवीए की कुल क्षमता से 12.4% अधिक थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 81,816 एमवीए से अधिक सब-स्टेशन क्षमता में वृद्धि की गई है। कुल 1.44 लाख एमवीए सब-स्टेशन क्षमता पिछले दो वर्षों में बढ़ाई गई है जो किसी दो लगातार वर्षों में सबसे अधिक रही है। देश की कुल अंतर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 220 केवी और उससे अधिक के स्तर पर राजकोषीय वर्ष 2017 के अंत में 75,050 मेगावाट के रूप में है।

वितरण

वितरण क्षेत्र, जो उत्पादन-पारेषण-वितरण श्रृंखला में राजस्व का सृजन करने वाली कड़ी है, पर विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में माना गया है। वितरण विभिन्न आर्थिक वर्गों से संबंधित उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण अंतिम मील संयोजकता प्रदान करती है। यह क्षेत्र घाटा उठाता रहा है, जिससे नीति निर्माताओं के लिए राज्य वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को कार्यक्षम बनाने के लिए विभिन्न उपाय करने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। यद्यपि, अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड को अलग-अलग कर दिया गया है, फिर भी वितरण अभी भी अधिकांश तौर पर सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। विनियामक पर्यवेक्षण के अंतर्गत ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर इन कंपनियों को अलग-अलग करना और इनके प्रचालन के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में परिणाम उत्साहजनक नहीं रहे हैं। औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एपीआर) के बीच बढ़ते हुए अंतर के फलस्वरूप इन यूटिलिटियों की निवल पूंजी में और अधिक कमी आई थी। हालांकि, शुल्क में परिवर्तन, राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), जिसने सकारात्मक परिणाम दर्शाना शुरू कर दिया है, जैसी ठोस सुधार पहलों के साथ यह कहा जा सकता है कि इन वितरण कंपनियों के कार्य निष्पादन में अब सुधार हो रहा है।

भारत सरकार ने नवंबर, 2015 में इन वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों को ऋण के लायक बनाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की है जिसमें अलग-अलग राज्य सरकार वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों के ऋणों का अधिग्रहण करेगी ताकि ये वितरण कंपनियां/यूटिलिटियां अपनी भावी पूंजी व्यय कार्यक्रमों को शुरू कर सकती हैं।

यह कंपनी विद्युत मंत्रालय के समन्वय से देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने और इसका सर्वांगीण विकास करने के लिए एनईएफ, डीडीयूजीजेवाई, उदय आदि जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर प्रमुख पहले किए हैं। तकनीकी हस्तक्षेप जैसे फीडर पृथक्करण योजना का कार्यान्वयन, वितरण नेटवर्क में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस), स्मार्ट ऊर्जा मीटर जैसे स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) की संस्थापना, जिसमें दो तरह से वास्तविक समय वाली डिजीटल कम्युनिकेशन का 100% कवरेज हो तथा दूर से ही मीटर रीडिंग की सुविधा हो, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करने के साथ-साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे तकनीकी हस्तक्षेप से कम लागतों में न्यूनतम घाटे के साथ बिजली की सुरक्षित और विश्वसनीय सुपुर्दगी सुनिश्चित होगी। उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच दो तरह से संचार प्रदान करने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों की तैनाती से उस तरीके में पूर्ण बदलाव आएगा जिस तरह से बिजली का उपयोग किया जाता है और उसकी सुपुर्दगी की जाती है। इन पहलों से भारत सरकार के सभी के लिए बिजली देने के संकल्प को प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, इन कदमों से उच्च पारेषण और वितरण घाटे, विनियामक संस्थाओं की आदर्शतम आंतरिक कार्य प्रणाली, शुल्क असंतुलन आदि जैसी प्रमुख चुनौतियों पर विजय पाने में सहायता मिलेगी और उसके द्वारा वितरण क्षेत्र के सर्वांगीण सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः कंपनी उस स्थिति में एक बेहतर और सुधरे हुए वितरण परिदृश्य के प्रति आशावान है जब इन सुधारों के परिणाम आने शुरू होंगे और वितरण क्षेत्र का सम्पूर्ण परिदृश्य बदल जाएगा। यह भी अनुमान लगाया गया है कि वितरण प्रणाली में वृद्धि करने के लिए इस क्षेत्र के लिए मांग की ओर प्रबंधन (डीएसएम) और ऊर्जा कार्य क्षमता के प्रति निर्देशित निवेशों के साथ-साथ भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। यह कंपनी इस क्षेत्र की भावी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

विद्युत क्षेत्र की नीति से संबंधित परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करने, क्षमता में वृद्धि करने और पारेषण, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय किए हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने इस क्षेत्र को शासित करने वाली कानूनी ढांचों में आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं जिससे पूंजी की व्यवस्था करना आसान हो गया है और इसके द्वारा यह संभव हो गया है कि वृहद विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किया जाए। इस कानून ने पूर्व के कई कानूनों का स्थान ग्रहण किया और इसने बहु क्रेता और बहु विक्रेता प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही इसने लाभ की दर से संबंधित विनियमों से बाधित हुए बिना शुल्कों के निर्धारण में विनियामक व्यवस्था की स्वायत्ता में वृद्धि की है। इसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय शुल्क नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पावर नीति की अधिसूचना की गई है।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य चालन और कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसमें कोयला ब्लॉक के आबंटन की प्रक्रिया को कार्यरत बनाना, कोयले की उपलब्धता और आपूर्ति में सुधार, खान और संयंत्र के लिए कोयले की गुणवत्ता की जांच, कोयले के वाशरियों में कोयले को सुंदर बनाना, कोयला लिंकेज को फिर से परिभाषित करना तथा कोयले की खानों की स्वैपिंग शामिल है।

जल विद्युत मोर्चे पर, सरकार भारत में विशेषकर हिमालयी राज्यों में जल विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए वर्ष 2008 में जल विद्युत विकास के संबंध में नीति लाई है। विद्युत के सबसे सस्ते स्रोत होने के बावजूद, जल विद्युत का उपयोग इसकी पूरी संभावना तक नहीं किया गया है क्योंकि अनेक जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मुद्दों और न्यायालय के फैसलों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बहुत अधिक विलंब हो रहा है और कार्य रुक रहा है। इस क्षेत्र में संकुचन अपेक्षाकृत अधिक पूंजी लागतों, लंबी गेस्टेशन अवधि, विकास से संबंधित मुद्दे और भू-विज्ञान संबंधी बाधाओं के कारण कम रही है। इस समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें उल्लेखनीय रूप से 2022 तक प्रतिस्पर्द्धी बोली से जल विद्युत परियोजनाओं को छूट देना, ह्रास की दरों और दिन के शुल्क का समय में विकासकर्ताओं को लचीलापन प्राप्त करने की अनुमति देना तथा दीर्घ अवधि के पीपीए को सामान्य रूप से अनुमत्य 35 वर्षों से अधिक अतिरिक्त 15 वर्ष तक देने के लिए वितरण लाइसेंस की अनुमति देना शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 175 गीगावाट क्षमता वर्धन का लक्ष्य तय किया है। इसमें सौर ऊर्जा (100 गीगावाट), पवन ऊर्जा (60 गीगावाट), बायोमास ऊर्जा (10 गीगावाट) और लघु जल विद्युत परियोजनाओं (05 गीगावाट) का हिस्सा शामिल है। प्रमुख ध्यान स्पष्ट रूप से खत्म हो रहे फॉसिल ईंधन तथा ताप विद्युत संयंत्रों की पर्यावरण संबंधी खतरों के आलोक में अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा पर है। एक हरित ऊर्जा कॉरीडोर परियोजना की योजना नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गई है जो अतिरिक्त और समुचित पारेषण क्षमता के सृजन के साथ भार केंद्रों तक उत्पादन स्थान से नवीकरणीय ऊर्जा को खाली कराकर लीज के स्थायित्व को सुनिश्चित करेगा।

सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहल और नीतिगत उपाय जैसे विद्युत अधिनियम में उपयुक्त संशोधन और आरपीओ को मजबूत तरीके से लागू करने के लिए शुल्क नीति और आरजीओ प्रदान करने, अनन्य सौर पार्कों की स्थापना, हरित ऊर्जा कॉरीडोर के माध्यम से विद्युत पारेषण नेटवर्क का विकास, रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े-बड़े सरकारी परिसरों/भवनों की पहचान, रूफ टॉप सौर ऊर्जा बनाना और मिशन विवरण के अंतर्गत 10% नवीकरणीय ऊर्जा को अनिवार्य बनाना और स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए दिशा-निर्देश, नए निर्माण में रूफ टॉप सौर ऊर्जा का प्रावधान अथवा अपेक्षाकृत अधिक फ्लोर एरिया रेशियो को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उप नियमों में संशोधन, सौर विद्युत परियोजनाओं को अवसंरचना का दर्जा देना, कर मुक्त सोलर बांड निकालना, इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत लंबे समय का ऋण प्रदान करना, रूफ टॉप सौर ऊर्जा को बैंकों द्वारा आवास ऋण का एक भाग बनाना और द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से निधियों को प्राप्त करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरित जलवायु निधि जैसे अनेक पहलें की गई हैं।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन

नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा के विकास पर विशेष बल देते हुए तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। सौर क्षमता में वृद्धि पर नए बल को राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन में प्रदर्शित किया जाता है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। इस लक्ष्य में मुख्य रूप से रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजना के माध्यम से 40 गीगावाट और वृहद एवं मध्यम आकार की ग्रिड से जुड़े हुए सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 60 गीगावाट शामिल होगी। इस लक्ष्य के साथ यह देश विश्व में सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक बन जाएगा। 100 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता की स्थापना करने के लिए कुल निवेश 6 लाख करोड़ रुपए होने की आशा है जो आपकी कंपनी को एक उत्कृष्ट निधि प्रदान किए जाने का अवसर प्रदान करता है। एक निवेशक अनुकूल तंत्र स्थापित करने तथा देश में सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए एक आकर्षक, भविष्यवाणी योग्य और समुचित शुल्क प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रूफ टॉप सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप में किया जा रहा है। वृहद सरकारी संस्थापनाओं जैसे रेलवे, रक्षा आदि को अपनी भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा के समर्पित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे ग्रिड पर उनकी निर्भरता भी कम

हो जाएगी। एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास देश में सौर पार्कों का विकास करना है। ऐसी योजना बनाई गई है कि भारत सरकार की अवसंरचनात्मक सहयोग से प्रत्येक के लिए 500 से अधिक मेगावाट की 25 अल्ट्रा मेगा सौर परियोजनाओं सहित विभिन्न राज्यों में 34 सौर पार्कों का विकास किया जाए। केवल इन पार्कों में 40 गीगावाट सौर विद्युत उत्पन्न होगी। इसके अलावा, 56 "सोलर सिटी" परियोजनाओं का अनुमोदन अब तक "सोलर सिटीज कार्यक्रम का विकास" के अंतर्गत 60 की योजना की तुलना में किया गया है।

सौर विद्युत में शुल्क में ऐतिहासिक कमी आई है। ई-रिवर्स नीलामी मार्ग को सर्वोत्तम शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था तथा आज सौर विद्युत शुल्क घटकर 2.44 प्रति इकाई हो गया है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) से 3,419.47 करोड़ रुपए के अंशदान सहित 8,548.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 07 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में लगभग 17,100 एमवीए की कुल परिवर्तन क्षमता के साथ एक अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के सृजन का अनुमोदन किया है। एक अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के सृजन से उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों तक नवीकरणीय विद्युत को खाली कराया जाना आसान हो जाएगा।

सरकार ने राज्य नोडल एजेंसियों और नाबार्ड के माध्यम से सिंचाई और पीने के पानी के लिए एक लाख सौर पंप संस्थापित करने के लिए एक योजना को कार्यान्वित किया है। ये पंप लाखों किसानों को अपना उत्पादन तथा आय बढ़ाने में सहायक होंगे और पीने के लिए पानी मुहैया कराने में सहायक होंगे। तद्नुसार, सौर पंपों के माध्यम से 7.6 लाख से अधिक परिवारों के पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सोलर पंपों की संस्थापना के लिए किसानों को 30% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

उपर्युक्त पहलों के अलावा, सौर ऊर्जा क्षेत्र राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (आरपीओ) में अनिवार्य सौर संघटक से लाभ प्राप्त करेगा। इसके अलावा, "ऑफ ग्रिड और विकेंद्रीकृत सोलर एप्लिकेशन" को भी आत्मनिर्भरता के प्रति एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग आदि में उत्पादक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में बिजली उपलब्ध करके त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

विद्युत मंत्रालय ने 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" (डीडीयूजीजेवाई योजना) शुरू की है जो एक एकीकृत योजना है जिसमें ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलू शामिल हैं। डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत, इस परियोजना की लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 15% तक अतिरिक्त अनुदान (विशेष राज्यों के लिए 05%) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है। पूर्व की सभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अर्थात आरजीजीवीवाई सहित) को डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन डीडीयूजीजेवाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

डीडीयूजीजेवाई भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो समग्र ग्रामीण विकास को पूरा करती है और परिभाषित परियोजना संघटकों के माध्यम से देश में "सभी के लिए 24x7 विद्युत" के कार्य को आसान बनाती है। इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सभी स्टेकहोल्डरों विशेषकर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को पहले ही संसद के वरिष्ठतम सदस्य की अध्यक्षता में जिला विद्युत समितियों (अब दिशा) के गठन के माध्यम से संस्था का रूप दिया गया है। दिशा को डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने और उसकी समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

15 अगस्त, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि देश में शेष सभी 18,452 विद्युत से वंचित ग्रामों में 1000 दिनों के भीतर बिजली पहुँचाई जाएगी। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत से वंचित सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्यों को मिशन के रूप में लिया है और यह कार्य आरईसी को विद्युत से वंचित गांवों के विद्युतीकरण कार्य की मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा गया है। विद्युत से वंचित ये गांव ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और जहां के क्षेत्र मुश्किल हैं, जहां का तापक्रम बहुत अधिक है, और इन क्षेत्रों को मार्गाधिकार के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है और इन क्षेत्रों में आतंकवाद फैला हुआ है। प्रत्येक ग्राम, जिसके अंतर्गत समग्र ग्राम विद्युतीकरण प्रक्रिया को 12 लक्ष्यों में बांटा गया है, की नियमित प्रगति प्राप्त करने के लिए एक नया मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा, "ग्राम विद्युत अभियंता" (जीवीए) अर्थात युवा वैद्युत अभियंताओं की नियुक्ति प्रखंड या जिला स्तर पर की गई थी तथा एक ऑनलाइन एप्लिकेशन "गर्व ऐप" का विकास ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति का पारदर्शी और जिम्मेदार मॉनीटरिंग के लिए किया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा, घरों के विद्युतीकरण पर अब बल दिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, अद्यतित गर्व ऐप सभी 5.97 लाख ग्रामों में ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग के लिए दिसंबर, 2016 में शुरू किया गया था। इसके अलावा, पोर्टल में संवाद नामक एक फीचर आम जनता को अपने प्रश्न पूछने के लिए तथा डिस्कॉम के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आसान बनाने हेतु प्रदान किया गया है और इस प्रकार से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व स्थापित होगा।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम

भारत सरकार ने दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के उप वितरण और वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस स्कीम) का अनुमोदन किया था जिसमें एक पृथक संघटक के रूप में आईपीडीएस कार्यक्रम को आर-एपीडीआरपी के लिए अनुमोदित परिव्यय को अगले वर्ष ले जाकर 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए (i) उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और (iii) वितरण क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी से समर्थ बनाना तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना शामिल है। इस प्रयोजन से आर-एपीडीआरपी की पूर्व की योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के वित्तपोषण का पैटर्न वही है जो डीडीयूजीजेवाई योजना के वित्तपोषण का पैटर्न है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) वित्तीय वर्ष 2012-13 में देश में वितरण अवसंरचना में निवेश करने के लिए विद्युत वितरण यूटिलिटीयों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी ताकि वितरण से संबंधित घाटे कम हो सकें तथा डिस्कॉम द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज पर सब्सिडी प्रदान कर यूटिलिटियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत यूटिलिटियों/डिस्कॉम सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में सुधार से संबंधित मानदंडों में प्राप्त प्रगति के आधार पर ब्याज दरों पर सब्सिडी के लिए पात्र हैं। आरईसी वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण परियोजनाओं, जिन पर ब्याज सब्सिडी 14 वर्षों तक दी जाएगी, के लिए एनईएफ योजना के लिए नोडल एजेंसी है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में "उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना" (उदय योजना) की घोषणा की जिसका लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सर्वांगीण सुधार एवं पुनरुद्धार करना है और साथ ही डिस्कॉम की समस्याओं का एक सतत स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है जो 4.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण और 3.8 लाख करोड़ रुपए के संचयी घाटे के अंदर दबे हुए थे। इस योजना को प्रारंभ किए जाने के माध्यम से, डिस्कॉम को निम्नलिखित चार पहलों के माध्यम से 2-3 वर्षों में घाटे से उबरने का अवसर प्रदान किया जाता है:

i. डिस्कॉमों की प्रकार्यात्मक दक्षता में सुधार करना;

ii. बिजली की लागत को कम करना;

iii. डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना;

iv. राज्य वित्त व्यवस्थाओं के साथ संपर्क करके डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लाना।

26 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्र ने इस योजना में भाग लिया है और इनमें से 16 राज्यों ने वित्तीय पुनर्गठन के लिए भाग लिया है जबकि 10 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्र ने प्रचालन संबंधी सुधार के लिए ही भाग लिया है। 2.32 लाख करोड़ रुपए के बांड राज्यों और डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य डिस्कॉम के ऋण का 2.09 लाख करोड़ रुपया अपने ऊपर लेगा।

आरईसी उदय स्कीम के लिए समन्वय करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। आरईसी ने राज्य डिस्कॉम के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए एक अत्याधुनिक वेब पोर्टल और एक ऑनलाइन ऐप विकसित किया है। इसके फलस्वरूप, डिस्कॉम के प्रचालन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी तथा यह राज्यों द्वारा मॉनीटरिंग और सुधारात्मक उपाय किए जाने के लिए एक प्रभावी उपकरण होगा। आरईसी प्रत्येक राज्य/डिस्कॉम के साथ समीक्षा/संकेंद्रित बैठक के लिए सभी क्रियाकलापों का समन्वय करता रहा है। सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति समय-समय पर डिस्कॉम के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है।

अत्यधिक सकारात्मक परिणाम डिस्कॉम के लिए उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद आना शुरू कर दिया है। औसत एटीएंडसी हानियों तथा एसीएस और उदय राज्यों के एआरआर के बीच अंतर में गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है। इन लाभों के अलावा, अपेक्षाकृत कम ब्याज बोझ भी डिस्कॉम के लिए अपेक्षाकृत बेहतर लाभ के प्रति अंशदान कर रहा है।

सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति

"सभी के लिए सस्ते एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति" एक योजना है जिसे सरकार द्वारा देश में ऊर्जा कार्य क्षमता में संवर्धन करने के उद्देश्य से एलईडी बल्बों के साथ (लाइट एमिटिंग डायोड) के साथ 77 करोड़ इंकेंडिसेंट लैम्पों का प्रतिस्थापन करने के लिए मई, 2015 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत, एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), जो आरईसी तथा विद्युत क्षेत्र के तीन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है, घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है। एलईडी का अपेक्षाकृत लम्बा जीवनकाल होता है और यह इंकेंडिसेंट बल्ब तथा सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प) की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा बचत करती है और इस प्रकार से मध्यम अवधि में ऊर्जा एवं लागत दोनों में बचत होती है। निजी कंपनियों द्वारा 33 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाने के अलावा लगभग 23 करोड़ एलईडी बल्ब सरकार द्वारा बांटे गए हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई।

पारदर्शिता और ऑनलाइन ऐप

पारदर्शिता को विगत हाल में लिए गए सभी प्रमुख विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधार पहलों में प्रमुख स्थान दिया गया है। विद्युत मंत्रालय के कार्य चालन और कार्य निष्पादन तथा इसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधार संबंधी पहलों के प्रभाव का पता लगाने के लिए स्टेकहोल्डरों को अधिकार प्रदान करने हेतु विभिन्न मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट शुरू की हैं। इनमें "गर्व ऐप" जो विद्युत से वंचित ग्रामों और घरों में विद्युतीकरण से संबंधित कार्य की अद्यतन स्थिति बताता है; "उदय ऐप", जो उदय योजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत कराता है; "उजाला ऐप" जो एलईडी बल्ब के वितरण के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराती है; "विद्युत प्रवाह ऐप" जो विद्युत की कीमत एवं उपलब्धता के संबंध में वास्तविक सूचना प्रदान करता है; "ऊर्जा ऐप" जो उपभोक्ता की संयोजकता को शहरों में डिस्कॉम के कार्य निष्पादन को दर्शा कर बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है तथा आईपीडीएस के संबंध में आंकड़े देता है; "तरंग ऐप" जो भारत में पारेषण प्रणाली की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है; और "ऊर्जा मित्र ऐप" जो नागरिकों को डिस्कॉम की वास्तविक एवं ऐतिहासिक आउटेज से संबंधित सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, शामिल है।

उपर्युक्त नीतियों और पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में सुधार लाने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए हैं, जैसे बढ़ी हुई ऊर्जा कार्य क्षमता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई); निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी योजना) और ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी) आदि। सरकार के पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रति किए गए प्रयासों के साथ-साथ यह पहल विद्युत क्षेत्र को इसे निकट भविष्य में एक आकर्षक निवेश स्थल बनाकर फिर से परिभाषित करेगी।

3. अवसर

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, कोई नई परंपरागत उत्पादन क्षमताओं की आवश्यकता 2017-22 की अवधि में नहीं है। फिर भी, यह अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख करोड़ रुपए की निधि निर्माणाधीन उत्पादन क्षमता के लिए इस अवधि के दौरान अपेक्षित होगी। यह अनुमान किसी क्षेत्र के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बाद बढ़ने की भी आशा है। वितरण क्षेत्र में, जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है, धीरे-धीरे सरकार के नीतिगत उपायों जैसे डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एनईएफ, उदय और उजाला की सहायता से सुधार हो रहा है।

सरकार की ऊर्जा दृष्टिकोण कोयले की खानों की नीलामी के साथ प्राथमिक ईंधन क्षेत्र का जीर्णोद्धार, रोशनी से लेकर परिवहन तक के क्षेत्रों में ऊर्जा कार्य क्षमता की आवश्यकताओं का समाधान करने और देश के ऊर्जा मिश्रण में परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट बिजली बढ़ाकर नवीकरणीय ऊर्जा पर एक प्रमुख बल देने जैसे चालू उपायों में दर्शाया गया है। स्वच्छ ऊर्जा पर बढ़ते हुए बल के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आने वाले समय में विकास के सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। हरित ऊर्जा कॉरीडोर, जिसकी योजना अनन्य रूप से इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए बनाई गई है, भी कंपनी को एक बहुत अधिक व्यापार अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, विद्युत की निकासी, पुराने ताप विद्युत संयंत्रों का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा भंडारण प्रौद्योगिकी, ई-मोबिलिटी आदि जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में बड़े अवसरों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, स्मार्ट सिटीज अर्थात वे शहर जो स्मार्ट प्रणाली एवं उनकी संबद्ध सहायक सेवाओं के मजबूत ढांचे पर चलेगी, से भी यह अपेक्षित है कि वह नए निवेश अवसरों के सम्पूर्ण क्षेत्र का सृजन करेगा।

सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर आरईसी भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई योजना के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण की जिम्मेदारी में योगदान कर रही है। डीडीयूजीजेवाई निधि की मॉनीटरिंग और उसे सही माध्यम से खर्च करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी ईमानदारी से भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के मिशन में सहायता करती है।

अपनी दीर्घस्थायी रणनीतिक स्थिति और विद्युत क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ आरईसी देश में प्रमुख सरकारी सुधारों और प्रति व्यक्ति बिजली की मांग में वृद्धि से उत्पन्न आर्थिक विकास द्वारा प्रस्तुत किए गए मौजूदा और उभरते हुए अवसरों के लिए पूर्णतया तैयार है।

4. खतरे, जोखिम और चिंताएं

बहुत बड़ी विद्युत परियोजनाओं, गैर-निष्पादन वाली बढ़ती हुई परिसंपत्तियों (एनपीए) का परिदृश्य, विमुद्रीकरण के बाद बैंकों के पास अधिशेष निधि, धीमे विनिर्माण क्षेत्र के विकास के कारण आशा से कम ऋण की मांग, टेक आउट वित्तपोषण और पुनः वित्तपोषण मामलों की अपेक्षाकृत उच्च संभावना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जिसके लिए एक लघु गेस्टेशन अवधि होती है, का वित्तपोषण विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण उद्योग को बढ़ते हुए रूप में प्रतिस्पर्द्धी और व्यापक रूप से आधारित बनाता है। हाल में नई कंपनियों, विशेष रूप से उद्यम पूंजी (वीसी) निवेश तथा निजी इक्विटी (पीई) निधियों के रूप में नए और आक्रामक हित इस कंपनी को एक कठोर चुनौती पेश करता है। ब्याज दर व्यवस्था में गिरावट हो रही है और आशा है कि यह निकट भविष्य में वैसा ही रहेगा जिसके फलस्वरूप इस कंपनी के लिए प्रतिस्पर्द्धा और अधिक कठोर हो जाएगी।

अपने आप में विद्युत क्षेत्र के पास अनेक उच्च जोखिम हैं और साथ ही अवसंरचना परियोजना के अनेक साझा मुद्दे, अपेक्षाकृत लम्बी समयावधि और गतिशील नीतिगत परिवेश है। औसत राष्ट्रीय पीएलएफ कम रहा है और राज्य डिस्कॉम की मांग बहुत कम रही है। जबकि डिस्कॉम द्वारा हाल में कोई दीर्घावधि वाला ऋण पीपीए जारी नहीं किया गया है फिर भी विद्युत एक्सचेंज में शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है जिसके फलस्वरूप प्रचालन संबंधी परिसंपत्तियों पर दबाव देखा जा रहा है। चिंता का एक अन्य कारण निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्रमोटरों की इक्विटी संबंधी

बाधा है जिसके फलस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब तथा परिणामी लागत एवं समय आधिक्य उत्पन्न होता है। अपने ऋण से संबंधित दायित्वों को पूरा करने में ऋण प्राप्त करने वाले की असफलता का कंपनी के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे परिसंपत्तियों पर दबाव बन सकता है और कंपनी की निम्न लागत वाली निधियों को प्राप्त करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अपने ऋण प्राप्त करने वालों पर कंपनी का अनुभव और विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर विचार करते हुए, कंपनी के खतरे की समझ सामान्य रूप से अधिक है।

यह कंपनी अगले पांच वर्षों में मौजूदा अनुभव मानदंड, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति, बाजार में नई कंपनियों का प्रवेश, बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा, अनिश्चित बाजार परिवेश, रुपए में उतार-चढ़ाव, अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण पूंजी की लागत में वृद्धि की संभावना, बिजली की कम मांग और परंपरागत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की कोई संभावना नहीं होने के बारे में भी चिंतित है। इसके अलावा, देश में व्यापार और नीतिगत परिवेश की स्थिति का भी ब्याज दर व्यवस्था, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित गेस्टेशन अवधि एवं पूंजीगत परिव्यय पर घटते हुए क्रम में प्रभाव हो सकता है। सामान्य आर्थिक स्थितियों का भी विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है जो ऋण लेने वालों की अपने ऋण को वापस करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

अतः निम्न लागत पर संसाधनों को प्राप्त करना और उन स्थानों पर उनका निवेश सुनिश्चित करना, जो अधिकतम लाभ देता हो, इस कंपनी की सतत विकास और लाभप्रदता के लिए प्रमुख कारक होगा।

5. क्षेत्र-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन

आरईसी देश की एक प्रमुख लोक वित्त संस्थान है जो समग्र विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला अर्थात उत्पादन (परंपरागत एवं नवीकरणीय), पारेषण एवं वितरण की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आरईसी का प्रमुख उत्पाद राज्य यूटिलिटियों एवं निजी क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं को ब्याज पर ऋण प्रदान करना है। कंपनी के पास कोई पृथक सूचना देने योग्य क्षेत्र नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने इसके वित्तीय वर्ष में 65,471.10 करोड़ रुपए की तुलना में 83,870.82 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता मंजूर की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृति में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 28,208.93 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,089.77 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 40,953.12 करोड़ रुपए और लघु अवधि के ऋण और अन्य ऋण के लिए 12,619.00 करोड़ रुपए शामिल थी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में संवितरित 46,025.83 करोड़ रुपए की तुलना में 58,038.61 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि संवितरित की थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए संवितरण में उत्पादन परियोजनाओं के लिए 21,697.61 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1,617.68 करोड़ रुपए, टीएंडडी परियोजनाओं के लिए 26,270.30 करोड़ रुपए और लघु अवधि के ऋण और अन्य ऋण के लिए 7,889.96 करोड़ रुपए तथा डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 563.06 करोड़ रुपए शामिल थी। इसके अलावा, भारत सरकार से सब्सिडी का 8,037.54 करोड़ रुपए भी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों को संवितरित की गई है।

6. दृष्टिकोण

विश्व की अर्थव्यवस्था विगत हाल में सुस्त होने के बाद गति प्राप्त कर रही है। वैश्विक आर्थिक विकास में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है अर्थात यह 2016 में 3.1% से बढ़कर 2017 में 3.5 हो गयी है और 2018 के लिए 3.6% का अनुमान है। फिर भी एक एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य चुनौतियों से निबटने के लिए विश्वसनीय आर्थिक नीतियों के लिए आवश्यकता को कोई नकार नहीं सकता है। भारत विश्व में तेजी से बढ़ती हुई उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था में से एक है जिसका चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद विकास सतत रहा है। मूडी ने भारत के विकास की दर को 2017-18 में 7.5% और 2018-19 में 7.7% आंका है। भारत का समग्र दृष्टिकोण हाल की विमुद्रीकरण के कारण खपत और व्यापार क्रियाकलाप में उत्पन्न अस्थायी विच्छेद के बावजूद सकारात्मक है। दीर्घावधि में विमुद्रीकरण से औपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, वित्तीय मध्यवर्ती का विस्तार होगा, टैक्स आधार और अधिक चौड़ा होगा, बैंक की सरलता में वृद्धि होगी और सरकार के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन का संवर्द्धन हो सके। ब्लॉक पर प्रमुख सुधारों के साथ, भारत वैश्विक विकास का एक इंजन के रूप में देखा जाता है।

सरकार के सुधार संबंधी उपायों का उद्देश्य सही दिशा में है। जमीन पर सुधार की क्रमिक गति के बावजूद ढांचागत सुधार बल, जीएसटी कार्यान्वयन, मुद्री स्फीति को लक्ष्य में रखकर किए गए उपायों को अपनाना, नया दिवालिया कोड, वित्तीय समावेशन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण, कालेधन को नियंत्रित करने के उपाय और सूचना को एक करने के लिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटिलाइजेशन को प्रोत्साहित करने जैसे कारक भारत की इसकी उत्पादकता, गतिशीलता तथा सतत विकास प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। यह देश एक प्रमुख परिवर्तन के मार्ग पर है जिसमें गवर्नेंस की गुणवत्ता और लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक नीतिगत पहलें की गई हैं। सकारात्मक व्यापार संवेदना, उन्नत उपभोक्ता विश्वास और नियंत्रित मुद्रा स्फीति से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होने की संभावना है। अवसंरचना पर बढ़े हुए खर्च, परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन और सुधार को जारी रखने से यह आशा है कि यह विकास को और अधिक बढ़ावा देगी। ये सभी कारक इस बात का संकेत देते हैं कि भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में ठोस विकास होने की स्थिति है क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार अपनी ऋण की आवश्यकताओं के लिए बैंक और नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जाएगी।

विद्युत किसी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण अवसंरचना संघटक है। भारत में विद्युत क्षेत्र व्यापक विकास और परिवर्तन की अवधि से गुजर रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, वैद्युतीय ऊर्जा आवश्यकता 5 वर्षों में 37% तक बढ़ने की आशा है अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की 1,566 बिलियन यूनिट की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने पहले ही वैश्विक पहुँच और 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, ग्रामीण विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा में बल के साथ सौर ऊर्जा और विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) पर विशेष बल अन्य बातों के साथ-साथ देश में बिजली की वृद्धि करेगा जिसके द्वारा मांग और अधिक बढ़ेगी। स्मार्ट शहरों का विकास और ऊर्जा बचत एवं भंडारण उपकरणों जैसे बैट्री बैंक और सहायक सेवाओं में निवेश में वृद्धि के नए मानक दिखने की संभावना है। इसके अलावा, सरकार की डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और उदय योजना में बनाई गई कार्य निष्पादन उन्मुखीकरण से वितरण अवसंरचना में निवेश आकर्षित होने और उसमें गति आने की संभावना है और इस प्रकार से भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय और समान रूप से भारी प्रचालन संबंधी अवसंरचना का विकास, जिसमें वितरण क्षेत्र में भावी विस्तार की पर्याप्त संभावना है, कंपनी के लिए एक आशावादी व्यापार दृष्टिकोण पैदा करता है।

प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति, किसी देश की दीर्घ अवधि में ऊर्जा की आवश्यकता का संकेत देता है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 3,000 केडब्ल्यूएच की विश्व औसत की तुलना में 1,075 केडब्ल्यूएच (वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार) है। विश्व की औसत की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत के निम्न स्तरों पर विचार करते हुए और आर्थिक विकास के प्रति सरकार के ठोस प्रयासों पर विचार करने के बाद यह महसूस किया गया है कि विद्युत क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण दीर्घ अवधि में मजबूत रहेगा। विद्युत क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करने में सरकार की सह-क्रियाशील भूमिका के साथ, विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय उत्पादों हेतु पर्याप्त बाजार अवसरों के साथ-साथ एक उज्ज्वल दृष्टिकोण है।

7. समझौता ज्ञापन, रेटिंग एवं अवार्ड

आरईसी के कार्य निष्पादन को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापन (एमओयू) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए "उत्कृष्ट" के रूप में आंका गया है। यह लगातार 23वां वर्ष है कि आरईसी को *"उत्कृष्ट"* रेटिंग प्राप्त हुई है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भी *"उत्कृष्ट"* रेटिंग प्राप्त करने की स्थिति में है। कंपनी के कार्य निष्पादन की पहचान तथा इसे अवार्ड विभिन्न मंचों पर दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरईसी को *"बेस्ट पावर फाइनेंसिंग कंपनी"* के लिए सीबीआईपी अवार्ड, 2017; वर्ष 2014-15 के लिए *"स्कोप मेडिटोरियस अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक सेक्टर फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी"* के लिए गोल्ड ट्रॉफी और वर्ष 2014-15 के लिए *"सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कोप अवार्ड"* माननीय भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल, 2017 में प्राप्त हुआ है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रिया भी शामिल है ताकि वह विभिन्न लेनदेनों की यथार्थ और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और विधिक कानूनों का अनुपालन, विनियमों और कंपनी की नीतियों को सुनिश्चित कर सके। शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखाकरण संबंधी दिशानिर्देश एकसमान रूप से पालन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही है, विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/बाह्य व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा में कार्यों के सभी प्रमुख क्षेत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, अभिनिर्धारित जटिल और जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम, 2013 में और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकट अपेक्षा) विनियम, 2015 में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक समीक्षा करती है।

9. वित्तीय एवं प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 65,471.10 करोड़ रुपए की तुलना में 83,870.82 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता मंजूर की है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में संवितरित 46,025.83 करोड़ रुपए की तुलना में 58,038.61 करोड़ रुपए के कुल ऋण राशि संवितरित की है। इसके अलावा, भारत सरकार से सब्सिडी के रूप में 8,037.54 करोड़ रुपए भी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्यों को संवितरित की गई है।

कंपनी मूलधन, ब्याज आदि के प्रति अपनी बकाया राशि को समय पर प्राप्त करने को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों के लिए ब्याज सहित वसूली के लिए देय राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 48,278 करोड़ रुपए की तुलना में 46,298 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा, कंपनी ने निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 46,641 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 45,169 करोड़ रुपए की कुल राशि वसूली है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त की गई वसूली दर 97.56% थी। इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, निष्पादन योग्य परिसंपत्तियों के संबंध में, ऋण न चुकाने वाले ऋण प्राप्तकर्ताओं से अधिक देय बकाया राशि 1,129 करोड़ रुपए थी।

आरईसी की गैर-निष्पापन वाली परिसंपत्तियां निम्न स्तरों पर बनी हुई हैं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्तियां 4,872.68 करोड़ रुपए थी, जो सकल ऋण परिसंपत्ति का 2.41% था और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार निवल गैर-निष्पादन वाली परिसंपत्ति 3,237.34 करोड़ रुपए थी जो निवल ऋण परिसंपत्ति का 1.62% थी। इसके अलावा, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किसी संदिग्ध ऋण का समय फिर से निर्धारित नहीं किया गया है।

स्वतंत्र आधार पर आरईसी की प्रचालन संबंधी आय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 23,350.79 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 23,638.35 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर पूर्व लाभ 8,860.70 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 8,045.21 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निवल लाभ 6,245.76 करोड़ रुपए था और इस प्रकार से इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 5,627.66 करोड़ रुपए के निवल लाभ से 11% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार आरईसी की निवल पूंजी 33,325.59 करोड़ रुपए थी जो 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 28,617.76 करोड़ रुपए की निवल पूंजी से 16% अधिक थी।

10. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल जनशक्ति 566 कर्मचारी थी जिसमें कार्यपालक कैडर में 441 कर्मचारी और गैर-कार्यपालक कैडर में 125 कर्मचारी थी। कंपनी अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत में तथा दुबई, जापान, जर्मनी आदि में उन्हें व्यावसायिक रूप से समर्थ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उन्हें प्रायोजित किया। इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए खेल-कूद एवं मनोरंजन संबंधी क्रियाकलापों को भी बढ़ावा देती है। कंपनी में औद्योगिक संबंध हार्दिक रूप में बना हुआ है। प्रबंधन और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर नियमित बातचीत होती है। कंपनी में विश्वास और सहयोग का वातावरण है जिसके फलस्वरूप कार्यबल को प्रेरणा मिलती है और उनके कार्य निष्पादन में सतत वृद्धि होती है।

11. कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास

आरईसी सक्रिय रूप से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास के मोर्चे पर विभिन्न पहल करती आ रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल लाभ का 2% की दर से सीएसआर के लिए 146.57 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी सततता, हेल्थ केयर (वृद्धजनों तथा दिव्यांग जनों सहित), पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं जिसमें स्वच्छ भारत कोष में अंशदान शामिल है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, आरईसी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के लिए संस्वीकृत कुल वित्तीय सहायता 181.23 करोड़ रुपए थी और सीएसआर क्रियाकलापों के लिए संवितरित कुल राशि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में "सीएसअर क्रियालापों पर वार्षिक रिपोर्ट" में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 69.80 करोड़ रुपए थी।

सचेतक टिप्पणी

'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण' खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

कारपोरेट गवर्नेंस एक व्यवस्थित सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियों को अपने धन सृजन करने वाली क्षमता में वृद्धि करने तथा दीर्घावधि में सफलता प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है। एकता, आचार, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के निहित सिद्धांतों के आधार पर व्यापार क्रियाकलाप करने के लिए यह एक प्रमुख कारक है। पिछले कुछ दशकों में, कारपोरेट गवर्नेंस को पूरे विश्व में बढ़ता हुआ महत्व दिया जा रहा है। इन प्रणालियों और नीतियों को गतिशील व्यापार परिवेश में तेजी से विकास करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित रूप से उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

हम रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ("आरईसी" अथवा "कंपनी") सर्वोत्तम अभिज्ञात कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाओं और सतत रूप से इस प्रकार की प्रथाओं के विरुद्ध अपने क्रियाकलापों की बैंचमार्किंग को अपनाने में और उसका पालन करने में विश्वास करते हैं। प्रभावी कारपोरेट गवर्नेंस व्यावसायिक विश्वास और मूल्यों से उत्पन्न होता है जो स्टेकहोल्डरों के लिए सतत मूल्य सृजन हेतु संगठन की कार्रवाई का आकार लेती है। ये प्रथाएं सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी का प्रबंधन और मॉनीटरिंग "मूल्य सृजित करने और उसे बांटने" के लिए जिम्मेदार तरीके से हो सके।

आरईसी न केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तथा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग रेगुलेशन") के अंतर्गत कारपोरेट गवर्नेंस की संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है बल्कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों, 2010 के लिए कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानदंडों ("सचिवालयी मानदंड") का पालन भी करती है और साथ ही अधिकांश गैर-आवश्यक आवश्यकताओं तथा सांविधिक आवश्यकताओं से परे सभी आवश्यकताओं का पालन भी करता है। कारपोरेट गवर्नेंस की स्थिति के अनुपालन में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है और उसके बाद सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में प्रमाण-पत्र दिया गया है।

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी का दर्शन

आरईसी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि ठोस कारपोरेट गवर्नेंस कारपोरेट सफलता एवं सतत आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यकत तत्व है। आरईसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपने सभी स्टेकहोल्डरों, जिसमें ग्राहक, शेयरहोल्डर, रेगुलेटर, कर्मचारी और आम जनता शामिल है, के लिए अपने क्रियाकलापों को करने का प्रयास करती है। मूल सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, दायित्व, पारदर्शिता, स्वच्छ एवं समय पर प्रकटन, विश्वसनीयता, सततता आदि सही मायने में कारपोरेट गवर्नेंस के दर्शन को लागू करने के लिए साधन के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और ढांचों का नियमित रूप से गतिशील बाहरी व्यापार परिवेश में तेजी से विकास करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए समीक्षा एवं उन्नत की जाती है।

आरईसी के निगमित सुशासन ढांचे का आधार वाक्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, विषयों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त हिताधिकारियों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित पारदर्शी तंत्र प्रणाली और प्रक्रिया विधियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

उपर्युक्त सिद्धांत निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं:

- शेयरहोल्डर के मूल्य की रक्षा करना और उसमें वृद्धि करना।
- सभी अन्य स्टेकहोल्डरों जैसे ग्राहक, कर्मचारी और व्यापक रूप से समाज के हितों की रक्षा करना।
- पत्राचार में पारदर्शिता और निष्ठा सुनिश्चित करना तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को पूर्ण, सटीक एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- कार्य निष्पादन और ग्राहक की सेवा के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करना और
- अन्य के लिए उच्चतम मानदंड वाली कारपोरेट नेतृत्व प्रदान करना ताकि वे प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है, उद्देश्यपरक निर्णय लेता है और उसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशा-निर्देशों को मॉनीटर करता है। कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर था। इस वर्ष के दौरान पदधारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव हैं, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ हो सकते हैं।

(क) निदेशक मंडल का गठन

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। यह सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक मंडल के निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। इसके अलावा, कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, नीचे उल्लेख किए गए कंपनी के बोर्ड का गठन लिस्टिंग रेगुलेशन, कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, 2010 के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)			
1.	डॉ. पेनुमका वेंकट रमेश	02836069	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	निदेशक (वित्त)
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	निदेशक (तकनीकी)
सरकार नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)			
4.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	02190047	सरकार नामिती निदेशक
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक			
5.	श्री अरुण सिंह	00891728	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार	00871792	स्वतंत्र निदेशक
7.	प्रोफेसर तिरुवल्लूर तट्टई राममोहन	00008651	स्वतंत्र निदेशक
8.	श्रीमती आशा स्वरूप	00090902	स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

1. श्री राजीव शर्मा (डीआईएनः 00973413) 30 सितंबर, 2016 तक कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे और वे कंपनी की सेवाओं से पदत्याग करने पर 01 अक्तूबर, 2016 से कार्यमुक्त हुए थे।
2. श्री भगवती प्रसाद पांडेय (डीआईएनः 01393312), विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 30 सितंबर, 2016 के कार्यालय आदेश संख्या 46/8/2011-आरई के द्वारा प्रारंभ में तीन महीने की अवधि के लिए 01 अक्तूबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बाद में, उनके कार्यकाल को दिनांक 03 जनवरी, 2017 के आदेश के माध्यम से 04 जनवरी, 2017 तक बढ़ाया गया था।
3. डॉ. पी. वी. रमेश, आईएएस (आंध्र प्रदेशः 1985) ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 दिसंबर, 2016 के पत्र संख्या 36/02/2016-ईओ (एसएम-1) तथा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 46/8/2011-आरई के अनुसरण में 05 जनवरी, 2017 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
4. श्रीमती आशा स्वरूप की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 46/2/2010-आरई खंड-II (भाग-IV) के माध्यम से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में की गई थी।

(ख) निदेशक मंडल और उनकी समितियों के बारे में अन्य उपबंध

(i) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी, निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें, आमतौर पर सभी निदेशकों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं, ताकि इन बैठकों में पूरे निदेशक मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। निदेशक मंडल की अगली बैठक की कार्यसूची और उसके संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पहले परिचालित कर दी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैठकें अल्प समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं, परंतु सूचना की न्यूनतम अवधि का पालन करने का हरसंभव प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित किया जाता है, ऐसे संकल्पों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में नोट किया जाता

है। निदेशक मंडल/इसकी समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों (एचओडी)/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों पर निदेशक मंडल को विस्तृत परिस्थिति भी उपलब्ध कराई जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं। कंपनी बोर्ड और शेयरहोल्डरों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानदंडों का पालन भी कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 09 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें, (i) 27 मई, 2016; (ii) 27 जून, 2016; (iii) 18 जुलाई, 2016; (iv) 11 अगस्त, 2016; (v) 21 सितंबर, 2016; (vi) 09 नवंबर, 2016; (vii) 24 जनवरी, 2017; (viii) 14 फरवरी, 2017; और (ix) 24 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थीं।

बोर्ड की दो बैठकों के बीच का अंतर 03 (तीन) महीने से कम था क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 21 (इक्कीस) दिन और 76 (छिहत्तर) दिन था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मंडल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक है।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

निदेशक मंडल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से सूचना दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होती हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना;
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना;
3. निधियों को बढ़ाने और वित्तीय सहायता की मंजूरियों से संबंधित प्रस्ताव;
4. कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और निदेशक मंडल की रिपोर्ट आदि;
5. सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन;
6. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त;
7. सहायक कंपनियों की बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त;
8. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उन्हें हटाए जाने सहित निदेशक मंडल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना;
9. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड संबंधी नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं;
10. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण संबंधी समस्या, यदि कोई हो;
11. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी;
12. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई न्यायनिर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है;
13. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण;
14. ऐसा लेनदेन, जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो;
15. महत्वपूर्ण श्रम समस्या और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे श्रम करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि का कार्यान्वयन;
16. निवेश, अनुषंगी कंपनियों/परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो;
17. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई;
18. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब आदि, यदि कोई हो;
19. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि;
20. अल्पकालिक अतिरिक्त निधि के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट;

21. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट;
22. विभिन्न लागू कानून के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट;
23. दीर्घकालिक निधियों के निवेश संबंधी छमाही रिपोर्ट;
24. सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट;
25. उचित प्रथा कोड के अनुपालन के संबंध में छमाही रिपोर्ट;
26. कंपनी के अधिकारों का प्रत्यायोजन के अंतर्गत आवधिक रिपोर्ट;
27. कंपनी की मुखबिर नीति के अनुपालन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट;
28. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

(iii) **वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठक एवं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या, समिति की सदस्यता की संख्या का विवरण:**

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (21 सितंबर, 2016 को आयोजित)	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थिति का प्रतिशत		अन्य संस्थाओं की संख्या	अन्य समितियों के सदस्यगण की संख्या$	
							अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	डॉ. पी. वी. रमेश (05 जनवरी, 2017 से प्रभावी)	3	3	100	लागू नहीं	2	शून्य	शून्य
2	श्री बी. पी. पांडेय (01 अक्तूबर, 2016 से 04 जनवरी, 2017)	1	1	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री राजीव शर्मा (30 सितंबर, 2016 तक)	5	5	100	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	9	9	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता	9	9	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
6	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	9	9	100	उपस्थित	1	1	शून्य
7	श्री अरुण सिंह	9	7	77.78	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
8	श्री ए. कृष्ण कुमार	9	9	100	उपस्थित	1	1	1
9	प्रो. टी. टी. राममोहन	9	9	100	उपस्थित	2	शून्य	1
10	श्रीमती, आशा स्वरूप (08 फरवरी, 2017 से प्रभावी)	2	2	100	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 91(iv) के प्रावधानों के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा, सरकार के नामित निदेशक कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर उन्हें पुन: नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।
2. समिति की सदस्यता की संख्या की गणना करने के लिए सूचियन विनियमन के विनियम 26 के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्षता और सदस्यता एवं भारतीय सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड (आरईसी को छोड़कर) में स्टेकहोल्डर संबंधी समिति पर विचार किया गया है।

3. कोई भी निदेशक भारतीय सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड के दस (10) बोर्ड स्तरीय समितियों से अधिक के सदस्य नहीं है और न ही वे इस प्रकार की कंपनियों की पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष हैं।

4. निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है और कंपनी का कोई भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर अथवा कंवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो पूर्ण निदेशक मंडल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है, जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियां है:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति;
6. ऋण समिति;
7. कार्यकारी समिति;
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति, और
9. निवेश/अतिरिक्त निधियों के निवेश संबंधी समिति।

इसके अलावा, बोर्ड ने 11 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) वाली एक बोनस इश्यू समिति का गठन पात्र शेयरहोल्डरों को बोनस शेयर आबंटित करने/जारी करने का अनुमोदन देने के लिए किया गया। इसके अलावा समिति का पुनर्गठन 21 सितंबर, 2016 को किया गया जिसमें श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बोनस शेयरों को जारी करने से संबंधित क्रियाकलाप नवंबर, 2016 के महीने में पूरा कर लिया गया था।

इन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 105 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन और उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों/ उपस्थित व्यक्तियों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या			21 सितंबर, 2016 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति का प्रतिशत	
1.	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	7	7	100	हां
2.	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	5	71.43	हां
3.	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	7	100	हां
4.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	7	7	100	हां

लेखा परीक्षा समिति के लिए कोरम या तो दो सदस्य अथवा लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा और इसमें कम से 2 स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा, निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचियन विनियमन में यथापरिकल्पित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यम 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना;

(घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित अन्य लागू उपबंधों का अनुपालन करना।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात (7) बैठकें (i) 27 मई, 2016; (ii) 27 जून, 2016; (iii) 11 अगस्त, 2016; (iv) 21 सितंबर, 2016; (v) 09 नवंबर, 2016; (vi) 13 फरवरी, 2017 और (vii) 24 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थीं। किन्हीं दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल सौ और इक्कीस दिनों से अधिक नहीं था।

अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है और लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरहोल्डर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 21 सितंबर, 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरईसी के केंद्र सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क की अदायगी की जाती है। यह अदायगी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार, सरकार नामिती निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक में उपस्थित होने का शुल्क प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

आरईसी के लिए विचारार्थ विषय जिस सीमा तक लागू होते हैं, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन के विचारार्थ मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचियन विनियमन में यथापरिकल्पित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक निर्णय संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

31 मार्च, 2017 के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार किया गया है:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या		
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति प्रतिशत
1.	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1	100
2.	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	0	0
3.	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1	100

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 27 जून, 2016 को आयोजित की गई थी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	कार्य-निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन*	अनुलब्धियां @	फॉर्म 16 में शामिल अन्य लाभ#	छुट्टी नकदी करण	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान	कुल$
1	डॉ. पी. वी. रमेश, सीएमडी (5 जनवरी, 2017 से प्रभावी)	7,27,792	-	2,010	-	-	-	-	7,29,802
2	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, सीएमडी (30 सितंबर, 2016 तक)	14,59,182	19,47,503	8,93,693	2,15,301	-	1,41,888	1,06,418	47,63,985
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	27,12,889	13,07,178	5,97,047	1,37,668	3,70,604	2,60,975	1,95,734	55,82,095
4	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	28,85,250	8,72,412	4,05,051	78,834	2,65,493	2,61,111	1,95,842	49,63,993
5	श्री जे. एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	28,40,551	5,74,645	55,435	62,187	-	2,48,799	1,82,477	39,64,094

* कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, लोक उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

@ 1,50,000 रुपए से अधिक की अधिवर्षिता निधि के लिए कर्मचारी के अंशदान की राशि शामिल है।

\# वर्दी, अतिथि सत्कार, बिजली, पानी और परिचर प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति शामिल नहीं हैं और टेलीफोन व्यय/प्रतिपूर्ति से छूट प्राप्त है।

$ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 से भत्तों को छूट मिली हुई है और वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आरईसी के ग्रेच्युटी निधि में कर्मचारी का अंशदान शामिल नहीं है।

श्री राजीव शर्मा को उनके पदत्याग के पश्चात 01 अक्तूबर, 2016 से कंपनी की सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया था और डॉ. पी. वी. रमेश की नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 05 जनवरी, 2017 को की गई थी और इस कारण से उनके पारिश्रमिक को वर्ष के एक हिस्से के लिए लिया गया है। इसके अलावा, श्री बी. पी. पांडेय 01 अक्तूबर, 2016 से 04 जनवरी, 2017 की अवधि तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे और उनको कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 395वीं बैठक में निदेशक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- की दर से केवल बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल
		निदेशक मंडल की बैठकें	समिति की बैठक	
1	श्री अरुण सिंह	1,40,000	1,60,000	3,00,000
2	श्री ए. कृष्ण कुमार	1,80,000	4,60,000	6,40,000

3	प्रोफेसर टी. टी. राममोहन	1,80,000	3,60,000	5,40,000
4	श्रीमती आशा स्वरूप	40,000	40,000	80,000
	कुल	**5,40,000**	**10,20,000**	**15,60,000**

सरकार नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों के इस कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हैं। सिवाय उस सीमा के कि जिस सीमा तक इनको एयर टिकट, होटल में रहने, वाहन भाड़े पर लेने, पॉकेट खर्च और स्थानीय परिवहन की प्रतिपूर्ति बोर्ड और इसकी समितियों में भाग लेने के संबंध में की गई हो।

3.3 स्टेकहोल्डर संबंध समिति

(i) हितधारक संबंध समिति का गठन

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग रेगुलेशन और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज, वार्षिक रिपोर्ट, शेयरों का अंतरण अथवा डिबेंचर का अंतरण, डुप्लीकेट शेयर/डिबेंचर प्रमाण-पत्र जारी करने, अंतरण से संबंधित मामलों, पारेषण, रिमैटेरियलाइजेशन, डिमैटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटी की स्पिलिटिंग और कंसोलिडेशन प्राप्त न होने, लाभांश क्रेडिट/वारंट प्राप्त न होने जैसे शेयरहोल्डरों, डिबेंचरहोल्डरों जैसे विभिन्न सिक्योरिटी होल्डरों से प्राप्त शिकायतों के निवारण पर विशेष ध्यान देती है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, हितधारक संबंध समिति का गठन नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	4

हितधारक संबंध समिति की बैठक के कोरम में दो सदस्य होते हैं, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के प्रतिनिधि हितधारक संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारकों/निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हितधारक संबंध समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 27 मई, 2016; (ii) 11 अगस्त, 2016; (iii) 09 नवंबर, 2016; और (iv) 13 फरवरी, 2017 को आयोजित की गई।

श्री जे. एस. अमिताभ, महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव विनियम के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष 21 सितंबर, 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

(ii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

सभी निवेशकों की शिकायतों का तत्परता से समाधान करने के लिए, कंपनी ने निवेशक की शिकायतों का समाधान करने के लिए तीन स्तरीय तंत्र स्थापित किया है अर्थात अलग-अलग रजिस्ट्रार से सहायता सेवा, इन हाउस निवेशक सेल और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और उसके फलस्वरूप सभी शिकायतों का समय पर समाधान हुआ है।

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्कोर नामक एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की है (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) जिसके माध्यम से शेयरहोल्डर अपनी शिकायतों के बारे में किसी कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है और निवेशक शिकायतों के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक इन शिकायतों की स्थिति की जांच करने में सक्षम होते हैं अर्थात यह शिकायत किसके पास लंबित है, किस पर जिम्मेदारी तय की गई है और यह शिकायत कितने समय से लंबित है। कोई भी निवेशक, जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी पहुँच स्कोर्स तक नहीं हो पाती है, लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों का तेजी से और तत्परता से स्टेकहोल्डर की संतुष्टि के अनुसार समाधान करती रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सूचियन विनियमन के विनियम 13(3) के अनुसरण में, शेयरहोल्डरों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति नीचे दी गई है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2662
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2656
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	6*

* इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उक्त छः (6) शिकायतों का भी समाधान कर दिया गया है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य उत्पन्न संभावित विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

24 मार्च, 2017 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया था और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री अरुण सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (24 मार्च, 2017 से प्रभावी)	1	1
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
4.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2	2

वित्त प्रभाग (संसाधन जुटाना) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख को जोखिम समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 24 जनवरी, 2017 और 24 मार्च, 2017 को जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई।

3.5 कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने "कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति" का गठन किया है और इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

क. कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति को तैयार करना और उसकी निदेशक मंडल से सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाएगा;

ख. समय-समय पर कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी नीति की मॉनीटरिंग करना;

ग. खंड क में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंतर्गत आने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ प्रस्तावों की सिफारिश/ समीक्षा करना;

ङ. कंपनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र साापित करना;

च. कंपनी की सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ. उत्तरदायित्व संबंधी विवरण देने के साथ-साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की विषय-वस्तु को अनुमोदित करना, जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी कंपनी के उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हों;

ज. रिपोर्टों को आवधिक रूप से निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ. समय-समय पर यथासंशोधित कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

24 मार्च, 2017 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया था और 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना नीचे दिए गए अनुसार थी:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री टी. टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	8	8
2.	श्री ए. कृष्णकुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	8	8
3.	श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (24 मार्च, 2017 से प्रभावी)	1	1
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	8	8
5.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	8	8

कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति की बैठक का कोरम 2 सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 27 मई, 2016; (ii) 27 जून, 2016; (iii) 18 जुलाई, 2016; (iv) 11 अगस्त, 2016; (v) 21 सितंबर, 2016; (vi) 9 नवंबर, 2016; (vii) 24 जनवरी, 2017 और (viii) 24 मार्च, 2017 को आयोजित की गईं।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है:

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (करोड़ ₹ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	500 करोड़ रुपए तक	25,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	500 करोड़ रुपए तक	6,000

समिति का पुनर्गठन वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन के कारण दो बार किया गया था। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, इस ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (5 जनवरी, 2017 से प्रभावी)	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार नामिती निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठकों का कोरम 3 सदस्यों का है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सरकार नामिती निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 11 मई, 2016; (ii) 01 जून, 2016; (iii) 23 जून, 2016; (iv) 03 अगस्त, 2016; (v) 19 सितंबर, 2016; (vi) 29 नवंबर, 2016; (vii) 21 दिसंबर, 2016 और (viii) 23 फरवरी, 2017 को आयोजित की गईं।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कायकारी समिति का गठन निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंदर रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए सीमा	एक वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (करोड़ ₹ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	150 करोड़ रुपए तक	20,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	100 करोड़ रुपए तक	5,000

समिति का पुनर्गठन वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन के कारण दो बार किया गया था। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, इस ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05 जनवरी, 2017 से प्रभावी)	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यकारी समिति की ग्यारह (11) बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें, (i) 06 मई, 2016; (ii) 01 जून, 2016; (iii) 01 जुलाई, 2016; (iv) 20 जुलाई, 2016; (v) 23 अगस्त, 2016; (vi) 30 सितंबर, 2016; (vii) 10 अक्तूबर, 2016; (viii) 08 नवंबर, 2016; (ix) 30 नवंबर, 2016; (x) 19 जनवरी, 2017 और (xi) 16 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, समिति के सभी सदस्य दो बैठको को छोड़कर सभी बैठकों में उपस्थित थे जहां समिति द्वारा निदेशक (वित्त) को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी।

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणें और आवधिक ऋणों के उधार देने की दरों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

समिति का पुनर्गठन वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन के कारण दो बार किया गया था। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05 जनवरी, 2017 से प्रभावी)	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति की बैठकों का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की दस (10) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 13 अप्रैल, 2016; (ii) 27 मई, 2016; (iii) 25 जुलाई, 2016; (iv) 19 अक्तूबर, 2016; (v) 10 नवंबर, 2016; (vi) 30 नवंबर, 2016; (vii) 21 दिसंबर, 2016; (viii) 09 फरवरी, 2017; (ix) 06 मार्च, 2017; और (x) 16 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, इस उप समिति के सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे।

3.9 अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति

अल्प अवधि अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति का गठन अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए किया गया है। वर्ष के दौरान, इस समिति का पुनर्गठन निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन के कारण दो बार किया गया था। 31 मार्च, 2017 को "अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति" के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (05 जनवरी, 2017 से प्रभावी)	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

इस समिति की बैठक का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। आज की तारीख तक, यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी समय अधिकतम बकाया सीमा के अंदर म्युचुअल फंड में 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक और सावधि जमा में 1,500

करोड़ रुपए और उससे अधिक का निवेश वाणिज्यिक पेपर/सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक बार में करने का अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत है।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस समिति की 22 जून, 2016 और 24 जून, 2016 को 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, समिति के सभी सदस्यों ने इन बैठकों में भाग लिया।

4. शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निवेशकों की समिति के अलावा, जैसाकि उपर्युक्त 3.1 से 3.9 में विस्तृत विवरण दिया गया है, एक शेयर अंतरण समिति भी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2017 को शेयर अंतरण समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री जे. एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
2.	श्री दलजीत सिंह खत्री	अपर महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) - संसाधन

निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रतिभूतियों के विभाजन/समेकन/अंतरण को सहज बनाने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को शेयरधारकों से प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति तक विभाजन/समेकन एवं वास्तविक शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. अनुषंगी कंपनियां

कंपनी के पास सूचियन विनियमन के अंतर्गत यथा परिभाषित "वास्तविक सब्सिडियरी" नहीं है। कंपनी ने सूचियन विनियमन के अंतर्गत यथा अपेक्षित सहायक कंपनियों की वास्तविकता के संबंध में एक नीति विकसित की है और वह आरईसी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/Policy_Determining_Material_Subsidiaries.pdf में भी उपलब्ध है।

31 मार्च, 2017 को कंपनी की निम्नलिखित असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां है:

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएन: यू40101डीएल2007जीओआई165779)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएन : यू40101डीएल2007जीओआई157558)

आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) समय-समय पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आबंटित स्वतंत्र अंतर्राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजना के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीपीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक प्रोजेक्टस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) को निगमित किया है और विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता के बाद चयन किए गए बोलीदाता को अंतरित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, तीन (3) एसपीवी को आबंटित पारेषण परियोजनाओं के लिए निगमित किया गया था, चार (4) एसपीवी को सफल बोलीदाता को अंतरित किया गया था और अन्य दो (2) एसवीपी का नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया था जिसका ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल के पास इसकी कुल स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट उद्देश्य तंत्र थी:

1. डिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2015जीओआई288066)
2. घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2016जीओआई308788)
3. ईआरएसएस-XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40300डीएल2017जीओआई310436)
4. डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : यू40100डीएल2017जीओआई310478)

सभी सहायक कंपनियों की बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों, विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्तीय परिणामों की समीक्षा आरईसी के निवेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई थी। आरईसी की सभी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उससे संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर "सहायक कंपनी" शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए है:

बैठक सं.	वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
45वीं बैठक	2013-14	18 सितंबर, 2014	11.00 बजे पूर्वा	मानेक शॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010	जी, हां
46वीं बैठक	2014-15	16 सितंबर, 2015	11.00 बजे पूर्वा	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-110003	जी, हां
47वीं बैठक	2015-16	21 सितंबर, 2016	11.00 बजे पूर्वा		जी, हां

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशिष्ट संकल्प पारित नहीं किया गया था और आज की स्थिति के अनुसार, पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशिष्ट संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई-मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और 48वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा उल्लिखित ई-मतदान के पोर्टल को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी अवधि के लिए खुला रखा जाएगा।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दस्तावेजों को भेजना

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के दस्तावेजों यथा वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को सदस्यों के पंजीकृत पतों पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्त्रोत से भेजने की अनुमति देता है, जो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से भेजने के अलावा है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के 'हरित पहल' के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है और वर्ष 2010-11 से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक और अनुबंधों के साथ डाक मत-पत्र सूचना उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से संबंधित निक्षेपागार भागीदारों (डीपी) के पास पंजीकृत थे। अदा किए जाने वाले अंतरिम/अंतिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अपने ई-मेल पते अपने निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) अथवा रजिस्ट्रार के पास और कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करने की कृपा करें।

इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड और इसकी समितियों की सभी बैठकों का कार्यसूची और व्याख्या संबंधी टिप्पणी निदेशकों को एक सुरक्षित प्लेटफार्म के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है ताकि वे बिना किसी बाधा के कार्यसूची से संबंधित कागजातों को देख सकें।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

मैसर्स संजय ग्लोबल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए सचिवालय लेखापरीक्षा आयोजित की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

9. संबंधित पक्षकार लेन-देन

कंपनी ने सूचियन विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेनों सहित संबंधित पक्षकार लेन-देनों की वास्तविकता और संव्यवहार्यता के संबंध में एक नीति तैयार की है और वह कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक http://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPT.pdf में उपलब्ध है।

इस पॉलिसी के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को लेखाकरण मानक (एएस) 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के

अनुसार लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकार के लेन-देनों की एक स्थिति रिपोर्ट को तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित पक्षकार लेनदेनों के ब्यौरे एओसी-2 के रूप में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं।

10. प्रकटन

(i) कंपनी ने सूचियन विनियमन, कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवालयी मानक और भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

(ii) कंपनी ने बोर्ड, समितियों और कारपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं से संबंधित विनियम 17 से 27 तथा सूचियन विनियमन के विनियम 46 के उप-विनियम (ii) के खंड "ख" से खंड "झ" में दिए गए विवरण का पालन कर लिया है। कंपनी ने सूचियन विनियमन की अनुसूची-V के भाग ग के उप-पैरा (2) से (10) की कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की अपेक्षा का भी पालन कर लिया है।

इसके अलावा, सूचियन विनियमन के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के कारोबार के विवरण, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की आचरण और नैतिकता संहिता को प्रकटन किया है।

सतर्कता तंत्र/व्हीसल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण, गैर-कार्यकारी निदेशकों को अदायगी करने का मापदंड, संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर कार्रवाई करने की नीति, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति, स्वतंत्र निदेशकों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रम का विवरण और स्टॉक एक्सचेंज आदि पर प्रकटन के लिए घटनाओं के महत्व को निर्धारित करने संबंधी नीति की सूचना आरईसी की वेबसाइट www.recindia.nic.in/policies पर उपलब्ध है।

(iii) कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के ढांचे वाली नीति दी गई है, ऐसी मुद्रा में विनिमय दर के संचलन वाली नीति दी गई है जिससे विदेशी मुद्रा के मूल्य - डीनॉमिनेटेड परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में समुचित प्रकटन लेखाओं की टिप्पणी में किया गया है, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग है और उसका प्रबंध स्वाप, विकल्प, अग्रेषण आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन लिखतों के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे किसी वस्तु की कीमत का जोखिम हो।

(iv) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है।

(v) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचना प्रस्तुत कर दी है, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद-परोख्त करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो) और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विरोध का कोई ऐसा मामला नहीं है।

(vi) विगत पिछले तीन वर्षो के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत यथा अपेक्षित, सभी विवरण/रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज/अन्य प्राधिकारियों के पास निर्धारित समय में दायर की गई थीं।

(vii) संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो। स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं होते हैं।

(viii) कंपनी ने जोखिम निर्धारित करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(ix) वित्तीय वर्ष 2016-17 के तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह को सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

(x) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि व्हीसल ब्लोअर नीति/सतर्कता संबंधी तंत्र स्थापित किया गया है और लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने के लिए किसी भी कार्मिक को रोका नहीं गया है।

(xi) कंपनी ने कारपोरेट गवर्नेंस की सभी अनिवार्य मदों और कुछ वांछित मदों को भी अंगीकार किया है। सूचियन विनियमन के कारपोरेट गवर्नेंस खंड के संबंध में गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की स्थिति नीचे दी गई है:

क. **बोर्ड:** कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं।

ख. **शेयरहोल्डर का अधिकार:** कंपनी सभी शेयरहोल्डरों और निवेशकों को समयबद्ध रूप में सभी सूचना उपलब्ध करा रही है ताकि वे कंपनी के प्रमुख निर्णयों से पर्याप्त रूप से अवगत हो सकें।

ग. **लेखा परीक्षा की अर्हताएं:** वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में लेखा परीक्षा से संबंधित आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह बिना किसी आपत्ति वाले वित्तीय विवरण की ओर आगे बढ़े।

घ. **अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अलग-अलग पद:** अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कोई अलग-अलग पद नहीं है क्योंकि आरईसी एक सरकारी कंपनी है, अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका का निर्वहन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जा रही है।

ङ. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:** कंपनी की अंतिम लेखा परीक्षा के प्रमुख को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है और वह लेखा परीक्षा समिति को सभी आपत्तियों के बारे में सीधे रिपोर्ट करते हैं।

(xii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को राष्ट्रपति के कोई निदेश जारी नहीं किए गए थे।

(xiii) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया था जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन वर्ग की व्यक्तिगत प्रकृति का था।

(xiv) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मुख्य रूप से कंपनी के व्यापार क्रियाकलाप में वृद्धि के अनुरूप प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय बढ़कर 98.80 करोड़ रुपए हो गया है जबकि पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान यह 67.01 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.65% है (जबकि पिछले वर्ष यह 0.43% था) और वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्त व्यय की प्रतिशतता 0.72% है (जबकि पिछले वर्ष ये 0.47% थी)।

(xv) सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2016	04 जुलाई, 2016
30 सितंबर, 2016	05 अक्तूबर, 2016
31 दिसंबर, 2016	04 जनवरी, 2017
31 मार्च, 2017	07 अप्रैल, 2017

इसके साथ ही रिपोर्ट जिसमें वार्षिक स्कोर था (चार तिमाहियों के समेकित स्कोर)। विद्युत मंत्रालय को 31 मई, 2017 की नियत तिथि की तुलना में 17 मई, 2017 को प्रस्तुत की गई थी।

कंपनी ने सूचियन विनियमन के विनियम 27(2)(क) की अपेक्षाओं के अनुसार, कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी है।

(xvi) वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित एक टिप्पणी की गई है जिसका प्रबंधन वर्ग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में उत्तर दे दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने सूचियन विनियमन के अनुच्छेदों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) के खंडों के अनुसार अपनी अशोधित राय स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम वार्षिक रिपोर्ट में भी दी है।

(xvii) अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों ने समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों के प्रशिक्षण की एक नीति तैयार की है।

नियुक्ति होने पर निदेशक मंडल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज़, रिपोर्टें और आंतरिक नीतियां उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और प्रविधि से अवगत हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य-निष्पादन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी निदेशक मंडल की बैठकों में किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण http://www.recindia.nic.in/uploads/files//Familiarization_Programme_for_independent_Directors.pdf में भी उपलब्ध है।

(xviii) कंपनी अधिनियम, 2013, सूचियन विनियमन, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देश, 2010 के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 24 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी।

(xix) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई स्टॉक ऑप्शन/ईशॉप जारी नहीं किया है।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचियन विनियमन के अनुरूप "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता एवं नैतिकता" का अनुमोदन किया है और उसे अंगीकार किया है तथा पूर्व की आचार संहिता का अधिक्रमण करते हुए इसे अंगीकार किया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों के प्रबंधन और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/CodeBusinessConductEthics.pdf. पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदसयों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बार में एक घोषणा इस प्रकार की गई है:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कारपोरेट सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अधीन घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी के "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

ह./-
पी.वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

तारीख : 10 जून, 2017
स्थान : नई दिल्ली

13. आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण संबंधी संहिता

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों से आंतरिक व्यापार निवारण के लिए एक व्यापक "संहिता" (कोड) तैयार की है ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दुरुपयोग को रोका जा सके। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य कंपनी के अंतर्गत काम करने वाले को कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तक पहुँच एवं उसकी धारिता से किसी लाभ को प्राप्त करने एवं अन्य को किसी लाभ को प्राप्त करने में सहायता करने से रोकना है।

इस संहिता में, कंपनी के शेयरों/सिक्योरिटीज की खरीद करते समय तथा उसका पालन किए जाने वाले तथा उसका पालन न किए जाने के परिणाम एवं प्रकट किए जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं कार्यविधियों का उल्लेख है। कंपनी सचिव की नियुक्ति अनुपालन अधिकारी के रूप में की गई है और वे उक्त संहिता का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। संशोधित संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads/files/InsiderTradingCode2015.pdf पर डाल दी गई है।

उक्त संहिता की आवश्यकता के अनुरूप जब कभी कुछ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना बोर्ड को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है, तो ट्रेडिंग विंडो को समय-समय पर बंद किया जा रहा है। ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की सूचना निर्दिष्ट कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को काफी पहले दी जाती है और कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उचित घोषणा भी की जाती है जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और इस तरह से जब विंडो बंद कर दी जाती है तब कंपनी के शेयरों की खरीद से उन्हें रोका जाता है।

14. जालसाजी को रोकने की नीति

जालसाजी का पता लगाने और उसे रोकने, तथा पता लगाए गए संदिग्ध जालसाजी की सूचना देने और जालसाजी संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में जालसाजी के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में

निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है:

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन जालसाजी का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा जालसाजी हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिसमें उन्हें किसी जालसाजी में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां जालसाजी की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. जालसाजी के मामलों की छानबीन करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि जालसाजी के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

15. व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने सूचियन विनियमन, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 8 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में एक व्हीसल ब्लोअर नीति पहले से कार्य कर रही है। व्हीसल ब्लोअर नीति आरईसी के निदेशकों/कर्मचारियों तथा/अथवा इसकी सहायक कंपनियों को किसी कथित कुप्रथा अथवा गलत चलन, जिसका कंपनी के व्यापार एवं प्रतिस्थापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में सक्षम बनाती है। इस नीति के अंतर्गत, निर्धारित रूप में सक्षम प्राधिकारी को शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा, आरईसी ने दिनांक 17 मई, 2004 के कार्यालय आदेश के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी व्हीसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को भी अपनाया है और उसे सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी "सतर्कता हैंडबुक" में शामिल भी किया गया है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने आरईसी और/या उसकी अनुषंगी कंपनियों के किसी निदेशक/कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने के लिए मना नहीं किया गया है और उसे 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं/व्हीसल ब्लोअरों को समुचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

कंपनी की व्हीसल ब्लोअर नीति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./-
पी.वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

तारीख : 13 जून, 2017
स्थान : नई दिल्ली

16. सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	ब्यौरे	रकम
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	0.60
2.	कर लेखापरीक्षा	0.10
3.	सीमित समीक्षा शुल्क	0.24
4.	अन्य सेवाओं के लिए अदायगी	0.11
5.	किया गया व्यय	0.05
6.	सेवा कर घटक	0.05
	जोड़	**1.15**

17. संचार के साधन

i. कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि शेयरधारकों का अधिकार एवं पत्र-व्यवहार/संचार संपूर्ण निगमित सुशासन ढांचे का महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसलिए वह शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ सतत, दक्ष एवं सुसंगत संपर्क पर जोर देती है।

ii. एक समर्पित निवेशक संबंध सेल की स्थापना कंपनी में विश्लेषकों के साथ बातचीत करने के लिए तथा समय पर सूचना उपलब्ध कराने एवं विश्लेषक की बैठक आयोजित करने के लिए की गई है ताकि निवेशक कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में अवगत सकें और एक उपयुक्त फीडबैक प्रणाली विकसित की जा सके जो प्रबंधन और निवेशकों के बीच सूचना के प्रवाह और संचार को प्रभावी बना सके।

iii. कंपनी अपने शेयरहोल्डरों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्टों, आम सभाओं और अपनी वेबसाइट पर प्रकटन तथा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रकटन के द्वारा संवाद बनाए रखती है। कंपनी विश्लेषक की बैठक/अलग-अलग चर्चाओं के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरहोल्डरों के साथ तथा समय-समय पर निवेशक सम्मेलन में भाग लेकर भी संवाद बनाए रखती है। निवेशक एवं विश्लेषकों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है जहां कंपनी का बोर्ड निवेश करने वाले निवेशक समुदाय से बातचीत करता है। इसके अलावा, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस बैठक का भी आयोजन समय-समय पर किया जाता है। वित्तीय परिणामों की चर्चा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से सम्मेलन कॉल के द्वारा की जाती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है जिसे सदस्यों और उससे संबंधित अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को प्रचालित की जाती है।

iv. कंपनी के संबंध में शेयरहोल्डरों से संबंधित सूचना, घोषणाएं और नवीनतम जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in से प्राप्त की जा सकती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उल्लेख होता है:

- स्टॉक एक्सचेंज को समय-समय पर दी गई कारपोरेट जानकारी
- तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम एवं कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट
- तिमाही शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- विश्लेषकों के साथ सम्मेलनों का ट्रांसक्रिप्ट
- संस्थागत निवेशकों तथा विश्लेषकों को दिए गए कार्यालयीन समाचार रिलीज, प्रस्तुती

v. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्धरण स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं और दॅ इकनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी), नवभारत टाइम्स (हिंदी), हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी), जनसत्ता (हिंदी), मिंट (अंग्रेजी) आदि जैसे वित्तीय और राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और सभी अन्य घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध की जाती हैं।

vi. कंपनी ने समय-समय पर महत्वपूर्ण निगम संबंधी गतिविधियों के बारे में प्रेस रिलीज और निगम प्रस्तुतीकरण भी किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट www.recindia.com में भी दिखाया है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचियन विनियमन के विनियम 17(8) के अनुसार, बोर्ड में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में एक प्रमाण-पत्र, जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 30 मई, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की 432वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया है, जब 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जा रहा था।

19. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक आम बैठक

तारीख एवं दिन	समय	स्थान
गुरूवार, 21 सितंबर, 2017	11.00 बजे पूर्वा	मानेक शॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010

ii. वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017	01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018

वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	11 अगस्त, 2016	पहली तीन तिमाही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	09 नवंबर, 2016		
	तीसरी तिमाही	14 फरवरी, 2017		
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	30 मई, 2017	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	बृहस्पतिवार, 21 सितंबर, 2017		सितंबर, 2018	

iii. लाभांश का भुगतान

क. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सूचियन विनियमन 43क के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य और आंतरिक कारकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें वे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी। इनका विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/uploads /files/DividendDistributionPolicy.pdf. पर भी उपलब्ध है।

ख. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी की एसोसिएशन का अनुच्छेद 114 और कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 06 मार्च, 2017 को 07/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश की अदायगी की है।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 मई, 2017 को आयोजित अपनी 432वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 2.65 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसे 21 सितंबर, 2017 को आयोजित 48वीं आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) 9.65 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर), अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 96.50% होगा।

ग. पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लाभांश का विवरण

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (रुपए करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल रकम (रुपए करोड़ में)	लाभांश की दर (प्रतिशत)	अदायगी की तारीख	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2011-12	987.46	740.59	75.00	07 फरवरी, 2012	04 अक्तूबर, 2012
2012-13	987.46	814.65	82.50	18 फरवरी, 2013	27 सितंबर, 2013
2013-14	987.46	938.09	95.00	28 फरवरी, 2014	01 अक्तूबर, 2014
2014-15	987.46	1056.58	107.00	27 फरवरी, 2015	07 अक्तूबर, 2015
2015-16	987.46	1688.55	171.00	25 फरवरी, 2016	04 अक्तूबर, 2016

घ. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण हेतु देय प्रदत्त/अदावाकृत लाभांश एवं शेयर आवेदन राशि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग राशि, जो 7 वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने 7 वर्ष की अवधि से अप्रदत्त और अदावाकृत पड़ी रकम के बाद निम्नलिखित रकम को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा कर दिया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	रकम (₹ में)	अंतरण की तारीख
2008-09	अंतिम लाभांश	15,20,949	16 नवंबर, 2016
2009-10	अंतरिम लाभांश	15,31,440	22 फरवरी, 2017
2009-10	एफपीओ हिस्सा आवेदन धनराशि	36,540	23 और 24 मार्च, 2017
	कुल	**30,88,929**	

कंपनी समय-समय पर अप्रदत्त और अदावाकृत लाभांश के शेयर होल्डरों के संबंध में शेयरहोल्डरों द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु समय-समय पर समाचार-पत्रों में सूचना जारी कर रही है। अतः एतदद्वारा सभी शेयरधारकों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे अप्रदत्त/अदावाकृत शेयर आवेदन धनराशि और/या लाभांश से संबंधित वारंटों का तत्काल नकदीकरण करें या कंपनी के आरएंडटीए को लिखें कि वह पुराने वारंटों को पुनः वैधीकृत करे या उनके स्थान पर डीडी जारी करे।

कंपनी ने, कंपनी के शेयरधारकों/बांडधारकों से संबंधित अदावाकृत और अप्रदत्त रकम के विवरण अपनी वेबसाइट www.recindia.nic.in में अपलोड कर दिए हैं, जिनमें नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरिम की जाने वाली रकम और आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली रकम की नियत तारीख जैसी सूचना दी गई है।

iv. खाता बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 16 सितंबर, 2017 से गुरूवार, 21 सितंबर, 2017 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखी जाएंगी।

v. अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए पे आउट तारीख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश को, यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अपनी 48वीं वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया जाता है, मंगलावार, 09 अक्तूबर, 2017 को सदस्यों अथवा उनके अधिदेशित व्यक्तियों को अदा कर दिया जाएगा, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017 को अथवा इससे पहले कंपनी के आरएंडटीए में दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को स्वीकार करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डीमैट किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के ऐसे "लाभार्थी स्वामियों" को अदा किया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, 15 सितंबर, 2017 को कारोबारी घंटों के समाप्त होने पर नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों के विवरण में शामिल हों।

vi. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

नाम और पता	टेलीफोन/ फैक्स/ ई-मेल पता/ वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी), मुंबई-400 051	दूरभाषः (022) 26598100-8114 फैक्सः (022) 26598120 ई-मेल आईडीः cmlist@nse.co.in वेबसाइटः www.nseindia.com	आरईसी लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई-400 001	दूरभाषः (022) 22721233/4 फैक्सः (022) 22721919 ई-मेल आईडीः corp.relations@bseindia.com वेबसाइटः www.bseindia.com	532955

इसके अलावा, कंपनी की ऋण सिक्योरिटी की विभिन्न श्रेणियों को भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया गया है और आगे के ब्यौरे के लिए कृपया बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध-IX देखें।

vii. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन ट्रेड स्क्रिप्ट की विशेष पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डीमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेनदेन में उल्लेख करना होता है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपारेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन, आईएनई020बी01018 है।

viii. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के सूचकांकों में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन को शामिल करना।

आरईसी के स्टॉक के अच्छे कार्य निष्पादन और विभिन्न अर्हक कारकों के आधार पर, इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एनएसई की एक ग्रुप कंपनी) ने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन को "निफ्टी 100" और "निफ्टी नेक्स्ट 50" ने 31 मार्च, 2017 से शामिल किया है।

ix. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लॉट 31-32, गाछी बावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद-500 032, भारत
दूरभाष : 91-40-67161500, फैक्स : 91-40-23420814
ई-मेलः einward.ris@karvy.com,raju.sv@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com
वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

x. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बाजार मूल्य से संबंधिक आंकड़े

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी के शेयर का कार्य निष्पादन

एनएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				एनएसई निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति पर
अप्रैल, 2016	185.70	157.50	178.40	7992.00	7516.85	7849.80
मई, 2016	181.30	152.80	160.10	8213.60	7678.35	8160.10
जून, 2016	174.80	155.00	173.45	8308.15	7927.05	8287.75
जुलाई, 2016	217.90	174.20	212.20	8674.70	8287.55	8638.50
अगस्त, 2016	240.00	211.55	238.35	8819.20	8518.15	8786.20
सितंबर, 2016	252.95	115.05	120.30	8968.70	8555.20	8611.15
अक्तूबर, 2016	140.90	120.75	134.90	8806.95	8506.15	8625.70
नवंबर, 2016	140.95	112.90	136.90	8669.60	7916.40	8224.50
दिसंबर, 2016	138.60	114.85	124.85	8274.95	7893.80	8185.80
जनवरी, 2017	151.95	123.40	142.15	8672.70	8133.80	8561.30
फरवरी, 2017	159.95	139.35	152.65	8982.15	8537.50	8879.60
मार्च, 2017	185.35	151.30	181.00	9218.40	8860.10	9173.75

30 सितंबर, 2016 को कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया है।

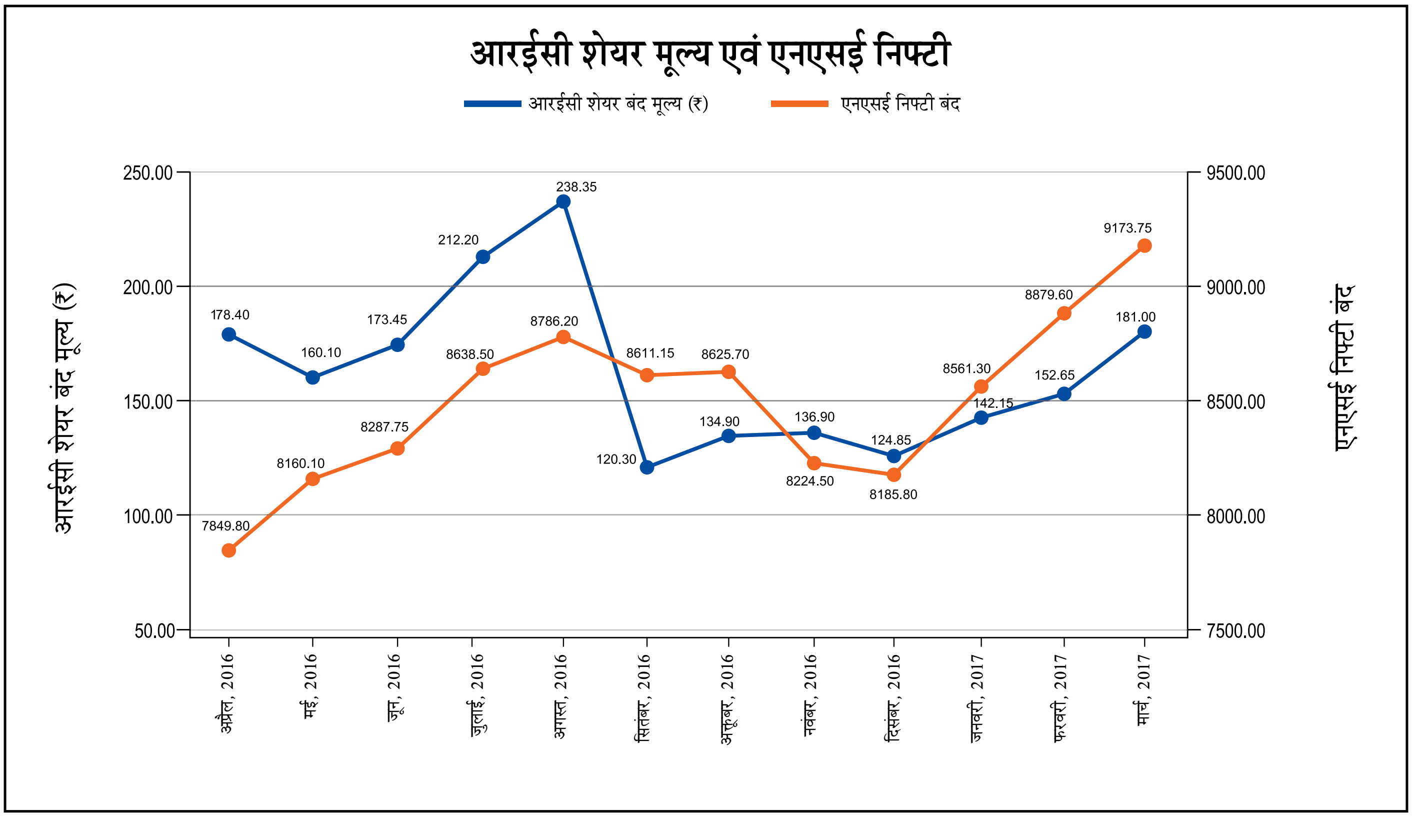

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी का कार्य-निष्पादन

बीएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				बीएसई सेंसेक्स निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति पर
अप्रैल, 2016	185.65	157.60	178.50	26100.54	24523.20	25606.62
मई, 2016	181.25	152.80	160.50	26837.20	25057.93	26667.96
जून, 2016	174.80	155.25	173.45	27105.41	25911.33	26999.72
जुलाई, 2016	218.00	174.25	212.05	28240.20	27034.14	28051.86
अगस्त, 2016	240.20	211.60	238.35	28532.25	27627.97	28452.17
सितंबर, 2016	253.10	115.25	120.25	29077.28	27716.78	27865.96
अक्तूबर, 2016	140.95	120.80	135.05	28477.65	27488.30	27930.21
नवंबर, 2016	140.75	113.10	137.00	28029.80	25717.93	26652.81
दिसंबर, 2016	138.60	114.85	124.90	26803.76	25753.74	26626.46
जनवरी, 2017	151.90	123.30	142.05	27980.39	26447.06	27655.96
फरवरी, 2017	160.00	139.50	152.35	29065.31	27590.10	28743.32
मार्च, 2017	185.30	150.00	180.95	29824.62	28716.21	29620.50

30 सितंबर, 2016 को कंपनी ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किया है।

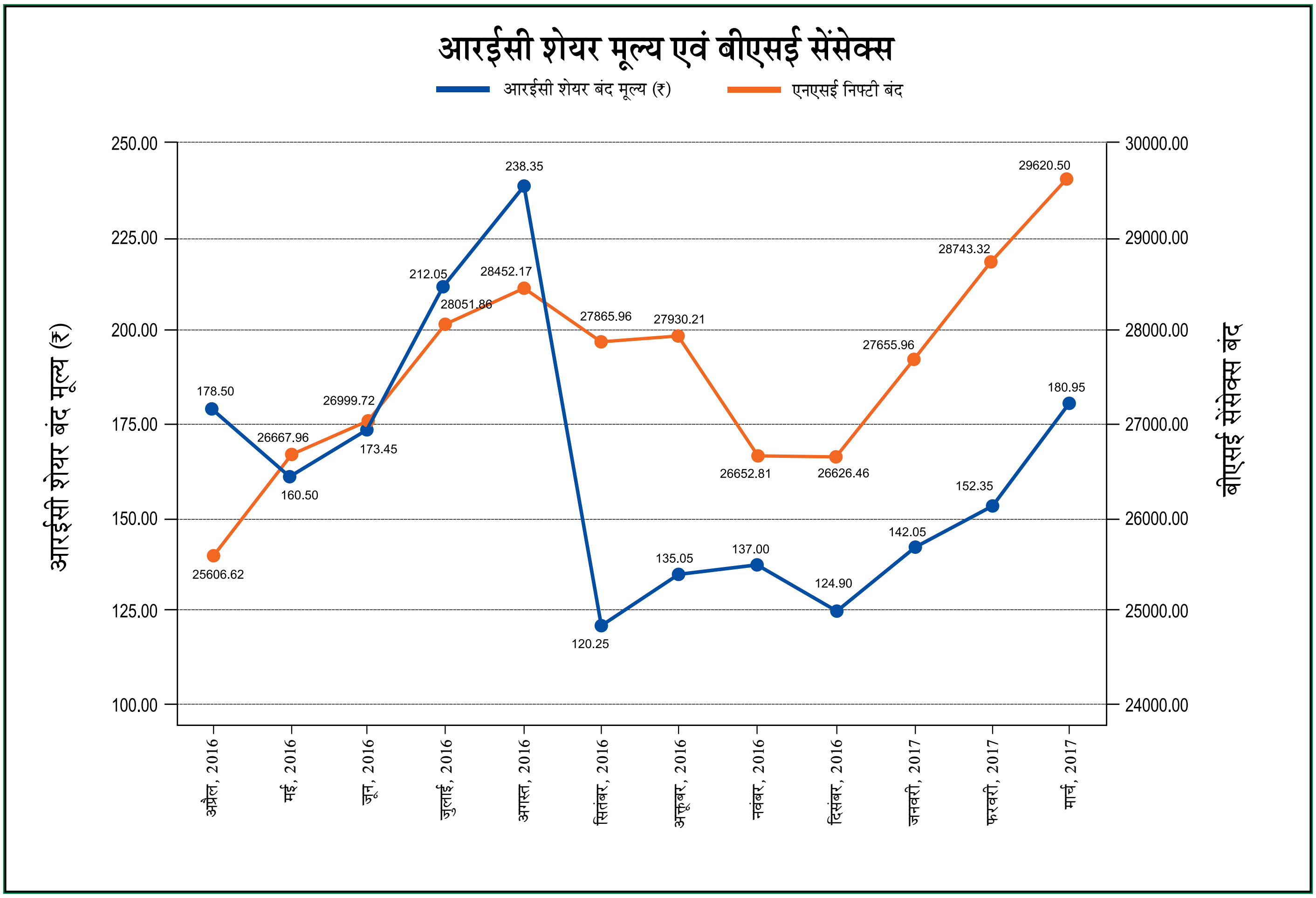

xi. शेयर अंतरण प्रणाली

वास्तविक खंड (फिजिकल सेगमेंट) के तहत शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरित से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और कंपनी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अंतरण ज्ञापन तैयार करता है। हालांकि, प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक वास्तविक (फिजिकल) शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे अनुमोदित किया जाता है।

इसके अलावा, शेयर अंतरण समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों से अधिक के शेयरों का विभाजन/ समेकन/वास्तविक शेयरों का अंतरण करने के संबंध में शेयरधारकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करती है और उन्हें अंतरित करती है।

इसके अलावा, सूचियन विनियमन के 40(9) और (10) के अनुसरण में छमाही आधार पर व्यवसायी कंपनी सचिव से प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है जिसमें कंपनी द्वारा शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करते हुए निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का सभी अंतरण निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कर लिया गया है।

xii. शेयरधारिता का विवरण

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, शेयरधारिता का विवरण:

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयर	रकम (₹)	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	2,47,602	88.14	3,60,68,308	36,06,83,080	1.83
5001 - 10000	17,020	6.05	1,33,32,226	13,33,22,260	0.68
10001 - 20000	8,549	3.04	1,28,93,042	12,89,30,420	0.65
20001 - 30000	2,357	0.84	60,12,042	6,01,20,420	0.30
30001 - 40000	1,285	0.46	46,86,515	4,68,65,150	0.24
40001 - 50000	777	0.28	36,22,313	3,62,23,130	0.18
50001 - 100000	1,540	0.55	1,12,31,988	11,23,19,880	0.57
100001 और उससे अधिक	1,793	0.64	1,88,70,71,566	18,87,07,15,660	95.55
कुल	**2,80,923**	**100.00**	**1,97,49,18,000**	**19,74,91,80,000**	**100.00**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का पैटर्न

श्रेणी	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	कुल का प्रतिशत	शेयरों की सं.	कुल का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,16,25,04,472	58.86	59,87,67,680	60.64
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक/विदेशी संस्थागत निवेशक	42,12,35,190	21.33	21,10,23,712	21.37
बीमा कंपनियां	12,58,98,638	6.37	8,35,86,726	8.46
निवासी व्यक्ति	12,40,03,612	6.28	4,12,61,231	4.18
म्युचुअल फंड	7,47,55,196	3.79	2,07,39,064	2.10
निगमित निकाय	2,92,87,492	1.48	1,72,69,411	1.75
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	1,28,60,473	0.65	68,08,984	0.69
एच यू एफ	72,85,505	0.37	21,91,503	0.22
क्लियरिंग सदस्य	53,75,270	0.27	7,01,124	0.07
प्रवासी भारतीय	32,82,563	0.17	17,16,781	0.17

ट्रस्ट	32,01,068	0.16	12,54,264	0.13
बैंक	18,42,451	0.09	13,62,395	0.14
अप्रत्यायन योग्य प्रवासी भारतीय	18,27,181	0.09	–	–
कर्मचारी	11,04,570	0.06	5,92,011	0.06
एनबीएफसी	3,19,644	0.02	1,83,914	0.02
विदेशी राष्ट्रीयता	1,34,675	0.01	100	नगण्य
कुल	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**98,74,59,000**	**100.00**

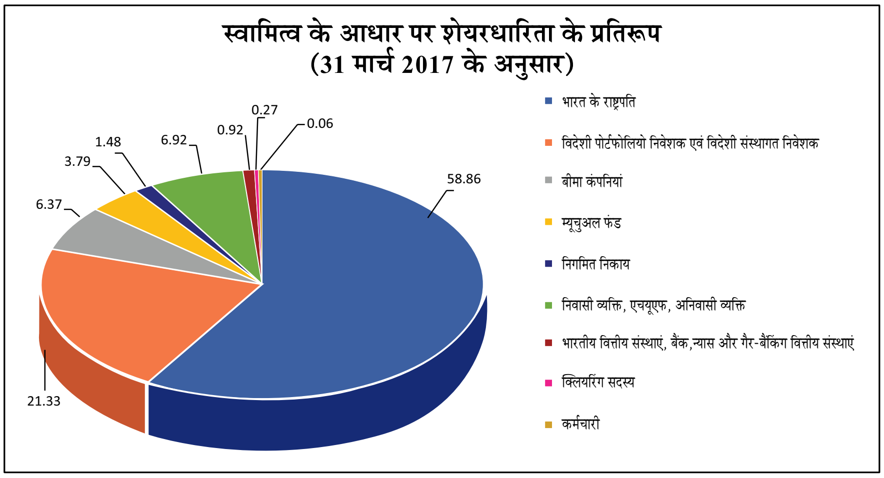

xiii. शेयरों का डीमैट किया जाना तथा तरलता

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट किए जाने के खंड (सेगमेंट) में हैं और नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं। डिपॉजिटरीज के नाम और पते इस प्रकार है:

नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 023

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार डीमैट किए गए और वास्तविक (फिजिकल) रूप में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों की प्रतिशतता
वास्तविक	17,107	52,185	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,78,086	193,08,13,647	97.77
सीडीएसएल (डीमैट)	85,730	4,40,52,168	2.23
कुल	**2,80,923**	**197,49,18,000**	**100.00**

xiv. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का लेखा मिलान

वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव, सिकंदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की और प्रत्येक शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का पुन:मिलान जारी किया। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयर पूंजी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध वास्तविक (फिजिकल) रूप में शेयरों की कुल संख्या और डीमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है और यह रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xv. डीमैट उचंत लेखा का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी किया जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक ऑफर) जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

डीमैट उचंत लेखे में 31 मार्च, 2017 को अदावाकृत शेयरों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017			
		आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)		अगला सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)	
		मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.	मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.
1.	01 अप्रैल, 2016 के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और उचंत खाते में अदावाकृत बाकी शेयरों की संख्या	263	21,431	4	390
2.	ऐसे शेयरों की संख्या, जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से सपर्क किया था	5	427	शून्य	शून्य
3.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिनके अदावाकृत शेयर वित्तीय वर्ष के दौरान उचंत खाते में अंतरित किए गए थे	5	427	शून्य	शून्य
4.	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों और अधिशेष खाते में बाकी अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	258	42,008 (बोनस शेयरों सहित)	4	780 (बोनस शेयरों सहित)

उक्त शेयरों के संबंध में वोट देने के अधिकार को उस समय तक बंद रखा जाएगा जब तक उनके सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करते हैं।

xvi. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखित, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखित नहीं किया गया है।

xvii. स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क की अदायगी की है।

xviii. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरियों) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी समय पर कर दी है।

xix. संयंत्र की अवस्थिति

क्योंकि कंपनी एक सरकारी वित्तीय संस्था है, अत: इसका कोई संयंत्र नहीं है। लेकिन पंजीकृत कार्यालय के अलावा इस कंपनी के देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय/राज्य कार्यालय हैं (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र स्थान पर उल्लिखित) तथा हैदराबाद में एक प्रशिक्षण संस्थान है।

xx. पत्राचार का पता:

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत

xxi. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

xxii. अनुपालन अधिकारी और सार्वजनिक प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ, महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत
टेलीफोन : 91-11-24367305, फैक्स : 91-11-24362039
ई-मेलः compliánceofficer@recl.in, jsamitabh@recl.in

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

रमेश

पी. वी. रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 02836069)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 अगस्त, 2017

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली।

हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टाक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 "पूंजीकरण विनियम" और सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तें का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का पालन किया है, जैसाकि डीपीई द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) 2010 के निगमित सुशासन संबंधी सूचीबद्ध विनियम दिशानिर्देशों में अनुबंधित हैं। तथापि, 8 फरवरी 2017 के पूर्व कंपनी के निदेशक मंडल का गठन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं था, जो की कंपनी के निदेशक मंडल की स्वतंत्र प्रभार महिला निदेशक की नियुक्ति की तिथि है ।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता संख्या 081085

(प्रियांशु जैन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 530262

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जुलाई, 2017

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IV

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या(सीआईएन):** एल40101डीएल1969जीओआई005095
2. **कंपनी का नाम :** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
3. **पंजीकृत पता:** कोर 4, स्कोर काम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4. **वेबसाइट:** www.recindia.nic.in
5. **ई-मेल पता:** complianceofficer@recl.in
6. **रिपोर्ट के अधीन वित्त वर्ष:** 2016-17
7. **क्षेत्र, जिसमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

   ग्रुप: 649, श्रेणी: 6492, उपश्रेणी : 64920: अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप-अन्य ऋण मंजूरी

   विवरण: इस श्रेणी में मुख्यतया उन संस्थानों की वित्तीय सेवा क्रियाकलाप शामिल है, जो ऋण देने से संबंधित मौद्रिक मध्यमान (जैसे कि उद्यम पूंजी कंपनियां, औद्योगिक बैंक, निवेश क्लब) में शामिल नहीं हैं, जहां ऋण की मंजूरी कई रूपों में, जैसे कि ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड, आदि रूप में हो सकती है।

   भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आईएफसी) के रूप् में नामोदिष्ट कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और कंपनी विद्युत क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी हुई है।
8. **तीन ऐसे मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी विनिर्माण कर रही है/ प्रदान कर रही है (जिनका उल्लेख तुलनपत्र में है)**

   आरईसी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र, दोनों की विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करता है। इसके मुख्य उत्पाद में आवधिक ऋण, मध्यवर्ती ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं। आरईसी को "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, यह भारत सरकार का देश में "सभी के लिए 24x7 बिजली" सुविधा प्रदान करने और समग्र ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अलावा, आरईसी को वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों में राज्य विद्युत यूटिलिटीओं, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋणों पर ब्याज में छूट देने की एक ब्याज सब्सिडी योजना है।
9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करती है**

   i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (पांच प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण दें) : कोई नहीं

   ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या : देश में आरईसी के 22 स्थानों, यथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकुला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, वड़ोदरा, बेंगलूरू, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद (क्षेत्रीय कार्यालय तथा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन {सायर} शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना, रायपुर और वाराणसी में कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी विजयवाड़ा, ईटानगर और इम्फाल में नए कार्यालय इस्थापित करने जा रही है ।
10. **बाजार, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है-स्थानीय/राज्य/ अंतर्राष्ट्रीय:**

    आरईसी केवल भारतीय बाजारों में कारोबार करता है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है।

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (₹) :** 1974.92 करोड़
2. **कुल कारोबार(₹)** : 24095.35 करोड़
3. **कर पश्चात कुल लाभ (₹)** : 6245.76 करोड़
4. **कर-पश्चात लाभ (%) के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल खर्च:**

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आरईसी ने पिछले तीन वित्त वर्षों के 146.57 करोड़ के सीएसआर बजट की तुलना में 2% औसत निवल लाभ पर 69.80 करोड़ की राशि कारपोरेट सामाजिक दायित्वों पर खर्च किये ।

संस्वीकृत परियोजनाओं के तहत संवितरण संस्वीकृति की शर्तों के अनुरूप पूर्व-परिभाषित परिलब्धियों की उपलब्धियों के साथ जुड़ा है। सीएसआर परियोजनाओं की लंबी शुरुआती अवधि के कारण इन परियोजनाओं के अंतर्गत संवितरण समान्यतया दो से तीन वर्षों की अवधि तक बरकरार रहा है जिसके परिणामस्वरूप वित्त-वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर खर्चों में कमी आई है। संवितरित नहीं की गई राशि वित्त-वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की जाएगी।

5. ऐसे क्रियाकलापों की सूची, जिन पर उपर्युक्त 4 में खर्च किया गया है:

जिन प्रमुख क्षेत्रों में उपर्युक्त व्यय किया गया है, उनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

क) स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल;

ख) शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं;

ग) वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएँ;

घ) पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता आदि;

च) ग्रामीण विकास संबंधी परियोजनाएं;

खंड ग: अन्य ब्योरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं?

जी हां। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियां हैं:

(i) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएनःयू40101डीएल 2007 जीओआई165779); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएनःयू40101डीएल 2007 जीओआई157558)

इसके अलावा 31,मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल की निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट, विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) वाली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां विद्यमान थीं:

i. दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनः यू40300डीएल 2015जीओआई288066)

ii. घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनः यू40300डीएल 2016 जीओआई308788

iii. ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनः यू40300डीएल2017 जीओआई310436)

iv. डब्ल्यूआर-एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40100 डीएल2017 जीओआई310478)

2. क्या सहायक कंपनी/ कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें।

जी हां। आरईसी व्यापक विषयों पर कारोबार दायित्व (बीआर) संबंधी पहलों के व्यापक समूहों में भाग लकेने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करता है।

वित्त वर्ष 2016 -2017 के दौरान, दो सहायक कंपनियां अर्थात आरईसीपीडीसीएल तथा आरईसीटीपीसीएल ने कारोबार दायित्व (बीआर) में भाग लिया, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क) आरईसीटीपीसीएल ने पूरे भारत में वितरण उपभोक्ता को बिजली कटौती की सूचना एसएमएस, ईमेल, पुश नोटिफिकेशन द्वारा देने हेतु "ऊर्जा मित्र" नामक आउटेज मेनेजमेंट सिस्टम विकसित करने में लगा हुआ है। 'ऊर्जा मित्र' पैन - इंडिया इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा नागरिको को उनके क्षेत्रों में विशेष बिजली कटौती सूचना को एंड्राइड और विंडोज पर उपलब्ध कराता है ।

ख) आरईसीपीडीसीएल देश के शेष 18,452 अविद्युतीकृत (यूई) गांवों के विद्युतीकरण के ग्रामीण विद्युतीकरण(आरई) कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता जांच की दैनिक निगरानी में लगा हुआ है, ऊर्जा मंत्रालय के मिशन के एक भाग के रूप में एक लक्षित समय सीमा के भीतर शेष यूई गांवों के विद्युतीकरण को पूरा करने में लगा हुआ है। । इस संबंध में परिलब्धियों में 18,452 गांवों के विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी करने के लिए, एक मोबाइल एप "गर्व" (ग्रामीण विद्युतीकरण) विकसित किया गया है शामिल हैं। यह मोबाइल एप बड़े पैमाने पर आम जनता सहित सभी हितधारकों को देखने के लिए उपलब्ध है। यह विद्युतीकरण संबंधी कार्यों की प्रगति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और मानीटरिंग टूल संबंधी दोनों ही कार्य करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ-साथ, अब घरेलु विद्युतीकरण पर भी ज़ोर दिया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, दिसंबर 2016 में अपडेटेड गर्व एप सभी 5.97 गाँवों के विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग करने के लिए लांच किया गया है । इसके अतिरिक्त, पोर्टल में संवाद नामक एक फीचर है, जो आम जानत को सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध कराया गया है, यह आम जानत को अपने प्रश्नों को पूछने तथा डिस्कॉम अधिकारियो के साथ बातचीत करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, पारदर्शिता तथा वचनबद्धता को स्थापित करता है।

ग) आरईसी ने अपनी सहायक कंपनियों जैसे की आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल बतौर एक कार्यान्वयन शाखा के रूप में विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है।

3. क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान /संस्था (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) है जो कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठान/संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें। (30% से कम, 30 से 60%, 60% से अधिक)

अपने सभी हितधारकों के लिए संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आरईसी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर बढ़े हुए अपने ध्यान सहित जिम्मेदार कारोबार पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है। उक्त के लिए आरईसी अपने कारोबार सहयोगियों को अपनी बीआर पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरईसी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के अधीन संपोषणीय परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात इनर्जी एफीसेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को काम पर लगाता है।

खंड घ: कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण :

क) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

डीआईएन : 03464342

नाम : श्री संजीव कुमार गुप्ता

पदनाम : निदेशक (तकनीकी)

ख) कारोबार दायित्व के प्रमुख का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	ब्योरे
1.	डीआईएन (यदि लागू हो)	03464342
2.	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
3.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
4.	दूरभाष नंबर	011-4309 1522
5.	ई-मेल पता	skgupta@recl.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति / नीतियां (उत्तर हां / नहीं में दें)

दिनांक 4 नवंबर, 2015 के परिपत्र के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) के अनुसार, सेबी ने यह तय किया है कि सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन के संबंध में उनके द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित नौ सिद्धांतों पर आधारित ढांचागत कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करें :

पी1 कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए।

पी2 कारोबार को ऐसे माल और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थायी योगदान दें।

पी3 कारोबार को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 कारोबार को सभी हितधारकों और विशेषत: ऐसे हितधारकों का जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 कारोबार का पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

पी7 जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को लागू करने में लगा हो, उसे जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।

पी8 कारोबार को समावेशी संवृद्धि और समान विकास को समर्थन देना चाहिए।

पी9 कारोबार को चाहिए कि वह जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के काम में लगा रहे और उन्हें बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करे।

(क) अनुपालन का दायित्व (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपकी इन सिद्धांतों के संबंध में कोई नीति/नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके यह नीति बनाई गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या इस नीति का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में किसी नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	क्या इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए कोई लिंक है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को इस नीति के संबंध में औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इस नीति/इन नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	ळां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंकों का इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है।

2 क. यदि किसी सिद्धांत के सामने क्रम संख्या 1 का उत्तर "नहीं" हो, तो कृपया बताएं कि क्यों नहीं (दो विकल्पों को ही टिक करें)

लागू नहीं है।

3. कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन

- **कृपया उस बारम्बारता का उल्लेख करें जिसमें निदेशक मंडढल के सदस्य, निदेशक मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। तीन माह के अंदर, 3-6 माह, वर्ष में, एक वर्ष से अधिक समय के भीतर।**

  वार्षिक आधार पर

- **क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का संपर्क साधन क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित की जाती है?**

  जी हां। आरईसी कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित करता है। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को देखने के लिए संपर्क सूत्र http://recindia.nic.in/uploads/files/ar2016-17.pdf है।

खंड ङ : सिद्धांतवार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1-नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. **क्या कंपनी में केवल नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति इसके अंतर्गत आती है? हां/नहीं। क्या इसे संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/अन्य पर भी लागू किया गया है?**

जी हाँ, नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति में कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ शेयरधारकों, सलाहकारों, विक्रेताओं, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं, ठेकेदारों, आरईसी के साथ व्यापार करने के लिए बाहरी संस्थाओं और / या आरईसी के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले अन्य पक्ष में शामिल है।

कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता के मुख्य सिद्धांतों पर हमेशा जोर दिया है। इस दिशा में, कंपनी की "कपट निवारण नीति" है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह कपट, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के बारे में निवारण, पता लगाने और सूचना देने का कार्य करे।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए 'चौकसी तंत्र' भी स्थापित किया है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंता अथवा शिकायत की रिपोर्ट कर सके। ऐसे चौकसी तंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में, आरईसी की यह व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, आरईसी और / अथवा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के भीतर किसी अनुपयुक्त गतिविधि का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 'संबंधित पार्टी के लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी के लेनदेन के व्यवहार पर नीति" बनाई है जिसमें पर्याप्त क्रियाविधि निर्धारित की गई है और जो ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन का निर्धारण करती है।

आरईसी ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए) भी बनाए हैं, जिनमें कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली के रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कर्मचारी के संबंध में कदाचार के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश/अनुदेशों आदि का भी इस संबंध में पालन किया जाता है। उपर्युक्त नीति, नियम, दिशानिर्देश/अनुदेश आदि आरईसी की सहायक कंपनियों पर भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य हितधारकों से आरईसी के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की पुष्टि करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" भी अंगीकृत की गई है, जिसमें व्यवहार और नैतिकता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की उचित प्रक्रिया संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने भी अपने ऋण से चलने वाले कार्यों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार की है जो उचित लेन-देन और अपने व्यावसायिक लेनदेनों में पारदर्शिता लाने हेतु सभी कर्जदारों को कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन देने की इच्छा रखती है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषपूर्ण ढंग से समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।**

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अधीन कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी को 9 सामान्य शिकायतें (अज्ञात /छद्मवेशी शिकायतों के अलावा) प्राप्त हुईं। थी। इनमें से 3 शिकायतें (यानी 33%) को वित्त वर्ष 2016 -2017 के दौरान हल कर लिया गया और शेष की जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति) से क्रमशः 943 और 3256 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान शेयरधारकों एवं बांडधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों को संतोषपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया।

सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में स्थायित्व

1. **अपने उत्पादों या सेवाओं में से किन्ही 3 की सूची दीजिए, जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों के संबंध में शामिल किया गया हो।**

आरईसी का मुख्य कारोबार विभिन्न राज्य ऊर्जा यूटिलिटीओं, निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट डेवलपर्स, केंद्रीय ऊर्जा यूटिलिटीओं तथा राज्य सरकारों को विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं तथा अन्य प्रणाली सुधारो योजनाओं/पहलो में निवेश के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान अपने ऋण संचालनों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करता है। आरईसी भारत सरकार की पहल डीडीयूजीजेवाई के अधीन सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली पहुंचाने के लिए रियायती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराने की नीति है।

आरईसी ने लक्षित समय-सीमा के भीतर देश के शेष 18,452 अविद्युतिकृत गांवों के विद्युतीकरण की निगरानी करने की पहल भी की है तथा प्रत्येक गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति पर वास्तविक अद्यतन उपलब्ध करने के लिए एक मोबाइल ऐप्प "गर्व" को विकसित किया है। इसके अतिरिक्त,देश के 5.97 लाख घरों में बिजली उपलब्धता के कार्यान्वयन के संबंध में वास्तविक अद्यतन उपलब्ध करने के लिए के संबंध में गर्व को नये फीचरों के साथ अपडेट किया गया है तथा जनता की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए,यह नागरिको को अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों को दर्ज़ करने के लिए एक नागरिक भागीदारी विंडो 'संवाद' भी उपलब्ध कराता है जो डिस्कॉम के अधिकारियों को उनके डैशबोर्ड पर एसएमएस और ईमेल के द्वारा स्वतः ही सूचना दे देता है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की केंद्रीय पहल को धयान में रखते हुए, कंपनी की गैर-पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए एक परिभाषित नीति तंत्र है। इस संदर्भ में, कंपनी ने ऋण सीमाओं में संशोधन द्वारा निजी क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पर्यावरणीय चिंताओं को धियान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की ब्याज दरों को घटा दिया है । कंपनी ने डॉलर मूल्यित ग्रीन बांड्स जारी किये जाने के माध्यम से धन भी अर्जित किया है तथा इससे प्राप्त निवल आय का पुनः वित्तपोषण और नयी पात्र हरित परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिसमें जलवायु बोर्ड मानकों के अनुसार मुख्यताः सौर ऊर्जा, पवन, बायोमास और पनबिजली ऊर्जा के क्षेत्र शामिल हैं।

2. प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग के संबंध में (ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि) निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

कंपनी के कारोबार की प्रकृति और उपर्युक्त उत्पादों / पहलों को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए प्रश्न आरईसी को सीमित प्रयोज्यता प्रदान करते हैं:

i. मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान की कटौती?

चूंकि हमारे उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं,कंपनी में उपभोग किए जाने वाले प्रमुख संसाधन हैं बिजली और कागज। वर्ष के दौरान,आरईसी ने कर्मचारियों के प्रति जागरूकता फैलाने,कागज की खपत में कटौती,कागज की खरीद प्रथाओं को कुशलतापूर्वक और अपशिष्ट पेपर प्रबंधन सुधार के रूप में संसाधनों के उपभोग को अनुकूलित करने के लिए कई पहल की है। इसके अतिरिक्त,कंपनी ने अपने परिचालनों के डिजिटलीकरण के लिए एक आईटी प्रबंधन सलाहकार भी नियुक्त किया है,ताकि कागज के उपभोग को कम करके एक पेपरलेस कार्यालय का परिवेश बना सके।

ii. पिछले साल से उपभोक्ताओं द्वारा (ऊर्जा, जल) उपयोग के दौरान की गई कमी है?

चूंकि आरईसी के उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं, उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा और पानी जैसे संसाधनों की खपत कम थी तथा इसे और कम करने के प्रयास किए गए थे।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी स्त्रोतों के स्थान पर प्रक्रियाएं है (जिसमें परिवहन भी शामिल है) यदि हां, तो आपके निवेश की कितनी प्रतिशतता की स्थायी स्त्रोतों से व्यवस्था की जाती है?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। हमारी प्रमुख महत्वपूर्ण अपेक्षाएं कार्यालय, संचार एवं आईटी से संबंधित उपकरण हैं। अपनी प्रापण जरूरतों के सीमित कार्य-क्षेत्र के बावजूद हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार स्त्रोतीकरण को सुनिशचित करने के लिए पहल बनाए हुए हैं। हमारे प्रमुख प्रापण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले विस्तृत प्रापण दिशानिर्देश हैं।

4 क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई की है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। तथापि, हम अन्यों से तुलना करने की बजाए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान एवं सेवाओं को तरजीह देते हैं। हम प्रापण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन करते हैं।

5 क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए कोई तंत्र है? यदि हां, तो उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण की प्रतिशतता क्या है (5% से कम, 5% से 10% तक, 10 प्रतिशत से अधिक के रूप में अलग-अलग) इसके ब्योरे लगभग 50 शब्दों में दें।

कंपनी, जो एक वित्तीय संस्थान है, के पास उत्पादों एवं अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए सीमित तंत्र क्षमता है। तथापि, कंपनी ने इनके पुनः चक्रण के लिए कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपरों को एकत्र करने के लिए तंत्र को आउटसोर्स किया है।

इसके अतिरिक्त, हम केवल सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अवशिष्ट पुनः चक्रण के जरिए ई-अवशिष्ट की संपूर्ण मात्रा को कम से कम करने के और महत्वपूर्ण निपटान के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा चक्रण यथा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2011 के विशिष्ट उद्देश्य का अनुसरण कर रहे हैं।

सिद्धांत 3 : कर्मचारी हित

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 566 कर्मचारी थे।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने अस्थायी /संविदा/नैमित्तिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को भाड़े पर नहीं रखा था। तथापि, हाउसकीपिंग/साफ-सफाई/सुरक्षा आदि के लिए बाहरी ठेकेदारों के माध्यम से ठेके पर काम कराया जा रहा है।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 96 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 14 दिव्यांग स्थायी कर्मचारी थे।

5. क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों की ऐसी कोई संस्था है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो?

जी हां, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों की यूनियन और कार्यपालकों की एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की है।

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?

कंपनी के सभी नियमित कर्मचारी, कर्मचारी यूनियन या कार्यपालक एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्त वर्ष के अंत में लंबित ऐसी शिकायतों का उल्लेख करें।

कंपनी को बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्त वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2017 तक ऐसी कोई शिकायत भी लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी न तो बाल मजदूर/बंधुआ मजदूर/बंधुआ मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर को किसी भी रूप में काम पर लगाती है और न कोई भेदभावपूर्ण नियोजन परिपाटी अपनाती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित ढांचा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष कपंनी की वरिष्ठ स्तरीय महिला अधिकारी है और इसके एक सदस्य के रूप में एक एनजीओ प्रतिनिधि शामिल है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अवस्थिति भी आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में बताई गई है।

8. आपके निम्न उल्लिखित कार्मिकों को पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन का क्या प्रशिक्षण दिया गया?

(1) स्थायी कर्मचारी

(2) स्थायी महिला कर्मचारी

(3) नैमित्तिक / अस्थायी/संविदा कर्मचारी

(4) दिव्यांग कर्मचारी

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के संबंध में इन प्रश्नों की सीमित सुसंगता है। तथापि, कंपनी का अपने कर्मचारियों को सतत कौशल उन्नयन प्रदान करने में ध्यान केंद्रित है।

कर्मचारी का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। आरईसी की उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया है और यह अपने कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में किसी मापदंड में भेदभाव नहीं करती है। आरईसी के 31.36% स्थायी कर्मचारियों, 23.16% स्थायी महिला कर्मचारियों और 50% दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कौशल उन्नयन, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 589 प्रशिक्षण श्रम दिवस लगे हैं।

कंपनी का हैदराबाद में "सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)" नामक प्रशिक्षण संस्थान भी है, जहां इसके कर्मचारियों हेतु बदलती हुई कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कर्मचारियों के लिए अभिमुखी सत्र, विभिन्न प्रकार्यात्मक अकादमियों द्वारा संचालित कार्यक्रम, नेतृत्व प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 4- हितधारकों से जुड़ाव

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को चिन्हित किया है?

जी हां। कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं। बाहरी हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉन्डधारक, लेनदार, राज्य सरकार, राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य बिजली यूटिलिटी और अन्य उधारकर्ता, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य नियामक निकाय शामिल हैं।

2. उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है?

जी हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है। आरईसी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निशुल्क टेंडर सेट जारी करने, बयाना राशि के भुगतान में छूट, जिस मौद्रिक सीमा तक यूनिट पंजीकृत है उतनी सीमा की सिक्योरिटी जमा की छूट, जैसी सुविधाएं देता है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अवसर प्रदान करता है।

इसके अलावा आरईसी ने सेवा के दौरान स्टाफ एवं उनके आश्रितों से संबंधित कर्मचारी अभिमुखी नीतियों को सामान्य नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में स्वीकार किया है और ठोस नीतिपरक पद्धतियों का कर्मचारी लाभों, भर्ती में समान अवसरों की प्रतिबद्धता और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय रूप से अपनाया है, जो सुरक्षा, पोषण का माहौल प्रदान करने और व्यावसायिक आकांक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। कंपनी, भर्ती में महिलाओं और ओबीसी/एससी/एसटी/शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/मार्गदर्शी नियमों का भी पालन कर रही है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के अधीन, कंपनी युवाओं और महिलाओं सहित को कार्य-अभिमुखी कौशल विकास प्रशिक्षण देने और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं, महिला सशक्तीकरण, वृद्धाश्रम, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने, ग्रामीण विकास परियोजनाओं तथा वातावरण स्थात्तव आदि पर बल देता है।

3. क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों के जुड़ाव के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।

जी हां। कंपनी नियमित रूप से अपने आंतरिक एवं बाह्य साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों से जुड़ने के लिए पहल करती है। आरईसी मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में "यूएन ग्लोबल कांपैक्ट" के सिद्धांत का मोटे तौर पर पालन करती है, जो वैश्विक रूप से सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त,एससी/एसटी के स्वामित्वाधीन वाले माइक्रो और लघु उद्यमों सहित एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 में उल्लिखित सभी निदेशों को आरईसी प्रापण दिशानिर्देश में शामिल कर लिया गया है।

प्रत्येक वर्ष कंपनी सीएसआर और धारणीयता कार्यकलापों के लिए अपने निवल लाभ का कुछ प्रतिशत अलग से निर्धारित करती है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, प्रौढ़, दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं आदि को समर्थ बनाने की दृष्टि से, बहुत सारे लाभग्राहियों तक पहुंच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामाजिक रूप से लाभदायक परियोजनाओं को निधि और समर्थन देने के लिए है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान शुरू की गई इस तरह की कुछ पहलें निम्नवत हैं :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आरओ वाटर प्लांट, बोर वेल के माध्यम से साफ़ पेय जल, सचल स्वास्थ्य देखभाल वैन, स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में बुनियादी ढांचा/सुविधाएं स्थापित करना/उच्चीकृत करना, समाज के कमजोर वर्ग के चुने हुए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र, उपकरण और कृत्रिम अंगों आदि का वितरण करना आदि ।
2. सरकारी विद्यालयों में जल प्रबंधन परियोजनाएं, यंत्रीकृत स्वच्छता स्थापित करना, ठोस म्युनिसिपल कचरा एकत्र और ढुलाई और स्वच्छ भारत कोष में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगदान करना ।
3. सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, कार्य-अभिमुखी, कौशल विकास प्रशिक्षण देना, साथ ही रोज़गार पैदा करने क लिए खादी चरखा बुनाई और कपड़ा उद्योग लगाना।

4 विभिन्न शिक्षात्मक संस्थानों के कैंपस में एसपीवी प्लांट स्थापित करना , सोलर माइक्रो ग्रिड ग्रामीण घरो में और ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना।

5. ग्रामीण जीविका को बेहतर बनाने के लिए किसान केन्द्रित एकीकृत वाटरशेड का विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाना।

सिद्धांत 5 : मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

1. क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को शामिल करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों / गैर-सरकारी संगठनों / अन्य लोगों को भी शामिल करती है?

आरईसी "यूएन ग्लोबल कांपैक्ट" का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा मूल सिद्धांतों और कार्य के अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, पर्यावरण और विकास संबंधी आरआईओ घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन से प्राप्त किए जाते हैं।

कंपनी के कारोबार को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं तथा कर्मचारियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही अच्छी नैतिक व्यवहार संबंधी पद्धतियों के अनुसार है इसके अंतर्गत कर्मचारियों के हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण जैसे क्षेत्र आते हैं, जिनके माध्यम से सुरक्षा का वातावरण, व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास और अवसर मुहैया कराने की कोशिश की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि स्थायी संगठन मानव अधिकारों की नैतिकता और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है और कंपनी विविध उम्मीदवारों के पूल से अधिकतम प्रतिभावान लोगों की भर्ती, विकास और उन्हें रिटेन करते हुए कार्यस्थल की विविधता सुनिश्चित करती है। यह उस सिद्धांत को महत्व देती है जो प्रतिभा और कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ता है और समान अवसरों के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण सहित मानव के हितों पर भी बल देती है। यह ऐसे आचरण को हतोत्साहित करती है, जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है?

कंपनी को हितधारकों से मानव अधिकारों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 - पर्यावरण संरक्षण

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों पर भी लागू होती है।

कंपनी अपने समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों को पर्यावरण बचाव और स्थिरता पर केंद्रित पहलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनी की पर्यावरण बचाव से जुड़ी नीति उसके सभी समूह कंपनियों पर भी लागू होती है। वित्त वर्ष 2016 -2017 में, आरईसी ने स्वच्छ भारत कोश में 50 करोड़ रुपयों का योगदान दिया है, यह भारत सरकार की वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा स्वच्छ भारत लक्ष्य को प्राप्त की एक पहल है, जो महात्मा गाँधी की 150वीं वर्षगांठ का साल है। स्वच्छ भारत कोष में जमा हुई राशि का उपयोग ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों, तथा सरकारी विद्यालयों में शौचालय निर्माण /मरम्मत /नवीकरण, तथा बेहतर स्वछता और सफाई जैसी अन्य पहलों में होगा जिसमें ठोस / तरल कचरा अनुबंधन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आरईसीटीपीसीएल ने सीएसआर पहल के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोष में 32.26 लाख रुपयों का योगदान किया है, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। साथ ही, ग्राहकों(उधारकर्ताओं) को भी अपने संचालन में पर्यावरणीय और सामाजिक नियमों का अनुपालन करना है।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/पहल है? कृपया हां / नहीं में उत्तर दें। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए संबंध संपर्क सूत्र दें।

आरईसी , एक एनबीएफसी-आईएफसी होने पर , अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करते हुए हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दिए जाने पर अधिक जोर दे रहा है, जिसमें सौर, पवन, बायोमास , सह-उत्पादन, लघु जलविद्युत परियोजनाएं आदि शामिल हैं, जिसके चलते देश गैर-कार्बन गहन ऊर्जा उत्पादन की ओर बढ़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, आरईसी वैश्विक पर्यावरण मामले जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को सुलझाने के लिए देश भर में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीयन योजनाएं शुरू की है। कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को पारम्परिक उत्पादन परियोजनाओं की तुलना में कम ब्याज दर पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2016 -2017 के दौरान , आरईसी ने 16 नई ग्रिड कनेक्शंस से जुड़े अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को ₹ 2089.77 करोड़ की सहायता दी है जिसमें सौर ऊर्जा , पवन और लघु जलविद्युत परियोजना शामिल हैं। इसके साथ ही, अक्षय ऊर्जा को वित्त वर्ष 2016-2017 में 1617.68 करोड़ की अदायगी की जो पिछले 5 साल आरईसी की संचय अदायगी से अधिक है।

हाल ही में, आरईसी ग्रीन बांड लांच करने वाला देश का पहला पीएसयू बना है, जो अमरीकी डॉलर मूल्य वर्ग के है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इससे प्राप्त आय का का पुनः वित्तपोषण, नयी पात्र हरित परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिसमें जलवायु बोर्ड मानकों के अनुसार मुख्यताः सौर ऊर्जा, पवन, बायोमास और पनबिजली ऊर्जा के क्षेत्र शामिल हैं।

3 क्या कंपनी ने पर्यावरणीय संभावित संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन कर लिया है? हां/नहीं।

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, आरईसी सभी बुनियादी सुविधाओं वाली ऐसी परियोजनाओं में संभावित पर्यावरण और सामाजिक जोखिम का पता लगाता है और उनका मूल्यांकन करता है, जो आरईसी द्वारा वित्तपोषित हैं। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कमी करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, गौण सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4. क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है?

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नतीकरण हेतु वित्तपोषण के लिए विशेष योजना शुरू कर अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर अन्य कोई भी पहल की है। कृपया हां / नहीं में उत्तर दें। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के संबंध में हाइपरलिंक दें।

जी हां। कंपनी, विकेन्द्रीकृत वितरित जनरेशन (डीडीजी) योजना के तहत, पारंपरिक या अक्षय गैर-परंपरागत स्रोतों जैसे बायोमास, बायोगैस, माइक्रो हाइड्रो, विंड, सोलर आदि डीडीजी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के प्रवाह के लिए एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा, आरईसी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण देता है। आरईसी के कार्यालयों को सभी पारंपरिक प्रकाश फिटिंग / सीएफएल के प्रतिस्थापन के द्वारा ऊर्जा कुशल एलईडी रोशनी के साथ अधिक ऊर्जा कुशल भी बनाया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आरईसी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 5,000 सौर पंप्स की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश लिमिटेड दक्षिणी पावर वितरण कंपनी (एपीएसपीडीसीएल) को ₹ 140 करोड़ की मंजूरी दे दी है । कंपनी से संबंधित पहलों के अधिक विवरण के लिए, कृपया 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट' देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

6. क्या वित्तीय वर्ष में सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी जाने वाली अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट की सूचना दी जा रही है?

उपरोक्त प्रश्न कंपनी के लिए सीमित प्रासंगिकता का है क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है हालांकि, कंपनी परिसर और परिचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है।

7. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित (यानि की संतोषजनक स्तर का हल नहीं) सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त होने वाले कारण बताओं / कानूनी नोटिस की संख्या।

आरईसी को सीपीसीबी / एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/ कानूनी नोटिस नहीं मिला है।

सिद्धांत 7 : उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन

1. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।

जी हां। आरईसी विश्व एनर्जी काउंसिल, भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई),फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की),

केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), दि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पॉवर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) और ग्लोबल कंपैक्ट का सदस्य है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों के सदस्य के रूप में विद्युत क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करने में योगदान देते हैं।

2. क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी/लॉबी की है? हां/नहीं; यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें। (ड्रॉप बॉक्स : सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा स्थायी कारोबार के सिद्धांत, अन्य)

कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त संस्थाओं के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मुद्दे उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, वृद्धों और दिव्यांगो की देखभाल, स्वच्छ भारत कोश आदि में योगदान सहित पेयजल और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों को क्रियान्वित किया है।

सिद्धांत 8 : समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास

1. क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उनका विवरण दें।

कंपनी अपनी सीएसआर और संपोषणीय नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास के सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम /पहलें/ परियोजनाएं अपनाता है। इस नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, किए गए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों और पहलों के बारे में विस्तृत सूचना "कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट" में दिए गए हैं, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

2. क्या इन कार्यक्रमों / परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल / अपने फाउंडेशन /बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे / अन्य किसी संगठन द्वारा किया गया है?

यह कंपनी अपने कार्यों के मुख्य क्षेत्रों के अनुसार विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर क्रियाकलाप /परियोजनाओं के संबंध में कार्य करती है। ये एजेंसियां सरकारी संगठन/अर्द्ध सरकारी संगठन/पीएसयू /स्वायत्त संगठन/सहायक कंपनी/धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी या पंजीकृत न्यास / सरकारी विभाग और /या ऐसे संगठन हो सकते हैं, जिन्हें इसी प्रकार के कार्य का सरकारी / अर्द्धसरकारी / पीएसयू/ स्वायत्त संगठन के साथ कार्य करने का पिछला अनुभव हो।

3. क्या आपने अपनी पहलों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?

जी हां, कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीय नीति के अधीन कंपनी की ऐसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों की समीक्षा करने की व्यवस्था है, जहां प्रमुख पहलों की प्रगति की इसके प्रभावों सहित मॉनीटर किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है-भारतीय रुपए में राशि और संचालित परियोजनाओं के ब्योरे?

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों पर रुपए 146.57 करोड़ की रकम स्वीकृत की थी, इसके साथ ही आरईसी ने कौशल विकास, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, वृद्धों और दिव्यांगो की देखभाल, स्वच्छ भारत कोश आदि में योगदान सहित पेयजल और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में 181.23 करोड़ स्वीकृत किया है, तथा जिसकी अदायगी की अवधि, स्वीकृति शर्तों के अनुसार पूर्व-परिभाषित परिलब्धियों की उपलब्धि के आधार पर 2 से 3 वर्ष है।

5. क्या आपने सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है? कृपया, लगभग 50 शब्दों में बताएं?

कंपनी ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के अधीन समुदाय, सरकारी एजेंसी/विभाग, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्थानीय संस्था जैसे स्टेक होल्डरों को परियोजना की योजना बनाने और कार्यान्वयन संबंधी कार्य में सक्रिय रूप से लगाने को बढ़ावा देती है, ताकि कार्यक्रम की संपोषणीयता को सुनिश्चित करते समय विकास और निर्माण में समुदाय का स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके। समुदाय की प्रतिपुष्टि उसी या अन्य स्थानों ऐसे कार्यक्रम के भावी विकास में उचित रूप से शामिल किया जाता है।

सिद्धांत 9 : ग्राहक मूल्य

1. वित्त वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों / उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2017 तक, विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में बाँडों में निवेशकों से संबंधित तीन मामले लंबित हैं, जिनमें से तब से एक मामले को सुलझाया गया है।

2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)

उपर्युक्त लागू नहीं है क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में इसके उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में उपर्युक्त प्रकटन किए गए हैं। इस संबंध में, कंपनी ने ऑनलाइन पर "उधारकर्ता पोर्टल" विकसित कर उधारकर्ता को सीधे ईआरपी का लाभ दिया है ताकि वे वास्तविक समय आधार पर ऋणों और स्कीमों की स्थिति जान सकें।

3. क्या किसी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्त वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं? यदि हां, को कृपया लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

आरईसी अपनी सहायक कंपनियों सहित नीति विषयक पद्धतियों और नैतिक तथा कानूनी कारोबार संबंधी आचरण के उच्चतम संभव मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी-प्रतिस्पर्धी व्यवहार की कोई शिकायत लंबित नहीं है । तथापि,वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पीडीसीएल के खिलाफ एक मुखबिर (नाम गुप्त रखा गया है) द्वारा दायर की गई सूचना पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अब सीसीआई ने कंपनी के पक्ष में इस मामले का निपटान कर दिया है। इस संबंध में यह टिप्पणी की गई हैं कि प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 की धारा 4 के प्रावधानों का आरईसीपीडीसीएल और अन्यों के खिलाफ कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता और इस मामले को बंद करने का आदेश दिया जाता है।

4. क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि संबंधी प्रवृत्ति का सर्वेक्षण किया है?

आरईसी उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखता है। उपभोक्ताओं के साथ समय-समय पर बैठक (बैठकें) आयोजित की जाती हैं, ताकि उनकी अपेक्षाओं को समझा जा सके और हम कारोबार में अपनी प्रतियोगिता को अनिवार्य रूप से माप सकें।आरईसी पूरे देश में अपनी उपस्थिति को बढ़ाती है, ताकि अपने कारोबार यूनिटों यथा आंचलिक और परियोजना कार्यालयों के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ सतत संपर्क बनाए रखता है और उनके मुद्दों को तत्काल निपटाता है। उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि पर कार्रवाई की जाती है, ताकि सेवा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके। वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं, ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके। इन बैठकों में ऐसे सभी मामलों पर विचार किया जाता है और शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक सभी उपायों के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पूर्व में मैसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के माध्यम से पूरे देश में अपने प्रतिष्ठित उपभोक्ताओं का उपभोक्त संतुष्टि सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारी विद्युत एनटिटीज और प्राइवेट विद्युत एनटिटीज भी शामिल थे। इस सर्वेक्षण का समग्र उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) के अंक 85.7 थे, जो औसतन अमेरिकी उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) में सर्वोच्च बैंकिंग सेवा है।

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1

क्रम संख्या 3 : आरईसी में कंपनी की कपट निवारण नीति, कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता तथा व्हिसल ब्लोअर नीति है। कपट निवारण संबंधी नीति में व्यापक रूप से कपट का पता लगाने और उसक निवारण की प्रणाली, ऐसे कपट की सूचना देने की प्रणाली, जिसका पता लगाया हो या जो संदिग्ध हो और निष्पक्ष कपट से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की व्यवस्था है। साथ ही, सूचीकरण करार के अधीन निगमित सुशासन की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता तैयार की है, जो ऐसे व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों पर आधारित है, जिनके संबंध में कंपनी का विश्वास है कि उसके सभी कर्मचारियों द्वारा उन्हें अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चौकसी तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में, अनैतिक व्यवहार के बारे में उनकी वास्तविक चिंता अथवा शिकायत, वास्तविक अथवा संदिग्ध पट अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिकता नीति के उल्लंघन का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में आरईसी के निदेशकों और कर्मचारियों और / या इसकी सहायक कंपनियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई गई है। कंपनी ने संबंधित पार्टी लेन-देन पर भौतिकता संबंधी नति और संधित पार्टी लेन-देन संव्यवहार ("आरपीटी नीति") भी बनाई है जिसमें पर्याप्त प्रक्रिया और ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन निर्धारित किए गए हैं।

क्रम संख्या6 : कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए है:-

नीति का नाम	वेबलिंक
कपट निवारण नीति	http//:www.recindia.nic.in/uploads/files/prevention_fraud_policy.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/WhistleBlowerPolicy.pdf
कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/CodeBusinessConductEthics.pdf
निष्पक्ष व्यवहार कोड	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/fairpracticecode.pdf
संबंधित पार्टी लेन-देन और व्यवहार की महत्वपूर्ण नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPT.pdf
सहायक कंपनियों के महत्व संबंधी नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/PolicyDeterminingMaterialSubsidiaries.pdf
स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने के लिए इवेंट्स या सूचना के महत्व को निर्धारित करने के लिए मापदंड संबंधी नीति	http://www.recindia.nic.in/uploads/files/PolicyonMaterialityofEvents.pdf
लाभांश वितरण नीति	http//://www.recindia.nic.in/uploads/files/DividendDistributionPolicy.pdf

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच है।

पी2

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए धारणीय कारोबार पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रयास करती है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा दिया है।

क्रम संख्या 6 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति

कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में प्रस्तुत है: http://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR_Policy_24.01.2017.pdf

पी3

क्रम संख्या 3. सामान्य कानून और विनियमों तथा देश में अपनाए जाने वाले अच्छे नैतिक व्यवहार के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना शामिल है जो व्यावसायिक महत्वकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए देखभाल का परिवेश, पोषण और अवसर प्रदान करने के प्रयास करता है।

क्रम संख्या 6. इन नीतियों को कवेल संगठन के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।

पी4

यह सिद्धांत सभी हितधारकों, विशेष रूप से उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के पहलुओं को सुनिश्चित करता है, जो साधनहीन, संवेदनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं और इसके लिए कंपनी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं तय कर रखी हैं। इसके अलावा, कंपनी रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल जिसमें वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत आदि के प्रोन्नयन जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके समावेशी संवृद्धि के संबंध में कार्य करती है।

क्रम संख्या 6-कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में प्रस्तुत हैं : http://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR_Policy_24.01.2017.pdf

पी5	क्रम संख्या 3-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता, उत्पीड़न और धमकी का निषेध एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम संख्या 6-कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध है: http// :recindia.nic.in/uploads/files/CodeBusinessConductEthics.pdf
पी6	इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति के सुसंगत नहीं हैं। यह कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली पहलों में भाग लेती हैं। कंपनी परियोजना ऋण के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानकों/अपेक्षाओं का अनुपालन करें।
पी7	तथापि, इस सिद्धांत के संबंध में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापित कंपनी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में पहलों के प्रोन्नयन के लिए कार्य कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास परियोजनाएं और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रोन्नयन के संबंध में कार्य किया जा सके।
पी8	आरईसी अपनी सीएसआर और संपोषणीय नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और साम्ययुक्त विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, आरईसी ने इस संबंध में विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-जीविका बढ़ाने वाले, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन / प्रोन्नत करना, चुने हुए जिलों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास परियोजना क्रम संख्या 6-कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीय नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध है : http://www.recindia.nic.in/uploads/files/CSR_Policy_24.01.2017.pdf
पी9	क्रम संख्या 3-कंपनी की ऋण और ग्राहक प्रतिपूर्ति नीति के संबंध में उचित परिपाटी और शिकायत निवारण फोरम है, जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की पुष्टि करते हैं। क्रम संख्या 6-उपरोक्त कोड http://www.recindia.nic.in/uploads/files/fairpracticecode.pdf पर ऑनलाईन देखा जा सकता है।
	सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा की जाती है और समय-समय पर कंपनी में इनकी आंतरिक समीक्षा की जाती है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मचारी नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(सीआईएन:एल40101डीएल1969जीओआई005095)
कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कारपोरेट पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई है कि कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय अभिव्यक्त करने का यथोचित आधार उपलब्ध कराया गया है।

हम रिपोर्ट देते हैं कि-

(क) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय को व्यक्त करना हमारी ज़िम्मेदारी है ।

(ख) हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जैसा कि हम सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना उचित था। सचिवालय के अभिलेखों में सही तथ्य दिख रहे हैं यह सुनिश्चित करने हेतु सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हम मानते हैं कि हम जो प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन करते हैं, वे हमारे विचारों के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

(ग) हमने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

(घ) जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों की अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

(ड़) कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, नियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए सीमित थी।

(च) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के रूप में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कंपनी के लेखा बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर हमारा सत्यापन आधारित है, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2017 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त वित्त वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे लिखे गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी की उपयुक्त बोर्ड प्रक्रिया है और अनुपालन तंत्र. सही है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और रूरल इलेट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956("एससीआरए") और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:-

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) *भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(च) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी;

(ज) *भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009;

(झ) *भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति प्रतिक्रय) विनियम, 1998;

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015।

** ऑडिट की अवधि के दौरान इन नियमों के तहत कोई इवेंट नही हुआ था।*

हमने निदेशक मंडल की बैठकों और सामान्य बैठकों पर भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक के लागू होने वाले नियमों के अनुपालन के साथ जांच की है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, नियम और विनियम के प्रावधानों का पालन किया है, जिसमें लागू सीमा तक, एक संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और कंपनी द्वारा दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार हाथ की लंबाई, लेखा परीक्षा समिति की वास्तविक अनुमोदन प्राप्त किया गया, जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुरूप नहीं है।

(vi) कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में वर्गीकृत है और कंपनी बिजली क्षेत्र के लिए वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी हुई है। प्रबंधन द्वारा पुष्टि के अनुसार, कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू होने वाले कुछ कानून निम्नलिखित हैंः -

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियम, विनियम और निर्देश;
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश।

हमने कंपनी के अनुपालन प्रबंधन प्रणाली की जांच की है ताकि विशेष रूप से लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम की पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके और यह सत्यापन परीक्षा के आधार पर किया गया। हमारा मानना है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट सबूत, पर्याप्त और उचित हैं। हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम मानते हैं कि कंपनी के लिए लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी का अनुपालन प्रबंधन प्रणाली पर्याप्त है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठित है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है। एजेंडे पर कार्यसूची और विस्तृत नोट्स बैठकों से पहले भेजी जाती हैं और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा की वस्तुओं पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड के निर्णयों को सर्वसम्मति के साथ किया जाता है और इसलिए, कार्यवृत्त को हिस्से के रूप में कैप्चर करने और रिकॉर्ड करने के लिए किसी असहमतिपूर्ण विचार की आवश्यकता नहीं थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को मॉनिटर करने और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्यों ने 21 सितंबर, 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में निम्नलिखित विशेष संकल्पों को पारित किया:-

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के उपबंधों एवं अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू विधियों के अनुसरण में, शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों के निजी स्थापन द्वारा एक या अधिक भाग में ₹ 50,000 करोड़ (मात्र पचास हजार करोड़ रुपए) तक निधियों को जुटाना;

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 के उपबंधों एवं अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू विधियों के अनुसरण में, कंपनी के 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' के क्रेडिट की स्थायी राशि में से बोनस शेयर के रूप में प्रत्येक ₹ 10/- के अधिकतम 98,74,59,000 (मात्र अट्ठानबे करोड़ चौहत्तर लाख, उनसठ हजार) इक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आवंटन हेतु अधिकतम ₹ 987,45,90,000/- (मात्र नौ सौ सत्तासी करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार रुपए) की राशि का पूंजीकरण करना;

ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और 61 के उपबंधों एवं अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू विधियों के अनुसरण में, प्रत्येक ₹ 10/- के 500,00,00,000 (मात्र पांच सौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित कंपनी की अधिकृत शेयर में पूंजी ₹ 5000,00,00,000/- (मात्र पांच हजार करोड़ रुपए) तक बढोतरी करने के लिए संस्था के बहिर्नियम के खंड V में संशोधन करने उसका प्रतिस्थापन करना; और

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के उपबंधों एवं अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू विधियों के अनुसरण में, कंपनी के विद्यमान संस्था के अंतर्नियम में अंतर्निहित विनियमों के प्रतिस्थापन और संपूर्ण अपवर्जन में, कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों का अनुमोदन एवं अंगीकरण।

कृते संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या पी2001डीई052900

संजय ग्रोवर
मैनेजिंग पार्टनर
सीपी नं. : 3850

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 14 जुलाई, 2017

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VI

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. क. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी की अपनी 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति' है जो कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सीएसआर और संधारणीयता के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित की गयी है ।

कंपनी की 'सीएसआर और संधारणीयता नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

दृष्टिकोण: आरईसी सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनी मूल क्षमताओं का उपयोग करने और संसाधन क्षमताओं को संगठित करने का प्रयास करेगा,और साथ ही सीएसआर और संधारणीयता नीति को अपनी व्यवसाय नीतियों और रणनीतियों के साथ यथासंभव जोड़े रखने के लिए और ऐसी सीएसआर गतिविधियों / परियोजनाओं का चयन करेगा जिसे कंपनी विशेषज्ञों के द्वारा बेहतर निगरानी में रखा जा सके ।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यापक गतिविधियां:

कंपनी समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की एक श्रृंखला के द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करेगी, जिसे परियोजना मोड में, यथासंभव ध्यान केंद्रित तरीके से रणनीतिक रूप से किया जाएगा,।

यद्यपि कंपनी उपलब्ध विकल्पों में से एक विशाल रेंज से सीएसआर परियोजनाओं का चयन कर सकती है, समाज के समावेशी विकास से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी, दिए गए चुने/ फोकस क्षेत्र (ओं) और पर्यावरण संधारणीयता में समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। । उपरोक्त के अनुसार,कंपनी उस कथित अधिनियम की अनुसूची VII के अनुरूप निर्धारित गतिविधियों के साथ-साथ सीएसआर परियोजनाओं / कार्यक्रमों को पूरा करना सुनिश्चित करे।

वित्तीय घटक: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्ष के निवल लाभ का कंपनी कम से कम 2% कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर खर्च करे। निवल लाभ का अर्थ कंपनी के उस लाभ से है जो उसके वित्तीय विवरण के अनुसार तैयार किया गया है और इस अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है।

सीएसआर के तहत संस्थागत स्थापना: संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ("सीएसआर कमेटी") का गठन किया जाएगा जिसमें तीन या अधिक निदेशकों की व्यवस्था होगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड को कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को तैयार करने और अनुशंसा के लिए दी जाने वाली जाने वाली गतिविधियां अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है, निगरानी और व्यय राशि की अनुशंसा, समय-समय पर बोर्ड निदेशकों को रिपोर्ट जमा करना शामिल है।

निदेशक मंडल की भूमिका और उत्तरदायित्व में, बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करने, कंपनी की सीएसआर नीति को मंजूरी देने, बोर्ड के सीएसआर कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और इसकी रिपोर्ट में ऐसी नीति की सामग्री का खुलासा करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की इस सीएसआर नीति की गतिविधियां अनुसूची VII, इत्यादि में शामिल गतिविधियों से संबंधित हैं।

जबकि बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति पूरी गतिविधियों पर नजर रखेगी, निगम की सीएसआर परियोजनाओं को संचालित करने के लिए एक दो स्तरीय संगठनात्मक संरचना को सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहेगी :

क) डीजीएम / एजीएम स्तर के अधिकारियों की प्रथम स्तरीय समिति विभिन्न सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश और स्क्रीनिंग करने के लिए,जैसा मामला हो , समय-समय पर प्राप्त हो; तथा

ख) बोर्ड स्तर से कम से कम एक स्तर नीचे के एक अधिकारी के नेतृत्व में द्वितीय स्तरीय समिति सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए बोर्ड के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का अनुमोदन ।

सीएसआर गतिविधियों के लिए निष्पादन तंत्र:

सीएसआर की गतिविधियों को कंपनी द्वारा घोषित सीएसआर नीति के अनुसार, परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के रूप में लागू किया जाएगा (या तो नए या चल रहे), अपने सामान्य व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुसरण में की गयी गतिविधियों को छोड़कर।

कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से अपनी सीएसआर गतिविधियों को कराने का निर्णय ले सकती है या एक पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी द्वारा स्थापित एक पंजीकृत समाज, या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ,या कंपनी (कारपोरेट सामाजिक

उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अनुमति के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संसद के एक अधिनियम या राज्य विधानमंडल के तहत स्थापित किसी भी संस्था द्वारा उपर्युक्त के अनुरूप, कंपनी उन एजेंसियों को प्राथमिकता दे सकती है, जिनके पास उनके कार्यप्रणाली के फोकस क्षेत्र के अनुसार सरकार / अर्द्ध-सरकारी / पीएसयू / स्वायत्त निकायों के साथ पिछला कार्य अनुभव है।

निगरानी

कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति / निगरानी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन / निगरानी करेगी।

कंपनी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों / राज्य कार्यालयों / कार्पोरेट कार्यालयों या बाहरी एजेंसी द्वारा अपने स्वयं की जनशक्ति के माध्यम से, सीएसआर परियोजनाओं की आवधिक निगरानी, कार्यान्वयन या अन्यथा के साथ आवधिक निगरानी कर सकती है, यह आकलन करने के लिए कि क्या समयसीमा, बजटीय व्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि आदि की प्रगति अपेक्षित स्तर पर है ।

विस्तृत सीएसआर और संधारणीयता नीति के लिए, नीचे दिए गए अनुसार(ग) कृपया आरईसी वेबसाइट पर देखें ।

ख. निष्पादित परियोजनाओं या कार्यक्रम का अवलोकन

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों के अनुसार, "कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)" का अर्थ है और इसमें शामिल है लेकिन यह तक ही सीमित नहीं है:-

(i) अधिनियम में अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम; या

(ii) कंपनी के घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर कमेटी की सिफारिशों के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम।

आरईसी अपने सीएसआर पहल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास एजेंडे के रूप में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है तथा आर्थिक दृष्टि और से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, बुजुर्ग व्यक्तियों, दिव्यांगजनो, बच्चों, युवाओं, आदि को सशक्त बनाने के लिए लाभार्थियों के व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में संधारणीयता के साथ सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को धन और समर्थन देने का प्रयास कर रही है है। । वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए / चालू किए जाने वाले विषय-विषयक परियोजनाओं / कार्यक्रमों का अवलोकन निम्नानुसार है:

i. स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत कोष के योगदान देने सहित, निवारण स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने, भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना:

आरईसी द्वारा चयनित स्कूलों और गांवों में स्वच्छता और जल सुविधाओं की स्थापना करना, चयनित राज्यों में चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल सुविधाओं के लिए परियोजनाएं, मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल वैन, सुविधाओं की स्थापना /बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन चुनिंदा स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में, समाज के कमजोर वर्गों आदि से चुने हुए दिव्यांगों को सहायक सुविधाओं, उपकरणों और कृत्रिम अंगों के वितरण, के संबंध में सीएसआर गतिविधियों को संचालित करना ।

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा आरईसी और एम्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 'एम्स, नई दिल्ली के सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए उपकरणों की मरम्मत और प्रावधान' के लिए एमओए का आदान प्रदान।

ii. विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के कौशल, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना।

आरईसी सीएसआर परियोजनाओं की पहुंच, प्रतिधारण और सीखने के परिणामों में सुधार का समर्थन करता है ताकि जिले में कम साक्षरता सूचकांक वाले चयनित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों, चुनिंदा सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थापना और संचालन, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से युवाओं, महिलाओं सहित के लिए विभिन्न व्यवसायों में नौकरी उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहयोग दिया जा सके।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि / राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तीकरण करना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और हॉस्टलों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना और ऐसी अन्य सुविधाएं:

आरईसी द्वारा सीएसआर पहल के तहत चयनित वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य देखभाल किट प्रदान की गयी ।

iv. पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मिट्टी, वायु तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित गंगा नदी पुनरुद्धार के लिए स्वच्छ गंगा निधि में योगदान करना शामिल है:

आरईसी ने विभिन्न संस्थानों में एसपीवी पैनल, चयनित जिलों में गैर विद्युतीकृत / अपर्याप्त विद्युतीकृत गांवों में परिवारों के लिए सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना, आदि परियोजनाओं का समर्थन किया।

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआईएम-तिरुचिरापल्ली के परिसर में एसपीवी सिस्टम की स्थापना हेतु सीएसआर परियोजना के लिए एमओए का आदान-प्रदान करते हुए। एसपीवी प्रणाली ग्रिड ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करेगी जहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने से एक स्वच्छ समुदाय प्राप्त होगा जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षित रहेगा ।

v. **राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व के भवनों की बहाली और कला के काम सहित; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्पों का प्रचार और विकास:**

कंपनी ने शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने और चयनित जिलों में चुनिंदा महिला कारीगरों को टिकाऊ आजीविका प्रदान करने के लिए परियोजना का समर्थन किया है।

vi. **ग्रामीण विकास परियोजनाएं:**

इस विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत, ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए आरईसी ने किसान-केंद्रित एकीकृत वाटरशेड का विकास तथा पुल निर्माण मे सहयोग किया है।

ग. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति और कार्यक्रमों का वेब लिंक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के मुताबिक, कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता नीति और वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर अपलोड किए गए हैं।

कंपनी की वेबसाइट पर चल रहे सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति को समय-समय पर भी अपलोड किया जा रहा है।

2. सीएसआर समिति की रचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल हों, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक हो।

मार्च 24, 2017 से लागू, निदेशकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष

ii. श्री ए. कृष्णकुमार, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

iii. श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

iv. श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) - सदस्य

v. श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का निवल लाभ निम्नानुसार है:

		(₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2013-14	-	6,530.59
वित्त वर्ष 2014-15	-	7,423.06
वित्त वर्ष 2015-16	-	8,032.15
कुल		**21,985.80**
औसत निवल लाभ	-	₹ 7,328.60 करोड़

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत): ₹ 146.57 करोड़

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण:

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: ₹ **146.57 करोड़**

(ख) राशि से अधिक राशि, यदि कोई हो: वर्ष के लिए न कीमती राशि ₹ **76.77 करोड़** है

(ग) जिस तरह से वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि **अनुलग्नक- क** पर है

6. अगर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के या इसके किसी भी हिस्से में, औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने का कारण बताएगी:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 181.23 करोड़ रुपये की सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 31 मार्च, 2017 तक अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के तहत संवितरण को स्वीकृत शर्तों के अनुसार पूर्वनिर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि से जोड़ा गया है, जो 36 महीनों तक बढ़ाए गए समय अवधि में पूरा करने के लिए आवश्यक है। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसियां परियोजनाओं के लिए निर्धारित परिलब्धियों के अनुसार वास्तविक प्रगति और दावों को प्रस्तुत नहीं कर पाई, इसलिए वितरण नहीं किया जा सका। परिलब्धियों के अनुसार आने वाले वर्षों में ₹ 76.77 करोड़ की असंवितरित राशि जारी की जाएगी ।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है।

हस्ता./-	हस्ता./-
निदेशक (वित्त/सीएसआर)	सीएसआर समिति के अध्यक्ष

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि

(रुपये करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क + 6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशिः सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)			
1 क. स्वच्छता									
1	नगर निगम ठोस अपशिष्ट की मशीनीकृत सफाई, एकत्र करने और ढुलाई संबंधी की व्यवस्था करना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	वाराणसी, उत्तर प्रदेश के 14 वार्ड	10.00	1.75	0.08	1.83	1.75	वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
2.	111 सरकारी स्कूलों में 194 शौचालयों का निर्माण करना		सादात और सैदपुर ब्लॉक गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश	3.74	3.21	0.15	3.36	3.21	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि., नई दिल्ली
3.	स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान देना।		नई दिल्ली	50.00	50.00	2.37	52.37	50.00	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
			उप जोड़ (क)	**63.74**	**54.96**	**2.61**	**57.56**	**54.96**	
1 ख. स्वास्थ्य देखभाल									
1	समाज के कमजोर वर्गों के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक साधन एवं उपकरण वितरित करना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	तेलंगाना के वारंगल, रंगारेड्डी एवं अदिलाबाद जिले, हरियाणा के झज्जर एवं मेवात जिले, कर्नाटक के चित्रदुर्गा, बीदर एवं रायचुर जिले, केरल के कासरगोड एवं वायनाड जिले, मेघालय के रि भोई एवं शिलांग जिले, गुजरात के बनासकांठा, सबरकंथा एवं द्वारिका जिले, उत्तराखंड के चंपावत एवं रुद्रप्रयाग जिले, सिक्किम का गंगटोक जिला तथा मणिपुर के चंदेल एवं इम्फाल जिले।	4.54	0.30	0.01	0.31	3.82	आर्टिफिशियल लिम्बस् मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश
			उप जोड़ (ख)	**4.54**	**0.30**	**0.01**	**0.31**	**3.82**	

(रुपये करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क + 6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)			
1 ग. स्वच्छ पेयजल									
1	ग्रामीण गांवों में 250 बोरवैल हैंडपंपों के संस्थापन हेतु सहायता देना	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।	जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	0.74	0.15	0.01	0.15	0.15	भारतीय सहकारी ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
			उप जोड (ग)	**0.74**	**0.15**	**0.01**	**0.15**	**0.15**	
			श्रेणी 1 का उप जोड़	**69.01**	**55.41**	**2.63**	**58.03**	**58.93**	
2 क. शिक्षा									
1	शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकारी हाई स्कूलों में वर्चुअल क्लॉसरूम (वीसीआर) स्थापना करना।	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	कर्नाटक के विभिन्न तालुक	1.74	0.02	0	0.02	0.02	कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, बेंगलुरु, कर्नाटक
			उप जोड़ (क)	**1.74**	**0.02**	**0**	**0.02**	**0.02**	
2 ख. कौशल विकास प्रशिक्षण									
1	रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	नोएडा, उत्तर प्रदेश	0.65	0.39	0.02	0.41	0.65	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
2	रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		भोपाल, मध्य प्रदेश	1.74	0.39	0.02	0.41	0.39	सेंटर फार रिसर्च एंड इंडस्ट्रीयल स्टॉफ परफोर्मेंस, भोपाल, मध्य प्रदेश
3	रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम		फिरोजपुर और अमृतसर, पंजाब	0.72	0.09	0	0.09	0.80	नार्थ इंडिया टेक्नीकल कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड, चंडीगढ़
			उप जोड़ (ख)	**3.11**	**0.87**	**0.04**	**0.91**	**1.84**	
			श्रेणी 2 का उप जोड़	**4.85**	**0.89**	**0.04**	**0.93**	**1.86**	

(रुपये करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क + 6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)			
3 वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं होस्टल/सुविधाओं की स्थापना									
1	वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पैकेज उपलब्ध कराना	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रो की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय करना	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना	1.45	0.50	0.02	0.53	1.13	हेल्प-एज इंडिया, नई दिल्ली
			श्रेणी 3 का उप जोड़	**1.45**	**0.50**	**0.02**	**0.53**	**1.13**	
4 पर्यावरणीय धारणीयता, स्वच्छ गंगा निधि, आदि									
1	एलईडी स्ट्रीट लाईटनिंग प्रणालियों के लिए 110 (सोलर प्रणाली) एसपीवी (सोलर फोटोवोल्टेक) की आपूर्ति एवं संस्थापन करना	गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	भदोही, उत्तर प्रदेश	0.24	0.10	0	0.10	0.10	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटस् लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान
2	राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौर विद्युत पैनलों का संस्थापन		राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	6.00	2.14	0.10	2.24	2.14	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
3	आईआईटी मद्रास कैम्पस के छात्रावास भवन और शैक्षणिक क्षेत्र में 2 मेगावॉट एसपीवी तंत्र की स्थापना करना		आईआईटी मद्रास कैम्पस, तमिलनाडु	14.50	5.80	0.27	6.07	5.80	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
4	बिहार राज्य की पुर्निया स्लम बस्तियों में विकेंद्रीकृत विद्युत प्रणाली आधारित बायोमास गैसिफायर के जरिए नवीन जूट प्रोसेसिंग भागीदारी मॉडल की स्थापना करना।		बिहार	2.21	0.38	0.02	0.40	0.67	एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली

(रुपये करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		वर्ष के लिए कुल खर्च (6क + 6ख)	रिपोर्ट अवधि तक संचयी खर्च	खर्च राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)			
5	ओडिशा के 9 पिछले जिलों में ओडिशा सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के स्वामित्व अधीन 16 रिहायशी स्कूलों में प्रत्येक के लिए 5 केडब्ल्यूपी क्षमता के रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टेक संयंत्र की स्थापना करना		ओडिशा	1.97	1.43	0.07	1.50	1.60	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
			उप जोड़ (क)	**24.92**	**9.85**	**0.47**	**10.31**	**10.31**	
			वर्ष के लिए जोड़ (1 से 4)	**100.24**	**66.64**	**3.16**	**69.80**	**72.23**	

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VII

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक प्रतिलाभ का सार

(31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

पंजीकरण और अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण तिथि	25 जुलाई, 1969
(iii)	कंपनी का नाम	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण-	
	पता:	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
	संपर्क विवरण:	दूरभाष: 91-11-24365161, फैक्स नं. 91-11-24360644
	ई-मेल:	complianceofficer@recl.in
	वेबसाइट:	www.recindia.nic.in
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हाँ/नहीं)	हाँ
(vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम व पता, यदि कोई हो-	
	नाम:	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
	पता:	कार्वी सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत
	संपर्क विवरण:	दूरभाष सं. 91-40-67161500 फैक्स नं. 91-40-23420814
	ई-मेल:	einward.ris@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com, raju.sv@karvy.com
	वेबसाइट :	www.karvycomputershare.com

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10% या उससे अधिक अंशदान की सभी कारोबारी गतिविधियों में निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग	64920	100%

टिप्पणी: कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, यह अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध है और विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कारोबार में जुड़ी है।

III. 31 मार्च, 2017 के अनुसार होल्डिंग, अनुषंगी और सहायक कंपनियों का ब्योरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/सहायक	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल")	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003	यू40101डीएल2007जीओआई165779	अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
2	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड ("आरईसीटीपीसीएल")		यू40101डीएल2007जीओआई157558	अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)

3	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल के अधीन एसपीवी)		यू40300डीएल2015जीओआई288066	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
4	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल के अधीन एसपीवी)		यू40300डीएल2016जीओआई308788	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
5	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल के अधीन एसपीवी)		यू40300डीएल2017जीओआई310436	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
6	डब्ल्यूआर-एनआर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल के अधीन एसपीवी)		यू40100डीएल2017जीओआई310478	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनी	100%	2(87)
7	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी)	चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	यू40200डीएल2009पीएलसी196789	सहायक कंपनी	31.71%	2(6)

टिप्पणी:-

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय आबंटित स्वतंत्र अंतर-राज्य एवं अंतरा-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता(ओं) के चयन हेतु "बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता" के रूप में कार्य कर रही है। इसे आबंटित प्रत्येक ऐसी स्वतंत्र अंतर-राज्य पारेषण परियोजना का विकास शुरू करने के लिए, आरईसीटीपीसीएल ने अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियों के रूप में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशन पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को शामिल किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की भी अनुषंगी कंपनियां हैं। इसके अलावा, ऐसी एसपीवी को, प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, अपनी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, उपर्युक्त उल्लिखित 4 (चार) एसपीवी के अलावा, अन्य 4 (चार) एसपीवी को प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए चयनित सफल बोलीदाताओं को अंतरित कर दिया गया था तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसरण में, 2 (दो) एसपीवी का नाम कंपनी के रजिस्टर से काट दिया गया था। उक्त संबंध में जानकारी, इस वार्षिक रिपोर्ट के अंश के रूप में प्रस्तुत निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दी गयी है।

IV. शेयरधारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी शेयर प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

(i) **श्रेणी-वार शेयरधारिता**

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2016)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2017)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
		डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
क.	**प्रोमोटर**									
1.	**भारतीय**									
क)	व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	केंद्र सरकार	59,87,67,680	0	59,87,67,680	60.64	1,16,25,04,472	0	1,16,25,04,472	58.86	-1.78
ग)	राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च)	बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
छ)	अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप जोड़ (क) (1)	**59,87,67,680**	**0**	**59,87,67,680**	**60.64**	**1,16,25,04,472**	**0**	**1,16,25,04,472**	**58.86**	**-1.78**
(2)	**विदेशी**									
क)	एनआरआई - व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	अन्य - व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2016)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2017)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
		डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
ग)	कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
छ)	अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप जोड़ (क) (2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता क = क (1) + क (2)	**59,87,67,680**	**0**	**59,87,67,680**	**60.64**	**1,16,25,04,472**	**0**	**1,16,25,04,472**	**58.86**	**-1.78**
ख.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
1.	**संस्थान**									
क)	म्यूच्युअल फंड	2,07,39,064	0	2,07,39,064	2.10	7,47,55,196	0	7,47,55,196	3.79	1.69
ख)	बैंक/ वित्तीय संस्था	81,71,379	0	81,71,379	0.83	1,47,02,924	0	1,47,02,924	0.74	-0.09
ग)	केंद्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च)	उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
छ)	बीमा कंपनियां	8,35,86,726	0	8,35,86,726	8.46	12,58,98,638	0	12,58,98,638	6.37	-2.09
ज)	एफआईआई/एफपीआई	21,10,23,812	0	21,10,23,812	21.37	42,12,35,190	0	42,12,35,190	21.33	-0.04
झ)	विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
त)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
थ)	अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	100	0	100	0.00	1,34,675	0	1,34,675	0.01	0.01
	- विदेशी नागरिक	100	0	100	0.00	1,34,675	0	1,34,675	0.01	0.01
	उप जोड़ (ख) (1)	**32,35,21,081**	**0**	**32,35,21,081**	**32.76**	**63,67,26,623**	**0**	**63,67,26,623**	**32.24**	**-0.52**
2.	**गैर संस्थान**									
क)	कारपोरेट निकाय									
i)	भारतीय	1,72,69,411	0	1,72,69,411	1.75	2,92,87,492	0	2,92,87,492	1.48	-0.27
ii)	विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	व्यक्तिगत									
i)	रु 1 लाख तक न्यूनतम शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	3,77,40,092	15,407	3,77,55,499	3.82	8,24,92,451	52,085	8,25,44,536	4.18	0.36
ii)	रु 1 लाख से अधिक की शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	62,89,246	0	62,89,246	0.64	4,98,49,151	0	4,98,49,151	2.53	1.89
ग)	अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	38,56,083	0	38,56,083	0.39	1,40,05,626	100	1,40,05,726	0.71	0.32
	- क्लियरिंग सदस्य	7,01,124	0	7,01,124	0.07	53,75,270	0	53,75,270	0.27	0.20
	- आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	1,83,914	0	1,83,914	0.02	3,19,644	0	3,19,644	0.02	0.00
	- अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	17,16,781	0	17,16,781	0.17	32,82,563	0	32,82,563	0.17	0.00

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2016)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2017)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
- एनआरआई अप्रत्यावर्तन	0	0	0	0.00	18,27,081	100	18,27,181	0.09	0.09
- न्यास	12,54,264	0	12,54,264	0.13	32,01,068	0	32,01,068	0.16	0.03
- अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख) (2)	**6,51,54,832**	**15,407**	**6,51,70,239**	**6.60**	**17,56,34,720**	**52,185**	**17,56,86,905**	**8.90**	**2.30**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता(ख)=(ख)(1)+ ख (2)	**38,86,75,913**	**15,407**	**38,86,91,320**	**39.36**	**81,23,61,343**	**52,185**	**81,24,13,528**	**41.14**	**1.78**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**98,74,43,593**	**15,407**	**98,74,59,000**	**100.00**	**1,97,48,65,815**	**52,185**	**1,97,49,18,000**	**100.00**	**0.00**

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने सभी शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी किए थे।

(ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2016)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च, 2017)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	
1	भारत का राष्ट्रपति	59,87,67,680	60.64	0	1,16,25,04,472	58.86	0	-1.78
	जोड़	**59,87,67,680**	**60.64**	**0**	**1,16,25,04,472**	**58.86**	**0**	**-1.78**

(iii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	विवरण		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2016)		शेयरधारिता में परिर्वतन (टिप्पणी देखें)		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2017)	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	वृद्धि	कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत का राष्ट्रपति							
	वर्ष के प्रारंभ में		59,87,67,680	60.64				
	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी							
	दिनांक	**वृद्धि/कमी के कारण**						
	6 अक्तूबर, 2016	बोनस इक्विटी शेयरों का क्रेडिट		59,87,67,680	शेयरधारिता के % में कोई परिवर्तन नहीं			
	25 जनवरी, 2017	बिक्री *(नीचे टिप्पणी देखें)*		-2,51,33,733	-1.28			
	22 मार्च, 2017	बिक्री *(नीचे टिप्पणी देखें)*		-98,97,155	-0.50			
	वर्ष के अंत में						1,16,25,04,472	58.86

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने 1:1 के अनुपात में सभी शेयरधारकों को बोनस इक्विटी शेयर किए थे। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 25 जनवरी, 2017 को 2,51,33,733 इक्विटी शेयर (अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 1.28%) को विनिवेश/बिक्री कर दिया; तथा 22 मार्च, 2017 को पुन: 98,97,155 इक्विटी शेयरों (अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.50%) को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक्सचेंज ट्रेडेट फंड (सीपीएसई ईटीएफ) के तहत ऑफ-मार्केट लेन-देन के माध्यम से विनिवेश/बिक्री कर दिया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में कंपनी के 1,16,25,04,472 इक्विटी शेयर हैं, जो कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 58.86% को निरूपित करता है।

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का प्रतिरूप (निदेशक, प्रोमोटर, जीडीआर और एडीआर धारक के अन्यत्र)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2016)		शेयरधारिता में निवल वृद्धि/ कमी *(टिप्पणी देखें)*		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2017)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि	कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम $	7,36,22,024	7.46	3,42,59,780	0	10,78,81,804	5.46
2	दि प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड #	0	0	3,89,19,948	0	3,89,19,948	1.97
3	सीपीएसई ईटीएफ $	46,56,521	0.47	2,42,86,735	0	2,89,43,256	1.47
4	मोर्गन स्टेनले मॉरीशस कंपनी लिमिटेड $	65,57,250	0.66	1,75,80,140	0	2,41,37,390	1.22
5	ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड $	88,35,880	0.89	88,35,880	0	1,76,71,760	0.89
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एचडीफसी प्रूडेंश फंड #	23,20,000	0.24	1,30,34,000	0	1,53,54,000	0.78
7	रोबेको कैपिटल ग्रोथ फंड्स रोबेको इमर्जिंग कंजरवेटिव इक्विटिज़ #	0	0	1,23,82,817	0	1,23,82,817	0.63
8	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, एसीरिज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड $	55,96,617	0.57	64,58,935	0	1,20,55,552	0.61
9	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि.- एचडीफसी इक्विटी फंड #	0	0	1,17,48,000	0	1,17,48,000	0.60
10	ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया इक्विटी ओपन लिमिटेड #	41,72,164	0.42	70,01,726	0	1,11,73,890	0.57
11	भारतीय जीवन बीमा निगम पी एंड जीएस फंड @	47,75,627	0.48	47,75,627	0	95,51,254	0.48
12	विस्डमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक @	46,88,553	0.47	43,67,249	0	90,55,802	0.46
13	डीबी इंटरनेशनल (एशिया) लिमिटेड @	1,68,09,219	1.70	0	-1,51,26,156	16,83,063	0.09
14	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड अकाऊंट एचएसबीसी जीआईएफ मॉरीशस लिमिटेड @	56,16,264	0.57	0	-56,16,264	0	0
15	टार्गेट वैल्यू फंड @	45,53,864	0.46	0	-45,53,864	0	0

("$ " 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2017, दोनों के अनुसार कंपनी के शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है; "@" 1 अप्रैल, 2016 के अनुसार केवल शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है; तथा "# " 31 मार्च, 2017 के अनुसार केवल शीर्ष 10 शेयरधारकों की स्थिति को दर्शाता है।)

टिप्पणी:

1) *वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी ने 1:1 के अनुपात में सभी शेयरधारकों को बोनस इक्विटी शेयर जारी किए थे। इसीलिए उक्त शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग में निवल वृद्धि/कमी, जहां कहीं भी लागू है, बोनस इश्यू के कारण परिवर्तन को भी दर्शाती है ।*

2) *कंपनी के शेयरों का दैनिक आधार पर कारोबार किया जाता है इसलिए शेयरहोल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि/कमी का उल्लेख नहीं किया गया है ।*

(v) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) की शेयरधारिता**

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2016)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2017)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**डॉ पी वी रमेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** (5 जनवरी, 2017 से)				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
2	**श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	242	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी				
	दिनांक / **वृद्धि/कमी के कारण**				
	6 अक्टूबर, 2016 / बोनस इक्विटी शेयरों का क्रेडिट	242	नगण्य		
	वर्ष के अंत में			484	नगण्य
3	**श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
4	**डा. अरूण कुमार वर्मा, सरकारी नामिती निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0
5	**श्री अरूण सिंह, स्वतंत्र निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2016)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2017)	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6	**श्री ए.कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक**					
	वर्ष के प्रारंभ में		0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी		कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में				0	0
7	**प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक**					
	वर्ष के प्रारंभ में		0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी		कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में				0	0
8	**श्रीमती आशा स्वरूप, स्वतंत्र निदेशक** (8 फरवरी, 2017 से)					
	वर्ष के प्रारंभ में		0	0		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी		कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में				0	0
9	**श्री ज्योति शुभ्र अमिताभ, महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव (केएमपी)**					
	वर्ष के प्रारंभ में		1,121	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी					
	तारीख	**वृद्धि/कमी के लिए कारण**				
	6 अक्तूबर, 2016	बोनस इक्विटी शेयरों का क्रेडिट	1,121	नगण्य		
	वर्ष के अंत में				2,242	नगण्य

टिप्पणी:

- श्री राजीव शर्मा, जिनकी 1 अक्तूबर, 2016 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर सेवा समाप्त हो गयी है, उक्त तिथि तक कंपनी के 60 शेयरों के धारणकर्ता थे, के शेयरों की संख्या बोनस शेयर जारी होने के उपरांत 120 हो गयी है।
- श्री भगवती प्रसाद पांडेय, विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय ने 1 अक्तूबर, 2016 से 4 जनवरी, 2017 की अवधि के दौरान कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया हुआ था; और उनके स्वामित्व में कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं था।

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01 अप्रैल, 2016 के अनुसार)				
i) मूलधन	66,359.50	1,02,746.88	-	1,69,106.38
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,651.87	3,586.79	-	6,238.66
जोड़ (i+ii+iii)	**69,011.37**	**1,06,333.67**	**-**	**1,75,345.04**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* वृद्धि	11,043.58	25,677.69	-	36,721.27
* (कमी)	17,129.76	21,402.17	-	38,531.93
* विदेशी मुद्रा लाभ हानि	-	22.16		22.16
निवल परिवर्तन	**-6,086.18**	**4,297.68**	**-**	**-1,788.50**
वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31 मार्च, 2017 के अनुसार)				
i) मूलधन	60,467.71	1,07,049.67	-	1,67,517.38
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,457.48	3,581.68	-	6,039.16
जोड़ (i+ii+iii)	**62,925.19**	**1,10,631.35**	**-**	**1,73,556.54**

टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान जुटाए और विमोचित किए गए कमर्शियल पेपर्स और कार्य पूंजी मांग ऋण की "वृद्धि/कमी" मद में विचार नहीं किया गया है।
2. संस्थागत बॉण्ड के संबंध में, उपचित किंतु देय नहीं ब्याज में जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज शामिल नहीं है क्योंकि उसे मूलधन में शामिल किया गया है।
3. ऋणग्रस्तता के परिवर्तन में, वर्ष के दौरान मूलधन और ब्याज में हुआ परिवर्तन शामिल है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	डॉ. पी वी रमेश, सीएमडी *(5 जनवरी, 2017 से)*	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	श्री राजीव शर्मा, सीएमडी *(1 अक्तूबर, 2016 से सेवा समाप्त)*	कुल राशि
1	सकल वेतन					
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	7,27,792	45,28,339	41,01,989	36,21,986	**1,29,80,106**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	डॉ. पी वी रमेश, सीएमडी *(5 जनवरी, 2017 से)*	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	श्री राजीव शर्मा, सीएमडी *(1 अक्तूबर, 2016 से सेवा समाप्त)*	कुल राशि
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	2,010	5,97,047	4,05,051	8,93,693	**18,97,801**
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- लाभ के % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- अन्य, विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट					
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	शून्य	2,60,975	2,61,111	1,41,888	**6,63,974**
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान (धारा 17(2) के तहत 1,50,000 लाख रुपए से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है)	शून्य	1,95,734	1,95,842	1,06,418	**4,97,994**
	जोड़ (क)	**7,29,802**	**55,82,095**	**49,63,993**	**47,63,985**	**1,60,39,875**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमा #	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है।				

टिप्पणी:

- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, श्री भगवती प्रसाद पांडे, विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय ने 1 अक्तूबर, 2016 से 4 जनवरी, 2017 की अवधि तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ था; तथा इस कार्यकाल के दौरान इन्हें कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।
- आरईसी के एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ भूमिका "सीएमडी,आरईसी" द्वारा निभाई जाती है तथा सीएफओ के कार्यों का निष्पादन "निदेशक (वित्त), आरईसी" द्वारा किया जा रहा है।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	स्वतंत्र निदेशक				सरकारी नामिती निदेशक	कुल राशि
		श्री अरूण सिंह	श्री ए.कृष्ण कुमार	प्रो. टी.टी. राम मोहन	श्रीमती आशा स्वरूप *(8 फरवरी, 2017 से)*	डा. अरूण कुमार वर्मा	
1	**स्वतंत्र निदेशक**						
	* बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थिति शुल्क	3,00,000	6,40,000	5,40,000	80,000		**15,60,000**
	* कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (1)	3,00,000	6,40,000	5,40,000	80,000		**15,60,000**
2	**अन्य गैर कार्यकारी निदेशकगण**						
	* बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थिति शुल्क					शून्य	शून्य
	* कमीशन					शून्य	शून्य
	* अन्य					शून्य	शून्य
	जोड़ (2)					शून्य	शून्य
	जोड़ (बी)=(1+2)	**3,00,000**	**6,40,000**	**5,40,000**	**80,000**	शून्य	**15,60,000**
	जोड़ प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						**1,75,99,875**
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है।					

टिप्पणी: उपर्युक्त बैठक शुल्क के अलावा, निदेशकों को बोर्ड/उनकी समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा टिकट, होटल आवास, स्थानीय वाहन और जेब खर्ची आदि से हुए खर्चों का भुगतान/प्रतिपूर्ति भी कंपनी की टीए/डीए नीति के अनुसार किया जाता है।

ग. प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	कंपनी सचिव (श्री जे.एस. अमिताभ)
1	सकल वेतन	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	34,77,383
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	55,435
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य
4	कमीशन	
	: लाभ के % के रूप में	शून्य
	: अन्य, विनिर्दिष्ट करें................	शून्य

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	कंपनी सचिव (श्री जे.एस. अमिताभ)
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट	
	– भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,48,799
	– अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान (धारा 17(2) के अनुसार 1,50,000 लाख रुपए से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है)	1,82,477
	जोड़ (ग)	**39,64,094**

VII. अपराधों के लिए जुर्माना/दंड/समझौता

क्र. सं.	प्रकार	कंपनी के अधिनियम की धारा	संक्षेप में विवरण	अधिरोपित जुर्माना/दंड/ समझौता शुल्क	प्राधिकारी [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गयी अपील, यदि कोई हो (ब्योरा दें)
क.	**कंपनी**					
	जुर्माना					
	दंड			कोई नहीं		
	समझौता					
ख.	**निदेशक**					
	जुर्माना					
	दंड			कोई नहीं		
	समझौता					
ग.	**दोषी अन्य अधिकारी**					
	जुर्माना					
	दंड			कोई नहीं		
	समझौता					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

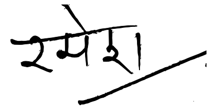

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-02836069

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 अगस्त, 2017

फार्म नं. एओसी - 2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुरूप)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित तथा उसमें दिए गए तीसरे नियम के तहत कुछ आर्म्स लेंग्थ लेन-देन सहित कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/समझौतों के ब्योरे के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म

1. गैर आर्म्स लेंग्थ आधार पर अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन का ब्योरा:

संबंधित पार्टी के/का नाम एवं संबंध की प्रकृति	अनुबंध/ समझौते/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ समझौते/ लेन-देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन की मुख्य शर्तें	ऐसे अनुबंधों, समझौतों अथवा लेन-देन का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	धारा 188 के पहले नियम के तहत जैसा आवश्यक है, आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	आऊटेज प्रबंधन प्रणाली (ऊर्जा मित्र), विद्युत मंत्रालय की एक पहल, का कार्यान्वयन	--	आरईसीटीपीसीएल को, ऊर्जा मित्र, विद्युत मंत्रालय की एक पहल के लिए, नामांकन आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त करना।	बृहत परियोजनाओं का संचालन करने में आरईसीटीपीसीएल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और यह विचार करते हुए कि राज्य की वितरण कंपनियों के निरंतर संपर्क में है, संविदा का कार्य नामांकन आधार पर आरईसीटीपीसीएल को दिया गया।	27 मई, 2016	शून्य	
	11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम का कार्यान्वयन	72 महीने (आगे 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है)	आरईसीटीपीसीएल को, 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम के लिए, नामांकन आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त करना। इसके अलावा, आरईसीटीपीसीएल को 15.21 करोड़ रुपए परियोजना प्रबंधन शुल्क के रूप में देय होंगे यदि विद्युत मंत्रालय द्वारा परियोजना की अंतिम लागत 233.03 करोड़ रुपए अनुमोदित की जाती है तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम परियोजना लागत 269.68 करोड़ रुपए के अनुमोदित किए जाने की स्थिति में यह शुल्क 20 करोड़ रुपए देय होगा।		21 सितंबर, 2016	शून्य	

संबंधित पार्टी के/का नाम एवं संबंध की प्रकृति	अनुबंध/ समझौते/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ समझौते/ लेन-देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन की मुख्य शर्तें	ऐसे अनुबंधों, समझौतों अथवा लेन-देन का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	धारा 188 के पहले नियम के तहत जैसा आवश्यक है, आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	सौर विद्युत पैनलों का संस्थापन करना	--	राष्ट्रपति संपदा, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौर विद्युत पैनलों का संस्थापन करना	डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में आरईसीपीडीसीएल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, संविदा का कार्य नामांकन आधार पर आरईसीपीडीसीएल को प्रदान किया गया।	27 जून, 2016	शून्य	--
	शौचालयों का निर्माण करना	--	उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के चुनिंदा खंडों में 111 सरकारी स्कूलों में 194 शौचालयों का निर्माण करना	स्वच्छ विद्यालय अभियान में आरईसीपीडीसीएल के अनुभव और कार्य की समयबद्ध समापन सीमा को ध्यान में रखते हुए, संविदा का कार्य नामांकन आधार पर आरईसीपीडीसीएल को प्रदान किया गया।	27 जून, 2016	शून्य	
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	अविद्युतीकृत गांवों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करना	लगभग 1 वर्ष	देश में शेष 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का कार्य 1,000 दिनों में पूरा करने के विद्युत मंत्रालय के मिशन के रूप में, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की प्रगति को दिन प्रतिदिन मॉनीटर करने और शेष अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की गुणवत्ता जांच निगरानी के लिए, संविदा का कार्य नामांकन आधार पर तथा परियोजना मॉनीटरिंग शुल्क के रूप में देय 20 करोड़ रुपए (मात्र बीस करोड़ रुपए) तक की राशि, जिसमें संभारिकी, टूर एंड ट्रैवल, मॉनीटरिंग के लिए अपेक्षित गैजेट शामिल हैं, के लिए अधिकतम परियोजना लागत के आधार आरईसीपीडीसीएल को प्रदान किया गया।	कार्य की तात्कालिकता, राष्ट्रीय महत्व और स्वच्छ विद्यालय अभियान में मॉनीटरिंग संबंधी आरईसीपीडीसीएल के उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए, संविदा का कार्य नामांकन आधार पर आरईसीपीडीसीएल को प्रदान किया गया।	21 सितंबर, 2016	शून्य	

संबंधित पार्टी के/का नाम एवं संबंध की प्रकृति	अनुबंध/ समझौते/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ समझौते/ लेन-देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन की मुख्य शर्तें	ऐसे अनुबंधों, समझौतों अथवा लेन-देन का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	धारा 188 के पहले नियम के तहत जैसा आवश्यक है, आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) आरईसी की सहयोगी कंपनी	एलईडी लाईटों का संस्थापन	--	गुजरात के आनंद जिले के मघ्रोल गांव में ग्राम पंचायत के नियंत्रण अधीन विद्यमान खंभों पर, एक वर्ष की वारंटी एवं अनुरक्षण अवधि सहित एलईडी लाईटों का संस्थापन करना।	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ईईएसएल की तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, संविदा का कार्य नामांकन आधार ईईएस एल को प्रदान किया गया।	27 जून, 2016	शून्य	16 सितंबर, 2015

2. **आर्म्स लेंग्थ आधार पर सामग्री अनुबंधों अथवा समझौता अथवा लेन-देनों का ब्योरा:** कंपनी द्वारा किसी संबंधित पार्टी के साथ किसी प्रकार का सामग्री अनुबंध अथवा समझौता अथवा लेन-देन नहीं किया गया है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 02836069)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21 अगस्त, 2017

31 मार्च, 2017 के अनुसार विभिन्न बांड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण

{सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 53 के अनुसार}

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001 संपर्क : श्री अजीत गुरुजी फोन : 022-40807001 फैक्स नं. : 022-66311776 ई-मेल: ajit.guruji@idbitrustee.com response@idbitrustee.com वेबसाइट:www.idbitrustee.com	आईएनई020बी07डीई1	83	प्रतिभूत	28/02/18	9.07%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-62 संपर्क: श्री संजय रस्तोगी फोन: 011-29961281-83 फैक्स: 011-29961284 ईमेल: recbonds@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
		आईएनई020बी07डीजी6	85	प्रतिभूत	13/06/18	9.68%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीटी9	86-ए	प्रतिभूत	30/07/18	10.70%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीडब्ल्यू3	86-बी III	प्रतिभूत	14/08/18	10.85%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07डीवाई9	87-II	प्रतिभूत	01/10/18	10.85%	हाँ	नहीं	
		आईएनई02007ईबी5	87ए- III	प्रतिभूत	24/10/18	11.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईजी4	88	प्रतिभूत	15/01/19	8.65%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईपी5	90	प्रतिभूत	03/08/19	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईआर1	90बी-II	प्रतिभूत	04/09/19	8.72%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईवी3	90सी-II	प्रतिभूत	07/10/19	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07ईवाई7	91-II	प्रतिभूत	18/11/19	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएननई020बी07एफसी0	92-II	प्रतिभूत	22/01/20	8.65%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08427	94	अप्रतिभूत	09/06/25	8.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08435	95-I	अप्रतिभूत	12/07/19	8.70%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08443	95-II	अप्रतिभूत	14/07/25	8.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08450	96	अप्रतिभूत	26/10/20	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08468	97	अप्रतिभूत	30/11/20	8.80%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08476	0 सीपीएन-I	अप्रतिभूत	15/12/20	0	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08484	0 सीपीएन-II	अप्रतिभूत	03/02/21	0	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08492	98	अप्रतिभूत	15/03/21	9.18%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08567	100	अप्रतिभूत	15/07/21	9.63%	हाँ	नहीं	
		आआईएनई020बी08591	101-III	अप्रतिभूत	10/08/21	9.48%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08641	105	अप्रतिभूत	11/11/21	9.75%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08740	107	अप्रतिभूत	15/06/22	9.35%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08757	108-I	अप्रतिभूत	20/07/17	9.40%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08765	108-II	अप्रतिभूत	20/07/19	9.39%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08773	109	अप्रतिभूत	28/08/17	9.25%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08799	111-I	अप्रतिभूत	19/11/19	9.02%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी08807	111-II	अप्रतिभूत	19/11/22	9.02%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
		आईएनई020बी08815	112	अप्रतिभूत	01/02/18	8.70%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08823	113	अप्रतिभूत	09/03/20	8.87%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08831	114	अप्रतिभूत	12/04/23	8.82%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08849	115	अप्रतिभूत	31/05/23	8.06%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएक्स2	116- II	प्रतिभूत	17/10/18	9.24%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचवाई0	117	प्रतिभूत	06/11/18	9.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचजेड7	118	प्रतिभूत	03/01/19	9.61%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08500	इंफ्रा बांड श्रृंखला- I (2010-11)	अप्रतिभूत	31/03/21	8.00%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08518		अप्रतिभूत	31/03/21	8.10%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08526		अप्रतिभूत	31/03/21	8.20%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08534		अप्रतिभूत	31/03/21	8.20%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07सीयू9	82	प्रतिभूत	28/09/17	9.85%	हाँ	नहीं	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क: श्री वेंकट बाबू फोन: 040-67161586, 040-67161635 ईमेल: vnbabu.garikapati@karvy.com
		आईएनई020बी07आईए8	119	प्रतिभूत	05/02/19	9.63%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईवी4	122	प्रतिभूत	18/06/19	9.02%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईडब्ल्यू2	123-I	प्रतिभूत	17/07/21	9.40%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईवाई8	123-III-3 वर्ष	प्रतिभूत	25/08/17	9.25%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बीं07आईजेड5	123-III-10 वर्ष	प्रतिभूत	23/08/24	9.34%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेबी4	124	प्रतिभूत	22/09/17	9.06%	हाँ	हाँ	
		आआईएनई020बी08856	125	अप्रतिभूत	11/10/19	9.04%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08864	126	अप्रतिभूत	13/11/19	8.56%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08872	127	अप्रतिभूत	04/12/21	8.44%	हाँ	हाँ	
		आईएनई02008880	128	अप्रतिभूत	21/12/24	8.57%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08898	129	अप्रतिभूत	23/01/25	8.23%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08906	130	अप्रतिभूत	006/02/25	8.27%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08916	131	अप्रतिभूत	21/02/25	8.35%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08922	132	अप्रतिभूत	09/03/22	8.27%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईजे9	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	30/04/17	6.00%	असूचीबद्ध		लिंक इंटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विख्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 संपर्क: श्री. श्रीकांत फोन: 022-49186200 फैक्स:022-49186060 ईमेल: bond.helpdesk@linkintime.co.in shrikant.oturkar@linkintime.co.in
		आईएनई020बी07आईके7		प्रतिभूत	31/05/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईएल5		प्रतिभूत	30/06/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईएम3		प्रतिभूत	31/07/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईएन1		प्रतिभूत	31/08/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईओ9		प्रतिभूत	30/09/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईपी6		प्रतिभूत	31/10/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईक्यू4		प्रतिभूत	30/11/17	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईआर2		प्रतिभूत	31/12/17	6.00%	असूचीबद्ध		

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
		आईएनई020बी07आईएस0		प्रतिभूत	31/01/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईटी8		प्रतिभूत	28/02/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07आईयू6		प्रतिभूत	31/03/18	6.00%	असूचीबद्ध		
2	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6वां तल, ऐपीजे हाऊस, 3 दिनशा वाचा रोड, चर्च गेट, मुंबई-400 020 संपर्क : श्री अजीत जोशी फोन : 022-43025566 फैक्स : 022-22040465 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com investor.cell@sbicaptrustee.com वेबसाइट www.sbicaptrustee.com	आईएनई020बी08930	133	अप्रतिभूत	10/04/25	8.30%	हाँ	हाँ	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क: श्री वेंकट बाबू फोन: 040-67161586, 040-67161635 वेबसाइट vnbabu.garikapati@karvy.com
		आईएनई020बा08948	134	अप्रतिभूत	14/08/20	8.37%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08955	135	अप्रतिभूत	22/09/20	8.36%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08963	136	अप्रतिभूत	07/10/25	8.11%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08971	137	अप्रतिभूत	07/12/18	8.05%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08997	139	अप्रतिभूत	21/10/21	7.24%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एए3	140	अप्रतिभूत	07/11/26	7.52%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एबी1	141	अप्रतिभूत	09/12/21	7.14%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एसी9	142	अप्रतिभूत	30/12/26	7.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजी7	143	अप्रतिभूत	29/06/20	6.83%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एइ5	144	अप्रतिभूत	21/09/20	7.13%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएफ2	145	अप्रतिभूत	28/02/22	7.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एजी0	146	अप्रतिभूत	03/09/18	6.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एएच8	147	अप्रतिभूत	12/03/27	7.95%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी08एआई6	148	अप्रतिभूत	17/06/20	7.42%	हाँ	हाँ	
		आईईएनई020बी07जेसी2	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	30/04/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईईएनई020बी07जेडी0		प्रतिभूत	31/05/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेई8		प्रतिभूत	30/06/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईईएनई020बी07जेएफ5		प्रतिभूत	31/07/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेजी3		प्रतिभूत	31/08/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईईएनई020बी07जेएच1		प्रतिभूत	30/09/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेआई9		प्रतिभूत	31/10/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेजे7		प्रतिभूत	30/11/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेके5		प्रतिभूत	31/12/18	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेएल3		प्रतिभूत	31/01/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेएम1		प्रतिभूत	28/02/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेएन9		प्रतिभूत	31/03/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेवी2		प्रतिभूत	30/04/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेडब्ल्यू0		प्रतिभूत	31/05/19	6.00%	असूचीबद्ध		

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध		रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
							एनएसई	बीएसई	
		आईएनई020बी07जेएक्स8		प्रतिभूत	30/06/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेवाई6		प्रतिभूत	31/07/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेजैड3		प्रतिभूत	31/08/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेए4		प्रतिभूत	30/09/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जेकेबी2		प्रतिभूत	31/10/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07केसी0		प्रतिभूत	30/11/19	6.00%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07केडी8		प्रतिभूत	31/12/19	5.25%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07केई6		प्रतिभूत	31/01/20	5.25%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07केएफ3		प्रतिभूत	29/02/20	5.25%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07केजी1		प्रतिभूत	31/03/20	5.25%	असूचीबद्ध		
		आईएनई020बी07जीयू0	2012-13 प्राइवेट	प्रतिभूत	21/11/22	7.21%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीवी8	प्लेसमेंट	प्रतिभूत	22/11/27	7.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीडब्ल्यू6	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	19/12/22	7.22%	हाँ	हाँ	
					19/12/22	7.72%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीएक्स4		प्रतिभूत	20/12/27	7.38%	हाँ	हाँ	
					20/12/27	7.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीवाई2	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	27/03/23	6.88%	हाँ	हाँ	
					27/03/23	7.38%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीजैड9		प्रतिभूत	27/03/28	7.04%	हाँ	हाँ	
					27/03/28	7.54%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीजैड9	2013-14 प्राइवेट	प्रतिभूत	29/08/23	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जीजैड9	प्लेसमेंट-1	प्रतिभूत	29/08/28	8.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचओ4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25/09/23	8.01%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचआर4		प्रतिभूत	25/09/23	8.26%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचपी8		प्रतिभूत	25/09/28	8.46%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचएस2		प्रतिभूत	25/09/28	8.71%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचक्यू6		प्रतिभूत	26/09/33	8.37%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचटी0		प्रतिभूत	26/09/33	8.62%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचयू8	2013-14 प्राइवेट	प्रतिभूत	11/10/23	8.18%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07एचवी6	लेसमेंट-2	प्रतिभूत	11/10/28	8.54%	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	कूपन दर	निम्न में सूचीबद्ध एनएसई	निम्न में सूचीबद्ध बीएसई	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतर एजेंट
		आईएनई020बी07आईसी4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	22/03/24	8.19%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईएफ7		प्रतिभूत	22/03/24	8.44%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईडी2		प्रतिभूत	23/03/29	8.63%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईजी5		प्रतिभूत	23/03/29	8.88%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईई0		प्रतिभूत	24/03/34	8.61%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07आईएच3		प्रतिभूत	24/03/34	8.86%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेओ7	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	23/07/25	7.17%	हाँ	हाँ	
		आईएनई020बी07जेपी4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/25	6.89%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेक्यू2		प्रतिभूत	05/11/25	7.14%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेआर0		प्रतिभूत	05/11/30	7.09%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेएस8		प्रतिभूत	05/11/30	7.34%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेटी6		प्रतिभूत	05/11/35	7.18%	नहीं	हाँ	
		आईएनई020बी07जेयू4		प्रतिभूत	05/11/35	7.43%	नहीं	हाँ	
3	विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लि. (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड) दी आईएलएंडएफएस फाईनेंशियल सेंटर, जी ब्लॉक, प्लॉट सी - 22, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स,बांद्रा (पू), मुंबई-400 051 संपर्क : श्री संजय डोडती फोन : 022-26593644 फैक्स : 022-26533297 ई-मेल : sanjay.dodti@ilfsindia.com; shailesh.kokate@ilfsindia.com वेबसाइट: www.itclindia.com	आईएनई020बी08682	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	16/02/19	9.15%	हाँ	नहीं	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तृतीय तल, 99 मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली-62 संपर्क: श्री संजय रस्तोगी फोन: 011-29961281-83 फैक्स: 011-29961284 ईमेल: recbonds@gmail.com beetal@beetalfinancial.com
		आईएनई020बी08690		अप्रतिभूत	'02/19	9.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08708		अप्रतिभूत	15/02/22	8.95%	हाँ	नहीं	
		आआईएनई020बी08716		अप्रतिभूत	15/02/22	8.95%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08724		अप्रतिभूत	15/02/27	9.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी08732		अप्रतिभूत	15/02/27	9.15%	हाँ	नहीं	
		आईएनई020बी07जीजी9	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	28/03/22	7.93%	नहीं	हाँ	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर, बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद-500032 संपर्क: श्री वेंकट बाबू फोन: 040-67161586, 040-67161635 ईमेल: vnbabu.garikapati@karvy.com
					28/03/22	8.13%			
		आईएनई020बी07जीएच7		प्रतिभूत	29/03/27	8.12%	नहीं	हाँ	
					29/03/27	8.32%			

31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	1	1,974.92	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	31,350.67	27,630.30
	उप-जोड़ (1)		**33,325.59**	**28,617.76**
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	3	149,489.33	138,789.43
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	4	40.26	49.75
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	12.38	9.50
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	6	1,848.42	1,295.03
	उप-जोड़ (2)		**151,390.39**	**140,143.71**
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	7	-	6,349.93
	(ख) अन्य चालू देयताएं	8	24,326.04	30,389.52
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	6	194.22	852.05
	उप-जोड़ (3)		**24,520.26**	**37,591.50**
	जोड़ (1+2+3)		**209,236.24**	**206,352.97**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	9		
	(i) मूर्त परिसंत्तियां		120.68	117.83
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		0.43	0.91
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		58.69	30.37
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		1.46	1.21
			181.26	150.32
	(ख) गैर-चालू निवेश	10	2,547.29	2,317.46
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	11	177,348.96	157,794.10
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	382.60	101.06
	उप- जोड़ (1)		**180,460.11**	**160,362.94**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	10	149.16	149.16
	(ख) रोकड़ और बैंक शेष	13	4,490.02	1,728.55
	(ग) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	14	3,594.56	795.26
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	20,542.39	43,317.06
	उप-जोड (2)		**28,776.13**	**45,990.03**
	जोड़ (1+2)		**209,236.24**	**206,352.97**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 51 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	16	23,350.79	23,638.35
II.	अन्य आय	17	744.56	117.93
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		24,095.35	23,756.28
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	18	13,775.12	14,283.12
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	178.07	137.44
(iii)	मूल्यहस और परिशोधन	9	5.04	5.45
(iv)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	20	69.80	128.20
(v)	अन्य व्यय	21	98.80	67.01
(vi)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	22	1,109.47	1,089.85
	कुल व्यय (IV)		15,236.30	**15,711.07**
V.	**अवधि मद एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		8,859.05	8,045.21
VI.	**अवधि मद पूर्व**	23	(1.65)	-
VII.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		8,860.70	**8,045.21**
VIII.	**कर व्यय**			
(i)	चालू अवधि		2,606.29	2,477.89
(ii)	पिछले अवधि/(वापसियां)		(27.78)	(2.77)
(iii)	आस्थगित कर		36.43	(57.57)
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		2,614.94	**2,417.55**
IX.	**सतत प्रचालन से अवधि का लाभ (VII-VIII)**		6,245.76	5,627.66
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		-	-
XI.	**इस अवधि का लाभ (IX+X)**		6,245.76	**5,627.66**
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 रुपए के इक्विटी शेयर हेतु ₹ में)**			
(1)	मूल	24	31.63	28.50
(2)	डायल्यूटेड	24	31.63	28.50

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 51 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) लेखाकरण परंपरा: वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि एमसीए सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग: वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना (प्रोविजनिंग)

कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियामक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋणों के मामले में एनपीए मान्यता हेतु घटायी गयी अवधि के गैर-अनुप्रयोज्यता के संबंध में कुछ विशेष छूट दी है तथा आरबीआई के रिस्ट्रक्चरिंग नार्म्स के अनुप्रयोज्यता से कुछ परियोजनाओं के लिए छूट दी है तथा कंपनी को आरईसी के विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार लगातार विनियमित किए जाने की स्वीकृति दी है। आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः निर्धारित/पुनःसंरचित एवं मानक ऋणों के रूप में प्रतिधारित हों, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

ख. डीडीयूजीजेवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

च. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के आरईसी के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

परंतु यह कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए केवल तभी विचारा जाएगा जब वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश का अनुमोदन कर दिया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋणों तथा अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मानक परिसंपत्तियों और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(1) मानक परिसंपत्तियां: मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की चूकरहित चुकौती या ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबंद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि की विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालय क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के लिए दिनांक 11 जून, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र द्वारा दी गयी छूट को ध्यान में रखते हुए, एक मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुन:निर्धारण अथवा पुन: संरचना या पुन:वार्ता को पुन: वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहारिक पाया गया हो।

(2) अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए): कोई ऋण परिसंपत्ति अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) हो जाएगी:-

(क) यदि ब्याज तथा/या मूल की किस्त दो तिमाही अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

दो तिमाहियों की उपरोक्त अवधि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 5 महीने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 4 महीने तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त और उसके बाद वित्त वर्ष के लिए 3 महीने होगी। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 05 अक्तूबर, 2015 के पत्र के द्वारा यह अनुमति दी है कि कंपनी के विद्यमान ऋणों, अर्थात् 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋण, को आरईसी के विद्यमान परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के तहत (180 दिन) 31 मार्च, 2017 तक नियमित किए जाने की अनुमति है।

(ख) हिमालय या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अधीन होने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्ति को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा, यदि यह मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष के अंतर्गत या ऐसे विलंब के कारणों के आधार पर 3/4 वर्ष (निश्चित शर्तों के अध्यधीन),जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में असमर्थ होती है।

(ग) मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित अपवादों के साथ सुविधाओं को उधारकर्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से पहचान किए जाने योग्य है और एक ही परियोजना के लिए लागू है, वहां आरईसी परियोजना के आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) उप-मानक परिसंपत्त: "उप-मानक परिसंपत्तियों" से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे पुन:विमर्शित या पुन:निर्धारित अथवा पुन:संरचित किया गया है, उप-मानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में रहेगी जिसमें उसे, उसके पुन:वार्ता या पुन:निर्धारण अथवा पुन:संरचना करने से पूर्व, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखा गया था। ऐसी परिसंपत्ति को केवल तभी उन्नयनीकृत किया जाएगा जब ब्याज या मूलधन की पहली किस्त की अदायगी, ऋण के पुनर्गठन पैकेज की अवधि के तहत ऋण स्थगन की दीर्घ अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर, दोनों में से जो भी बाद में हो, शुरू होने से एक वर्ष की अवधि के दौरान सभी बकाया ऋण/खाते में सुविधाएं संतोषजनक रूप से निष्पादन कर रही हों। ऐसी परिसंपत्ति के उन्नयनीकृत किए जाने तक यथा लागू आवश्यक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(ii) संदिग्ध परिसंपत्ति: "संदिग्ध परिसंपत्तियों" से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में रहती है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(iii) हानि परिसंपत्ति: हानि परिसंपत्ति से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे आरईसी या इसके आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है तथा जिसे हानि वाली परिसंपत्ति की सीमा तक आरईसी द्वारा बट्टेखाते नहीं डाला गया हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अथवा उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) हानि परिसंपत्तियां - समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा :

(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां -

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली-योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध समझा गया है	प्रावधान का %
1 वर्ष तक	20 %
1 से 3 वर्ष	30%
3 वर्ष से अधिक	50%

(iii) उप-मानक परिसंपत्तियां - 10% का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) मानक परिसंपत्तियां - मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं-

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि विस्तार परियोजनाओं के अधीन और हिमालयी क्षेत्र अथवा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र पुनर्गठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया हो: क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो, 4 वर्ष ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अन्यत्र) तो, 3 वर्ष	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगी: • 31 मार्च, 2015 से 2.75% • 31 मार्च, 2016 से 3.50% (2015-16 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) • 31 मार्च, 2017 से 4.25% (2016-17 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) • 31 मार्च, 2018 से 5.00% (2017-18 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) (उपरोक्त प्रावधान पुनर्गठन की तिथि से अपेक्षित है जब तक कि डीसीसीओ संशोधित नहीं हो जाती है अथवा पुनर्गठन की तिथि से 2 वर्ष, जो भी बाद का हो) 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अन्यत्र मानक परिसंपत्तियों के लिए	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगी: • 31 मार्च, 2015 से 0.25% • 31 मार्च, 2016 से 0.30% • 31 मार्च, 2017 से 0.35% • 31 मार्च, 2018 से 0.40% वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान ऋण वृद्धि के लिए क्रमशः 0.30%, 0.35% और 0.40% प्रावधान बनाया जाएगा और इसके अतिरिक्त क्रमबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी जिससे की 31 मार्च 2018 तक 0.40% के समान किया जा सके।

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान, केवल बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितीकरण के बाद ही रिवर्स होते हैं।

2.5 पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (विशेष छूटों के अध्यधीन) के अनुसार किए गए हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि पुनःसंरचना के पूर्व और पश्चात ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर को, संबंधित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, उपलब्ध कराया जाए।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1913 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया जाता है, बजाय इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई र. 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर आधारित सीधी रेखा पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों के 5 वर्षों तक के लिए उपयोग करने की अवधि का अनुमान लगाती है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उद्धृत (कोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोईभी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनुद्धृत (अनकोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है,

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली-योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली-योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

11.1 नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

11.2 नकदी में, हाथ में नकदी, बैंकों में डिमांड डिपॉसिटों, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय और अपने पास उपलब्ध चैक/ड्रॉफ्ट/भुगतान-आदेश शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेषों (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित) के रूप में विचार करती है, उच्चतम तरल निवेश जोकि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं तथा जोकि मूल्य में परिवर्तनों के महत्वहीन जोखिम पर आधारित हैं।

12. पूर्वावधि/पूर्व-प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षो की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2 प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

विदेशी मुद्रा के लेन–देन को शुरू में लेन–देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा" में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हें तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामत: विनिमय में होने वाली घट–बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आया या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन–देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन–देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन–देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में भावी संविदाओं की प्रकृति में व्युत्पन्न संविदाओं को लेखाकरण मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन विदेशी मुद्रा संविदाओं में, परिसंपत्ति या देयता में प्राप्यों एवं देयों का निवल सम्मिलित है।

अन्य व्युत्पन्न संविदाओं जैसे कि ब्याज दर स्वैप आदि, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं द्वारा लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन्हें उचित मूल्य पर ले जाया जाता है और उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जा रही है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**5,00,00,00,000**	**5,000.00**	1,20,00,00,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	98,74,59,000	987.46
योग	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**98,74,59,000**	**987.46**

1.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	**98,74,59,000**	**987.46**	-	-
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**98,74,59,000**	**987.46**

21 सितंबर, 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के शेयरधारकों ने, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की अधिकृत पूंजी में ₹ 1,200 करोड़ से ₹ 5,000 करोड़ वृद्धि करने और ₹ 987.46 करोड़ की राशि द्वारा विद्यमान आरक्षित के पूंजीकरण से शेयरधारकों के लिए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर (अर्थात् प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्णतया पदत्त प्रति इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक 10/- का एक बोनस इक्विटी शेयर) जारी करने को अनुमोदित किया है। तदनुसार, 30 सितंबर, 2016 को 98,74,59,000 बोनस शेयर जारी एवं आबंटित किए गए।

1.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

1.3 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में),कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

1.4 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकः

नाम	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**1,16,25,04,472**	**58.86%**	59,87,67,680	60.64%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**12,63,22,504**	**6.40%**	8,64,90,414	8.76%

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 25 जनवरी, 2017 को 2,51,33,733 इक्विटी शेयरों अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 1.28% तथा 22 मार्च, 2017 को 98,97,155 इक्विटी शेयरों अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.50% को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) के तहत शेयरों की ऑफ-मार्केट बिक्री के जरिए, विनिवेश/बिक्री कर दिया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 58.86% का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
पूंजीगत आरक्षित निधि		**105.00**		105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 2.1 एवं 2.4 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**3,224.00**		3,223.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन		**-**		0.28
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन		**987.46**		-
वर्ष के अंत में शेष		**2,236.54**		3,224.00
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**728.36**		531.77
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**196.59**		196.59
वर्ष के अंत में शेष		**924.95**		728.36
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**10,349.64**		8,449.64
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**1,881.06**		1,900.00
वर्ष के अंत में शेष		**12,230.70**		10,349.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**2,011.97**		1,621.97
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**413.33**		390.00
वर्ष के अंत में शेष		**2,425.30**		2,011.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 2.3 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**-172.41**		-335.46
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)		**153.63**		-503.08
वर्ष के दौरान परिशोधन		**55.09**		666.13
वर्ष के अंत में शेष		**36.31**		-172.41
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**4,677.40**		4,107.40
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**-**		570.00
वर्ष के अंत में शेष		**4,677.40**		4,677.40
अधिशेष लेखा				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**6,706.34**		6,165.53
घटाएं: 31 मार्च 2016 के अनुसार ब्याज दर स्वैप के संबंध मे एमटीएम का समायोजन (टिप्पणी 2.4 के संदर्भ में)		**86.75**		-
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ		**6,245.76**		5,627.66
घटाएं : विनियोजन				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,881.06**		1,900.00	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**413.33**		390.00	
- लाभांश				
- अंतरिम लाभांश	**1,382.44**		1,184.95	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम) (टिप्पणी 2.5 के संदर्भ में)	**-**		503.60	
- लाभांश संवितरण कर				
- अंतरिम लाभांश	**277.46**		239.19	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**-**		102.52	
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**196.59**		196.59	
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**-**	**4,150.88**	570.00	5,086.85
वर्ष के अंत में शेष		**8,714.47**		6,706.34
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		**31,350.67**		27,630.30

2.1 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त ₹ 0.28 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

2.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 196.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 196.59 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

2.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 172.41 करोड़) 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि ₹ -36.31करोड़ है।

2.4 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार, ₹ 45.92 करोड़ के करों की नेटिंग के उपरांत ₹ 86.75 करोड़ की राशि को, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है। यह 31 मार्च 2016 तक ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में बदलाव को निरूपित करता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान शेयरधारकों को, सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते के पूंजीकरण द्वारा ₹ 987.46 करोड़ की राशि के बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरक्षित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की गयी है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2017 के समाप्त वर्ष		31.03.2016 के समाप्त वर्ष	
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर	राशि		राशि	
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)		**523.35**		503.60
- लाभांश की दर%		**26.50%**		25.50%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)		**2.65**		2.55

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्व-संशोधित लेखाकरण मानक 4 'तुलन पत्र तिथि के उपरांत घटित आकस्मिकताएं एवं घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा घोषित लाभांश के लिए एक प्रावधान किया है। हालांकि, कंपनी (लेखाकरण मानक) संशोधित नियम, 2016 के तहत यथा संशोधित, परिशोधित लेखाकरण मानक 4 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करना अपेक्षित नहीं है। परिणामस्वरूप, उपुर्यक्त लाभांश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि कंपनी, तुलन पत्र की तिथि को प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान सृजित करना जारी रखती है तो, 'आरक्षित एवं अधिशेष निधि' के आंकड़े ₹ 629.89 करोड़ तक कम होंगे और 'अल्पकालिक प्रावधान' उसी राशि तक उच्च रहेंगे (₹ 106.54 करोड़ के लाभांश वितरण कर सहित)।(टिप्पणी 1.1 के संदर्भ में)

3. दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि उधार' के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 8 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण**				
(क)	बॉण्ड				
	- संस्थागत बॉण्ड	**22,138.60**	**5,453.30**	27,591.90	7,854.80
	- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**14,139.62**	**5,337.78**	11,814.48	5,349.91
	- कर मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**-**	12,648.41	-
(ख)	आवधिक ऋण				
	- वित्तीय संस्थाओं से	**400.00**	**350.00**	750.00	350.00
	कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	**49,326.63**	**11,141.08**	**52,804.79**	**13,554.71**
(बी)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण**				
	(क) बॉण्ड				
	- संस्थागत बॉण्ड	**79,424.70**	**5,359.70**	66,184.40	7,055.80
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**34.89**	**76.75**	34.90	207.49
	- जीरो कूपन बॉण्ड	**1,073.09**	**-**	990.64	-
	(ख) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
	- विदेशी मुद्रा उधारियां	**19,630.02**	**1,450.53**	18,774.70	3,149.02
	कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	**1,00,162.70**	**6,886.98**	**85,984.64**	**10,412.31**
	कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	**1,49,489.33**	**18,028.06**	**1,38,789.43**	**23,967.02**
	कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू + चालू)	**1,67,517.39**		**1,62,756.45**	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.1 दीर्घावधि ऋण के ब्योरे:

प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरे:

(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 3.3 को देखें)

3.1.1 बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.1.1.1	संस्थागत बॉण्ड				
	123-III ख श्रृंखला	1,955.00	-	1,955.00	
	9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय				-
	123-I श्रृंखला	1,515.00	-	1,515.00	
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय				
	92-II श्रृंखला	945.30	-	945.30	
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
	91-II श्रृंखला	995.90	-	995.90	
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय				
	90- ग-II श्रृंखला	1,040.00	-	1,040.00	
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय				
	90- ख-II श्रृंखला	868.20	-	868.20	
	8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
	90वीं श्रृंखला	2,000.00	-	2,000.00	
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
	122वीं श्रृंखला	1,700.00	-	1,700.00	
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय				
	119वीं श्रृंखला	2,090.00	-	2,090.00	
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
	88वीं श्रृंखला	1,495.00	-	1,495.00	
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
	118वीं श्रृंखला	1,655.00	-	1,655.00	
	9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
	117वीं श्रृंखला	2,878.00	-	2,878.00	
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
	87-क-III श्रृंखला	61.80	-	61.80	
	11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
	116-II श्रृंखला	850.00	-	850.00	
	9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
	87-II श्रृंखला	657.40	-	657.40	
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचनीय				
	86-ख-III श्रृंखला	432.00	-	432.00	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	86-क श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचनीय				
	85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
	83वीं श्रृंखला	**-**	**685.20**	685.20	-
	9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
	82वीं श्रृंखला	**-**	**883.10**	883.10	-
	9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
	124-। वीं श्रृंखला	**-**	**2,610.00**	2,610.00	-
	9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचनीय				
	123-।।। क श्रृंखला	**-**	**1,275.00**	1,275.00	-
	9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय				
	121वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,600.00
	9.52% सममूल्य पर दिनांक 24.03.2017 को विमोचनीय				
	120वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,100.00
	9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
	81वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	314.80
	8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
	116-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	430.00
	9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
	123-IV श्रृंखला	**-**	**-**	-	2,750.00
	8.97% सममूल्य पर दिनांक 08.09.2016 को विमोचनीय				
	123-।। श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,660.00
	9.27% सममूल्य पर दिनांक 08.08.2016 को विमोचनीय				
	कुल संस्थागत बॉण्ड	**22,138.60**	**5,453.30**	**27,591.90**	**7,854.80**
3.1.1.2	**54ईसीपूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**				
	श्रृंखला X (2016-17)	**7,662.92**	**-**	-	-
	5.25%-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला X (2015-16)	**6,476.70**	**-**	6,476.70	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2014-15)	**-**	**5,337.78**	5,337.78	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचित				
	श्रृंखला IX (2013-14)	**-**	**-**	-	5,349.91
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचित				
	जोड़ - 54ईसीपूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**14,139.62**	**5,337.78**	11,814.48	5,349.91
3.1.1.3	**कर मुक्त बॉण्ड**				
	श्रृंखला 2015-16 भाग 1	**700.00**	**-**	700.00	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5क	**300.00**	**-**	300.00	-
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	**1,059.40**	**-**	1,059.40	-
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	**150.00**	**-**	150.00	-
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	**3,440.60**	**-**	3,440.60	-
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	**1,350.00**	**-**	1,350.00	-
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	**131.06**	**-**	131.06	-
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	**2,017.35**	**-**	2,017.35	-
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 श्रृंखला 2क और 2ख	**500.00**	**-**	500.00	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
	श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
	वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।				
	जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**-**	12,648.41	-
3.1.2	**आवधिक ऋण**				
	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
	- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**400.00**	**350.00**	750.00	350.00
	₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 100 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 50 करोड़ बकाया है) एवं ₹ 2000 करोड़ (जो वर्तमान 7.35% की दर पर ₹ 600 करोड़ बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किश्तों में देय है।				
	जोड़: आवधिक ऋण	**400.00**	**350.00**	**750.00**	**350.00**
3.2	**अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:**				
3.2.1	**बॉण्ड**				
3.2.1.1	**संस्थागत बॉण्ड**				
	147वीं श्रृंखला	**2,745.00**	**-**	-	-
	7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय				
	142वां श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	-	-
	7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय				
	140वीं श्रृंखला	**2,100.00**	**-**	-	-
	7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय				
	136वीं श्रृंखला	**2,585.00**	**-**	2,585.00	-
	8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय				
	95-II श्रृंखला	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय				
	94वीं श्रृंखला	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय				
	133वीं श्रृंखला	**2,396.00**	**-**	2,396.00	-
	8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय				
	131वीं श्रृंखला	**2,285.00**	**-**	2,285.00	-
	8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
130वीं श्रृंखला	2,325.00	-	2,325.00	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय				
129वीं श्रृंखला	1,925.00	-	1,925.00	-
8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय				
128वीं श्रृंखला	2,250.00	-	2,250.00	-
8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय				
115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड	2,500.00	-	2,500.00	-
8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
114वीं श्रृंखला	4,300.00	-	4,300.00	-
8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
111-II श्रृंखला	2,211.20	-	2,211.20	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
107वीं श्रृंखला	2,378.20	-	2,378.20	-
9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
132वीं श्रृंखला	700.00	-	700.00	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय				
145वीं श्रृंखला	625.00	-	-	-
7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय				
141वीं श्रृंखला	1,020.00	-	-	-
7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय				
127वीं श्रृंखला	1,550.00	-	1,550.00	-
8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय				
105वीं श्रृंखला	3,922.20	-	3,922.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
139वींश्रृंखला	2,500.00	-	-	-
7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय				
101-III श्रृंखला	3,171.80	-	3,171.80	-
9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
100वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
98वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
97वीं श्रृंखला	2,120.50	-	2,120.50	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय				
96वीं श्रृंखला	1,150.00	-	1,150.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय				
135वीं श्रृंखला	2,750.00	-	2,750.00	-
8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
144वीं श्रृंखला	**835.00**	**-**	-	-
7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय				
134वीं श्रृंखला	**2,675.00**	**-**	2,675.00	-
8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय				
143वीं श्रृंखला	**1,275.00**	**-**	-	-
6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय				
148वीं श्रृंखला	**1,200.00**	**-**	-	-
7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय				
113वीं श्रृंखला	**1,542.00**	**-**	1,542.00	-
8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय				
111-I श्रृंखला	**452.80**	**-**	452.80	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
126वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	1,700.00	-
8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय				
125वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय				
108-II श्रृंखला	**960.00**	**-**	960.00	-
9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
95-I श्रृंखला	**200.00**	**-**	200.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
137वीं श्रृंखला	**2,225.00**	**-**	2,225.00	-
8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय				
146वीं श्रृंखला	**3,300.00**	**-**	-	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 03.09.2018 को विमोचनीय				
112वीं श्रृंखला	**-**	**1,500.00**	1,500.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
109वीं श्रृंखला	**-**	**1,734.70**	1,734.70	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचनीय				
108-I श्रृंखला	**-**	**2,125.00**	2,125.00	-
9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
138वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	2,895.00
8.28% सममूल्य पर दिनांक 04.03.2017 को विमोचनीय				
106वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,500.00
9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
103-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	50.00
9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
102वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	2,216.20
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	101-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	394.60
	9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
	जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**79,424.70**	**5,359.70**	**66,184.40**	**7,055.80**
3.2.1.2	**इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड**				
	श्रृंखला-II (2011-12)	**29.50**	**-**	29.51	128.08
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।				
	श्रृंखला-I (2010-11)	**5.39**	**76.75**	5.39	79.41
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।				
	जोड़ : इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**34.89**	**76.75**	**34.90**	**207.49**
3.2.1.3	**जीरो कूपन बॉण्ड**				
	जेडसीबी - श्रृंखला - II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	**194.57**	**-**	178.95	-
	जेडसीबी - श्रृंखला - I (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	**878.52**	**-**	811.69	-
	जोड़ : जीरो कूपन बॉण्ड	**1,073.09**	**-**	**990.64**	**-**
3.2.2	**अन्य ऋण और अग्रिम**				
3.2.2.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बॉण्ड - सीएचएफ 200 मिलियन	**-**	**-**	-	1,378.50
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**237.65**	**169.84**	400.61	210.13
	0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2017 को देय हो रही है और 0.65% जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2017 को देय हो रही है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**51.03**	**51.02**	93.33	51.10
	3.73% ऋण €3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2017 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण-300 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	1,367.24
	दिनांक 19.08.2016 को प्रदत्त				
	केएफडब्ल्यू ऋण II भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**161.58**	**53.86**	213.77	53.44
	2.89% ऋण €3.88 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2017 को देय हो रही है।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सिंडिकेट ऋण-¥19.029 बिलियन	**-**	**1,102.92**	1,184.43	-
दिनांक 10.04.2017 को प्रदत्त				
केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**473.81**	**72.89**	558.76	88.61
1.86% ऋण, € 5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2017 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण- $285 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,847.90**	**-**	1,780.28	-
दि. 02.12.2018 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण- $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,620.97**	**-**	1,521.75	-
दि. 29.05.2019 को प्रदत्त				
सिंडिकेट ऋण- $400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,593.54**	**-**	2,435.78	-
ऋण $230 मिलियन अमेरिकी डालर और $170 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 24.07.2019 तथा 27.10.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,593.54**	**-**	2,539.64	-
दिनांक 12.03.2020 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,945.16**	**-**	1,909.56	-
दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,620.97**	**-**	1,653.25	-
ऋण $150 मिलियन अमेरिकी डालर और $100 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,945.16**	**-**	1,997.80	-
दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,620.97**	**-**	1,688.46	-
दिनांक 05.02.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $120 मिलियन अमेरिकी डालर	**778.06**	**-**	797.28	-
दिनांक 21.03.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $100 मिलियन अमेरिकी डालर	**648.39**	**-**	-	-
दिनांक 05.10.2021 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $230 मिलिय अमेरिकी डालर	**1,491.29**	**-**	-	-
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	**19,630.02**	**1,450.53**	18,774.70	3,149.02

3.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 82, 83, 85, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87ए-III, 88, 90, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II, और 92-II, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 116-II, 117, 118, 119, एवं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123-I, 123-IIए, 123-IIबी, 124-I विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन है। (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था।) के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला X और वित्त वर्ष 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान जारी किए गए पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड और कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

3.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 65 बीपीएस से 220 बीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 3.2.2.1 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंगों का हस्तांतरण

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी को घरेलू ऋण लिखतों के लिए निरंतर "एएए" रेटिंग प्राप्त है, जे क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इक्रा-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च रेटिंग है।

आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है, जोकि क्रमशः "बीएए3" तथा "बीबीबी-" है।

वर्ष के दौरान रेटिंगों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

3.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला-I (2010-11)

ब्याज दर	राशि (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	17.40	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	59.35	
8.10%	1.60	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.79	
जोड़	**82.14**	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	5.00	
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**29.50**	

3.7 वर्ष के दौरान, कंपनी के समक्ष कुछ छद्मकर्ताओं द्वारा 54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों में निवेशकों में से एक के द्वारा निवेश किए गए पैसे के जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से नकदीकरण का एक दृष्टांत देखने में आया। कंपनी ने अज्ञात व्यक्ति और तत्समय के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। तदनुसार, खातों बहियों में ₹ 0.59 करोड़ की राशि को आरटीए से वसूलनीय दर्शाया गया है और इस मामले की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी गयी है। इसके अलावा, एक एहतियाती उपाय के रूप में, उस समय मौजूदा आरटीए की सेवाओं को बंद कर दिया गया है और नए आरटीए नियुक्त किया गया।

4. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	3.79	3.63
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	-	59.67
स्वैप ब्याज दर पर एमटीएम	66.48	-
जोड़	**70.27**	**63.30**
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	10.77	8.06
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.67	5.49
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	12.57	-
जोड़	**30.01**	**13.55**
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)	**40.26**	**49.75**

4.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

5. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारियों पर देय नहीं	12.38	9.50
जोड़	12.38	9.50

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	- निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी हितलाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	**27.86**	**3.27**	21.00	2.30
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**92.49**	**4.66**	82.50	4.12
	चिकित्सा अवकाश देयता	**16.63**	**2.64**	13.65	2.22
	निपटान भत्ता	**1.10**	**0.17**	1.06	0.16
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.44**	**0.01**	3.31	0.03
	दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.64**	**0.19**	2.45	0.11
	उप-जोड़ (क)	**144.16**	**10.94**	**123.97**	**8.94**
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	**536.59**	**70.87**	420.35	123.08
	पुनर्गठित मानक ऋण	**1,167.67**	**73.52**	750.71	70.63
	देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**-**	**3.96**	-	3.96
	प्रोत्साहन	**-**	**20.34**	-	18.13
	वेतन निर्धारण	**-**	**14.59**	-	-
	प्रस्तावित लाभांश(टिप्पणी 2.5 के संदर्भ में)	**-**	**-**	-	503.60
	कारपोरेट लाभांश कर	**-**	**-**	-	102.52
	सीएसआर व्यय	**-**	**-**	-	21.19
	उप-जोड़ (ख)	**1,704.26**	**183.28**	**1,171.06**	**843.11**
	जोड़ (क+ख)	**1,848.42**	**194.22**	**1,295.03**	**852.05**

6.1 प्रावधानों के संचलन और ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
अर्जित अवकाश देयता	**23.30**	**12.29**	**4.46**	**31.13**
पिछले वर्ष	22.98	6.21	5.89	23.30
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**86.62**	**17.21**	**6.68**	**97.15**
पिछले वर्ष	77.61	15.33	6.32	86.62
चिकित्सा अवकाश देयता	**15.87**	**4.95**	**1.55**	**19.27**
पिछले वर्ष	15.22	2.11	1.46	15.87
निपटान भत्ता	**1.22**	**0.14**	**0.09**	**1.27**
पिछले वर्ष	1.20	0.12	0.10	1.22
आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.34**	**0.95**	**0.84**	**3.45**
पिछले वर्ष	2.72	1.26	0.64	3.34
दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.56**	**1.01**	**0.74**	**2.83**
पिछले वर्ष	2.84	0.02	0.30	2.56
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**543.43**	**64.03**	**-**	**607.46**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
पिछले वर्ष	490.92	138.93	86.42	543.43
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**821.34**	**419.85**	**-**	**1,241.19**
पिछले वर्ष	451.77	369.57	-	821.34
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**3.96**	**-**	**-**	**3.96**
पिछले वर्ष	-	3.96	-	3.96
प्रोत्साहन	**18.13**	**15.52**	**13.31**	**20.34**
पिछले वर्ष	16.71	14.34	12.92	18.13
वेतन निर्धारण	-	14.59	-	14.59
पिछले वर्ष	-	-	-	-
सीएसआर व्यय	**21.19**	**69.80**	**90.99**	**-**
पिछले वर्ष	57.21	128.20	164.22	21.19
प्रस्तावित लाभांश	**503.60**	**-**	**503.60**	**-**
पिछले वर्ष	266.61	503.60	266.61	503.60
कारपोरेट लाभांश कर	**102.52**	**277.46**	**379.98**	**-**
पिछले वर्ष	54.28	341.71	293.47	102.52
आय कर	**6,420.98**	**2,584.58**	**6,391.23**	**2,614.33**
पिछले वर्ष	5,249.83	2,521.82	1,350.67	**6,420.98**

7. अल्पावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	– बैंकों से	**-**	749.93
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	**-**	5,600.00
	जोड़ (क+ख)	**-**	**6,349.93**

8. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 3 के संदर्भ में)**	**18,028.06**	23,967.02
(ख)	**उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं**	**6,026.78**	6,229.15
(ग)	**अग्रिम में प्राप्त आय**	**0.08**	0.08
(घ)	**अप्रदत्त लाभांश**	**2.75**	2.73
(च)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज**		
	– परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**51.54**	44.83
	– बॉण्डों पर ब्याज	**15.19**	12.57
(छ)	**अन्य देय राशियां**		
	– प्राप्त सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	**46,154.67**	38,111.60

लेखा संबंधी टिप्पणियां

– जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 8.3 के संदर्भ में)	**2.18**	18.10
– घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-46,131.01**	-38,091.35
– सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**25.84**	38.35
– भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**26.26**	21.87
– कर्मचारी हितलाभों हेतु निधिपोषित देय राशियां	**13.63**	0.53
– अन्य देयताएं	**135.91**	72.39
उप-जोड़ (छ)	**201.64**	**133.14**
जोड़ (क से छ)	**24,326.04**	**30,389.52**

8.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.86 करोड़ (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.26 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए**
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**1.26**	2.22
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.07**	0.07
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**0.47**	1.03
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.86**	**1.26**

8.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य चालू देयताएं" के तहत "असंवितरित सब्सिडी/अनुदान" के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 24.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.15 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 40.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 71.66 करोड़) की राशि वापस की गई है।

8.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए**
आरंभिक शेष	**18.10**	51.38
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**25.94**	41.49
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**41.59**	74.19
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.27**	0.58
वर्ष के अंत में शेष	**2.18**	**18.10**

9. 31 मार्च, 2017 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2016 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2017 को बंद	31.03.2016 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	80.62	2.30	-	82.92	-	-	-	-	82.92	80.62
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	1.45	0.24	0.01	-	0.25	1.20	1.21
भवन	33.17	0.72	2.30	31.59	7.76	0.49	0.63	7.62	23.97	25.41
फर्नीचर और जुड़नार	7.03	0.39	0.11	7.31	4.92	0.48	0.09	5.31	2.00	2.11
वाहन	0.43	-	-	0.43	0.24	0.04	-	0.28	0.15	0.19
ईडीपी उपस्कर	16.99	2.02	3.75	15.26	13.10	1.99	3.52	11.57	3.69	3.89
कार्यालय उपस्कर	9.94	4.16	0.46	13.64	5.54	1.49	0.14	6.89	6.75	4.40
जोड़	**149.63**	**9.59**	**6.62**	**152.60**	**31.80**	**4.50**	**4.38**	**31.92**	**120.68**	**117.83**
पिछले वर्ष	100.36	51.49	2.22	149.63	27.86	4.92	0.98	31.80	117.83	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.97	0.06	-	7.03	6.06	0.54	-	6.60	0.43	0.91
जोड़	**6.97**	**0.06**	**-**	**7.03**	**6.06**	**0.54**	**-**	**6.60**	**0.43**	**0.91**
पिछले वर्ष	6.97	0.01	0.01	6.97	5.54	0.53	0.01	6.06	0.91	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**30.37**	**28.32**	**-**	**58.69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.69**	**30.37**
पिछले वर्ष	7.39	24.34	1.36	30.37	-	-	-	-	30.37	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**1.21**	**0.25**	**-**	**1.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.46**	**1.21**
पिछले वर्ष	-	1.21	-	1.21	-	-	-	-	1.21	

9.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 50.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.51 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

9.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 9परिसंपत्तियों में कमी" के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9.3 एएस-26 "अमूर्त परिसंपत्तियों" में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

समाशोधन दर - 20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	रकम	संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	रकम
	लागत पर मूल्यांकित				
(1)	**गैर-चालू निवेश**				
(क)	**ट्रेड निवेश**				
(i)	**इक्विटी उपकरणों में निवेश (उद्धृत)**				
	- एनएचपीसी लिमिटेड	**18,40,11,865 (10)**	**400.80**	-	-
(ii)	**इक्विटी लिखतों में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- अनुषंगी कंपनियां				
	- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**50,000 (10)**	**0.05**	50,000 (10)	0.05
	- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**50,000 (10)**	**0.05**	50,000 (10)	0.05
	- संयुक्त उद्यम				
	- एनर्जी इफीसिएंसी सर्विज लिमिटेड	**14,65,00,000 (10)**	**146.50**	4,75,00,000 (10)	47.50
	- अन्य				
	- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**12,50,000 (10)**	**1.25**	12,50,000 (10)	1.25
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	**1,60,00,000 (10)**	**16.00**	1,60,00,000 (10)	16.00
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान		**(16.00)**		(16.00)
(iii)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड - II	**4 (47,16,00,000)**	**188.64**	6 (47,16,00,000)	282.96
	प्रत्येक एक बांड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2017 को देय है।				
(iv)	**वेंचर पूंजी निधियों में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' निधि	**61,52,200 (10)**	**6.15**	61,52,200 (10)	6.15
(v)	**डिबेंचर्स में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- यूपी पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के 9.68% बांड	**30,385 (1,00,000)**	**303.85**	38,050 (1,00,000)	380.50
(vi)	**शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन**				
	- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड		**-**		99.00
(ख)	**अन्य निवेश**				
	डिबेंचर्स में निवेश (उद्धृत)				
	- इंडियन बैंक के 11.15% टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000 (10,00,000)**	**500.00**	5,000 (10,00,000)	500.00
	- विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000 (10,00,000)**	**500.00**	5,000 (10,00,000)	500.00
	- सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000 (10,00,000)**	**500.00**	5,000 (10,00,000)	500.00
	जोड़: गैर-चालू निवेश (1)		**2,547.29**		**2,317.46**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	रकम	संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	रकम
(2)	**चालू निवेश**				
(i)	**इक्विटी लिखतों में निवेश(अनुद्धृत)**				
	- लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड	**10,20,00,000 (10)**	**102.00**	10,20,00,000 (10)	102.00
(ii)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड-II*	**1 (47,16,00,000)**	**47.16**	1 (47,16,00,000)	47.16
	प्रत्येक एक बांड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2017 को देय है।				
	जोड़ - चालू निवेश (2)		**149.16**		**149.16**
	जोड़ (1+2)		**2,696.45**		**2,466.62**

* चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की राशि आगामी 12 माह में परिपक्व होने वाली निवेश की राशि को दर्शाती है और शेष गैर-चालू अंश है।

10.1 निवेश में ₹ 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.15 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 6.15 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2017 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 10.24 प्रति यूनिट है (पिछले वर्ष ₹ 10.24 प्रति यूनिट)।

इसके अतिरिक्त, निवेश में ₹ 1.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.25 करोड़) भी शामिल हैं, जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	शेयरों की संख्या	निवेश की गयी राशि	निगमन का देश	शेयरहोल्डिंग %
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,50,000	₹ 1.25 करोड़	भारत	4.34%

10.2 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	31.71%
निगमन देश	भारत
प्रचालन का क्षेत्र	भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1. एनटीपीसी लिमिटेड (31.71%)
	2. पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (4.87%)
	3. पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड (31.71%)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31.03.2017 के अनुसार कंपनी की परिसम्पतियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में अवधि के लिए आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार /के लिए (गैर- लेखापरीक्षित)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ के लिए (गैर- लेखापरीक्षित)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार/के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	838.77	427.98	428.74
(ii)	कुल देयताएं	662.90	308.16	311.84
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	29.37	15.32	12.39
(iv)	आकस्मिक देयताएं	11.74	-	10.66
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	103.95	84.24	254.63
(vi)	कुल आय	408.83	205.87	206.04
(vii)	कुल व्यय	384.81	191.59	192.12

* संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं । हालांकि, बाद में 16 सितंबर 2016 को ईईएसएल के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की गई।

10.3 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(1)	**निवेशों का मूल्य**				
(i)	निवेशों का समग्र मूल्य				
(क)	भारत में	**2,563.29**	**149.16**	2,333.46	149.16
(ख)	विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान				
(क)	भारत में	**16.00**	**-**	16.00	-
(ख)	विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य				
(क)	भारत में	**2,547.29**	**149.16**	2,317.46	149.16
(ख)	विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(2)	**निम्न पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**				
(i)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**16.00**	**-**	-	-
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**-**	**-**	16.00	-
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	**-**	**-**	-	-
(iv)	**वर्ष के अंत में शेष**	**16.00**	**-**	16.00	-
(3)	**उद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**1,900.80**	**-**	1,500.00	-
	उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	**2,089.76**	**-**	1,500.00	-
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**662.49**	**149.16**	833.46	149.16
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	**16.00**	**-**	16.00	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
क)	**पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	40.23	49.14
ख)	**प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	0.83	3.77
ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	0.37	0.63
		0.37	0.63
घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को छोड़कर)	32.29	36.72
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	1,77,275.24	1,57,703.84
		1,77,307.53	1,57,740.56
	योग (क से घ)	1,77,348.96	1,57,794.10

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसंपत्तियों का ब्योरा:

11.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों" में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-15 "अन्य चालू परिसंपत्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(क1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
(क)	शोध्य समझा गया	0.01	-	0.01	0.01
(क2)	**अन्य को**				
(क)	शोध्य समझा गया	3.43	0.68	2.93	0.73
	उप-जोड़ (क1+क2)	3.44	0.68	2.94	0.74
(ख)	**अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(ख1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
(क)	शोध्य समझा गया	0.36	0.13	0.62	0.19
(ख2)	**अन्यों को**				
(क)	शोध्य समझा गया	28.86	10.42	33.79	10.24
	उप जोड़ (ख1+ ख2)	29.22	10.55	34.41	10.43
	सकल जोड़ (क+ख)	32.66	11.23	37.35	11.17

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को "दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों" में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-15 अन्य चालू परिसंपत्तियां के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
(क)	शोध्य समझे गए	**1,25,811.34**	**11,014.90**	1,09,569.70	15,194.43
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
(क)	शोध्य समझे गए	**24,691.95**	**3,553.12**	24,377.49	1,841.42
(ख)	वर्गीकृत संदिग्ध	**2,220.01**	**2,169.10**	2,243.97	1,569.50
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**383.89**	**767.87**	257.65	325.52
		1,836.12	**1,401.23**	1,986.32	1,243.98
	उप-जोड़ (क1+क2)	**1,52,339.41**	**15,969.25**	**1,35,933.51**	**18,279.83**
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
(क)	शोध्य समझे गए	**19,109.20**	**2,850.00**	18,092.54	22,522.84
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
(क)	शोध्य समझे गए	**2,647.90**	**351.22**	2,467.29	886.78
(ख3)	**ऋण अन्य**				
(क)	शोध्य समझे गए	**3,178.73**	**258.78**	1,210.50	99.51
(ख)	वर्गीकृत संदिग्ध	**5.18**	**478.40**	-	430.10
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**5.18**	**478.40**	-	430.10
		-	**-**	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	**24,935.83**	**3,460.00**	**21,770.33**	**23,509.13**
	समग्र जोड़ (क+ख)	**1,77,275.24**	**19,429.25**	**1,57,703.84**	**41,788.96**

11.2.1 31 मार्च, 2017 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 86% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। 28,474 करोड़ लागत की शेष 14% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 82% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 13% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 5% अप्रतिभूत ऋण हैं।

11.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

11.2.3 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण- I टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। ऋण कंपनी की सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र और कारपोरेट इस्पात एंड अलोयस् लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी के तौर पर प्रतिभूत है। तत्पश्चात, आरइरसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 मार्च, 2017 के अनुसार बकाया ऋण ₹ 811.74 करोड़ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

पिछले उपलब्ध उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के चरण -1 की प्रगति (जहां आरईसी प्रमुख है) लगभग 96% है। हालांकि, 30 जून 2014 को अकाउंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार, चरण- I और चरण-II की परियोजना परिसंपत्तियों का वसूलनीय बिक्री मूल्य ₹ 1,424.35 करोड़ है। तदनुसार, ₹ 587.47 करोड़ की राशि की प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य और ₹ 224.27 करोड़ की शेष ऋण राशि द्वारा ऋण की सीमा तक 100% प्रावधान नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में ₹ 67.29 करोड़ की राशि का 30% प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, किया गया कुल प्रावधान ₹ 654.75 करोड़ है।

उधारकर्ता को अनुस्मारक नोटिस दिया गया है और प्रमोटर कंपनी, सीआईएएल, के कारपोरेट गारंटी की मांग की गई है। आरईसी एवं एआरसीआईएल ने सीआईएएल के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर कर दी। इसी बीच में, सीआईएएल औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में चला गया, इसके अनुसरण में, माननीय उच्च न्यायालय ने समापन याचिका को ठुकरा दिया है। उधारदाता, प्रबंधन में परिवर्तन करने सहित परियोजना के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न उपाय तलाश रहे हैं। उधारदाताओं की सहमति से, एआरसीआईएल ने एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम के तहत कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। एआरसीआईएल ने परियोजना स्थल को कब्जे में ले लिया है तथा परियोजना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तैनात कर दी है। उधारदाताओं ने बकायों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में संयुक्त मूल आवेदन (ओए) भी दाखिल कर दिया है।

11.2.4 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए ₹ 1,150 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसमें 31 मार्च, 2017 तक किया गया कुल संवितरण ₹ 33.24 करोड़ है। 30 जून 2014 को अकाऊंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों का वसूलनीय बिक्री मूल्य ₹ 143.35 करोड़ आंका गया है। तदनुसार, ₹ 31.48 करोड़ की राशि की ऋण की सीमा प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य तक शामिल नहीं है और ₹ 1.77 करोड़ के लिए 100% प्रावधान, तथा ₹ 0.53 करोड़ की राशि के लिए 30% का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, ₹ 33.24 करोड़ के कुल ऋण बकाया पर किया गया कुल सृजित प्रावधान ₹ 32.01 करोड़ है।

उधारदाताओं ने पहले ही वसूली शुरू कर दी है। धारकर्ता को अनुस्मारक नोटिस दिया गया है और प्रमोटर से निजी गारंटी की मांग की गई है। बकाया राशि की वसूली के लिए आरईसी ने डीआरटी में मूल आवेदन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा, उधारदाता एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

11.2.5 31 मार्च, 2017 के अनुसार, एक उधारकर्ता के देय बकाया 6 महीनों से अधिक अतिदेय थे। इस प्रकार, यह 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए तय समय-सीमा से अधिक थी। हालांकि, उधारकर्ता ने 18 सितंबर 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया था, ताकि खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता के वर्गीकरण को, न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक 'मानक संपत्ति' के रूप में रखा गया है। तदनुसार, बकाया ऋण 2,301.99 करोड़ पर उप-मानक ऋणों के लिए यथा लागू 10% का प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद उधारकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ₹ 426.09 करोड़ (वित्त वर्ष 2016-17 से संबन्धित ₹ 88.79 करोड़) के उपार्जित ब्याज की संस्वीकृति और रिकग्नाइज्ड आय की शर्तों के अनुरूप संवितरण के माध्यम से तदनुसार समायोजित कर दिया गया है।

हालांकि, चूंकि खाता वर्तमान में पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्ति की श्रेणी में है, महत्वपूर्ण लेखा नीति 2.3 (iv) के अनुसार ₹ 115.10 करोड़ की राशि के 5% का प्रावधान, चरणबद्ध तरीके से सृजन करने के समक्ष ऋण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया है। इसके अलावा, विवेक के मामले में, 5% प्रावधान से अधिक ऋण के 4.50% की दर से ₹ 103.59 करोड़ राशि का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, परियोजना के समक्ष ₹ 218.69 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया था और ₹ 271.78 करोड़ की अवसूल आय को भी मान्यता नहीं दी गयी। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी रोक आदेश को हटाने के लिए आरईसी द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया है।

11.2.6 आरईसी ने मई, 2012 में, प्रारंभिक परियोजना एससीओडी में आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रमुख उधारदाता के रूप में मैसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड को ₹ 390 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। हालांकि, प्रोमोटरों की इक्विटी क्रंच, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और खराब रॉक स्ट्राटा के कारण, परियोजना अभी तक कमीशन नहीं की जा सकी। परियोजना, जोकि वर्तमान में ठप पड़ी है, का पुनररूद्धार

लेखा संबंधी टिप्पणियां

करने के लिए, स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है, जो नये निवेशक द्वारा अतिरिक्त संसाधन लाये जाने को सुनिश्चत करेगा। इस दिशा में, स्वामित्व के परिवर्तन पर, दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया व्यवस्था के तहत प्रभावपूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) विनियम के अनुसार, उधारदाताओं के कंर्सोटियम ने 24 जुलाई, 2015 को हुई उधारदाताओं की बैठक में एसडीआर को लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरईसी ने 24 सितंबर, 2015 को, प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आरईसी के बकाया ऋण में से ₹ 102 करोड़ को 10/- के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई के दिनांक 08 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसरण में सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) पैकेज को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, 20 अक्तूबर, 2015 को, शेयरधारक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण कार्य किया गया तथा आरईसी द्वारा स्वीकृत ₹ 102 करोड़ की राशि को 20 अक्तूबर, 2015 को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया। एसडीआर योजना के अनुसार, 24 जुलाई 2015 से 18 महीनों तक परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक बना रहेगा अर्थात् इस समय-सीमा के अंतर्गत 23 जनवरी, 2017 तक एक उपयुक्त निवेशक अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा प्रबंधन में परिवर्तन के प्रयोग को पूरा किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रचलित आईआरएसी मानकों के अनुसार किया जाएगा, यह मानते हुए कि परिसंपत्ति वर्गीकरण में उपरोक्त "स्टैंड-स्टिल" भी नहीं दिया गया था। जैसा कि 23 जनवरी, 2017 तक किसी निवेशक की पहचान नहीं की गयी थी, परिसंपत्ति वर्गीकरण को अब शेष ऋण को 20% की दर से प्रावधान करने के साथ संदिग्ध श्रेणी के रूप में डाऊनग्रेडेड कर दिया गया है। इसके अलावा, परियोजना की उपलब्ध नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के उचित मूल्य में और कंपनी के उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में कोई कमी नहीं हुई है। तदनुसार इक्विटी शेयरों में निवेश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

11.2.7 आरईसी ने सिक्किम में 2X55 मेगावॉट एचईपी के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख उधारदाता के रूप में आईडीएफसी के साथ गेटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 217 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण राशि ₹ 198.16 करोड़) का एक ऋण दिया है। 18 मई 2013 को परियोजना के समापन की तिथि (सीओडी) हासिल कर ली गयी है और तभी से यह संक्रियात्मक है। हालांकि, चूंकि कंपनी अल्प अवधि की व्यवस्थाओं के तहत अपनी संपूर्ण बिजली बेच रही है, कम राजस्व की प्राप्ति के कारण परियोजना के नकदी प्रवाहों पर दबाव पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत 5 दिसंबर 2016 के रूप में संदर्भ तिथि के साथ उधारदाताओं ने कार्यनीति ऋण पुनर्गठन (एसडीआर)/ बाह्य एसडीआर के कार्यान्वयन को लागू किया है। एसडीआर/बाह्य एसडीआर की प्रक्रियाधीन है।

11.2.8 आरईसी ने कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत, अग्रणी लेंडर के रूप में पीएफसी के साथ, मैसर्स इंड बैरथ पॉवर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को ऋण दिया है, जिसमें से 31 मार्च, 2017 के अनुसार बकाया ऋण राशि ₹ 416.21 करोड़ है। तीनों कंसोर्टियम लेंडरों द्वारा आईबीपीएमएल को कुल संवितरण ₹ 947.71 करोड़ था। इसमें से, ₹ 573.99 करोड़ फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रखा गया था, जो टीआरए से उधारकर्ता द्वारा परियोजना उद्देश्यों से इतर उपयोग किया गया था। 31 दिसंबर 2016 को अकाऊंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (iii) के अनुसार बहियों में 10% प्रावधान राशि अर्थात ₹ 41.62 करोड़ का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, विवेक के मामले के रूप में, ऋण के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 83.24 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान अद्यतन वैल्यूएशन रिपोर्ट तथा वित्तीय आधार पर लेखा की प्रोविजनिंग की समीक्षा की जाएगी।

11.2.9 आरईसी ने मांडवा, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में 1320 मेगावॉट (2X660 मेगावॉट) थर्मल पॉवर की स्थापना के लिए लैंको ग्रुप द्वारा प्रोन्नत मैसर्स लैंको विदर्भ थर्मल पॉवर लिमिटेड (एलवीटीपीएल) के लिए ₹ 750 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है। 31 मार्च, 2017 के अनुसार बकाया ऋण राशि ₹ 539.56 करोड़ है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (iv) के अनुसार बहियों में ₹ 22.93 करोड़ की राशि का 4.25% प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, विवेक के मामले के रूप में, ऋण के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 60 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

11.2.10 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, ₹ 2,143.38 करोड़ की बकाया ऋण राशि के साथ एक उधारकर्ता ने अपने ऋण का पूर्व-भुगतान करने का आशय व्यक्त किया है। इसके अलावा, उधारकर्ता ने बकाया ऋण राशि के 40% से अधिक का पूर्व-भुगतान तुलन-पत्र की तिथि से पहले कर दिया है तथा उसने शेष ऋण राशि की अदायगी वित्त वर्ष 2017-18 के अंतर्गत करने संबंधी अपने आशय की सूचना प्रेषित की है। तदनुसार, बकाया ऋण राशि पर विचार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार 'करंट' के रूप में किया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

12. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश**	7.74	6.79
(ख)	**अग्रिम आय कर एवं टीडीएस**	2,653.30	6,515.25
	घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान	2,614.33	6,420.98
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	38.97	94.27
(ग)	**अग्रिम अनुबंध प्राप्य**	143.79	-
(घ)	**व्युत्पन्न अनुबंधों के संबंध में प्राप्य**	192.10	-
	जोड़ (क से घ)	**382.60**	**101.06**

13. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष राशि	851.34	960.58
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	2,476.70	767.61
	- ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	1,160.00	-
	उप-जोड़ (क)	**4,488.04**	**1,728.19**
(ख)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	1.98	0.36
	उप-जोड़ (ख)	**1.98**	**0.36**
	जोड़ (क+ख)	**4,490.02**	**1,728.55**

बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है:

- बैंकों में अलग खातों में चिहिन्त शेष

- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**2.75**	2.73
- डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान हेतु	**0.51**	34.17
- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	**2.13**	1.77

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 23.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.41 करोड़.) की राशि चिह्नित की गयी है। (ख) अन्य में - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिह्नित ₹ 1.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.36 करोड़) की जमा राशि शामिल है।

13.1 कंपनी सभी प्रकार की अदायगी, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अर्थात् एनईएफटी/आरटीजीएस से कर रहा है। हालांकि, केवल कारोबार के सामान्य कोर्स में खर्च हुए कुछ फुटकर व्ययों के लिए, भुगतान नकद रूप में किया जाता है। 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान किए गए और संव्यवहारित विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों (एसबीएन) में लेन-देनों के संबंध में प्रकटीकरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्दिष्ट बैंक टिप्पणियाँ (एसबीएनएस)	अन्य मूल्यवर्ग टिप्पणियाँ	योग
8 नवम्बर 2016 को शेष नकद	0.05	0.01	0.06
जोड़ें: अनुमति की प्राप्तियाँ	-	-	-
घटाएँ: अनुमति का भुगतान	-	0.01	0.01
घटाएँ: बैंक में जमा राशि	0.05	-	0.05
30 दिसंबर 2016 को शेष नकद	**-**	-	**-**

14. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम, (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए ऋण)**	**1.35**	**0.95**
(ख)	**अन्य**		
(i)	**नकदी या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)**		
	(क) शोध्य समझे गए	**4.36**	22.09
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**5.59**	2.06
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**5.59**	2.06
		-	-
	कुल (i)	**4.36**	**22.09**
(ii)	**ऋण परिसंपत्तियाँ**		
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	-राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)		
	- शोध्य समझे गए	**740.67**	-
	उप-जोड़ (क)	**740.67**	**-**
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	**197.18**	672.22
	- ऋण - अन्य		
	- शोध्य समझे गए	**2,651.00**	100.00
	उप-जोड़ (ख)	**2,848.18**	**772.22**
	कुल (ii)	**3,588.85**	**772.22**
	सकल जोड़	**3,594.56**	**795.26**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

15. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11.2 को देखें)	19,429.25	41,788.96
(ख)	स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11.1 देखें)	11.23	11.17
(ग)	उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज:		
	- दीर्घावधि निवेशों पर	14.23	18.06
	- आवधिक जमा पर	4.37	1.32
	उप-जोड़	18.60	19.38
(घ)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	781.26	1,112.89
(च)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	288.31	301.73
(छ)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.33	0.30
(ज)	भारत सरकार से वसूलनीय		
	- डीडीयूजीजेवाई व्यय	9.02	9.71
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि व्यय	0.42	0.37
	उप-जोड़	9.44	10.08
(झ)	राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलनीय	3.97	5.11
(ट)	कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार	-	67.30
(ठ)	अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश	-	0.14
	- बांडों के निर्गम पर छूट		
	जोड़ (क से ठ)	20,542.39	43,317.06

16. प्रचालनों से आय:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
(क)	ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	22,479.98		23,375.20	
	घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	0.26	22,479.72	1.49	23,373.71
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		455.89		96.95
	उप-जोड़ (क)		22,935.61		23,470.66
(ख)	अन्य वित्तीय सेवाओं से आय				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		48.49		24.71
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		147.44		30.50
(iii)	आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यान्वयन/अन्य कार्यों के लिए शुल्क		23.86		32.78
	उप-जोड़ (ख)		219.79		87.99
(ग)	अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		98.39		68.21
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		67.13		11.49
(iii)	सीपी/आईसीडी से ब्याज		29.87		-
	उप-जोड़ (ग)		195.39		79.70
	जोड़ (क से ग)		23,350.79		23,638.35

लेखा संबंधी टिप्पणियां

17. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय के अन्यत्र)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	24.52	43.23
	- दीर्घावधि निवेशों से ब्याज	201.59	42.74
	- आय कर वापसी से ब्याज	8.88	-
	- स्टाफ अग्रिमों से ब्याज	1.52	2.22
	उप-जोड़ (क)	236.51	88.19
(ख)	**लाभांश आय**		
	- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	19.50	10.01
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	66.54	3.05
	उप-जोड़ (ख)	86.04	13.06
(ग)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से निवल लाभ**	79.75	12.29
(घ)	**स्वैप के फेयर वैल्यू में बदलाव**	324.77	-
(च)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- रिटन बैक प्रावधान	-	0.98
	- विविध आय	17.49	3.41
	उप-जोड़ (च)	17.49	4.39
	जोड़ (क से च)	744.56	117.93

18. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	–	0.15
	- आरईसी के बॉण्डों पर	11,745.31	11,374.73
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	96.13	132.62
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर	1,422.24	1,616.14
	- कमर्शियल पेपर पर	300.46	285.91
	- एआरईपी सब्सिडी पर	-	0.04
	- अग्रिम आयकर पर	2.82	-
	उप-जोड़ (क)	13,566.96	13,409.59
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	17.04	17.69
	- पब्लिक इश्यू व्यय	-	0.70
	- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	0.80	1.04
	- बॉण्डों की ब्रोकरेज	15.68	19.33
	- बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क	5.42	3.88
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	80.66	157.74
	उप-जोड़ (ख)	119.60	200.38
(ग)	**निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय क्षति**	88.56	673.15
	जोड़ (क से ग)	13,775.12	14,283.12

लेखा संबंधी टिप्पणियां

19. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	117.56	96.85
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	12.88	12.07
- उपदान	15.19	0.53
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	17.21	15.33
- कर्मचारी कल्याण व्यय	15.23	12.66
जोड़	**178.07**	**137.44**

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना 01 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा परिशोधित वेतनमानों और अन्य हितलाभों की लंबित अंतिम अधिसूचना के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय वेतन परिशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन बकायों के लिए वर्ष के दौरान ₹ 14.59 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए इन सिफारिशों के अनुरूप बकायों को भी विचारा गया है, के संबंध में किया गया प्रावधान शामिल है। कर्मचारियों के हितलाभों के बीमांकिक मूल्यांकन को भी प्रस्तावित वेतनमानों के आधार पर क्रियान्वित किया गया है।

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
— प्रत्यक्ष व्यय	66.64	124.72
— ओवरहैडस्	3.16	3.48
जोड़	69.80	128.20

20.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

(1) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 146.57 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 127.46 करोड़)।

(2) वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि (करोड़ ₹ में):

	विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है*	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है*	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर	**69.80**	-	**69.80**	107.01	21.19	128.20

* उपलब्ध करायी गयी राशि को दर्शाता है।

21. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		**10.12**		11.23
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		**5.33**		5.20
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	**2.06**		2.65	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	**4.83**		4.64	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
- अन्य	0.92	7.81	0.62	7.91
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		3.68		3.29
- दरें और कर		0.46		0.44
- बिजली और ईंधन		2.01		2.11
- बीमा खर्च		0.09		0.03
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		2.69		1.95
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		1.15		1.03
- परामर्शी सेवा प्रभार		5.10		3.39
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.52		0.38
- विविध व्यय		59.84		30.05
जोड़		**98.80**		**67.01**

21.1 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.60	0.45
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.10	0.08
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.24	0.21
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी		
(i) सरकारी निर्गम/ एमटीएन व्यवस्था के लिए ऑफर दस्तावेज का प्रमाणन	0.07	0.12
(ii) अन्य प्रमाणन	0.04	0.03
- किए गए व्यय	0.05	0.09
- सेवा कर अंगभूत	0.05	0.05
जोड़	**1.15**	**1.03**

उपरोक्त आंकड़ों में पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ₹ 0.06 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) लेखापरीक्षा शुल्क और कर लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।

21.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क		
- ब्याज	1.17	0.49
- वित्त प्रभार	462.03	550.96
- अन्य व्यय	68.61	130.91
जोड़	3.11	3.11
	534.92	**685.47**

21.3 कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए पट्टे पर स्थल लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 5.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.25 करोड़) की पट्टा अदायगी "अन्य व्यय" शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.99 करोड़) की पट्टा अदायगी "कर्मचारी हितलाभ व्यय" का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.36**	**4.07**	0.36	4.33
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.26**	**1.12**	0.62	4.45
5 वर्ष से अधिक	**-**	**0.67**	-	0.70
जोड़	**0.62**	**5.86**	**0.98**	**9.48**

22. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**625.59**	647.81
मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	**64.03**	52.51
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष प्रावधान	**419.85**	369.57
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ब्याज हेतु प्रावधान	**-**	3.96
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**-**	16.00
जोड़	**1,109.47**	**1,089.85**

23. पूर्व अवधि मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
यात्रा एवं वाहन (टिप्पणी 23.1 के संदर्भ में)	**(1.01)**	-
अन्य	**(0.64)**	-
जोड़	**(1.65)**	-

23.1 वर्ष के दौरान, कंपनी के संज्ञान में ट्रैवल एजेंट द्वारा हवाई टिकट के बिलों का अधिक चार्ज करने का एक मामला आया था। पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान यात्रा व्यय की अतिरिक्त बुकिंग को सुधारा गया है और परिणामी राशि को खाता बहियों में ट्रैवल एजेंट से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है।

24. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	**6,245.76**	5,627.66
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**1,97,49,18,000**	1,97,49,18,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में)	**31.63**	28.50

शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में, कंपनी ने 30 सितंबर 2016 को प्रत्येक ₹ 10/- के विद्यमान एक इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक ₹ 10/- के एक इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर आबंटित किए थे। तदनुसार, प्रति शेयर आय (ईपीएस) (मूल और डायल्यूटेड) को, लेखाकरण मानक-20 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई पिछली अवधियों के लिए पुन: घोषित किया

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

25.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	85.68	57.45
(ख) अन्य		
- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	173.36	461.56

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 2.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.86 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 83.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 53.59 करोड़) की रकम भी शामिल है। कंपनी कर की मांगों के लिए लड़ रही है और प्रबंधन का यह विश्वास है कि अपलीय प्रक्रिया में कंपनी की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के निष्कर्ष पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

25.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	272.33	287.97
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	2.60	2.84
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	143.98	89.44

26 वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

27. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 सितंबर, 2016 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीआर पीडी. 008/03.10.119/2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2(3) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015" की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की

लेखा संबंधी टिप्पणियां

परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

28. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 16 जून 2016 के पत्र सं. डीएनबीआर.पी.डी.सीओ. संख्या 2184/03.10.001/2015-16 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के संकेंद्रीकरण क्रेडिट/निवेशों के मानदंडों को लागू किए जाने से 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्तियें के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो एंटिटी के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2016 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण प्रकटीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण प्रकटीकरण सीमा से अधिक नहीं था।

29. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखाकरण के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 16 को परिशोधित कर दिया है ताकि इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी' जो 01 अप्रैल, 2016 से लागू हो गयी है, के अनुरूप किया जा सके। दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार, ₹ 45.92 करोड़ के करों की नेटिंग के उपरांत ₹ 86.75 करोड़ की राशि को आरक्षित के प्रारंभिक शेष में समायोजित किया गया है, जो 31 मार्च, 2016 तक के ब्याज दर विनिमयों के उचित मूल्य के परिवर्तन को निरूपित करता है। इसके अलावा, परिशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, लाभ और हानि के विवरण के संबंध में ₹ 324.77 करोड़ के ब्याज दर स्वैप पर उचित मूल्य लाभ को बुक किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षित ऋणों पर विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के संव्यवहार और तदनुरूपी व्युत्पन्न संविदाओं पर लेखाकरण नीति को भी लेखाकरण मानक-11 के अनुसार, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर, ऐसी मदों की शेष अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव हानि/(लाभ) के परिशोधन हेतु विद्यमान लेखाकरण नीति के अनुरूप परिशोधित कर दिया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती वर्षों में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव की हानि से संबंधित ₹ 29.79 करोड़ तथा चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के लाभ से संबंधित ₹ 6.69 करोड़ की राशि को, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की वित्तीय लागत में समायोजित कर दिया गया है।

लेखाकरण नीतियों में इन परिवर्तनों के कारण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में कर पूर्व लाभ ₹ 301.67 करोड़ अधिक है।

30. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

30.1 पुनर्गठित लेखाओं का ब्योरा जिन पर आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पुनर्गठित प्रावधान लागू हैं, इसके प्रावधानों सहित, नीचे दिये गए हैं

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(1)	1 अप्रैल 2016 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					10	4	-	-	14	10	4	-	-	14
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						21,058	2,179	-	-	23,238	21,058	2,179	-	-	23,238
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						821	218	-	-	1,039	821	218	-	-	1,039
(2)	प्रारम्भिक शेष में प्रदर्शित लेखा में शेष का संचालन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					9	2	-	-	11	9	2	-	-	11
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						3,974	(3)	-	-	3,971	3,974	(3)	-	-	3,971
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						425	-	-	-	426	425	-	-	-	426
(3)	वर्ष के दौरान नया पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					3	1	-	-	4	3	1	-	-	4
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						3,167	9	-	-	3,176	3,167	9	-	-	3,176
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						158	1	-	-	159	158	1	-	-	159
(4)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					2	-	-	-	2	2	-	-	-	2
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						54	-	-	-	54	54	-	-	-	54
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						3	-	-	-	3	3	-	-	-	3

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(5)	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/ अथवा अतिरिक्त जोखिम भार को आकृष्ट करना स्थगित कर देते हैं और इसीलिए जिन्हें अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित की आवश्यकता नहीं होती है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					(1)	(2)	-	-	(3)	(1)	(2)	-	-	(3)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(4,758)	(54)	-	-	(4,812)	(4,758)	(54)	-	-	(4,812)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						(167)	(6)	-	-	(172)	(167)	(6)	-	-	(172)
(6)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित लेखाओं का निम्न श्रेणीकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	(1)	1	-	-	-	(1)	1	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	(1,345)	1,345	-	-	-	(1,345)	1,345	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	(134)	269	-	135	-	(134)	269	-	135
(7)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित राइट ऑफ लेखाएँ	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8)	31 मार्च 2017 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					14	2	1	-	17	14	2	1	-	17
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						23,496	786	1,345	-	25,627	23,496	786	1,345	-	25,627
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						1,241	79	269	-	1,589	1,241	79	269	-	1,589

लेखा संबंधी टिप्पणियां

30.2 आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 11 और 14 में वर्गीकृत) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
(क)	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	**23,495.57**	**1,241.19**	21,058.26	821.34
(ख)	उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**1,73,560.42**	**607.46**	1,75,976.46	543.43
	उप-जोड़ (i)	**1,97,055.99**	**1,848.65**	**1,97,034.72**	**1,364.77**
(ii)	**अनर्जक परिसंपत्तियां**				
(क)	उप-मानक परिसंपत्तियां *	**1,226.75**	**205.92**	2,908.19	291.01
(ख)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	**3,628.71**	**1,412.20**	1,318.16	705.04
(ग)	परिसंपत्तियों में क्षति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	उप-जोड़ (ii)	**4,872.68**	**1,635.34**	**4,243.57**	**1,013.27**
	जोड़	**2,01,928.67**	**3,483.99**	**2,01,278.29**	**2,378.04**

*इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 811.33 करोड़) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 77.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81.27 करोड़) की राशि शामिल है।

टिप्पणी:(i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

30.3 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र*	2.41%	2.11%

* इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत 0.38% (पिछले वर्ष 0.40%) का ऋण, ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 811.33 करोड़) की राशि शामिल है।

30.4 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**1.62%**	**1.61%**
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,243.57**	1,335.38
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**686.56**	2,910.13
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**57.44**	1.94
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**4,872.69**	**4,243.57**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,230.30	969.93
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	56.25	2262.31
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	49.20	1.94
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	3,237.35	3,230.30
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,013.27	365.45
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	630.31	647.82
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	8.24	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	1,635.34	1,013.27

टिप्पणी- उपरोक्त आंकड़ों की समाप्ति पर पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (सकल) (पिछले वर्ष ₹ 811.33 करोड़) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 77.70 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81.27 करोड़) की राशि शामिल है।

31. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोज़र

31.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

31.03.2017 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

31.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	666.65	265.85
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	6.15	6.15
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	672.80	272.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2017 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित की जाती हैं।

32. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,11,916.90**	1,17,632.78
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**55.42%**	58.44%
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,97,327.07**	1,94,864.96
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**60.34%**	58.54%
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण** *		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**3,444.72**	3,444.72
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	**3,444.72**	3,444.72

* इसमें डीसीसीओ की पुनर्व्यवस्था/अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 777.00 करोड़) का ऋण शामिल है।

33. कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है।

34. वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

35. भारत सरकार ने निम्नलिखित अंगभूतों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडिल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

36. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों दे दी गयी हैं।

37. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के भुगतान में विलंब होने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

38.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**41,664.18**	24,770.59
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**628.07**	1,529.12
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**शून्य**	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**नीचे टिप्पणी देखें**	नीचे टिप्पणी देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**273.61**	1,223.39

टिप्पणी: गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी-I, केवल अधिकृत डीलर बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

38.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

38.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

38.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेज़िंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम** - बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम** - तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम** - प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम** - विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम** - नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

38.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.17 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि) प्रतिरक्षण हेतु	18,482.32	17,876.79	23,181.86	6,893.80
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित				
(क)	परिसंपत्ति (+)	370.75	1,487.63	257.32	41.49
(ख)	देयता (-)	289.24	131.57	65.22	174.16
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	18,482.32	17,876.79	23,181.86	6,893.80
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	2,598.22	4,046.93	लागू नहीं	लागू नहीं

* इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।

** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।

39. 31 मार्च, 2017 के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित अनावरण	
	31.03.17 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार
जापानी येन ¥	26,059.52	30,014.85	23,985.15	27,940.48	2,074.37	2,074.37
यूरो €	124.80	150.47	99.35	125.02	25.45	25.45
अमेरिकी डॉलर $	2,885.00	2,855.00	2,530.00	2,500.00	355.00	355.00
सीएचएफ (स्विस बैंक)	-	200.00	-	-	-	200.00

39.1 लेखाकरण नीति 14 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	सीएचएफ/ आईएनआर
31.03.2017 के अनुसार	64.8386	0.5796	69.2476	-
31.03.2016 के अनुसार	66.3329	0.5906	75.0955	68.9249

40. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 5 जनवरी 2017 से
श्री बी. पी. पाण्डेय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 1 अक्टूबर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 30 सितंबर 2016 तक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे.एस.अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(2) अन्य संबंधित पक्षकार

1. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड – 04.12.2012 को निगमित की गयी है तथा दिनांक 25.05.2016 के प्रमाण पत्र के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड – 24.1.2013 को निगमित की गयी है तथा दिनांक 16.07.2016 के प्रमाण पत्र के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड – 21.04.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं एसजी4एल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 31.03.2017 को यह कंपनी, मैसर्स स्टॅरलाइट ग्रिड 4 लिमिटेड (एसजी4एल) को हस्तांतरित की गयी।

एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड - 18.08.2015 निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड और ईआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 22.08.2016 को यह कंपनी, मैसर्स इस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड (ईआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड – 27.11.2015 को निगमित की गयी तथा आरईसीटीपीसीएल, नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड एवं एटीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 08.07.2016 को यह कंपनी, मैसर्स अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) को हस्तांतरित की गयी।

खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड – 28.11.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं स्टॅरलाइट के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 22.08.2016 को यह कंपनी, मैसर्स स्टॅरलाइट ग्रिड 4 लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी।

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड 02.12.2015 को निगमित।

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड- 02.12.2016 को निगमित।

ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड-11.01.2017 को निगमित।

डब्ल्यूआर - एनआर ट्रांसमिशन लिमिटेड-12.01.2017 को निगमित।

3. संयुक्त उपक्रम

एनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
आरईसीटीपीसीएल	**60.00**	60.00
आरईसीपीडीसीएल	**10.44**	10.44
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.10**	0.10
ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटीपीसीएल	**0.28**	0.22
आरईसीपीडीसीएल	**1.07**	0.73
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.50**	0.83
अन्य चालू देयताएं		
आरईसीपीडीसीएल	**1.51**	5.37

लेखा संबंधी टिप्पणियां

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
आरईसीपीडीसीएल	-	3.44
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	-	0.01
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.06	0.53
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री		
आरईसीपीडीसीएल	-	0.01
शेयर पूंजी में निवेश (आवेदित सहित)		
ईईएसएल	-	124.00
भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/ अनुदान से संवितरण		
आरईसीपीडीसीएल	-	6.90
अनुषंगी कंपनियों से लाभांश		
आरईसीटीपीसीएल	8.65	9.51
आरईसीपीडीसीएल	10.85	0.50
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.03	0.04
कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य खर्चों का संविभाजन		
आरईसीटीपीसीएल	2.56	2.35
आरईसीपीडीसीएल	4.65	4.32
वित्तीय लागत		
आरईसीटीपीसीएल को प्रदत्त ब्याज	4.70	4.70
आरईसीपीडीसीएल को प्रदत्त ब्याज	0.82	0.64
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	0.01	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.09	2.33
सीएसआर व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	14.25	91.77
ईईएसएल	0.86	0.28
अन्य व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	30.65	2.22

41. लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

अधिनियम 1925 भविष्य निधि के अंतर्गत कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक पंजीकृत ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है।

वर्ष के दौरान निवेश पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों के अंशदान पर न्यास ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि अधिनियम में निधि

लेखा संबंधी टिप्पणियां

के सदस्यों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम ब्याज को निर्धारित नहीं किया गया है इसीलिए इसे लेखाकरण मानक 15 के प्रावधान के अनुसार परिभाषित अंशदान के रूप में माना गया है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्यकृत राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 के समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	7.35	6.88
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	5.46	5.10
	जोड़	12.81	11.98

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। योजना का निधिपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति/(पत्नी) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
चालू सेवा लागत	**2.16**	2.02	**1.63**	1.45	**0.06**	0.05
ब्याज लागत	**2.99**	3.05	**6.93**	6.21	**0.10**	0.10
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.97**	3.03	**-**	-	**-**	-
बीमांकित (लाभ)/ हानि	**11.41**	(1.51)	**8.65**	7.67	**(0.02)**	(0.03)
अभिस्वीकृत व्यय	**13.59**	0.53	**17.21**	15.33	**0.14**	0.12

लेखा संबंधी टिप्पणियां

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करता है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**50.61**	37.34	**97.15**	86.62	**1.27**	1.22
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	**-**	-	**-**	-
निवल परिसंपत्तियों/ (दायित्व) अभिस्वीकृत	**(14.92)**	(1.86)	**(97.15)**	(86.62)	**(1.27)**	(1.22)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**37.34**	38.16	**86.62**	77.61	**1.22**	1.20
ब्याज लागत	**2.99**	3.05	**6.93**	6.21	**0.10**	0.10
चालू सेवा लागत	**2.16**	2.02	**1.63**	1.45	**0.06**	0.05
प्रदत्त हितलाभ	**(3.29)**	(4.42)	**(6.68)**	(6.32)	**(0.09)**	(0.10)
दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	**11.41**	(1.47)	**8.65**	7.67	**(0.02)**	(0.03)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**50.61**	37.34	**97.15**	86.62	**1.27**	1.22

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.48**	36.25	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.97**	3.03	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**0.53**	0.62	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**(3.29)**	(4.42)	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**0.00**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	**-**	-	**-**	-

उपदान के समक्ष देयता के लिए निधिपोषित स्थिति और अनुभव का समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**50.61**	37.34	38.16	38.07	37.85
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	36.25	35.94	35.14
निधिपोषित स्थिति	**(14.92)**	**(1.86)**	**(1.91)**	**(2.13)**	**(2.71)**
अनुभव समायोजन;					
लाभ/(हानि):					
योजनागत देनदारियों पर अनुभव समायोजन	**(10.25)**	1.51	1.17	0.68	(0.01)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**-**	(0.23)	(0.40)	(0.30)	0.58

लेखा संबंधी टिप्पणियां

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
सेवा एवं ब्याज लागत	**0.84**	1.25	**(1.34)**	(0.84)
पीबीओ (अंत में)	**12.14**	11.93	**(9.86)**	(8.45)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16	31.03.17	31.03.16
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	**7.50%**	8.00%	**7.50%**	8.00%	**7.50%**	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**8.20%**	8.36%	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.00%**	6.00%	**6.00%**	6.00%	**6.00%**	6.00%

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यत: एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

42. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामत: पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। अन्यत्र उत्तराधिकारी एंटिटी के परिसंपत्ति अंतरण और देयताओं को प्रभावित करने वाली अंतिम अधिसूचना के लिए टीएनईबी निर्गम की गई। अंतरिती एंटिटी अंतरिम अंतरण योजना के अनुसार कंपनी के बकाया ऋण का भुगतान कर रहे हैं। वित्त-वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप से तैयार करने के पश्चात अंतिम ऋण अंतरण करारों के निष्पादन के लिए आरईसी द्वारा अग्रिम उपाय किए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुन:स्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

43. विद्युत मंत्रालय ने अत्यधिक ऋण और हानियों के बोझ से जूझ रही वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराऊंड को प्राप्त करने के लिए एक योजना 'उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' (उदय) की शुरूआत की। उदय योजना पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार राज्य, वितरण कंपनी के 75% ऋण को 2 वर्षों के दौरान ग्रहण करेंगे।

योजना के तहत अब तक पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरयाणा, बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की वितरण कंपनियों ने उनके बकाया ऋण ₹ 42,700 करोड़ की रकम का पहले से भुगतान कर दिया है,

44. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी - के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

45. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) (टियर-I पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए/ के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए/ के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	21.18%	20.38%
(ii)	सीआरएआर - टियर-I पूंजी (%)	18.43%	17.48%
(iii)	सीआरएआर - टियर-II पूंजी (%)	2.75%	2.90%
(iv)	टियर-II पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबऑर्डिनेट ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	-	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (₹ करोड़ में)	-	-

46. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरूप:

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	1,201	-	403	1,103	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	3,244	-	366	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	2,479	-	326	89	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	5,437	-	9,854	102	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	11,903	149	5,629	157	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,419	189	46,606	13,135	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	35,976	-	33,435	6,291	-	-
5 वर्षों से अधिक	1,03,270	2,374	49,817	204	-	-
जोड़	**2,01,929**	**2,712**	**1,46,436**	**21,081**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	2,798	-	2,118	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	1,971	-	2,999	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	6,610	-	2,366	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	21,395	-	8,239	1,473	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	10,543	149	11,446	1,579	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	36,506	189	36,540	7,815	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	34,735	94	27,305	10,691	-	-
5 वर्षों से अधिक	86,720	2,035	56,170	269	-	-
जोड़	**2,01,278**	**2,467**	**1,47,183**	**21,924**	**-**	**-**

47. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

48. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

49. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुन:वर्गीकृत/पुन:समूहीकृत किया गया है।

51. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 51 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के समाप्त वर्ष		31.03.2016 के समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
	कर-पूर्व निवल लाभ	**8,860.70**		8,045.21	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :					
1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि(-)	**0.52**		0.38	
2.	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**4.40**		5.45	
3.	प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,109.47**		1,089.85	
4.	कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**300.46**		285.91	
5.	रिटन बैक पर अधिक प्रावधान	**-**		-0.07	
6.	स्वैप ब्याज दर के फेयर वैल्यू में बदलाव पर लाभ	**-324.77**		-	
7.	निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-79.75**		-12.29	
8.	विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**55.09**		666.13	
9.	अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**-19.50**		-10.01	
10.	निवेशों से लाभांश	**-66.54**		-3.05	
11.	दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	**-226.11**		-85.97	
12.	अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**2.82**		-	
13.	बट्टे खाते डाले गए बॉण्डों पर छूट	**0.14**		3.99	
14.	जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**82.45**		76.17	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:		**9,699.38**		10,061.70	
वृद्धि/कमी					
1.	ऋण परिसंपत्तियाँ	**-650.38**		-21,733.35	
2.	अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**362.55**		27.89	
3.	प्रचालन देयताएं	**-91.32**		936.54	
	प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**9,320.23**		-10,707.22	
1.	प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,548.11**		-2,539.74	
2.	आयकर वापसी	**22.07**		42.00	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**6,794.19**		-13,204.96
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह					
1.	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.06**		0.86	
2.	अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी, विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं)	**-27.01**		104.63	
3.	एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में निवेश (शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन सहित)	**-**		124.00	
4.	इंडियन बैंक के 11.15% अतिरिक्त टियर-I मियादी बॉण्ड में निवेश	**-**		500.00	

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के समाप्त वर्ष		31.03.2016 के समाप्त वर्ष	
5.	विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर- I मियादी बॉण्ड में निवेश	-		500.00	
6.	सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर- I मियादी बॉण्ड में निवेश	-		500.00	
7.	एनएचपीसी लि. (बिक्री का निवल) के शेयरों में निवेश	-400.80		-	
8.	मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बॉण्ड- II का विमोचन	94.32		94.32	
9.	दीर्घकालिक निवेशों की बिक्री	76.65		762.53	
10.	निवेशों की बिक्री/विमोचन से ब्याज	79.75		12.29	
11.	दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	229.94		106.05	
12.	अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	19.50		10.01	
13.	निवेशों से लाभांश	66.54		3.05	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**138.95**		739.52
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
1.	बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	5,871.66		14,972.72	
2.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	-1,099.93		-459.07	
3.	विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल और संबंधित व्युत्पन्न भुगतानों का समावेश)	-833.33		-2,607.56	
4.	ब्याज सहित सब्सिडी/अनुदान के रूप में आगे वितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (वापसी का निवल)	8,027.15		4,436.52	
5.	अनुदानों का संवितरण	-8,039.66		-4,691.45	
6.	सरकारी ऋण की चुकौती	-		-3.07	
7.	अंतिम लाभांश की अदायगी	-503.60		-266.61	
8.	अंतरिम लाभांश की अदायगी	-1,382.44		-1,184.95	
9.	कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-379.98		-293.47	
10.	प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	-		0.28	
11.	कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	-5,833.16		5,246.79	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह			**-4,173.29**		15,150.13
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी			**2,759.85**		1,205.65
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**1,728.19**		522.54
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**4,488.04**		**1,728.19**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
- निम्न के संबंध में बैंको में शेष:				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते		848.08		923.68
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई, एजीएंडएसपी, राष्ट्रीय विद्युत निधि और अन्य अनुदान #		0.51		34.17
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #		2.75		2.73
- अनुसूचित बैंको में अल्पावधि जमा		2,476.70		767.61
- ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश		1,160.00		-
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**4,488.04**		**1,728.19**

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखी चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 2.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.77 करोड़) अनुदान संवितरण के लिए अपास्त शामिल हैं और अनुसूसचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 23.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.41 करोड़) शामिल हैं जो डीडीयूजीजेवाई एवं अन्य अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन:व्यवस्थित और पुन:समूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अनुलग्नक

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा करने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानंदड (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर उन्हें लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि बकाया	राशि अतिदेय
	देयता पक्ष:		
(1)	एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:		
	(क) डिबेंचर/बांड :		
	- प्रतिभूत	59,717.71	-
	- अप्रतिभूत	85,969.13	-
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग) सावधिक ऋण		
	-वित्तीय संस्थाओं से	750.00	-
	(घ) अंतर-कारपोरेट ऋण और उधारी	-	-
	(च) कमर्शियल पेपर	-	-
	(छ) अन्य ऋण		
	-विदेशी मुद्रा उधारियां	21,080.55	-
	-बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बकाया राशि
	परिसंपत्ति पक्ष:	
(2)	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा**	
	(क) प्रतिभूत	1,69,053.45
	(ख) अप्रतिभूत	31,330.55
(3)	**निवेश :**	
	चालू निवेश:	
	अनुद्धत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	102.00
	दीर्घकालिक निवेश:	
	उद्धत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	400.80
	(ii) डिबेंचर और बांड	1,500.00
	अनुद्धत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	163.85
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	303.85
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	6.15
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	235.80

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	1.35	1.35
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	0.01	0.49	0.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,69,053.44	31,328.71	2,00,382.15
जोड़	**1,69,053.45**	**31,330.55**	**2,00,384.00**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	146.50	146.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	2,737.96	2,549.85
जोड़	**2,885.56**	**2,696.45**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) **सकल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	4,872.69
(ii) **निवल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	**3,237.35**
(iii) **ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ**	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के अनुरोध पर दिनांक 30 मई, 2017 की हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में, इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, विशेषकर कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में, संशोधित रिपोर्ट जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त, हम पुष्टि करते हैं कि पहले की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए वित्तीय विवरणों के वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और 31 मार्च 2017 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों तथा कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य लेखांकन मानकों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तथा कपट और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और उन्हें लागू करना; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन किया जा रहा था, शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का संचालन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित नीतियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता है। लेखापरीक्षा में, कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों के समुचित होने तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं:

(क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति,

(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की स्थिति,

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के तहत यथा अपेक्षित है, हमने लागू सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नक-क के रूप में दिया है।

2. हम, अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में कंपनी की ऐसी बहियों और अभिलेखों, जिन्हें हमने उपयुक्त समझा, की जांच के आधार पर तथा हमे दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार अपनी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा उप-निर्देशों के अनुरूप अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

   (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(च) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गयी है।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुलग्नक-ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें; तथा

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      (i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 25.1 के संदर्भ में;

      (ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

      (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

      (iv) कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विशेषीकृत बैंक नोट में धारित राशि तथा लेन-देन से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरणों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराया है। लेखा परीक्षा प्रणालियों पर आधारित तथा प्रबंधन के अभिवेदन पर निर्भर होते हुए हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा अनुरक्षित बही खातों के अनुरूप हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 13.1 के संदर्भ में।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में अचल परिसंपत्तियों को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपात्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
फ्रीहोल्ड भूमि	1	45.92	45.92	अभी हस्तांतरण विलेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाना है।
बिल्डिंग	1	4.59	2.32	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(ii) बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा अधिनियम की धारा 185 के उपबंधों के संबंध में हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने पूर्णकालिक निदेशकों में से एक को ऋण प्रदान किया है। तथापि, धारा 185 के उपबंध ऐसे ऋणों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कंपनी द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की शर्तों के ही अंतर्गत है ।

इसके अलावा, हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के कारण,ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के उपबंधों तथा अन्य लागू नियमों से छूट प्राप्त है तथा कंपनी ने निवेशों के संबंध में, अधिनियम की धारा 186 (1) के उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी पूर्ण जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य-योजित कर (वैट), उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लगभग ₹ 19.49 करोड़ की अविवादित सांविधिक देय राशि, जिसे उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामलों के लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

सांविधि का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/ वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	24.85	6.30	18.55*	मूल्यां.वर्ष 2005-06, मूल्यां.वर्ष 2006-07 मूल्यां.वर्ष 2008-09 से मूल्यां.वर्ष 2012-13	आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	42.54	42.54	-	मूल्यां.वर्ष 2008-09, मूल्यां.वर्ष 2011-12, मूल्यां.वर्ष 2013-14, मूल्यां.वर्ष 2014-15	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	अनुषंगी लाभ कर	0.48	-	0.48	मूल्यां.वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	14.37	14.37		मूल्यां.वर्ष 1999-00 से मूल्यां.वर्ष 2002-03, मूल्यां.वर्ष 2004-05	सर्वोच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.10	-	0.10	वित्तीय वर्ष 2007-08	सीपीसी, टीडीएस
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर, धारा 73(4क) के तहत दंडात्मक ब्याज	0.36	-	0.36	वित्त वर्ष 2008-09	सीईएसटीएटी, दिल्ली
	योग	**82.70**	**63.21**	**19.49**		

* यद्यपि विभिन्न अपीलिय कोरम के अनुकूल निर्णय के अपील प्रभाव के कारण कंपनी द्वारा ₹ 18.55 करोड़ प्राप्त किए गए हैं तथापि उच्चतर प्राधिकारियों को आयकर विभाग द्वारा किए गए अन्य अपील के कारण इसे अप्रदत्त माना गया है।

(viii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अगले पब्लिक ऑफर और आवधिक ऋण के लिए किसी प्रकार की कोई राशि नहीं जुटायी गयी थीं। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(ix) लागू नहीं है।

(x) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा की प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदन तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, भारत में सामान्यत: स्वीकृति लेखाकरण प्रचलन के अनुसार, हमें सूचित किया गया है कि धोखाधड़ी के ऐसे मामलें जिसमें कुल ₹ 0.59 करोड़ की राशि शामिल है एयर जिसे जाली दस्तावेज के माध्यम से कपटपूर्वक नकद कराया गया है, और किसी निवेशक द्वारा निवेश किया गया है (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 3.7 देखें) और अन्य मामलें में वर्ष के दौरान किसी एयर ट्रैवेल एजेंट (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 23.1 देखें) द्वारा कुल ₹ 1.01 करोड़ की राशि का अधिक बिल कंपनी पर बनाया गया है। कंपनी ने दोनों मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की है।

(xi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन-देन में

अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है।

(xiv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या व्यक्तियों के साथ उनसे संबद्ध कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। यथा अपेक्षित पंजीकरण संख्या विधिवत प्राप्त कर ली गयी है तथा कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

क्र.सं.	दिशानिर्देश/उप-दिशानिर्देश	कृत कार्रवाई	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	**दिशानिर्देश**		
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख हैं? यदि नहीं है, तो कृपया फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि का क्षेत्रफल बतायें जिसके लिए अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है। हालांकि, कंपनी को आबंटित 39,770 वर्ग मीटर के एक रिहायशी प्लॉट, जिसकी कीमत ₹ 45.92 करोड़ है, तथा 5,911.69 वर्ग मीटर की एक भूमि एवं इमारत, जिसकी कीमत ₹ 4.59 करोड़ है, के संबंध में हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी निष्पादित किया जाना शेष है।	'कृत कार्रवाई' कॉलम के तहत प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है, जोकि आवश्यक नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि में छूट देने/बट्टे में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इनके कारण और संबद्ध धनराशि बतायें।	विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा शुरू की गयी उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अनुसरण में ₹ 5.29 करोड़ की छूट देने सहित ₹ 5.32 करोड़ के विलंबित ब्याज/दंड ब्याज की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत छूट दी गयी है। 19.75 करोड़ ₹ के पूर्व भुगतान प्रीमियम पर छूट दी गई है. इसके अलावा उदय योजना के अंतर्गत पूर्व भुगतान किए गए डिस्कॉम ऋण पर किसी प्रकार के पूर्व भुगतान प्रभार की वसूली नहीं की गई है।	'कृत कार्रवाई' कॉलम के तहत प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है, जोकि आवश्यक नहीं है।
3.	क्या अन्य पक्षकारों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के अभिलेख का उपयुक्त रखरखाव किया जा रहा है।	कंपनी के, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य पक्षकारों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में खंड लागू लागू नहीं है	शून्य
ख.	**उप-दिशानिर्देश**		
1.	सभी पुनर्गठित, पुनर्निधारित या पुनः विमर्शित ऋण की आवश्यकताओं का प्रावधान करने के संबंध में, क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है तथा वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान का सृजन किया गया है? वित्तीय प्रभाव के साथ-साथ इस संबंध में किसी प्रकार की कभी पर उपर्युक्त रूप से टिप्पणी की जाएगी।	कंपनी, प्रबंधन मूल्यांकन और उधारदाताओं के इंजीनियरों, उधारदाताओं के वित्तीय सलाहकार तथा परियोजना मॉनीटरिंग समूह की समीक्षा/प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सभी पुनर्गठित, पुनर्निधारित या पुनः विमर्शित ऋण के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र का अनुसरण कर रही है। इस संबंध में वित्तीय प्रभाव से संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय त्रुटि भी नहीं पायी गई । हमारी राय में, कंपनी के तंत्र में, इसके कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप सुधार किए जाने की जरूरत है। हालांकि, ऐसे सभी ऋणों के लिए वर्ष के दौरान कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान का सृजन किया गया है।	शून्य

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, सिवाय प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ईआरपी प्रणाली में अनर्जक परिसंपत्तियों के निर्धारण, ऋणों की स्वीकृतियों की संरचना/पुनर्संरचना, पुनर्वैधीकरण तथा ऋणों के आवेदनों के गैर-विचारन/अस्वीकरण/निपटान की रिकार्डिंग, ट्रैवेल एंजेसी के दावे पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2017 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी रूप से प्रचालन किया गया था।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2017 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप परिसर,
7, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जो काफी हद तक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) पर लागू हैं, जारी किए गए और बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2008 द्वारा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

1. कंपनी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए में व्यवस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिसका पंजीकरण संख्या 14.000011 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के बदले में, जिसने आरईसी को आरबीआई परिपत्र सीसी सं. 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार एक अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है, दिनांक 17 सितंबर, 2010 को प्रमाणपत्र जारी किया। इसके अलावा, यह कंपनी 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय पद्धति के अनुसार ऐसे पंजीकरण को जारी रखने के लिए पात्र है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी सं. 052/03.10.119/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के पैरा 2(v), के अनुसार, परिसंपत्तियों एवं आरक्षित निधि की प्रतिशत के रखरखाव संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी और 45-आईसी; सरकारी जमा राशियों को स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 के पैराग्राफ 4 से 7; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 (बाद में विवेकपूर्ण मानदंड दिशानिर्देश अधिसूचना संख्या 192 दिनांक 22 फरवरी, 2007 द्वारा निरस्त कर दिया गया) जिसमें निदेशक, लेखापरीक्षक आदि को पता बदलने के संबंध में रिजर्व बैंक को जानकारी देने से संबंधित उक्त निर्देशों का पैराग्राफ 13ए शामिल नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आई(एफ)में परिभाषित किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा राशियों के संबंध में आरबीआई के निर्देश कम्पनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक-मंडल ने किसी सरकारी जमा राशियां की गैर-स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

4. कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान किसी सरकारी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

5. आरईसी जो एक सरकारी कंपनी है, 'प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 01.09.2016' की अनुप्रयोज्यता से छूट लेती रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों (प्रूडेंशियल नार्म्स) का पालन करने को कहा है। परिसंपत्तियों की संरचना के संबंध में, आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 11 जून, 2014 के जरिए, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि विस्तार (लाइफ एक्सटेंशन) परियोजनाओं तथा हिमालयी क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भी 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई संरचना मानदंडों से कंपनी को छूट की अनुमति दी है। विद्युत उत्पादन कंपनियों के 01 अप्रैल, 2015 से गठित नए परियोजना ऋणों के लिए भी प्रावधान की जरूरत 5% होगी और ऐसी परियोजनाओं के ऋणों के स्टॉक के लिए 31 मार्च, 2015 को यथास्थिति प्रावधान 2.75% के साथ शुरू होकर 31 मार्च, 2018 में 5% तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिव्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 05 अक्तूबर, 2015 के पत्र द्वारा यह अनुमति दी है कि कंपनी के विद्यमान ऋणों अर्थात् 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋणों को आरईसी के विद्यमान परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अंतर्गत (180 दिन) 31 मार्च, 2017 तक विनियमित किए जाने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक के उसके पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.न. 2184/03.10.001/2015-16 दिनांक 16 जून 2016 के अनुसार 31 मार्च 2022 को केंद्र/राज्य की एंटिटी को दर्शाने के संबन्धित अपने क्रेडिट/निवेश संबंधी मानदंडों को लागू किए जाने से आरईसी को छूट प्रदान की है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने आय स्वीकरण, लेखाकरण मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण और *"प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 दिनांक 01.09.2016"* के रूप में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का, कंपनी को प्रदत्त उपरोक्त छूट के अधीन, अनुपालन किया है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीएनबीएस.पीडी/सीसी सं.93/03-05. 002/2006-07, दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक में एनबीएस-7 जमा करने से छूट प्राप्त है। एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते कंपनी को, 15% (टियर-I पूंजी का न्यूनतम 10% के साथ) का जोखिम पूंजी भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) का बनाये रखना अपेक्षित है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन कर रही है।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2017

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2017 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 अगस्त, 2017

31 मार्च, 2017 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	2	1,974.92	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	31,695.64	27,905.94
	उप-जोड़ (1)		**33,670.56**	**28,893.40**
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	4	1,49,680.89	1,38,783.85
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	39.92	47.54
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	13.42	10.01
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	7	1,849.47	1,295.54
	उप-जोड़ (2)		**1,51,583.70**	**1,40,136.94**
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	8	110.98	6,460.77
	(ख) ट्रेड देय	9	160.39	117.96
	(ग) अन्य चालू देयताएं	10	24,524.99	30,477.43
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान	7	194.30	858.42
	उप-जोड़ (3)		**24,990.66**	**37,914.58**
	जोड़ (1+2+3)		**2,10,244.92**	**2,06,944.92**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	11		
	(i) मूर्त परिसंत्तियां		354.11	253.05
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		0.74	1.03
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		164.13	76.84
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		1.46	1.21
			520.44	**332.13**
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	2,432.57	2,202.14
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	13	1,77,351.58	1,57,796.82
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	394.07	109.26
	उप- जोड़ (1)		**1,80,698.66**	**1,60,440.35**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	12	184.36	149.41
	(ख) फेहरिस्त (इनवेंटरियां)	15	51.18	66.79
	(ग) ट्रेड प्राप्य	16	438.40	231.89
	(घ) रोकड़ और बैंक शेष	17	4,650.79	1,864.08
	(च) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	18	3,618.72	809.37
	(छ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	20,602.81	43,383.03
	उप-जोड (2)		**29,546.26**	**46,504.57**
	जोड़ (1+2)		**2,10,244.92**	**2,06,944.92**

लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 59 तक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2017 के समाप्त वर्ष	31.03.2016 के समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	20	23,945.16	24,012.88
II.	अन्य आय	21	740.84	117.05
III.	**कुल राजस्व** (I+II)		**24,686.00**	**24,129.93**
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	22	13786.36	14282.35
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	23	192.75	143.19
(iii)	मूल्यहस और परिशोधन	11	40.33	19.67
(iv)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	24	68.94	120.29
(v)	अन्य व्यय	25	220.58	164.39
(vi)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	26	1110.31	1096.18
vii	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		273.12	223.60
viii	स्टॉक-इन-ट्रेड की फेहरिस्त में परिवर्तन तथा चालू कार्य	27	22.76	(66.79)
	कुल व्यय (IV)		**15715.15**	**15982.88**
V.	**अवधि मद एवं कर पूर्व लाभ** (III-IV)		8970.85	8147.05
VI.	**अवधि मद पूर्व**	28	(1.51)	0.39
VII.	**कर पूर्व लाभ** (V-VI)		**8972.36**	**8146.66**
VIII.	**कर व्यय**			
(i)	चालू वर्ष		2648.37	2516.85
(ii)	पिछले वर्ष/(वापसियां)		(27.79)	(2.77)
(iii)	आस्थगित कर		38.41	(58.84)
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**2,658.99**	**2,455.24**
IX.	**सतत प्रचालन से वर्ष का लाभ** (VII-VIII)		6,313.37	5,691.42
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		-	-
XI.	**इस वर्ष का लाभ** (IX+X)		**6,313.37**	**5,691.42**
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 रुपए के इक्विटी शेयर हेतु ₹ में)**			
(1)	मूल	29	31.97	28.82
(2)	डायल्यूटेड	29	31.97	28.82

लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 59 तक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('दि कंपनी'), इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण, लेखाकरण मानक (एएस) 21- "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसरण में अंतरा-समूह शेषों और अंतरा-समूह लेन-देनों को पूरी तरह से निकालने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों की बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़ा गया है।

सयुंक्त उद्यम एंटिटी के वित्तीय विवरण, लेखाकरण मानक (एएस) 27- "संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसरण में आनुपातिक शेयर वसूली न किए गए लाभ या हानियों को निकालकर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों की बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़े गए हैं।

जहां तक संभव है समेकित वित्तीय विवरण एक जैसे लेन-देन व समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक जैसी लेखाकरण नीतियों का उपयोग कर, तैयार किए गए हैं तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के तौर पर समान तरह से प्रस्तुत किए गए हैं।

2. अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परंपरा:** वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि एमसीए सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना (प्रोविजनिंग)

कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियामक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋणों के मामले में एनपीए मान्यता हेतु घटायी गयी अवधि के गैर-अनुप्रयोज्यता के संबंध में कुछ विशेष छूट दी है तथा आरबीआई के रिस्ट्रक्चरिंग नार्म्स के अनुप्रयोज्यता से कुछ परियोजनाओं के लिए छूट दी है तथा कंपनी को आरईसी के विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार लगातार विनियमित किए जाने की स्वीकृति दी है। आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः निर्धारित/पुनःसंरचित एवं मानक ऋणों के रूप में प्रतिधारित हों, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

ख. डीडीयूजीजेवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

घ. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

च. परामर्शी सेवा से आय को, लेखाकरण मानक 9 - आय मान्यता के अनुसार आनुपातिक समापन विधि के आधार पर मान्यता दी गयी है।

छ. संविदाओं से आय को निम्नानुसार मान्यता दी गयी है:

(1) लागत से अधिक संविदाओं में - संविदा के अनुसार व्यय की पात्र संविदात्मक वस्तुओं और आनुपातिक मार्जिन सहित।

(2) नियम मूल्य संविदाओं में - परिदेय वस्तुओं की संविदात्मक मूल्य विवरण के आधार पर। इसके अभाव में, संविदा पर निष्पादित कार्य की लागत और समापन विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए आनुपातिक मार्जिन पर।

ज. सामान की बिक्री से आय को, उपभोक्ताओं को सामान की सुपुर्दगी के समय मान्यता दी गयी है।

झ. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के आरईसी के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

परंतु यह कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए केवल तभी विचारा जाएगा जब वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश का अनुमोदन कर दिया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋणों तथा अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मानक परिसंपत्तियों और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(1) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की चूकरहित चुकौती या ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबंद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि की विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालय क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के लिए दिनांक 11 जून, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र द्वारा दी गयी छूट को ध्यान में रखते हुए, एक मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना या पुनःवार्ता को पुनः वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहारिक पाया गया हो।

(2) **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए):** कोई ऋण परिसंपत्ति अनर्जक परिसंपत्ति(एनपीए) हो जाएगी:-

(क) यदि ब्याज तथा/या मूल की किस्त दो तिमाही अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

दो तिमाहियों की उपरोक्त अवधि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 5 महीने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 4 महीने तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त और उसके बाद वित्त वर्ष के लिए 3 महीने होगी। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 05 अक्टूबर, 2015 के पत्र के द्वारा यह अनुमति दी है कि कंपनी के विद्यमान ऋणों, अर्थात् 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋण, को आरईसी के विद्यमान परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के तहत (180 दिन) 31 मार्च, 2017 तक नियमित किए जाने की अनुमति है।

(ख) हिमालय या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अधीन होने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्ति को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा, यदि यह मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष के अंतर्गत या ऐसे विलंब के कारणों के आधार पर 3/4 वर्ष (निश्चित शर्तों के अध्यधीन),जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में असमर्थ होती है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(ग) मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित अपवादों के साथ सुविधाओं को उधारकर्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग से पहचान किए जाने योग्य है और एक ही परियोजना के लिए लागू है, वहां आरईसी परियोजना के आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

अनर्जक परिसंपत्तियों(एनपीए) को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) **उप-मानक परिसंपत्ति:** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे पुन:विमर्शित या पुन:निर्धारित अथवा पुन:संरचित किया गया है, उप-मानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में रहेगी जिसमें उसे, उसके पुन:वार्ता या पुन:निर्धारण अथवा पुन:संरचना करने से पूर्व, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखा गया था। ऐसी परिसंपत्ति को केवल तभी उन्नयनीकृत किया जाएगा जब ब्याज या मूलधन की पहली किस्त की अदायगी, ऋण के पुनर्गठन पैकेज की अवधि के तहत ऋण स्थगन की दीर्घ अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर, दोनों में से जो भी बाद में हो, शुरू होने से एक वर्ष की अवधि के दौरान सभी बकाया ऋण/खाते में सुविधाएं संतोषजनक रूप से निष्पादन कर रही हों। ऐसी परिसंपत्ति के उन्नयनीकृत किए जाने तक यथा लागू आवश्यक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्ति:** 'संदिग्ध परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में रहती है।

(iii) **हानि परिसंपत्ति:** हानि परिसंपत्ति से तात्पर्य है:

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे आरईसी या इसके आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है तथा जिसे हानि वाली परिसंपत्ति की सीमा तक आरईसी द्वारा बट्टेखाते नहीं डाला गया हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अथवा उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी:

(i) **हानि परिसंपत्तियां** - समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा:

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां** -

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली-योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को संदिग्ध समझा गया है	प्रावधान का %
1 वर्ष तक	20 %
1 से 3 वर्ष	30 %
3 वर्ष से अधिक	50 %

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां** - 10% का प्रावधान किया जाएगा।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(iv) **मानक परिसंपत्तियां -** मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं-

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि विस्तार परियोजनाओं के अधीन और हिमालयी क्षेत्र अथवा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र पुनगर्ठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया हो:	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगी:
क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो, 4 वर्ष ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अन्यत्र) तो, 3 वर्ष	• 31 मार्च, 2015 से 2.75% • 31 मार्च, 2016 से 3.50% (2015-16 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) • 31 मार्च, 2017 से 4.25% (2016-17 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) • 31 मार्च, 2018 से 5.00% (2017-18 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) उपरोक्त प्रावधान पुनर्गठन की तिथि से अपेक्षित है जब तक कि डीसीसीओ संशोधित नहीं हो जाता है अथवा पुनर्गठन की तिथि से 2 वर्ष, जो भी बाद का हो। 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अन्यत्र मानक परिसंपत्तियों के लिए	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगी: • 31 मार्च, 2015 से 0.25% • 31 मार्च, 2016 से 0.30% • 31 मार्च, 2017 से 0.35% • 31 मार्च, 2018 से 0.40% वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान ऋण वृद्धि के लिए क्रमशः 0.30%, 0.35% और 0.40% प्रावधान बनाया जाएगा और इसके अतिरिक्त क्रमबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी जिससे की 31 मार्च 2018 तक 0.40% के समान किया जा सके।

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान, केवल बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितीकरण के बाद ही रिवर्स होते हैं।

2.5 पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (विशेष छूटों के अध्यधीन) के अनुसार किए गए हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि पुनःसंरचना के पूर्व और पश्चात ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर को, संबंधित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, उपलब्ध कराया जाए।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1913 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

अवधि तक किया जाता है, बजाय इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹ 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर आधारित सीधी रेखा पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों के 5 वर्षों तक के लिए उपयोग करने की अवधि का अनुमान लगाती है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उद्धृत (कोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोईभी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनुद्धृत (अनकोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली-योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली-योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

11.1 नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

11.2 नकदी में, हाथ में नकदी, बैंकों में डिमांड डिपॉजिटों, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय और अपने पास उपलब्ध चैक/ड्रॉफ्ट/भुगतान-आदेश शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेषों (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

परिपक्वता सहित) के रूप में विचार करती है, उच्चतम तरल निवेश जोकि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं तथा जोकि मूल्य में परिवर्तनों के महत्वहीन जोखिम पर आधारित हैं।

12. पूर्वावधि/पूर्व-प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षो की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2 प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा" में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध हों तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में भावी संविदाओं की प्रकृति में व्युत्पन्न संविदाओं को लेखाकरण मानक 11 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन विदेशी मुद्रा संविदाओं में, परिसंपत्ति या देयता में प्राप्यों एवं देयों का निवल सम्मिलित है।

अन्य व्युत्पन्न संविदाओं जैसे कि ब्याज दर स्वैप आदि, को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं द्वारा लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा। इन्हें उचित मूल्य पर ले जाया जाता है और उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जा रही है।

17. फेहरिस्त (इनवेंटरियाँ)

17.1 ट्रेड में स्टॉक का मूल्य लागत के निम्नतर पर और निवल वसूलनीय मूल्य पर आंका गया है।

17.2 खरीद की गयी सामग्री और प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य ओवरहैड्स से युक्त चालू कार्य को मूल्य लागत के निम्नतर पर और निवल वसूलनीय मूल्य पर आंका गया है।

17.3 लागत फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट (एफआईएफओ)के आधार पर निर्धारित की गयी है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम एंटिटी के समेकित लेखे को दर्शाते हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन देश	स्वामित्व हित का अनुपात	लेखे की स्थिति
अनुषंगी कंपनी का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	100%	लेखापरीक्षित
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उपक्रम का नाम			
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड *	भारत	31.71%	गैर-लेखापरीक्षित

* *वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं है तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित हैं और जिन्हें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचारा गया है। वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़े ऑडिट के पूर्ण होने पर परिवर्तित हो सकते हैं।*

पारेषण परियोजनाओं हेतु एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी के तौर पर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) का गठन इस आशय के साथ किया गया है कि इन एसपीवी को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। एएस-21 के पैरा 11 के अनुसार, एक अनुषंगी कंपनी को समेकन से बाहर रखना चाहिए जब नियंत्रण अस्थायी होना अभिप्रेत है क्योंकि अनुषंगी कंपनी को अभिगृहीत किया गया है तथा उसके निकट भविष्य में निपटान के लिए उसे विशेष रूप से रखा गया है। इसलिए, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों नामतः दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड, डब्ल्यूआर-एनआर ट्रांसमिशन लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों को कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**5,00,00,00,000**	**5,000.00**	1,20,00,00,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	98,74,59,000	987.46
योग	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	**98,74,59,000**	**987.46**

2.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46
जोड़ेः वर्ष के दौरान जारी एवं आबंटित बोनस शेयर	**98,74,59,000**	**987.46**	-	-
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**1,97,49,18,000**	**1,974.92**	98,74,59,000	987.46

21 सितंबर, 2016 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के शेयरधारकों ने, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी की अधिकृत पूंजी में ₹ 1,200 करोड़ से ₹ 5,000 करोड़ वृद्धि करने और ₹ 987.46 करोड़ की राशि द्वारा विद्यमान आरक्षित के पूंजीकरण से शेयरधारकों के लिए 1:1 अनुपात में बोनस शेयर (अर्थात् प्रत्येक ₹ 10/- के पूर्णतया पदत्त प्रति इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक ₹ 10/- का एक बोनस इक्विटी शेयर) जारी करने को अनुमोदित किया है। तदनुसार, 30 सितंबर, 2016 को 98,74,59,000 बोनस शेयर जारी एवं आबंटित किए गए।

समेकित लेखा टिप्पणियां

2.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

2.3 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

2.4 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**1,16,25,04,472**	**58.86%**	59,87,67,680	60.64%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**12,63,22,504**	**6.40%**	8,64,90,414	8.76%

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 25 जनवरी, 2017 को 2,51,33,733 इक्विटी शेयरों अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 1.28% तथा 22 मार्च, 2017 को 98,97,155 इक्विटी शेयरों अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.50% को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) के तहत शेयरों की ऑफ-मार्केट बिक्री के जरिए, विनिवेश/बिक्री कर दिया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 58.86% का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।

3 आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार रूपये	31.03.2016 के अनुसार रूपये
पूंजीगत आरक्षित निधि	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 3.1 एवं 3.4 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,224.00**	3,223.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	**-**	0.28
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	**987.46**	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,236.54**	3,224.00
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 3.2 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**728.36**	531.77
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**201.20**	196.59
वर्ष के अंत में शेष	**929.56**	728.36
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) **के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि**		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**10,349.64**	8,449.64
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**1,881.06**	1,900.00
वर्ष के अंत में शेष	**12,230.70**	10,349.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii ए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,011.97**	1,621.97
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**413.33**	390.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 के अनुसार रूपये	31.03.2016 के अनुसार रूपये
वर्ष के अंत में शेष	**2,425.30**	2,011.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 3.3 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-172.41	-335.46
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)	153.63	-503.08
वर्ष के दौरान परिशोधन	55.09	666.13
वर्ष के अंत में शेष	**36.31**	-172.41
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4,727.04	4,154.15
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	3.50	572.89
वर्ष के अंत में शेष	**4,730.54**	4,727.04
अधिशेष लेखा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,932.34	6,334.33
घटाएं: 31 मार्च 2016 के अनुसार ब्याज दर स्वैप के संदर्भ में एमटीएम का समायोजन(टिप्पणी 3.4 के संदर्भ)	86.75	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ	6,313.37	5,691.42
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन (टिप्पणी 3.6 के संदर्भ में)	1.72	0.30
घटाएं : विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	1,881.06	1,900.00
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii ए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	413.33	390.00
- लाभांश		
- अंतरिम लाभांश	1,382.44	1,184.95
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम) (टिप्पणी 3.5 के संदर्भ में)	-	503.60
- लाभांश संवितरण कर		
- अंतरिम लाभांश	277.46	239.19
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	-	106.49
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	201.20	196.59
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	3.50	572.89
वर्ष के अंत में शेष	**9,001.69**	6,932.34
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**31,695.64**	27,905.94

3.1 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.28 करोड़) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

3.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 196.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 196.59 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के एक संयुक्त उपक्रम, ईईएसएल के मामले में, डीआरआर द्वारा ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान डिबेंचर मूल्य में 25% तक सृजन किया जा रहा है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, ईईएसएल ने ₹ 14.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य), की राशि डीआरआर सृजित की है, आरईसी का शेयर ₹ 4.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य) हो गया है।

3.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 172.41 करोड़) 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि ₹ -36.31करोड़ है।

3.4 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार, ₹ 45.92 करोड़ के करों की नेटिंग के उपरांत ₹ 86.75 करोड़ की राशि को, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में समायोजित किया गया है। यह 31 मार्च 2016 तक ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में बदलाव को निरूपित करता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान शेयरधारकों को, सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते के पूंजीकरण द्वारा ₹ 987.46 करोड़ की राशि के बोनस शेयर जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरक्षित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की गयी है।

3.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	**523.35**	503.60
- लाभांश की दर	**26.50%**	25.50%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	**2.65**	2.55

पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूर्व-संशोधित लेखाकरण मानक 4 'तुलन पत्र तिथि के उपरांत घटित आकस्मिकताएं एवं घटनाएं' की अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा घोषित लाभांश के लिए एक प्रावधान किया है। हालांकि, कंपनी (लेखाकरण मानक) संशोधित नियम, 2016 के तहत यथा संशोधित, परिशोधित लेखाकरण मानक 4 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश प्रदान करना अपेक्षित नहीं है। परिणामस्वरूप, उपुर्यक्त लाभांश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि कंपनी, तुलन पत्र की तिथि को प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान सृजित करना जारी रखती है तो, 'आरक्षित एवं अधिशेष निधि' के आंकड़े ₹ 635.16 करोड़ तक कम होंगे और 'अल्पकालिक प्रावधान' उसी राशि तक उच्च रहेंगे (₹ 111.81 करोड़ के लाभांश वितरण कर सहित)।(टिप्पणी 2.1 के संदर्भ में)

3.6 पिछले वर्ष के दौरान, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम, ने अपने गैर-लेखापरीक्षित लेखे में कर उपरांत लाभ के रूप में आरईसी समूह के समेकन हेतु विचार करने के लिए ₹ 32.89 करोड़ की राशि की रिपोर्ट दी। तत्तपश्चात, कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे में ₹ 35.59 करोड़ का लाभ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त उपक्रम में कंपनी के शेयर के अनुपात में हुई ₹ 0.78 करोड़ की कटौती को, ₹ 0.64 करोड़ राशि के लाभांश वितरण कर में शेयर के लिए कटौती सहित चालू वर्ष के दौरान अधिशेष राशि के समायोजन में शामिल कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान, आरईसी ने ₹ 99 करोड़ के नये इक्विटी शेयर्स आबंटित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आरईसी की शेयरधारिता 28.78% से बढ़कर 31.71% हो गयी है। इस परिवर्तन के कारण, अधिशेष लेखे के प्रारंभिक शेष के आरईसी लिमिटेड के शेयर में 1.58 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे चालू वर्ष के दौरान अधिशेष लेखे के समायोजन में शामिल किया गया है। इस प्रकार, चालू वर्ष के दौरान अधिशेष लेखा में क्रियान्वित कुल समायोजन ₹ 1.72 करोड़ है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

4 दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि उधार' के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 10 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण**				
(क)	**बॉण्ड**				
	- संस्थागत बॉण्ड	**22,297.15**	**5,453.30**	27,591.90	7,854.80
	- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	**14,139.62**	**5,337.78**	11,814.48	5,349.91
	- कर मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**-**	12,577.97	-
(ख)	**आवधिक ऋण**				
	- वित्तीय संस्थाओं से	**400.00**	**381.71**	750.00	350.00
	कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	**49,414.74**	**11,172.79**	52,734.35	13,554.71
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण**				
(क)	**बॉण्ड**				
	- संस्थागत बॉण्ड	**79,424.70**	**5,359.70**	66,184.40	7,055.80
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**34.89**	**76.75**	34.90	207.49
	- जीरो कूपन बॉण्ड	**1,073.09**	**-**	990.64	-
(ख)	**अन्य ऋण एवं अग्रिम**				
	- विदेशी मुद्रा उधारियां	**19,733.47**	**1,450.53**	18,839.56	3,149.02
	कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	**1,00,266.15**	**6,886.98**	86,049.50	10,412.31
	कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	**1,49,680.89**	**18,059.77**	1,38,783.85	23,967.02
	कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू+चालू)	**1,67,740.66**		1,62,750.87	

दीर्घावधि ऋण के ब्योरे:

4.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरे:

(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 4.3 को देखें)

4.11 बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
4.1.1.1	**123-IIIबी श्रृंखला**	1,955.00	-	1,955.00	-
	9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय				
	एसटीआरपीपी सी	79.27	-	-	-
	8.07% सममूल्य पर दिनांक 20.09.2023 को विमोचनीय				
	एसटीआरपीपी बी	39.64	-	-	-
	8.07% सममूल्य पर दिनांक 20.09.2021 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
123-I श्रृंखला	1,515.00	-	1,515.00	-
9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय				
एसटीआरपीपी ए	39.64	-	-	-
8.07% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2020 को विमोचनीय				
92-II श्रृंखला	945.30	-	945.30	-
8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
91-II श्रृंखला 8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय	995.90	-	995.90	-
90- ग-II श्रृंखला	1,040.00	-	1,040.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय				
90- ख-II श्रृंखला	868.20	-	868.20	-
8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
90वीं श्रृंखला	2,000.00	-	2,000.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
122वीं श्रृंखला	1,700.00	-	1,700.00	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय				
119वीं श्रृंखला	2,090.00	-	2,090.00	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
88वीं श्रृंखला	1,495.00	-	1,495.00	-
8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
118वीं श्रृंखला	1,655.00	-	1,655.00	-
9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
117वीं श्रृंखला	2,878.00	-	2,878.00	-
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
87-क-III श्रृंखला	61.80	-	61.80	-
11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
116-II श्रृंखला	850.00	-	850.00	-
9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
87-II श्रृंखला	657.40	-	657.40	-
10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचनीय				
86-ख-III श्रृंखला	432.00	-	432.00	-
10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
86-क श्रृंखला	500.00	-	500.00	-
10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
	85वीं श्रृंखला	500.00	-	500.00	-
	9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
	83वीं श्रृंखला	-	685.20	685.20	-
	9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
	82वीं श्रृंखला	-	883.10	883.10	-
	9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
	124- I वीं श्रृंखला	-	2,610.00	2,610.00	-
	9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचनीय				
	123-III क श्रृंखला	-	1,275.00	1,275.00	-
	9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय				
	121वीं श्रृंखला	-	-	-	1,600.00
	9.52% सममूल्य पर दिनांक 24.03.2017 को विमोचनीय				
	120वीं श्रृंखला	-	-	-	1,100.00
	9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
	81वीं श्रृंखला	-	-	-	314.80
	8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
	116-I श्रृंखला	-	-	-	430.00
	9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
	123-IV श्रृंखला	-	-	-	2,750.00
	8.97% सममूल्य पर दिनांक 08.09.2016 को विमोचनीय				
	123-II श्रृंखला	-	-	-	1,660.00
	9.27% सममूल्य पर दिनांक 08.08.2016 को विमोचनीय				
	कुल- संस्थागत बॉण्ड	**22,297.15**	**5,453.30**	**27,591.90**	**7,854.80**
4.1.1.2	**54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**				
	श्रृंखला X (2016-17)	7,662.92	-	-	-
	5.25%-6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला X (2015-16)	6,476.70	-	6,476.70	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2014-15)	-	5,337.78	5,337.78	-
	6.00%सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2013-14)	-	-	-	5,349.91
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
	जोड़ - 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	14,139.62	5,337.78	11,814.48	5,349.91

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
4.1.1.3	**कर मुक्त बॉण्ड**				
	श्रृंखला 2015-16 भाग 1	696.56	-	696.56	-
	वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2015-16 श्रृंखला 5क	300.00	-	300.00	-
	7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 भाग 2	1,057.40	-	1,057.40	-
	वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	150.00	-	150.00	-
	वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 भाग 1	3,410.60	-	3,410.60	-
	वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	1,350.00	-	1,350.00	-
	वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	-	131.06	-
	वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
	श्रृंखला 2012-13 भाग 1	1,982.35	-	1,982.35	-
	वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 भाग 2क और 2ख	500.00	-	500.00	-
	वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
	श्रृंखला 2011-12	3,000.00	-	3,000.00	-
	वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोच्य हैं।				
	जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**-**	**12,577.97**	**-**
4.1.2	**आवधिक ऋण**				
	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
	– भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	400.00	350.00	750.00	350.00
	₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 100 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 50 करोड़ बकाया है) एवं ₹ 2000 करोड़ (जो वर्तमान 7.35% की दर पर ₹ 600 करोड़ बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किश्तों में देय है।				
	– पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस)	-	31.71	-	-
	₹ 100 करोड का ऋण (आरईसी के शेयर ₹ करोड़ को वार्षिक रुप से 10.50% और 10.25% की परिवर्ती ब्याज दर से पीएफएस से संबंधित दर में जोड़ा गया है जो 01.04.2017 से 4 समान तिमाहि किश्तों मे प्रतिदेय है।				
	जोड़: आवधिक ऋण	**400.00**	**381.71**	**750.00**	**350.00**
4.2	**अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:**				
4.2.1	**बॉण्ड**				
4.2.1.1	**संस्थागत बॉण्ड**				
	147वीं श्रृंखला	2,745.00	-	-	-
	7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
142वां श्रृंखला	3,000.00		-	-
7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय				
140वीं श्रृंखला	2,100.00	-	-	-
7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय				
136वीं श्रृंखला	2,585.00	-	2,585.00	-
8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय				
95-II श्रृंखला	1,800.00	-	1,800.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय				
94वां श्रृंखला	1,250.00	-	1,250.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय				
133वां श्रृंखला	2,396.00	-	2,396.00	-
8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय				
131वां श्रृंखला	2,285.00	-	2,285.00	-
8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय				
130वीं श्रृंखला	2,325.00	-	2,325.00	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय				
129वीं श्रृंखला	1,925.00	-	1,925.00	-
8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय				
128वीं श्रृंखला	2,250.00	-	2,250.00	-
8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय				
115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड	2,500.00	-	2,500.00	-
8.06%सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
114वीं श्रृंखला	4,300.00	-	4,300.00	-
8.82%सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
111-II श्रृंखला	2,211.20	-	2,211.20	-
9.02%सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
107वीं श्रृंखला	2,378.20	-	2,378.20	-
9.35%सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
132वीं श्रृंखला	700.00	-	700.00	-
8.27%सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय				
145वां श्रृंखला	625.00	-	-	-
7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.2.2022 को विमोचनीय				
141वां श्रृंखला	1,020.00	-	-	-
7.14%सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
127वीं श्रृंखला	1,550.00	-	1,550.00	-
8.44%सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय				
105वीं श्रृंखला	3,922.20	-	3,922.20	-
9.75%सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
139वीं श्रृंखला	2,500.00	-	-	-
7.24%सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय				
101-III श्रृंखला	3,171.80	-	3,171.80	-
9.48%सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
100वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
9.63%सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
98वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
9.18%सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
97वीं श्रृंखला	2,120.50	-	2,120.50	-
8.80%सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय				
96वीं श्रृंखला	1,150.00	-	1,150.00	-
8.80%सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय				
135वीं श्रृंखला	2,750.00	-	2,750.00	-
8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय				
144वीं श्रृंखला	835.00	-	-	-
7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय				
134वीं श्रृंखला	2,675.00	-	2,675.00	-
8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय				
143वीं श्रृंखला	1,275.00	-	-	-
6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय				
148वीं श्रृंखला	1,200.00	-	-	-
7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय				
113वीं श्रृंखला	1,542.00	-	1,542.00	-
8.87%सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय				
111-I श्रृंखला	452.80	-	452.80	-
9.02%सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
126वीं श्रृंखला	1,700.00	-	1,700.00	-
8.56%सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय				
125वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
9.04%सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	संस्थागत बॉण्ड	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	108-II श्रृंखला	960.00	-	960.00	-
	9.39%सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
	95-I श्रृंखला	200.00	-	200.00	-
	8.70%सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
	137वीं श्रृंखला	2,225.00	-	2,225.00	-
	8.05%सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय				
	146वां श्रृंखला	3,300.00	-	-	-
	9.25%सममूल्य पर दिनांक 03.09.2018 को विमोचनीय				
	112वीं श्रृंखला	-	1,500.00	1,500.00	-
	8.70%सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
	109वीं श्रृंखला	-	1,734.70	1,734.70	-
	9.25%सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचनीय				
	108-I श्रृंखला	-	2,125.00	2,125.00	-
	9.40%सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
	138वीं श्रृंखला	-	-	-	2,895.00
	8.28% सममूल्य पर दिनांक 04.03.2017 को विमोचनीय				
	106वीं श्रृंखला	-	-	-	1,500.00
	9.28%सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
	103-I श्रृंखला	-	-	-	50.00
	9.35%सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
	102वीं श्रृंखला	-	-	-	2,216.20
	9.38%सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
	101-II श्रृंखला	-	-	-	394.60
	9.45%सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
	जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	79,424.70	5,359.70	66,184.40	7,055.80
4.2.1.2	**इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड**				
	श्रृंखला-II (2011-12)	29.50	-	29.51	128.08
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।				
	श्रृंखला-I (2010-11)	5.39	76.75	5.39	79.41
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।				
	जोड़ : इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	34.89	76.75	34.90	207.49
4.2.1.3	**जीरो कूपन बॉण्ड**				
	जेडसीबी - श्रृंखला- II	194.57	-	178.95	-
	(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
	जेडसीबी - श्रृंखला -I	878.52	-	811.69	-
	(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।				
	जोड़ : जीरो कूपन बॉण्ड	1,073.09	-	990.64	-
4.2.2	**अन्य ऋण और अग्रिम**				
4.2.2.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बॉण्ड – सीएचएफ 200 मिलियन	-	-	-	1,378.50
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	237.65	169.84	400.61	210.13
	0.75% जेआईसीए–I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2017 को देय हो रही है और जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2017 को देय हो रही है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	51.03	51.02	93.33	51.10
	3.73% ऋण €3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दि: 30.06.2017 को देय है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	95.28	-	64.86	-
	1.96% ऋण – €2.941 मिलियन की 14 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय और तत्पश्चात – €2.942 मिलियन की अगली 3 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। पहली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है। 31.03.2017 के अनुसार कुल ऋण राशि ₹ 300.48 करोड़ है,(€43.39 मिलियन के समतुल्य) आरईसी का शेयर ₹ 95.28 करोड़ है।				
	एएफडी ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	8.17	-	-	-
	1.87% ऋण €2.50 मिलियन की 20 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त दिनांक 31.10.2020 को देय है।31.03.2017 के अनुसार कुल ऋण राशि ₹ 25.75 करोड़ है,(€3.72 मिलियन के समतुल्य) आरईसी का शेयर ₹ 8.17 करोड़ है।				
	सिंडिकेट ऋण-300 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	1,367.24
	दिनांक 19.08.2016 को प्रदत्त				
	केएफडब्ल्यू II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	161.58	53.86	213.77	53.44
	2.89% ऋण €3.88 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2017 को देय है।				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
संस्थागत बॉण्ड	**गैर-चालू**	**चालू**	**गैर-चालू**	**चालू**
सिंडिकेट ऋण- ¥19.029 बिलियन	-	1,102.92	1,184.43	-
दिनांक 10.04.2017 को प्रतिदेय				
केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	473.81	72.89	558.76	88.61
1.86% ऋण €5.26 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2017 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण - $285 मिलियन	1,847.90	-	1,780.28	-
दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन	1,620.97	-	1,521.75	-
दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन	2,593.54	-	2,435.78	-
ऋण $230 मिलियन और $170 मिलियन क्रमश: दिनांक 24.07.2019 तथा 27.10.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन	2,593.54	-	2,539.64	-
दिनांक 12.03.2020 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन	1,945.16	-	1,909.56	-
दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन	1,620.97	-	1,653.25	-
ऋण $150 मिलियन और $100 मिलियन क्रमश: दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन	1,945.16	-	1,997.80	-
दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन	1,620.97	-	1,688.46	-
दिनांक 05.02.2019 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $120 मिलियन	778.06	-	797.28	-
दिनांक 21.03.2019 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $100 मिलियन	648.39	-	-	-
दिनांक 05.10.2021 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $230 मिलियन	1,491.29	-	-	-
दिनांक 19.01.2022 को प्रतिदेय				
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	19,733.47	1,450.53	18,839.56	3,149.02

4.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 82, 83, 85, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87 ए-III, 88, 90, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II, 92-II, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को

समेकित लेखा टिप्पणियां

मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 116-II, 117, 118, 119, एवं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123-I, 123-IIए, 123-IIबी, एवं 124-I विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

बॉण्ड श्रृंखला एसटीआरपीपी (पृथक रूप से अंतरण योग्य मूल हिस्सा ए, बी, और सी, एक बार की न्यूनतम परिसंपत्ति कवरेज के साथ कंपनी के संयुक्त उपक्रम, ईईएसएल की नियत चल परिसंपत्तियों के ऊपर प्रथम समानुपाती प्रभार के रूप में प्रतिभूति किए गए हैं।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन है। (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और विस्ट्रा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड (जिसे पहले आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कंपनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला X और वित्त वर्ष 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

4.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 65 बीपीएस से 220 बीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 4.2.2.1 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

4.5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंगों का हस्तांतरण

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी को घरेलू ऋण लिखतों के लिए निरंतर 'एएए' रेटिंग प्राप्त है, जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इक्रा-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च रेटिंग है।

आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है, जोकि क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी-' है।

वर्ष के दौरान रेटिंगों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला- I (2010-11)

ब्याज दर	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	17.40	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	59.35	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.79	
जोड़	**82.14**	

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
9.15% संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	5.00	
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**29.50**	

4.7 वर्ष के दौरान, कंपनी के समक्ष कुछ छद्मकर्ताओं द्वारा 54 ईसीपी पूंजीगत लाभ कर छूट बांडों में निवेशकों में से एक के द्वारा निवेश किए गए पैसे के जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से नकदीकरण का एक दृष्टांत देखने में आया। कंपनी ने अज्ञात व्यक्ति और तत्समय के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। तदनुसार, खातों बहियों में ₹ 0.59 करोड़ की राशि को आरटीए से वसूलनीय दर्शाया गया है और इस मामले की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दी गयी है। इसके अलावा, एक एहतियाती उपाय के रूप में, उस समय मौजूदा आरटीए की सेवाओं को बंद कर दिया गया है और नए आरटीए नियुक्त किया गया।

5. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	4.57	4.48
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	-	59.67
ब्याज दर स्वैप पर एमटीएम	66.48	-
जोड़	**71.05**	**64.15**
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	10.85	8.13
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	6.67	5.49

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	12.57	-
उपदान के लिए प्रावधान	0.03	0.03
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.88	2.03
परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	-	0.79
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	0.09	0.11
प्रारम्भिक व्यय	-	-
प्रचालन पट्टा देयताएं	0.04	0.03
जोड़	**31.13**	**16.61**
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)	**39.92**	**47.54**

5.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

6. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारियों पर देय नहीं	**12.38**	9.50
- अन्य	**1.04**	0.51
जोड़	**13.42**	**10.01**

7. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	- निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी हितलाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	**28.48**	**3.31**	21.35	2.31
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**92.49**	**4.66**	82.50	4.12
	चिकित्सा अवकाश देयता	**16.63**	**2.64**	13.65	2.22
	निपटान भत्ता	**1.10**	**0.17**	1.06	0.16
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.44**	**0.01**	3.31	0.03
	दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.64**	**0.19**	2.45	0.11
	लॉयल्टी बोनस	**0.11**	**0.04**	0.08	0.07
	उपदान	**0.19**	**-**	0.08	-
	उप-जोड़ (क)	**145.08**	**11.02**	124.48	9.02
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	**536.59**	**70.87**	420.35	123.08

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	1,167.67	73.52	750.71	70.63
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	-	3.96	-	3.96
प्रोत्साहन	-	20.34	-	18.13
वेतन का निर्धारण	-	14.59	-	-
प्रस्तावित लाभांश(टिप्पणी 3.5 के संदर्भ में)	-	-	-	503.60
कारपोरेट लाभांश कर	-	-	-	106.49
सीएसआर व्यय	-	-	-	21.22
परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताएं	-	-	-	2.29
वारंटी हेतु प्रावधान	0.13	-	-	-
उप-जोड़ (ख)	1,704.39	183.28	1,171.06	849.40
जोड़ (क+ख)	1,849.47	194.30	1,295.54	858.42

7.1 प्रावधानों के संचलन और ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
अर्जित अवकाश देयता	**23.66**	**12.62**	**4.51**	**31.79**
पिछले वर्ष	23.19	6.38	5.87	23.66
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**86.62**	**17.21**	**6.68**	**97.15**
पिछले वर्ष	77.61	15.33	6.32	86.62
चिकित्सा अवकाश देयता	**15.87**	**4.95**	**1.55**	**19.27**
पिछले वर्ष	15.22	2.11	1.46	15.87
निपटान भत्ता	**1.22**	**0.14**	**0.09**	**1.27**
पिछले वर्ष	1.20	0.12	0.10	1.22
आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.34**	**0.95**	**0.84**	**3.45**
पिछले वर्ष	2.72	1.26	0.64	3.34
दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.56**	**1.01**	**0.74**	**2.83**
पिछले वर्ष	2.84	0.02	0.30	2.56
लॉयल्टी बोनस	**0.15**	**0.01**	**0.01**	**0.15**
पिछले वर्ष	0.09	0.06	-	0.15
उपदान	**0.08**	**0.11**	**-**	**0.19**
पिछले वर्ष	-	0.04	0.04	0.08
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**543.43**	**64.03**	**-**	**607.46**
पिछले वर्ष	490.92	138.93	86.42	543.43
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**821.34**	**419.85**	**-**	**1,241.19**
पिछले वर्ष	451.77	369.57	-	821.34

समेकित लेखा टिप्पणियां

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**3.96**	**-**	**-**	**3.96**
पिछले वर्ष	-	3.96	-	3.96
प्रोत्साहन	**18.13**	**15.52**	**13.31**	**20.34**
पिछले वर्ष	16.71	14.34	12.92	18.13
वेतन निर्धारण	**-**	**14.59**	**-**	**14.59**
पिछले वर्ष	-	-	-	-
सीएसआर व्यय	**21.22**	**69.05**	**90.27**	**-**
पिछले वर्ष	58.04	126.08	162.90	21.22
प्रस्तावित लाभांश	**503.60**	**-**	**503.60**	**-**
पिछले वर्ष	266.61	503.60	266.61	503.60
कारपोरेट लाभांश कर	**106.49**	**277.46**	**383.95**	**-**
पिछले वर्ष	56.32	345.68	295.51	106.49
आय कर	**6,533.48**	**2,626.66**	**6,395.15**	**2,751.95**
पिछले वर्ष	5,322.76	2,560.78	1,351.30	6,533.48
वारंटी	**-**	**0.13**	**-**	**0.13**
पिछले वर्ष	-	-	-	-
परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताएं	**2.29**	**0.36**	**2.65**	**-**
पिछले वर्ष	2.13	2.96	2.80	2.29

8. अल्पावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	-	749.93
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	-	5,600.00
(ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- बैंकों से	**110.98**	71.97
	- प्रतिभूत *	-	10.08
	- अप्रतिभूत	-	28.79
	- वित्तीय संस्थाओं से, प्रतिभूत *		
	जोड़ (क+ख+ग)	**110.98**	**6,460.77**

* बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण एवं अग्रिम ईईएसएल, कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम, से संबंधित हैं, जो ईईएसएल की ऋण बही के प्रभार के साथ-साथ प्रतिभूत हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

9. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
ट्रेड प्राप्य	**160.39**	117.96
जोड़	**160.39**	117.96

10. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 4 के संदर्भ में)**	**18,059.77**	23,967.02
(ख)	**ब्याज किंतु उधारियों पर उपचित देय नहीं**	**6,025.45**	6,227.74
(ग)	**अग्रिम में प्राप्त आय**	**8.41**	21.50
(घ)	**अप्रदत्त लाभांश**	**2.75**	2.73
(च)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बांडों पर ब्याज**		
	- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**51.54**	44.83
	- बॉण्डों पर ब्याज	**15.19**	12.57
(छ)	**अन्य देय राशियां**		
	-प्राप्त सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	**46,154.67**	38,111.60
	जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 10.3 के संदर्भ में)	**2.18**	18.10
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-46,131.01**	-38,091.35
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**25.84**	38.35
	-भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**53.33**	36.37
	-कर्मचारी हितलाभों हेतु निधिपोषित देय राशियां	**13.63**	0.53
	-अन्य देयताएं	**269.08**	125.79
	उप-जोड़ (छ)	**361.88**	201.04
	जोड़ (क से छ)	**24,524.99**	30,477.43

10.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रख रखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 0.86 करोड़ (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.26 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**1.26**	2.22
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.07**	0.07
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**0.47**	1.03
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**0.86**	1.26

10.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य चालू देयताएं" तहत "असंवितरित सब्सिडी/अनुदान" के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 24.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.15 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 40.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 71.66 करोड़) की राशि वापस की गई है।

10.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक शेष	18.10	51.38
जोड़े: वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	25.94	41.49
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	41.59	74.19
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	0.27	0.58
वर्ष के अंत में शेष	2.18	18.10

11. 31 मार्च, 2017 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2016 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2017 को बंद	31.03.2016 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	80.62	2.30	-	82.92	-	-	-	-	82.92	80.62
लीजहोल्ड भूमि	1.93	4.62	-0.04	6.59	0.28	0.12	-0.01	0.41	6.18	1.65
भवन	33.17	0.72	2.30	31.59	7.76	0.49	0.63	7.62	23.97	25.41
फर्नीचर और जुड़नार	8.12	0.52	0.01	8.63	5.12	0.63	0.08	5.67	2.96	3.00
वाहन	0.43	-	-	0.43	0.24	0.04	-	0.28	0.15	0.19
ईडीपी उपस्कर	18.81	3.09	3.69	18.21	13.79	2.65	3.49	12.95	5.26	5.02
कार्यालय उपस्कर	158.29	117.17	-15.61	291.07	21.13	35.83	-1.44	58.40	232.67	137.16
जोड़	**301.37**	**128.42**	**-9.65**	**439.44**	**48.32**	**39.76**	**2.75**	**85.33**	**354.11**	**253.05**
पिछले वर्ष	138.43	158.99	-3.94	301.36	29.94	19.09	0.72	48.31	253.05	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7.18	0.27	-0.02	7.47	6.15	0.57	-0.01	6.73	0.74	1.03
जोड़	**7.18**	**0.27**	**-0.02**	**7.47**	**6.15**	**0.57**	**-0.01**	**6.73**	**0.74**	**1.03**
पिछले वर्ष	7.06	0.12	-0.00	7.18	5.59	0.58	0.02	6.15	1.03	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**76.84**	**243.05**	**155.76**	**164.13**	-	-	-	-	**164.13**	**76.84**
पिछले वर्ष	9.81	195.23	128.20	76.84	-	-	-	-	76.84	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	1.21	0.25	-	**1.46**	-	-	-	**-**	**1.46**	**1.21**
पिछले वर्ष	-	1.21	-	**1.21**	-	-	-	**-**	1.21	

11.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 50.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.51 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

11.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11.3 एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

समाशोधन दर- 20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो

समेकित लेखा टिप्पणियां

12. निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		संख्या (अंकित मूल्य रुपए में जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए)	रकम	संख्या (अंकित मूल्य रुपए में जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए)	रकम
	लागत पर मूल्यांकित				
(1)	**गैर-चालू निवेश**				
	(क) ट्रेड निवेश				
(i)	**इक्विटी लिखतों में निवेश - उद्धृत**				
	एनएचपीसी लिमिटेड	18,40,11,865 (10)	400.80	-	-
(ii)	**इक्विटी लिखतों में निवेश - अनुद्धृत**				
	-अन्य				
	-एनर्जीप्रो असेट्स लिमिटेड	230680 (£1)	0.60	-	-
	- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,50,000 (10)	1.25	12,50,000 (10)	1.25
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	1,60,00,000 (10)	16.00	1,60,00,000 (10)	16.00
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान		(16.00)		-16.00
(iii)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश - अनुद्धृत**				
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड - II *	4 (47,16,00,000)	188.64	6 (47,16,00,000)	282.96
	प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2017 को देय है।				
(iv)	**डिबेंचर्स में निवेश- अनुद्धृत**				
	- यूपी पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के 9.68% बॉण्ड	30,385 (1,00,000)	303.85	38,050 (1,00,000)	380.50
(v)	**वेंचर पूंजी निधियों में निवेश - अनुद्धृत**				
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" निधि	61,52,200 (10)	6.15	61,52,200 (10)	6.15
(ख)	**अन्य निवेश**				
(ii)	**कर मुक्त बॉन्डों में निवेश - अनुद्धृत**				
	हुडको लिमिटेड के 8.76% बॉण्ड	50000 (1000)	5.00	50000 (1000)	5.00
	हुडको लिमिटेड के 7.39% बॉण्ड	86798 (1000)	8.68	86798 (1000)	8.68
	एनएचएआई लिमिटेड के 7.35% बॉण्ड	42855 (1000)	4.29	42855 (1000)	4.29
	एनएचएआई लिमिटेड के 7.39% बॉण्ड	35463 (1000)	3.55	35463 (1000)	3.55
	आईआरईडीए लिमिटेड के 7.49% बॉण्ड	61308 (1000)	6.13	61308 (1000)	6.13
	आईआरएफसी लिमिटेड के 7.35% बॉण्ड	22338 (1000)	2.23	22338 (1000)	2.23
	नाबार्ड के 7.35% के बॉण्ड	14028 (1000)	1.40	14028 (1000)	1.40
(iii)	**डिबेंचर्स में निवेश - उद्धृत**				
	इंडियन बैंक के 11.15%अतिरिक्त टियर-1 बेमियाद बॉण्ड	5,000 (10,00,000)	500.00	5,000 (10,00,000)	500.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		संख्या (अंकित मूल्य रुपए में जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए)	रकम	संख्या (अंकित मूल्य रुपए में जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए)	रकम
	विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियाद बॉण्ड	**5,000 (10,00,000)**	**500.00**	5,000 (10,00,000)	500.00
	सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियाद बॉण्ड	**5,000 (10,00,000)**	**500.00**	5,000 (10,00,000)	500.00
	जोड़: गैर-चालू निवेश (1)		**2,432.57**		2,202.14
(2)	**चालू निवेश**				
	लागत के निम्नतर और उचित मूल्य में मूल्यांकित				
(i)	**इक्विटी लिखतों में निवेश (अनुद्धत)**				
	- लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड	**10,20,00,000 (10)**	**102.00**	10,20,00,000 (10)	102.00
	- दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50000 (10)**	**0.05**	50000 (10)	0.05
	-घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50000 (10)**	**0.05**	-	-
	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50000 (10)**	**0.05**	-	-
	डब्ल्यूआर-एनआर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50000 (10)**	**0.05**	-	-
	- एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50000 (10)	0.05
	- नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड	**-**	**-**	50000 (10)	0.05
	- खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50000 (10)	0.05
	- एनईआर ? ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50000 (10)	0.05
	- नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50000 (10)	-
	- बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50000 (10)	-
(ii)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश(अनुद्धत)**				
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड - II*	**1 (47,16,00,000)**	**47.16**	1 (47,16,00,000)	47.16
	प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2017 को देय है।				
(iii)	**अंतर निगम जमा में निवेश**				
	-एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड		**17.50**		-
	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंश लिमिटेड		**17.50**		-
	जोड़ - चालू निवेश (2)		**184.36**		149.41
	जोड़ (1+2)		**2,616.93**		2,351.55

* चालू अंश में बॉण्ड की संख्या और निवेश की राशि आगामी 12 माह में परिपक्व होने वाली निवेश की राशि को दर्शाती है और शेष राशि गैर-चालू अंश है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

12.1 निवेश में ₹ 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.15 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत "स्माल इज ब्यूटीफूल" (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 6.15 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2017 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 10.24 प्रति यूनिट है (पिछले वर्ष ₹ 10.24 प्रति यूनिट)।

इसके अतिरिक्त, निवेश में ₹ 1.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.25 करोड़) भी शामिल हैं, जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है

कंपनी का नाम	शेयरों की संख्या	निवेश की गयी राशि	निगमन का देश	शेयरहोल्डिंग%
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,50,000	₹ 1.25 करोड़	भारत	4.34%

12.2 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	31.71%
निगमन देश	भारत
प्रचालन का क्षेत्र	भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1. एनटीपीसी लिमिटेड (31.71%) 2. पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (4.87%) 3. पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड (31.71%)

31 मार्च, 2016 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को शेयर आवेदन राशि के रूप में ₹ 99.00 करोड़ का भुगतान किया गया है। ईईएसएल ने 25 अप्रैल, 2016 को प्रत्येक ₹ 10/- के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए हैं और तदनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी का शेयर 28.79% से 31.71% तक बढ़ गया है।

31.03.2017 के अनुसार कंपनी की परिसम्पतियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में वर्ष के लिए आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार /के लिए (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ के लिए (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार/के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	**838.77**	427.98	428.74
(ii)	कुल देयताएं	**662.90**	308.16	311.84
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	**29.37**	15.32	12.39
(iv)	आकस्मिक देयताएं	**11.74**	-	10.66
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	**103.95**	84.24	254.63
(vi)	कुल आय	**408.83**	205.87	206.04
(vii)	कुल व्यय	**384.81**	191.59	192.12

* संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं । हालांकि, बाद में 16 सितंबर 2016 को ईईएसएल के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की

समेकित लेखा टिप्पणियां

गई। परिसंपत्तियों और देयताओं के अलेखापरीक्षित और लेखापरीक्षित आंकड़ों में परिवर्तन को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ईईएसएल के तुलन पत्र आंकड़ों में पहले ही समायोजित कर लिया गया है।

12.3 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(1)	**निवेशों का मूल्य**				
(i)	निवेशों का समग्र मूल्य				
(क)	भारत में	**2,447.97**	**184.36**	2,218.14	149.51
(ख)	विदेशों में	**0.60**	**-**	-	-
(ii)	**मूल्यह्रास हेतु प्रावधान**				
(क)	भारत में	**16.00**	**-**	16.00	0.10
(ख)	विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(iii)	**निवेशों का निवल मूल्य**				
(क)	भारत में	**2,431.97**	**184.36**	2,202.14	149.41
(ख)	विदेशों में	**0.60**	**-**	-	-
(2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**				
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**16.00**	**0.10**	-	0.10
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**-**	**-**	16.00	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	**-**	**0.10**	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	**16.00**	**-**	16.00	0.10
(3)	**उद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**1,932.08**	**-**	1,531.28	-
	उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	**2,125.57**	**-**	1,532.32	-
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	**516.49**	**184.36**	686.86	149.41
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	**16.00**	**-**	16.00	0.10

13. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**40.23**	49.14
(ख)	**प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**1.55**	4.34
(ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	**0.37**	0.63
		0.37	0.63
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को छोड़कर)	**32.29**	36.72
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	**1,77,275.24**	1,57,703.84
	- अन्य (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	**1.90**	2.15
		1,77,309.43	1,57,742.71
	जोड़ (क से घ)	**1,77,351.58**	1,57,796.82

समेकित लेखा टिप्पणियां

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसंपत्तियों का ब्योरा:

13.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-19 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है

(₹ **करोड़ में**)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(क1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
(क)	शोध्य समझा गया	**0.01**	**-**	0.01	0.01
(क2)	**अन्य को**				
(क)	शोध्य समझा गया	**3.43**	**0.68**	2.93	0.73
	उप-जोड़ (क1+क2)	**3.44**	**0.68**	2.94	0.74
(ख)	**अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(ख1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	**0.36**	**0.13**	0.62	0.19
(ख2)	**अन्यों को**				
	(क) शोध्य समझा गया	**28.86**	**10.42**	33.79	10.24
	उप जोड़ (ख1+ ख2)	**29.22**	**10.55**	34.41	10.43
	सकल जोड़ (क+ख)	**32.66**	**11.23**	37.35	11.17

13.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को उपरोक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-19 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**1,25,811.34**	**11,014.90**	1,09,569.70	15,194.43
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**24,691.95**	**3,553.12**	24,377.49	1,841.42
	(ख) वर्गीकृत संदिग्ध	**2,220.01**	**2,169.10**	2,243.97	1,569.50
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**383.89**	**767.87**	257.65	325.52
		1,836.12	**1,401.23**	1,986.32	1,243.98
	उप-जोड़ (क1+क2)	**1,52,339.41**	**15,969.25**	1,35,933.51	18,279.83

समेकित लेखा टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	19,109.20	2,850.00	18,092.54	22,522.84
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	2,647.90	351.22	2,467.29	886.78
(ख3)	**ऋण अन्य**				
	(क) शोध्य समझे गए	3,178.73	258.78	1,210.50	99.51
	(ख) वर्गीकृत संदिग्ध	5.18	478.40	-	430.10
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	5.18	478.40	-	430.10
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	24,935.83	3,460.00	21,770.33	23,509.13
	समग्र जोड़ (क+ख)	1,77,275.24	19,429.25	1,57,703.84	41,788.96

13.2.1 31 मार्च, 2017 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 86% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। ₹ 28,474 करोड़ लागत की शेष 14% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 82% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 13% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 5% अप्रतिभूत ऋण हैं।

13.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

13.2.3 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण-I टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। ऋण कंपनी की सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र और कारपोरेट इस्पात एंड अलोयस् लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी के तौर पर प्रतिभूत है। तत्पश्चात, आरइसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 मार्च, 2017 के अनुसार बकाया ऋण ₹ 811.74 करोड़ है।

पिछले उपलब्ध उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के चरण -1 की प्रगति (जहां आरईसी प्रमुख है) लगभग 96% है। हालांकि, 30 जून 2014 को अकाउंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार, चरण-I और चरण-II की परियोजना परिसंपत्तियों का वसूलनीय बिक्री मूल्य ₹ 1,424.35 करोड़ है। तदनुसार, ₹ 587.47 करोड़ की राशि की प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य और ₹ 224.27 करोड़ की शेष ऋण राशि द्वारा ऋण की सीमा तक 100% प्रावधान नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में ₹ 67.29 करोड़ की राशि का 30% प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, किया गया कुल प्रावधान ₹ 654.75 करोड़ है।

उधारकर्ता को अनुस्मारक नोटिस दिया गया है और प्रमोटर कंपनी, सीआईएएल, के कारपोरेट गारंटी की मांग की गई है। आरईसी एवं एआरसीआईएल ने सीआईएएल के खिलाफ कोलकाता उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर कर दी। इसी बीच में, सीआईएएल औद्योगिकी एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में चला गया, इसके अनुसरण में, माननीय उच्च न्यायालय ने समापन याचिका को ठुकरा दिया है। उधारदाता, प्रबंधन में परिवर्तन करने सहित परियोजना के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न उपाय तलाश रहे हैं। उधारदाताओं की सहमति से, एआरसीआईएल ने एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम के तहत कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। एआरसीआईएल ने परियोजना स्थल को कब्जे में ले लिया है तथा परियोजना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा तैनात कर दी है। उधारदाताओं ने बकायों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में संयुक्त मूल आवेदन (ओए) भी दाखिल कर दिया है।

13.2.4 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए ₹ 1,150 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिसमें 31 मार्च, 2017 तक किया गया कुल संवितरण ₹ 33.24 करोड़ है। 30 जून 2014 को अकाऊंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों का वसूलनीय

समेकित लेखा टिप्पणियां

बिक्री मूल्य ₹ 143.35 करोड़ आंका गया है। तदनुसार, ₹ 31.48 करोड़ की राशि की ऋण की सीमा प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य शामिल नहीं है और ₹ 1.77 करोड़ के लिए 100% प्रावधान, तथा ₹ 0.53 करोड़ की राशि के लिए 30% का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2.3(ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, ₹ 33.24 करोड़ के कुल ऋण बकाया पर सृजित किया गया कुल प्रावधान ₹ 32.01 करोड़ है।

उधारदाताओं ने पहले ही वसूली शुरू कर दी है। धारकर्ता को अनुस्मारक नोटिस दिया गया है और प्रमोटर से निजी गारंटी की मांग की गई है। बकाया राशि की वसूली के लिए आरईसी ने डीआरटी में मूल आवेदन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा, उधारदाता एसएआरएफएईएसआई (सरफेसी) अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

13.2.5 31 मार्च, 2017 के अनुसार, एक उधारकर्ता के देय बकाया 6 महीनों से अधिक अतिदेय थे। इस प्रकार, यह 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए तय समय-सीमा से अधिक थी। हालांकि, उधारकर्ता ने 18 सितंबर 2015 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया था, ताकि खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता के वर्गीकरण को, न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक 'मानक संपत्ति' के रूप में रखा गया है। तदनुसार, बकाया ऋण 2,301.99 करोड़ पर उप-मानक ऋणों के लिए यथा लागू 10% का प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि, चूंकि खाता वर्तमान में पुनर्गठित मानक ऋण परिसंपत्ति की श्रेणी में है, महत्वपूर्ण लेखा नीति 2.3 (iv) के अनुसार ₹ 115.10 करोड़ की राशि के 5% का प्रावधान, चरणबद्ध तरीके से सृजन करने के समक्ष ऋण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया है। इसके अलावा, विवेक के मामले में, 5% प्रावधान से अधिक ऋण के 4.50% की दर से ₹ 103.59 करोड़ राशि का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, परियोजना के समक्ष ₹ 218.6 9 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया था और ₹ 271.78 करोड़ की अवसूल आय को भी मान्यता नहीं दी गयी। मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी रोक आदेश को हटाने के लिए आरईसी द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया है।

13.02.6 आरईसी ने मई, 2012 में, प्रारंभिक परियोजना एससीओडी में आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रमुख उधारदाता के रूप में मैसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड को ₹ 390 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। हालांकि, प्रोमोटरों की इक्विटी क्रंच, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और खराब रॉक स्ट्राटा के कारण, परियोजना अभी तक कमीशन नहीं की जा सकी। परियोजना, जोकि वर्तमान में ठप पड़ी है, का पुनरूद्धार करने के लिए, स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है, जो नये निवेशक द्वारा अतिरिक्त संसाधन लाये जाने को सुनिश्चत करेगा। इस दिशा में, स्वामित्व के परिवर्तन पर, दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया व्यवस्था के तहत प्रभावपूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) विनियम के अनुसार, उधारदाताओं के कंर्सोटियम ने 24 जुलाई, 2015 को हुई उधारदाताओं की बैठक में एसडीआर को लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरईसी ने 24 सितंबर, 2015 को, प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आरईसी के बकाया ऋण में से ₹ 102 करोड़ को 10/- के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई के दिनांक 08 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसरण में सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) पैकेज को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, 20 अक्तूबर, 2015 को, शेयरधारक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण कार्य किया गया तथा आरईसी द्वारा स्वीकृत ₹ 102 करोड़ की राशि को 20 अक्तूबर, 2015 को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया। एसडीआर योजना के अनुसार, 24 जुलाई 2015 से 18 महीनों तक परिसंपत्ति वर्गीकरण मानक बना रहेगा अर्थात् इस समय-सीमा के अंतर्गत 23 जनवरी, 2017 तक एक उपयुक्त निवेशक अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा प्रबंधन में परिवर्तन के प्रयोग को पूरा किया जाएगा जिसके न होने की स्थिति में परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रचलित आईआरएसी मानकों के अनुसार किया जाएगा, यह मानते हुए कि परिसंपत्ति वर्गीकरण में उपरोक्त 'स्टैंड-स्टिल' भी नहीं दिया गया था। जैसा कि 23 जनवरी, 2017 तक किसी निवेशक की पहचान नहीं की गयी थी, परिसंपत्ति वर्गीकरण को अब शेष ऋण को 20% की दर से प्रावधान करने के साथ संदिग्ध श्रेणी के रूप में डाऊनग्रेडेड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के विचार से, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के अद्यतन उपलब्ध लेखापरीक्षित के आधार पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के अंकित मूल्य में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

13.2.7 आरईसी ने सिक्किम में 2x55 मेगावॉट एचईपी के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख उधारदाता के रूप में आईडीएफसी के साथ गेटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 217 करोड़ (31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण राशि - ₹ 198.16 करोड़) का एक ऋण दिया है। 18 मई 2013 को परियोजना के समापन की तिथि (सीओडी) हासिल कर ली गयी है और तभी से यह संक्रियात्मक है। हालांकि, चूंकि कंपनी अल्प अवधि की व्यवस्थाओं के तहत अपनी संपूर्ण बिजली बेच रही है, कम राजस्व की प्राप्ति के कारण परियोजना के नकदी प्रवाहों पर दबाव पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत 5 दिसंबर 2016 के रूप में संदर्भ तिथि के साथ उधारदाताओं ने कार्यनीति ऋण पुनर्गठन (एसडीआर)/ बाह्य एसडीआर के कार्यान्वयन को लागू किया है। एसडीआर/बाह्य एसडीआर की प्रक्रियाधीन है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

13.2.8 आरईसी ने कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत, अग्रणी लेंडर के रूप में पीएफसी के साथ, मैसर्स इंड बैरथ पॉवर (मद्रास) लिमिटेड (आईबीपीएमएल) को ऋण दिया है, जिसमें से 31 मार्च, 2017 के अनुसार बकाया ऋण राशि ₹ 416.21 करोड़ है। तीनों कंसोर्टियम लेंडरों द्वारा आईबीपीएमएल को कुल संवितरण ₹ 947.71 करोड़ था। इसमें से, ₹ 573.99 करोड़ फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में रखा गया था, जो टीआरए से उधारकर्ता द्वारा परियोजना उद्देश्यों से इतर उपयोग किया गया था। 31 दिसंबर 2016 को अकाऊंट एनपीए हो गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (iii) के अनुसार बहियों में 10% प्रावधान राशि अर्थात ₹ 41.62 करोड़ का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना में वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, विवेक के मामले के रूप में, ऋण के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 83.24 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान अद्यतन वैल्यूएशन रिपोर्ट तथा वित्तीय आधार पर लेखा की प्रोविजनिंग की समीक्षा की जाएगी।

13.2.9 आरईसी ने मांडवा, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में 1320 मेगावॉट (2x660 मेगावॉट) थर्मल पॉवर की स्थापना के लिए लैंको ग्रुप द्वारा प्रोन्नत मैसर्स लैंको विदर्भ थर्मल पॉवर लिमिटेड (एलवीटीपीएल) के लिए ₹ 750 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है। 31 मार्च, 2017 के अनुसार बकाया ऋण राशि ₹ 539.56 करोड़ है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.3 (iv) के अनुसार बहियों में ₹ 22.93 करोड़ की राशि का 4.25% प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना की वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, विवेक के मामले के रूप में, ऋण के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 60 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

13.2.10 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, ₹ 2,143.38 करोड़ की बकाया ऋण राशि के साथ एक उधारकर्ता ने अपने ऋण का पूर्व-भुगतान करने का आशय व्यक्त किया है। इसके अलावा, उधारकर्ता ने बकाया ऋण राशि के 40% से अधिक का पूर्व-भुगतान तुलन-पत्र की तिथि से पहले कर दिया है तथा उसने शेष ऋण राशि की अदायगी वित्त वर्ष 2017-18 के अंतर्गत करने संबंधी अपने आशय की सूचना प्रेषित की है। तदनुसार, बकाया ऋण राशि पर विचार, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अनुसार 'करंट' के रूप में किया है।

14. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश**	7.74	6.79
(ख)	**अग्रिम आय कर एवं टीडीएस**	2,800.34	6,633.82
	घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान	2,751.95	6,533.48
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	48.39	100.34
(ग)	**अग्रिम अनुबंध प्राप्य**	143.79	-
(घ)	**व्युत्पन्न अनुबंधों के संबंध मे प्राप्य**	192.10	-
(च)	**12 महीनों से अधिक परिपक्वता की बैंकों में आवधिक जमा**	2.05	2.13
	जोड़ (क से च)	394.07	109.26
	-प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में धारित आवधिक जमा उपरोक्त (ई) में से	2.05	2.13

15. इन्वेंट्रियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**स्टॉक-इन-ट्रेड**	51.14	49.68
(ख)	**कार्य प्रगति पर**	0.04	17.11
	जोड़	51.18	66.79

समेकित लेखा टिप्पणियां

16. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**अप्रतिभूत**		
	6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
	- शोध्य समझे गए	213.15	90.19
	- संदिग्ध समझे गए	2.53	5.87
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2.53	5.87
		-	-
	6 महीने से कम		
	- शोध्य समझे गए	225.25	141.70
	जोड़	438.40	231.89

17. नकदी और बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष रकम	937.97	1,038.01
	- हाथ में नकद (पोस्टेज एवं इम्प्रेस्ट सहित)	0.03	0.01
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	2,482.34	778.54
	- ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश	1,160.00	
	उप-जोड़ (क)	4,580.34	1,816.56
(ख)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	70.45	47.52
	उप-जोड़ (ख)	70.45	47.52
	जोड़ (क+ख)	4,650.79	1,864.08

बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है:		
- बैंकों में अलग खातों में चिहिन्त शेष		
- अप्रदत्त लाभांश हेतु	2.75	2.73
- डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान हेतु	0.51	34.17
- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	2.13	1.77

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 23.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.41 करोड़.) की राशि तथा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के लिए ₹ 5.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.86 करोड़) की राशि चिह्नित की गयी है। (ख) अन्य में - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिह्नित ₹ 1.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.36 करोड़) की जमा राशि शामिल है और स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के लिए ₹ 35.27 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि निर्धारित की गयी थी ।

समेकित लेखा टिप्पणियां

-	प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में धारित आवधिक जमा	33.78	-
-	बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा	0.56	15.86

17.1 कंपनी सभी प्रकार की अदायगी, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अर्थात् एनईएफटी/आरटीजीएस से कर रहा है। हालांकि, केवल कारोबार के सामान्य कोर्स में खर्च हुए कुछ फुटकर व्ययों के लिए, भुगतान नकद रूप में किया जाता है। 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान किए गए और संव्यवहारित विनिर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों (एसबीएन) में लेन-देनों के संबंध में प्रकटीकरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	निर्दिष्ट बैंक टिप्पणियाँ (एसबीएनएस)	अन्य मूल्यवर्ग टिप्पणियाँ	योग
8 नवम्बर 2016 को शेष नकद	0.05	0.01	0.06
जोड़ें: अनुमति की प्राप्तियाँ	-	-	-
घटाएँ: अनुमति का भुगतान	-	0.01	0.01
घटाएँ: बैंक में जमा राशि	0.05	-	0.05
30 दिसंबर 2016 को शेष नकद	-	-	-

18. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम**		
	(क)प्रतिभूत, शोध्य समझे गए		
	- अप्रतिभूत	-	-
	(क)शोध्य समझे गए	**2.89**	3.35
	(ख)संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**0.06**	0.06
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**0.06**	0.06
(ख)	**अन्य**		
	नकदी या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)		
	(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	-	-
	(ख) अप्रतिभूत		
	(क) शोध्य समझे गए	**26.98**	33.80
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**5.59**	2.06
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**5.59**	2.06
	कुल (i)	**26.98**	33.80
	ऋण परिसंपत्तियाँ		
(क)	**प्रतिभूत ऋण**		
	- राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)		
	शोध्य समझे गए	**740.67**	-
	उप-जोड़ (क)	**740.67**	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	-संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	**197.18**	672.22
	- ऋण अन्य		
	- शोध्य समझे गए	**2,651.00**	100.00
	उप-जोड़ (ख)	**2,848.18**	772.22
	कुल (ii)	**3,588.85**	772.22
	सकल जोड़	**3,618.72**	809.37

19. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016के अनुसार
(क)	**दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलनीय (निवल)** (टिप्पणी 13.2 को देखें)	19,429.25	41,788.96
(ख)	**स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल)** (टिप्पणी 13.1 देखें)	11.23	11.17
(ग)	**उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज:**		
	- दीर्घावधि निवेशों पर	14.25	18.40
	- आवधिक जमा पर	7.06	3.20
	उप-जोड़	21.31	21.60
(घ)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	781.26	1,112.89
(च)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	288.31	301.73
(छ)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश**	0.33	0.30
(ज)	**भारत सरकार से वसूलनीय**		
	- डीडीयूजीजेवाई व्यय	9.02	9.71
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि व्यय	0.42	0.37
	उप-जोड़	9.44	10.08
(झ)	**राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलनीय**	35.53	16.15
(ट)	**आयकर वसूलनीय**	1.97	0.18
(ठ)	**कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार**	-	67.30
(ड)	**पूर्व-प्रदत्त व्यय**	16.80	9.90
(ढ)	**अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश**		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	-	0.14
(ण)	**अन्य**	7.38	42.63
	जोड़ (क से ण)	20,602.81	43,383.03

समेकित लेखा टिप्पणियां

20. प्रचालनों से राजस्वः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	22,479.98		23,375.20	
	घटाएंः समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	0.26	22,479.72	1.49	23,373.71
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		455.89		96.95
	उप-जोड़ (क)		22,935.61		23,470.66
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		48.49		24.71
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		147.44		30.50
(iii)	डीडीयूजीजेवाई कार्यान्वयन/अन्य कार्यों के लिए शुल्क		23.86		32.78
	उप-जोड़ (ख)		219.79		87.99
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		98.39		68.21
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		67.13		11.49
(iii)	सीपी/आईसीडी से ब्याज		29.87		-
	उप-जोड़ (ग)		195.39		79.70
(घ)	**वस्तुओं की बिक्री से राजस्व**		326.72		173.36
(च)	**परामर्शी इंजीनियर सेवाओं से आय**		192.96		170.21
(छ)	**आईटी कार्यान्वयन परियोजना के निष्पादन से आय**		74.69		30.96
	जोड़ (क से छ)		23,945.16		24,012.88

21. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय के अन्यत्र)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	24.52	43.23
	- दीर्घावधि निवेशों/आवधिक जमा/अन्य से ब्याज	214.18	52.05
	-आय कर वापसी से ब्याज	9.03	-
	- स्टाफ अग्रिमों से ब्याज	1.52	2.22
	- अनुषंगी कंपनियों/एसपीवी से ब्याज	0.51	0.29
	- आवेदन राशि पर ब्याज	-	0.19
	उप-जोड़ (क)	249.76	97.98
(ख)	**लाभांश आय**		
	- दीर्घावधि निवेश से लाभांश	63.15	2.37
	उप-जोड़ (ख)	63.15	2.37
(ग)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से निवल लाभ**	79.75	12.29

समेकित लेखा टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय के अन्यत्र)**		
(घ)	**स्वैप के फेयर वैल्यू में बदलाव**	324.77	-
(च)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- प्रावधान एवं देयताएँ जिन्हें राइट बैक करने की आवश्यकता नहीं	2.87	1.04
	- विविध आय	20.54	3.37
	उप-जोड़ (च)	23.41	4.41
	जोड़ (क से च)	740.84	117.05

22. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	-	0.15
	- बॉण्डों पर	11,743.83	11,369.39
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	106.47	134.18
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर	1,423.65	1,616.97
	- कमर्शियल पेपर पर	300.46	285.91
	- एआरईपी सब्सिडी पर	-	0.04
	- अग्रिम आयकर पर कर	3.28	0.46
	-अन्य	0.18	-
	उप-जोड़ (क)	13,577.87	13,407.10
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	18.25	19.14
	- पब्लिक इश्यू व्यय	-	0.70
	- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	0.80	1.04
	- बॉण्डों की ब्रोकरेज	15.68	19.33
	- बॉण्डों/शेयरों पर स्टाम्प शुल्क	5.59	3.88
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	80.88	157.80
	उप-जोड़ (ख)	121.20	201.89
(ग)	**निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय क्षति**	87.29	673.36
	जोड़ (क से ग)	13,786.36	14,282.35

23. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	130.39	101.50
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	13.58	12.44
- उपदान	15.30	0.57
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	17.21	15.33
- कर्मचारी कल्याण व्यय	16.27	13.35
जोड़	192.75	143.19

समेकित लेखा टिप्पणियां

कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना 01 जनवरी, 2017 से देय है। भारत सरकार द्वारा परिशोधित वेतनमानों और अन्य हितलाभों की लंबित अंतिम अधिसूचना के संबंध में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा गठित तृतीय वेतन परिशोधन समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन बकायों के लिए वर्ष के दौरान ₹ 14.59 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों, जिनके लिए इन सिफारिशों के अनुरूप बकायों को भी विचारा गया है, के संबंध में किया गया प्रावधान शामिल है। कर्मचारियों के हितलाभों के बीमांकिक मूल्यांकन को भी प्रस्तावित वेतनमानों के आधार पर क्रियान्वित किया गया है।

24. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	65.78	116.81
- ओवर हैडस्	3.16	3.48
जोड़	**68.94**	**120.29**

24.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि (₹ करोड़ में) :

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष			31.03.2016 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है *	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है *	कुल
(i)	**किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण**	-	-	-	-	-	-
(ii)	**उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर**	68.94	-	68.94	99.07	21.22	120.29

* उपलब्ध करायी गयी राशि को दर्शाता है।

25. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		13.60		12.85
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		16.53		11.70
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	2.89		3.18	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	4.85		4.64	
- अन्य	2.72	10.46	1.20	9.02
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		7.04		4.92
- दरें और कर		1.27		0.44
- बिजली और ईंधन		2.34		2.30
- बीमा खर्च		0.19		0.05
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		2.86		2.12
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		1.24		1.09
- विधिक परामर्शी सेवा प्रभार		7.72		5.13

समेकित लेखा टिप्पणियां

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
- परियोजना व्यय		96.64		70.31
- वितरण खर्च		25.96		13.77
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.52		0.38
- विविध व्यय		34.21		30.31
जोड़		220.58		164.39

25.1 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.65	0.49
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.14	0.09
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.24	0.21
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी		
(i) सरकारी निर्गम/ एमटीएन व्यवस्था के लिए ऑफर दस्तावेज का प्रमाणन	0.07	0.12
(ii) अन्य प्रमाणन	0.04	0.03
- किए गए व्यय	0.05	0.09
- सेवा कर अंगभूत	0.05	0.05
जोड़	1.24	1.08

उपरोक्त आंकड़ों में पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ₹ 0.06 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) लेखापरीक्षा शुल्क और कर लेखा परीक्षा शुल्क ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं।

25.2 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
अर्जन	1.27	0.16
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	1.17	0.49
- ब्याज	462.70	551.84
- वित्त प्रभार	68.61	130.91
- अन्य व्यय	3.11	3.11
जोड़	535.59	686.35

समेकित लेखा टिप्पणियां

25.3 समूह कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए पट्टे पर स्थल लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 8.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.60 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.99 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	**0.36**	**6.51**	0.36	5.85
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	**0.26**	**8.03**	0.62	6.71
5 वर्ष से अधिक	**-**	**6.83**	-	4.73
जोड़	**0.62**	**21.37**	**0.98**	**17.29**

26. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**626.43**	651.18
मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	**64.03**	52.51
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष प्रावधान	**419.85**	369.57
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ब्याज हेतु प्रावधान	**-**	3.96
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**-**	16.00
परियोजना लागत संशोधन की आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	**-**	2.96
जोड़	**1,110.31**	**1,096.18**

27. इनवेंटरियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
स्टाक-इन-ट्रेड		
आरंभिक शेष	**56.83**	-
अंतशेष	**51.14**	49.68
स्टाक-इन-ट्रेड की इनवेंटरियों में परिवर्तन	**5.69**	(49.68)
प्रगति के अधीन कार्य		
आरंभिक शेष	**17.11**	-
अंतशेष	**0.04**	17.11
प्रगति के अधीन कार्य की इनवेंटरियों में परिवर्तन	**17.07**	(17.11)
जोड़	**22.76**	**(66.79)**

समेकित लेखा टिप्पणियां

28. पूर्व अवधि मदें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
- यात्रा और वाहन (टिप्पणी 28.1 के संदर्भ में)	(1.01)	-
- अन्य	(0.50)	0.39
जोड़	(1.51)	**0.39**

28.1 वर्ष के दौरान, कंपनी के संज्ञान में ट्रैवल एजेंट द्वारा हवाई टिकट के बिलों का अधिक चार्ज करने का एक मामला आया था। पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान यात्रा व्यय की अतिरिक्त बुकिंग को सुधारा गया है और परिणामी राशि को खाता बहियों में ट्रैवल एजेंट से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया है।

29. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (करोड़ ₹ में)	6,313.37	5,691.42
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,97,49,18,000	1,97,49,18,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में)	31.97	**28.82**

शेयरधारकों के अनुमोदन के अनुसरण में, कंपनी ने 30 सितंबर 2016 को प्रत्येक ₹ 10/- के विद्यमान एक इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक ₹ 10/- के एक इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर आबंटित किए थे। तदनुसार, प्रति शेयर आय (ईपीएस) (मूल और डायल्यूटेड) को, लेखाकरण मानक-20 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई पिछली अवधियों के लिए पुन: घोषित किया गया है।

30. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

30.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(क)	**कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।**	97.63	58.28
(ख)	**गारंटियां**	35.32	28.04
(ग)	**अन्य**		
	- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	173.36	461.56

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 2.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.86 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 95.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 54.42 करोड़) की रकम भी शामिल है। कंपनी कर की मांगों के लिए लड़ रही है और प्रबंधन का यह विश्वास है कि अपलीय प्रक्रिया में कंपनी की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के निष्कर्ष पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

समेकित लेखा टिप्पणियां

30.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष	**376.28**	372.20
- अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष	**2.60**	2.84
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**145.99**	89.44

31. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

32. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 सितंबर, 2016 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीआर पीडी.008/03.10.119/2016-17 के अनुच्छेद संख्या 2(3) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर-बैकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015" की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुर्देशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

33. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमश: 30% और 50% होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 16 जून 2016 के अपने पत्र सं. डीएनबीआर.पी.डी.सीओ. संख्या 2184/03.10.001/2015-16 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के संकेद्रीकरण क्रेडिट/निवेशों के मानदंडों को लागू किए जाने से 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्तियें के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो एंटिटी के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2016 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण

समेकित लेखा टिप्पणियां

प्रकटीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण प्रकटीकरण सीमा से अधिक नहीं था।

34. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

क. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखाकरण के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 16 को परिशोधित कर दिया है ताकि इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी' जो 01 अप्रैल, 2016 से लागू हो गयी है, के अनुरूप किया जा सके। दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार, ₹ 45.92 करोड़ के करों की नेटिंग के उपरांत ₹ 86.75 करोड़ की राशि को आरक्षित के प्रारंभिक शेष में समायोजित किया गया है, जो 31 मार्च, 2016 तक के ब्याज दर विनिमयों के उचित मूल्य के परिवर्तन को निरूपित करता है। इसके अलावा, परिशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, लाभ और हानि के विवरण के संबंध में ₹ 324.77 करोड़ के ब्याज दर स्वैप पर उचित मूल्य लाभ को बुक किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिरक्षित ऋणों पर विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तनों के संव्यवहार और तदनुरूपी व्युत्पन्न संविदाओं पर लेखाकरण नीति को भी लेखाकरण मानक-11 के अनुसार, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर, ऐसी मदों की शेष अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव हानि/(लाभ) के परिशोधन हेतु विद्यमान लेखाकरण नीति के अनुरूप परिशोधित कर दिया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती वर्षों में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव की हानि से संबंधित ₹ 29.79 करोड़ तथा चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के लाभ से संबंधित ₹ 6.69 करोड़ की राशि को, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की वित्तीय लागत में समायोजित कर दिया गया है।

लेखाकरण नीतियों में इन परिवर्तनों के कारण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में कर पूर्व लाभ ₹ 301.67 करोड़ अधिक है।

ख. समूह कंपनियाँ

आरईसी की एक अनुषंगी कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने वर्तमान वर्ष में अपने वार्षिक कारोबार में 2% की दर से परियोजना लागत संशोधन के आकस्मिक व्यय में प्रावधान की नीति को समाप्त कर दिया है। लेखाकरण नीतियों में इन परिवर्तनों के कारण, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 3.65 करोड़ अधिक है।

इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल ने प्रूडेंस के आधार पर वास्तविक प्रावधान के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रतिशत आधारित प्रावधान किए जाने की अपनी मौजूदा नीति में परिवर्तन किया। लेखाकरण नीतियों में इन परिवर्तनों के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 2.72 करोड़ अधिक है।

35. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

35.1 पुनर्गठित लेखाओं का ब्योरा जिन पर आरबीआई के मानदंडों के अनुसार पुनर्गठित प्रावधान लागू हैं, इसके प्रावधानों सहित, नीचे दिये गए हैं

(₹ करोड़ में)

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(1)	1 अप्रैल 2016 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					10	4	-	-	14	10	4	-	-	14
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						21,058	2,179	-	-	23,238	21,058	2,179	-	-	23,238
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						821	218	-	-	1,039	821	218	-	-	1,039
(2)	प्रारम्भिक शेष में प्रदर्शित लेखा में शेष का संचालन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					9	2	-	-	11	9	2	-	-	11
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						3,974	(3)	-	-	3,971	3,974	(3)	-	-	3,971
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						425	-	-	-	426	425	-	-	-	426
(3)	वर्ष के दौरान नया पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					3	1	-	-	4	3	1	-	-	4
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						3,167	9	-	-	3,176	3,167	9	-	-	3,176
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						158	1	-	-	159	158	1	-	-	159
(4)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी का उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					2	-	-	-	2	2	-	-	-	2
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						54	-	-	-	54	54	-	-	-	54
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						3	-	-	-	3	3	-	-	-	3

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर/एसएमई तंत्र के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	परिसंपत्ति वर्गीकरण ब्योरा		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
(5)	पुनर्गठित मानक अग्रिम जो वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार को आकृष्ट करना स्थगित कर देते हैं और इसीलिए जिन्हें अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित की आवश्यकता नहीं होती है	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					(1)	(2)	-	-	(3)	(1)	(2)	-	-	(3)
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						(4,758)	(54)	-	-	(4,812)	(4,758)	(54)	-	-	(4,812)
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						(167)	(6)	-	-	(172)	(167)	(6)	-	-	(172)
(6)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित लेखाओं का निम्न श्रेणीकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	(1)	1	-	-	-	(1)	1	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	(1,345)	1,345	-	-	-	(1,345)	1,345	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	(134)	269	-	135	-	(134)	269	-	135
(7)	वर्ष के दौरान पुनर्गठित राइट ऑफ लेखाएँ	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(8)	31 मार्च 2017 के अनुसार पुनर्गठित लेखा	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य					14	2	1	-	17	14	2	1	-	17
		बकाया राशि (पुनर्गठित सुविधा)						23,496	786	1,345	-	25,627	23,496	786	1,345	-	25,627
		बकाया राशि (अन्य सुविधा)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इसके बारे में प्रावधान						1,241	79	269	-	1,589	1,241	79	269	-	1,589

समेकित लेखा टिप्पणियां

35.2आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 13 और 18 में वर्गीकृत) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
	परिसंपत्ति वर्गीकरण	**शेष ऋण**	**ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित प्रावधान**	**शेष ऋण**	**ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित प्रावधान**
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
(क)	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	**23,495.57**	**1,241.19**	21,058.26	821.34
(ख)	उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**1,73,560.42**	**607.46**	1,75,976.46	543.43
	उप-जोड़ (i)	**1,97,055.99**	**1,848.65**	**1,97,034.72**	**1,364.77**
(ii)	**अनर्जक परिसंपत्तियां**				
(क)	उप-मानक परिसंपत्तियां *	**1,226.75**	**205.92**	2,908.19	291.01
(ख)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	**3,628.71**	**1,412.20**	1,318.16	705.04
(ग)	परिसंपत्तियों में क्षति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	उप-जोड़ (ii)	**4,872.68**	**1,635.34**	4,243.57	1,013.27
	जोड़	**2,01,928.67**	**3,483.99**	**2,01,278.29**	**2,378.04**

* इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष 811.33 करोड़) ऋण तथा उसके संबंध में प्रोविजनिंग के ₹ 77.70 करोड़ (पिछले वर्ष 81.27 करोड़) की राशि शामिल है।

टिप्पणी: (i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. बी 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

35.3 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
- विद्युत क्षेत्र *	**2.41%**	2.11%

* इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत 0.38% (पिछले वर्ष 0.40%) का ऋण कुल ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष 811.33 करोड़) की राशि शामिल है।

35.4 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**1.62%**	**1.61%**
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,243.57**	1,335.38
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**686.56**	2,910.13
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**57.44**	1.94
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**4,872.69**	4,243.57
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,230.30**	969.93
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**56.25**	2,262.31
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**49.20**	1.94

समेकित लेखा टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	3,237.35	3,230.30
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,013.27	365.45
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	630.31	647.82
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	8.24	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	1,635.34	1,013.27

टिप्पणी- उपरोक्त आंकड़ों के समाप्ति पर पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (सकल) (पिछले वर्ष 811.33 करोड़) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 77.70 करोड़ (पिछले वर्ष 81.27) की राशि शामिल है।

36. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोज़र

36.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

31.03.2017 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

36.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	520.05	119.25
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	6.15	6.15
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	526.20	125.40

समेकित लेखा टिप्पणियां

36.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2017 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित की जाती हैं।

37. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	अग्रिमों का संकेंद्रण		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,11,916.90**	1,17,632.78
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**55.42%**	58.44%
(ii)	एक्सपोज़रों का संकेंद्रण		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,97,327.07**	1,94,864.96
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**60.34%**	58.54%
(iii)	एनपीए का संकेंद्रण *		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**3,444.72**	3,444.72
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	**3,444.72**	3,444.72

* इसमें डीसीसीओ की पुनर्व्यवस्था/अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष 777.00 करोड़) का ऋण शामिल है।

38. कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है।

39. वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

40. भारत सरकार ने निम्नलिखित अंगभूतों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडिल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

41. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों दे दी गयी हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

42. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
वर्ष के अंत में प्रदत्त किंतु देय शेष मूलधन	**0.30**	4.21
वर्ष के अंत में उस पर देय ब्याज	**0.06**	0.14
वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से परे पूर्तिकार को की गयी भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज	**-**	-
भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज किंतु इसमें एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	**-**	0.11
वर्ष के अंत में उपचित और शेष अप्रदत्त ब्याज	**0.06**	0.14
उत्तरवर्ती वर्षों में ऐसी तिथि तक, शेष देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमियों को नहीं किया जाता है	**-**	-

43. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

43.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**41,664.18**	24,770.59
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**628.07**	1,529.12
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**शून्य**	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**नीचे टिप्पणी देखें**	नीचे टिप्पणी देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**273.61**	1,223.39

टिप्पणी: गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी- I, केवल अधिकृत डीलर बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

43.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

43.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

43.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेज़िंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम** - बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम** - तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम** - प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम** - विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम** - नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

43.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न *		ब्याज दर व्युत्पन्न **	
		31.03.17 के अनुसार	**31.03.16 के अनुसार**	**31.03.17 के अनुसार**	**31.03.16 के अनुसार**
(i)	**व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)**	**18,482.32**	**17,876.79**	23,181.86	6,893.80
	प्रतिरक्षण हेतु				
(ii)	**बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित**				
(क)	परिसंपत्ति (+)	**370.75**	**1,487.63**	257.32	41.49
(ख)	देयता (-)	**289.24**	**131.57**	65.22	174.16
(iii)	**क्रेडिट एक्सपोज़र**	**18,482.32**	**17,876.79**	23,181.86	6,893.80
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	**2,598.22**	**4,046.93**	लागू नहीं	लागू नहीं

* इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।

** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।

44. 31 मार्च, 2017 के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति निम्नवत है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	कुल अनावरण		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित अनावरण	
	31.03.2017 के अनुसार	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.17 के अनुसार**	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2017 के अनुसार**	**31.03.2016 के अनुसार**
जेपीवाई ¥	26,059.52	30,014.85	23,985.15	27,940.48	2,074.37	2,074.37
यूरो €	139.74	159.15	99.35	125.02	40.39	34.13
अमेरिकी डॉलर $	2,885.00	2,855.00	2,530.00	2,500.00	355.00	355.00
सीएचएफ (स्विस फ्रैंक)	-	200.00	-	-	-	200.00

समेकित लेखा टिप्पणियां

44.1लेखाकरण नीति बी-14 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गयी है:

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	सीएचएफ/ आईएनआर
31.03.2017 के अनुसार	64.8386	0.5796	69.2476	-
31.03.2016 के अनुसार	66.3329	0.5906	75.0955	68.9249

45. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

डॉ. पी. वी. रमेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 5 जनवरी 2017 से
श्री बी. पी. पाण्डेय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 1 अक्टूबर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक
श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 30 सितंबर 2016 तक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे.एस.अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(2) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित की गयी है तथा दिनांक 25.05.2016 के प्रमाण पत्र के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित की गयी है तथा दिनांक 16.07.2016 के प्रमाण पत्र के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड - 21.04.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं एसजी 4 एल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 31.03.2017 को यह कंपनी, मैसर्स स्टॅरलाइट ग्रिड 4 लिमिटेड (एसजी4एल) को हस्तांतरित की गयी।

एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड - 18.08.2015 निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड और ईआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 22.08.2016 को यह कंपनी, मैसर्स इस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड (ईआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड - 27.11.2015 को निगमित की गयी तथा आरईसीटीपीसीएल, नार्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड एवं एटीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 08.07.2016 को यह कंपनी, मैसर्स अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) को हस्तांतरित की गयी।

खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड - 28.11.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं स्टॅरलाइट के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 22.08.2016 को यह कंपनी, मैसर्स स्टॅरलाइट ग्रिड 4 लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी।

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड - 02.12.2015 को निगमित।

घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड- 02.12.2016 को निगमित।

ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड-11.01.2017 को निगमित।

डब्ल्यूआरएनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड-12.01.2017 को निगमित।

समेकित लेखा टिप्पणियां

संबंधित पक्षों से/को देय राशि का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.10**	0.10
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.50**	0.83

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का ब्योरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	-	0.01
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.06**	0.53
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.03**	0.04
वित्तीय लागत		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	**0.01**	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**2.09**	2.33

46. लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक पंजीकृत ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है। वर्ष के दौरान निवेश पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों के अंशदान पर न्यास ब्याज की दर निर्धारित करता है। चूंकि अधिनियम में निधि के सदस्यों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम ब्याज को निर्धारित नहीं किया गया है इसीलिए इसे लेखाकरण मानक 15 के प्रावधान के अनुसार परिभाषित अंशदान के रूप में माना गया है।

आरईसीपीडीसीएल एवं ईईएसएल के मामले में कोई अलग ट्रस्ट नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्यकृत राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**भविष्य निधि**	**8.05**	7.25
(ii)	**परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना**	**5.46**	5.10
	जोड़	**13.51**	12.35

समेकित लेखा टिप्पणियां

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। योजना का निधिपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ईईएसएल के केस में लेखा पुस्तिका में उपदान भुगतान अधिनियम 1972 के उपबंधों के अनुसार कोई अलग ट्रस्ट एवं उपदान के लिए देयता पदत नहीं है तथा बीमाकंन मूल्याकंन के आधार पर देयता की पहचान की जाती है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (उसके पति/(पत्नी सहित) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
चालू सेवा लागत	**2.25**	2.05	**1.63**	1.45	**0.06**	0.05
ब्याज लागत	**3.00**	3.05	**6.93**	6.21	**0.10**	0.10
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.97**	3.03	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00
बीमांकित (लाभ)/ हानि	**11.42**	(1.50)	**8.65**	7.67	**(0.02)**	(0.03)
अभिस्वीकृत व्यय *	**13.70**	0.57	**17.21**	15.33	**0.14**	0.12

* ईईएसएल के संबंध में ₹ 0.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की राशि शामिल है।

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**50.80**	37.42	**97.15**	86.62	**1.27**	1.22
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	**-**	-	**-**	-
निवल परिसंपत्तियों/ (दायित्व) अभिस्वीकृत	**(14.73)**	**(1.78)**	**(97.15)**	**(86.62)**	**(1.27)**	**(1.22)**

* ईईएसएल के संबंध में ₹ 0.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.08 करोड़) की राशि शामिल है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**37.43**	38.21	**86.62**	77.61	**1.22**	1.20
ब्याज लागत	**3.00**	3.05	**6.93**	6.21	**0.10**	0.10
चालू सेवा लागत	**2.25**	2.05	**1.63**	1.45	**0.06**	0.05
प्रदत्त हितलाभ	**(3.30)**	(4.42)	**(6.68)**	(6.32)	**(0.09)**	(0.10)
दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	**11.42**	(1.47)	**8.65**	7.67	**(0.02)**	(0.03)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य*	**50.80**	37.42	**97.15**	86.62	**1.27**	1.22

* ईईएसएल के संबंध में ₹ 0.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.08 करोड़) की राशि शामिल है।

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.48**	36.25	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**2.97**	3.03	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**0.53**	0.62	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**-3.29**	-4.42	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	**-**	-	**-**	-

उपदान के समक्ष देयता के लिए निधिपोषित स्थिति और अनुभव का समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.17	31.03.16	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	**50.80**	37.42	38.16	38.07	37.85
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.69**	35.48	36.25	35.94	35.14
निधिपोषित स्थिति	**(15.11)**	**(1.94)**	**(1.91)**	**(2.13)**	**(2.71)**
अनुभव समायोजन;					
लाभ/(हानि):					
योजनागत देनदारियों पर अनुभव समायोजन	**(10.26)**	1.51	1.17	0.68	(0.01)
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	**-**	(0.23)	(0.40)	(0.30)	0.58

समेकित लेखा टिप्पणियां

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
सेवा एवं ब्याज लागत	**0.84**	1.25	**(1.34)**	(0.84)
पीबीओ (अंत में)	**12.14**	11.93	**(9.86)**	(8.45)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर *	**7.50%**	8.00%	**7.50%**	8.00%	**7.50%**	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**8.20%**	8.36%	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.00%**	6.00%	**6.00%**	6.00%	**6.00%**	6.00%

* ईईएसएल के मामले में, बट्टा दर को 7.35% के हिसाब से अनुमानित किया गया है।

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यत: एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

47. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामत: पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) और मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

पूर्ववर्ती तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। पूर्ववर्ती टीएनईबी की उत्तराधिकारी एंटिटी को परिसंपत्ति अंतरण और देयताएं लागू करने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अंतरिती एंटिटी अंतरिम अंतरण योजना के अनुसार कंपनी के बकाया ऋण का भुगतान कर रहे हैं।वित्त-वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप से तैयार करने के पश्चात अंतिम ऋण अंतरण करारों के निष्पादन के लिए आरईसी द्वारा अग्रिम उपाय किए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुन:स्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजी जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

48. विद्युत मंत्रालय ने अत्यधिक ऋण और हानियों के बोझ से जूझ रही वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराऊंड के लिए एक योजना 'उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना' (उदय) की शुरूआत की। उदय योजना पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार राज्य, वितरण कंपनी के 75% ऋण को 2 वर्षों के दौरान ग्रहण करेंगे ।

योजना के तहत अब तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, हिमांचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की वितरण कंपनियों ने उनके बकाया ऋण ₹ 42,700 करोड़ की रकम का पहले से भुगतान कर दिया है ।

49. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

50. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (टियर-I पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए / के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए / के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	21.18%	20.38%
(ii)	सीआरएआर - टियर-I पूंजी (%)	18.43%	17.48%
(iii)	सीआरएआर - टियर-II पूंजी (%)	2.75%	2.90%
(iv)	टियर-II पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबऑर्डिनेट ऋण की राशि (करोड़ ₹ में)	-	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (करोड़ ₹ में)	-	-

51. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरूप:

(₹ करोड़ में)

31.03.2017 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	1,201	-	403	1,103	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	3,244	-	366	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	2,479	-	326	89	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

31.03.2017 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	5,437	-	9,854	102	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	11,903	184	5,772	157	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,419	189	46,646	13,161	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	35,976	-	33,475	6,325	-	-
5 वर्षों से अधिक	1,03,270	2,260	49,826	248	-	-
जोड़	**201,929**	**2,633**	**146,667**	**21,184**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

31.03.2016 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	2,798	-	2,118	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	1,971	-	2,999	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	6,610	-	2,366	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	21,395	-	8,256	1,473	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	10,543	149	11,539	1,579	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	36,506	189	36,540	7,828	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	34,735	94	27,305	10,716	-	-
5 वर्षों से अधिक	86,720	1,920	56,100	296	-	-
जोड़	**2,01,278**	**2,352**	**1,47,222**	**21,989**	**-**	**-**

52. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा अपेक्षित समेकित एंटिटियों के संबंध में प्रकटीकरण (अंतरसमूह लेन-देन के समायोजन के पश्चात):

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल संपत्तियों में से कुल देनदारियों को घटाकर		लाभ या हानि में शेयर	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	**मूल**				
	रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड	98.75%	33,251.45	99.11%	6,257.02
(2)	**अनुषंगी कंपनी - भारत**				
1.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.44%	146.94	0.19%	11.80
2.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लि.	0.29%	96.30	0.46%	29.10
(3)	**संयुक्त उपक्रम – भारत**				
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.52%	175.87	0.24%	15.45
	जोड़	**100.00%**	**33,670.56**	**100.00%**	**6,313.37**

समेकित लेखा टिप्पणियां

53. समूह कंपनियों की विभिन्न लेखाकरण नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण

(i) आरईसीपीडीसीएल ने, वर्ष के दौरान, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से कुछ निश्चित अचल परिसंपत्ति मद- कैमरा, जीपीएस, दूसरी ओर वायरलेस डिवाइस के अतिरिक्त विद्यमान भिन्न लाभदायक कार्यकाल के कुछ निश्चित अचल परिसंपत्ति मद मोबाइल/टेबलेट, फर्नीचर एवं फिक्चर्स और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भिन्न लाभदायक कार्यकाल अवधि को अंगीकार कर लिया है। लेखांकन नीति में बदलाव के कारण पहले के टैक्स लाभ वित्तीय वर्ष 2016-17 में 0.05 करोड़ कम है।

(ii) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के मामले में, सेल फोन पर मूल्यह्रास की जानकारी, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त, विभिन्न दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2016-17 के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित की गयी, वर्ष के दौरान प्रभारित सेल फोन पर, संयुक्त उपक्रम, ईईएसएल में कंपनी के शेयर से संबंधित मूल्यह्रास और सकल ब्लॉक की कुल राशि ₹ 0.14 करोड़ तथा ₹ 0.03 करोड़ है, जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(iii) ईईसीएल के मामले में कंपनी का संयुक्त उपक्रम, दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मद की रिपोर्टिंग पर होने वाली विनिमय अंतर

(क) मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों के आधार पर आधार पर निर्धारण मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों की लागत के समायोजन से की गई है।

(ख) अन्य दूसरे मामलों में लाभ एवं हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

54. विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.01.2014 की अधिसूचना संख्या 15/9/2013 पारे तथा दिनांक 09.02.2015 की अधिसूचना संख्या 100/1/ईसी(33)/एसपी एवं पीए/2013 के जरिए क्रमशः दो स्पेशल पर्पज व्हीकल्स नामतः नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड और बैरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड को डिनोटिफाई किया गया था। डिनोटीफिकेशन के फलस्वरूप उक्त दोनों स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के द्वारा "फास्ट ट्रैक इक्जिट" मोड के जरिए विलय के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड और बैरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड क्रमशः 25.05.2016 और 16.07.2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के कंपनी महापंजीयक के रजिस्टर से हटा लिए गए थे।

55. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

56. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य) ।

57. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं है (पिछले वर्ष शून्य)।

58. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

59. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 59 तक की टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कर-पूर्व निवल लाभ	**8,972.36**		8,146.66	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.52**		0.38	
2. मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**39.69**		19.67	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,110.31**		1,096.18	
4 कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**300.46**		285.91	
5. विविध उधारियों का ब्याज व्यय	**15.79**		3.90	
6. रिटन बैक पर अधिक प्रावधान	**-1.42**		-0.09	
7. स्वैप ब्याज दर के फेयर वैल्यू में बदलाव पर लाभ	**-324.77**		-	
8. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-79.75**		-12.29	
9. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ(-)	**47.37**		666.13	
10. निवेशों से लाभांश	**-63.15**		-2.37	
11. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	**-239.22**		-95.76	
12. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**2.82**		-	
13. बट्टे खाते डाले गए बॉण्डों पर छूट	**0.14**		3.99	
14. जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**82.45**		76.17	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**9,863.60**		10,188.48	
वृद्धि/कमी:				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-650.38**		-21,733.35	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**147.43**		-229.95	
3. प्रचालन देयताएं	**13.87**		1,029.90	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**9,374.52**		-10,744.92	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,592.07**		-2,575.09	
2. आयकर वापसी	**22.07**		42.00	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**6,804.52**		-13,278.01
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.06**		0.85	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी, विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं)	**-203.19**		-259.41	
3. एनर्जीप्रो असेट्स लि. के शेयरों में निवेश	**-0.60**		-	
4 इंडियन बैंक के 11.15% अतिरिक्त टियर- I मियादी बॉण्ड में निवेश	**-**		-500.00	
5. विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर- I मियादी बॉण्ड में निवेश	**-**		-500.00	
6. सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर- I मियादी बॉण्ड में निवेश	**-**		-500.00	

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
7. एनएचपीसी लि. (बिक्री का निवल) के शेयरों में निवेश	-400.80		-	
8. मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बॉण्ड-II का विमोचन	94.32		94.32	
9. दीर्घकालिक निवेशों की बिक्री	76.65		762.53	
10. निवेशों की बिक्री/विमोचन से ब्याज	79.75		12.29	
11. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	242.43		114.96	
12. निवेशों से लाभांश	66.54		3.05	
13. साथी अनुषंगी कंपनियों के शेयरों में निवेश	0.05		-0.10	
14. कर मुक्त बांडों/अन्यों में निवेश	-		-26.28	
15. वर्ष के दौरान की गयी मियादी जमा	-38.12		-1.25	
16. वर्ष के दौरान परिपक्व मियादी जमा	16.95		-43.34	
17. सीपी/सीडीएस (निवल) में निवेश	-35.00		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		-100.96		-755.70
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. शेयर आवेदन शुल्क सहित शेयरों का निर्गम	31.39		-	
2. बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	5,871.66		14,969.28	
3. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	-881.04		-308.65	
4 विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल और संबंधित व्युत्पन्न भुगतानों का समावेश)	-833.33		-2,607.56	
5. ब्याज सहित सब्सिडी/अनुदान के रूप में आगे वितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (वापसी का निवल)	8,027.15		4,436.52	
6. अनुदानों का संवितरण	-8,039.66		-4,691.45	
7. सरकारी ऋण की चुकौती	-		-3.07	
8. अंतिम लाभांश की अदायगी	-506.99		-266.61	
9. अंतरिम लाभांश की अदायगी	-1,382.44		-1,184.95	
10. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-384.66		-295.51	
11. विविध उधारियों पर प्रदत्त ब्याज	-15.73		-3.90	
12. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	-		0.28	
13. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	-5,833.16		5,246.79	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		-3,946.81		15,291.17
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		2,756.75		1,257.46
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		1,823.59		559.10
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		4,580.34		1,816.56

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
- **हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)**		**0.03**		0.01
- **निम्न के संबंध में बैंको में शेष:**				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते		**934.71**		1,001.11
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई, एजीएंडएसपी, राष्ट्रीय विद्युत निधि और अन्य अनुदान #		**0.51**		34.17
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #		**2.75**		2.73
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा		**2,482.34**		778.54
- ऋण म्यूचुअल फंड में अल्पावधि निवेश		**1,160.00**		-
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**4,580.34**		1,816.56

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखी चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 2.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.77 करोड़) अनुदान संवितरण के लिए अलग से शामिल हैं और अनुसूसचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 23.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.41 करोड़) शामिल हैं जो डीडीयूजीजेवाई अनुदान एवं अन्य अनुदान के लिए चिह्नित हैं तथा ₹ 5.64 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.86 करोड़) स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) परियोजना के लिए चिहिन्त हैं।

टिप्पणीः जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित और पुनःसमूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

प्रपत्र एओसी - 1

वर्ष 2016-17 के लिए विवरण जिसमें अनुषंगी कंपनियों/एसोसिएटों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1	क्रमांक	I	II	III	IV	V	VI
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड*	डब्ल्यूआर-एन आर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड*
	वह तिथि जबसे अनुषंगी कंपनी अधिग्रहीत की गयी	12-07-2007	08-01-2007	02-12-2015	02-12-2016	11-01-2017	12-01-2017
4	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
7	आरक्षित एवं अधिशेष	157.79	157.81	-	-	-	-
8	कुल परिसंपत्तियां	230.79	162.32	0.88	1.30	0.47	0.45
9	कुल देयताएं	72.95	4.46	0.83	1.25	0.42	0.40
10	निवेश	15.44	121.48	-	-	-	-
11	टर्नओवर	191.57	52.38	-	-	-	-
12	कर पूर्व लाभ/(हानि)	60.67	49.86	-	-	-	-
13	कर हेतु प्रावधान	20.34	15.40	-	-	-	-
14	कर पश्चात लाभ/(हानि)	40.33	34.46	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-
16	शेयरधारिता %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

* अ-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित।

1. अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं:

31 मार्च 2017 के अनुसार, आरईसी ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीपीटीसीएल) की चार अनुषंगी कंपनियों नामत: दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ईआरएसएस XXI ट्रांसमिशन लिमिटेड, डब्ल्यूआर-एन आर पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड के प्रचालन अभी शुरू किए जाने हैं।

2. अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है:

(i) निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त/हटा दिया गया है:

क्रम संख्या	अनुषंगी कंपनी के नाम	स्ट्राइक ऑफ करने की तिथि
1.	नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	25.05.2016
2.	बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.07.2016

(ii) निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियां जिन्हें व्यापार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विक्रय कर दिया गया है

क्रम संख्या	अनुषंगी कंपनी के नाम	विक्रय की तिथि
1.	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड	08.07.2016
2.	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.08.2016
3.	खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.08.2016
4.	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2017

भाग खः एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

	एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम का नाम	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31-मार्च-16
2	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2017 को कंपनी द्वारा प्रतिधारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	संख्या	14,65,00,000
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	146.50
	होल्डिंग की सीमा (%)	31.71%
3	किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	होल्डिंग 31.71% तथा प्रबंधन में भागीदारी
4	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को क्यों समेकित नहीं किया गया है, का कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता हेतु आरोप्य निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	59.89
6	2016-17 वर्ष के लिए लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	
i	समेकित समझा गया	15.72
ii	समेकित नहीं समझा गया	शून्य

31 मार्च, 2016 के अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को शेयर आवेदन राशि के रूप में 99.00 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। ईईएसएल ने 25 अप्रैल, 2016 को प्रत्येक 10 के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए हैं तथा तदनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी के शेयर 28.79% बढ़कर 31.71% हो गये हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

पी वी रमेश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 02836069

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए. आर. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

श्रेय गुप्ता
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

अनिल गौर
भागीदार
सदस्यता सं. 017546

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 मई, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) के अनुरोध पर दिनांक 30 मई, 2017 की हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में, इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, विशेषकर कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में, संशोधित रिपोर्ट जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त, हम पुष्टि करते हैं कि पहले की रिपोर्ट में व्यक्त किए गए वित्तीय विवरणों के वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और 31 मार्च 2017 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियां, जिन्हें "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (यहां इसके उपरांत इसे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के साथ समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव तथा कपट और अन्य अनियमितताओं को पता लगाना एवं उनका निवारण करना; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और अनुप्रयोग; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित हैं, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ किया गया है, शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में होल्डिंग कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें, जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता। लेखापरीक्षा

में, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की समुचितता तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम यह मानते हैं कि हमारे द्वारा जुटाए गये लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा "अन्य मामले" के उप-अनुच्छेद (क) में उनकी संदर्भित रिपोर्ट के संबंध में जुटाए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, पर्याप्त हैं तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, 31 मार्च, 2017 के अनुसार समूह, संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी के मामलों की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाहों के समनुरूप वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य मामले

(क) हमने दो अनुषंगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2017 के अनुसार ₹ 391.65 करोड़ (पिछले वर्ष 347.67 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 243.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 195.69 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ -9.21 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -8.70 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में, ₹ 74.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64.98 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतयाः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित एक एंटिटी, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2017 के अनुसार ₹ 838.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 427.98 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 408.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 205.87 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 6.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 60.51 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में, ₹ 15.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.47 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित विवरणों पर हमारी राय में, जहां तक संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया ऐसे गैर- लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं किः

    (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

    (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

    (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-क" में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा पृथक वित्तीय विवरणों कि रिपोर्ट और अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों कि अन्य वित्तीय जानकारी पर भी विचार करने के आधार पर:

(i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 30.1 के संदर्भ में;

(ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(iv) कंपनी ने 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान विशेषीकृत बैंक नोट में धारित राशि तथा लेन-देन से संबंधित अपेक्षित प्रकटीकरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराया है। लेखा परीक्षा प्रणालियों पर आधारित तथा प्रबंधन के अभिवेदन पर निर्भर होते हुए हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा अनुरक्षित बही खातों के अनुरूप हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 17.1 के संदर्भ में।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके। हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधी अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकि:

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारी राय में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक नियंत्रण मानदंड के आधार पर, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के पास (i) प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों एवं अग्रिमों के स्पष्टीकरण से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ईआरपी प्रणाली में अनर्जक परिसंपत्तियों का निर्धारण, संरचना/पुनर्सरचना के कारण स्थगन अवधि में परिवर्तन, ऋणों की संस्वीकृतियों को पुन:विधिमान्यकरण तथा ऋणों के आवेदनों अस्वीकार/निरस्त/निपटान की रिकार्डिंग (ii) उधारकर्ताओं को संवितरित निधियों के उपयोग की मॉनीटरिंग हेतु क्रियाविधियों का सुदृढ़ीकरण (iii) ट्रैवल एजेंट के दावों को संसाधित करने की प्रक्रिया, वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक तथा ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से अधिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे, को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2017 के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी दो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों के आधार पर है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, जो अलेखापरीक्षित है, के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली, हमे उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कंपनी ने उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित किया है तथा क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के लिए, कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का अंशदान, महत्वपूर्ण नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(श्रेय गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 522315

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता सं.017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई, 2017

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2017 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। हमने वर्ष की समाप्त तिथि के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03 अगस्त, 2017

प्रबंधन दल

डॉ. सुनीता सिंह
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(कारपोरेट मैनेजमेंट)

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(फाइनेंशियल मैनेजमेंट)
एवं सीईओ-आरईसीटीपीसीएल

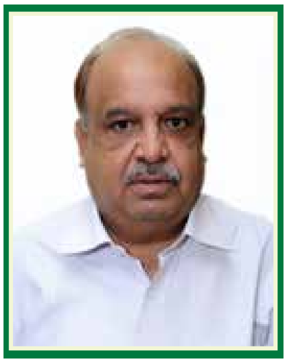

श्री सुनील कुमार
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई- फाइनेंशियल
मैनेजमेंट एवं गवर्नमेंट रिलेशन्स)

श्री टी.एस.सी बोष
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई-मॉनीटरिंग,
इवैल्युएशन एंड रिपोर्टिंग एवं
सीईओ-आरईसीपीडीसीएल

सुश्री कल्पना कौल
कार्यकारी निदेशक
(मानव संसाधन)

श्री जी.एस. भाटी
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई-टेक्निकल
सर्विसेज, क्वालिटी एंड
फील्ड मॉनीटरिंग)

श्री एस. एन. गायकवाड़,
महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ
सीपीएम -पंचकुला

श्री सी.पी.भाटिया
महाप्रबंधक
(सीएसआर)

श्री राकेश सरीन
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)
इंटर्नल ऑडिट

श्री जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक
एवं कंपनी सेक्रेटरी

श्री एस.एल बत्ता,
महाप्रबंधक
(लॉ/पीआईओ -आरटीआई)

श्री आर.पी.वैष्णव
महाप्रबंधक (एफ एंड ए) एवं
सीएफओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री जी.वी.महेंदर
महाप्रबंधक (एंटिटी अप्रेजल)

श्री अजय चौधरी
महाप्रबंधक
(फाइनेंशियल कंकरेंस एंड पॉलिसी)

श्री वी.के.सिंह
महाप्रबंधक
(जेनरेशन-प्राइवेट सेक्टर)

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(डीडीयूजीजेवाई)

श्री पी.के.मुखोपाध्याय
महाप्रबंधक
(आईटी)

श्री सलिल कुमार
महाप्रबंधक एवं एडीशनल सीईओ-
आरईसीपीडीसीएल

श्री पी.बाबूराज
महाप्रबंधक
(स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट)

श्री पी.के.सिंघल
महाप्रबंधक
(एस्टेट)

श्री राजीव सूद
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)-एएलएम/
रिस्क मैनेजमेंट/पे/ मिस. बिल्स

श्रीमती वल्ली नटराजन
महाप्रबंधक
(रिन्यूएबल एनर्जी)

श्रीमती मालती सुंदरराजन
महाप्रबंधक (एफ एंड ए)-
लोन एंड डिस्बर्समेंट

आरईसी कार्यालयों के पते

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	पता	टेलीफोन नंबर	फैक्स/ई-मेल
	पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय	सम्पूर्ण भारत	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	011-43091500 011-43091501	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.in
1	क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम)	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टावर, 5वां तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22833035 022-22830985 022-22833068 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.in
	राज्य कार्यालय (गुजरात)	गुजरात	प्लाट नंबर 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वड़ोदरा-390023	0265-2397487	फैक्स : 0265- 2397652 ई-मेल : recvadodara@gmail.com : povadodara@recl.in
2	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर)	पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश	बे नं. 7-8,सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563863 0172-2563864 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.in
	राज्य कार्यालय (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज 2, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	0177-2653411	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.in
3	क्षेत्रीय कार्यालय (जम्मू एवं कश्मीर)	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450800	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.in
4	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व)	असम,अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय,मिजोरम	"श्रद्धा" एम जी रोड-जी एस रोड, क्रॉसिंग(सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहटी-781005	0361-2343713 0361-2343714	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : poguwahati@gmail.com : poguwahati@recl.in
	राज्य कार्यालय (मेघालय)	मेघालय	रिनाडी ओल्ड जोवाई रोड, लाचूमियर, शिलांग-793001	0364-2210190	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.in
5	क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य)	उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ -226016	0522-2716324 0522-2717376	फैक्स : 0522-4074944 0522-2716815 ई-मेल : zmlucknow@recl.in : recuppo@yahoo.co.in
	राज्य कार्यालय (उत्तराखंड)	उत्तराखंड	7,न्यू रोड, एम के पी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766	फैक्स : 0135-2650799 ई-मेल : recsoddn@gmail.com
6	क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यप्रदेश)	मध्यप्रदेश	मेट्रो वाक, दूसरा तल, वेस्ट हाल नं. 3, बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016	0755-2460006	फैक्स : 0755-2460008 ई-मेल : reccenteralzone@yahoo.com
7	क्षेत्रीय कार्यालय (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	के एच सं.185/17,शांति विहार कालोनी (स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने), दगनिया, रायपुर-492013	0771-2241055	फैक्स : 0771-2241055 ई-मेल : recraipur@yahoo.com

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	अधिकार क्षेत्र	पता	टेलीफोन नंबर	फैक्स/ई-मेल
8	क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्व)	वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स	आईबी-186, सेक्टर- III साल्ट लेक सीटी, कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-40620439	फैक्स : 033-23356900 ई-मेल : zmkolkata@recl.in
9	क्षेत्रीय कार्यालय (राजस्थान)	राजस्थान	जे-4-ए, जलाना, डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2707840 0141-2700161	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.in : recpojpr@rediffmail.com
10	क्षेत्रीय कार्यालय (केरल)	केरल एवं लक्षद्वीप	ओ-5,चौथा तल, "सफालयम" कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरूवनंतपुरम-695034	0471-2328662	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : potrivandrum@recl.in
11	क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स , 180 लूज चर्च रोड, (लूज कार्नर) मायलापोर, चेन्नई -600004	044-24672376 044-24987960	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.in : cpmchennai@yahoo.com
12	क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)	कर्नाटक	नं 1/5, रोड, अलसूर रोड, बेंगलुरू -560042	080-25550240 080-25598244	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.in
13	क्षेत्रीय कार्यालय (तेलंगाना)	तेलंगाना	शिवरामपल्ली, आरामघर के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44, हैदराबाद - 500052	040-29805034 040-29804520	फैक्स : 040-29804235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.in : reclpohyd@yahoo.com
14	क्षेत्रीय कार्यालय (ओडिशा)	ओडिशा	दीनदयाल भवन, 5 वां तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	0674-2393206 0674-2536649	फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : repobbsr@yahoo.co.in : pobhubaneswar@recl.in
15	क्षेत्रीय कार्यालय (बिहार)	बिहार	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स, ब्लॉक सी, चौथा तल, न्यू डाक बंगला रोड, पटना - 800001	0612-2224596 0612-2221131	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : popatna@recl.in : popatna@yahoo.com
16	क्षेत्रीय कार्यालय (झारखंड)	झारखंड	ए-101 और डी-104, ओम श्री इंक्लेव, नजदीक लोयला स्कूल एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची-834002	0651-2253123	फैक्स : 0651-2251320 ई-मेल : rec_ranchi@yahoo.com : soranchi@recl.in
17	प्रशिक्षण केंद्र	सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन	शिवरामपल्ली, आरामघर के निकट, राष्ट्रीय राजमार्ग सं.44, हैदराबाद-500052	040-29805901 040-64584526	फैक्स : 040-29805896 ई-मेल : cire@recl.in : ciretrg@recl.in

कंपनी विजयवाड़ा, ईटानगर और इम्फाल में नए कार्यालय स्थापित करने की प्रकिया में है।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** एल40101डीएल1969जीओआई005095
दूरभाष: +911124365161 **फैक्स:** +911124360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.in **वेबसाईट:** www.recindia.nic.in

उपस्थिति पर्ची

मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110010 में, बृहस्पतिवार, 21 सितंबर, 2017 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली 48वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
* फोलियो संख्या	
डीपी आईडी संख्या	
क्लाईंट आईडी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में), यह तब भरा जाना है यदि सदस्य के स्थान पर प्रॉक्सी बैठक में उपस्थित हो रहा है)।	

मैं/हम, एतद्द्वारा बृहस्पतिवार, 21 सितंबर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे **मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110010 में** आयोजित की जाने वाली 48वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ/करते हैं।

*भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में लागू

....
सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां:

1. उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आर एंड टीए)/निक्षेपगार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार किए जाने चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित पर्ची (पर्चियां) स्थल पर आरटीए काउंटर (रों) पर दी जानी चाहिए, जिनके बदले आरटीए प्रवेश कार्ड देगा। सभागार में प्रविष्टि कठोरतापूर्वक आरटीए द्वारा दिए गए प्रवेश कार्ड के आधार पर होगी। स्वयं सदस्य तथा प्रॉक्सी धारक कृपया पहचान/सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं। 2. केवल स्वयं शेयरधारकों को या उनके पंजीकृत प्रॉक्सी को ही प्रविष्ट किया जाएगा। **3. कठोर सुरक्षा कारणों से, मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने-पीने का सामान तथा अन्य सामान सभागार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक(को)/प्रॉक्सी धारक(को) को अपने सामान की देखभाल स्वयं करनी होगी। 4. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 **सीआईएन:** एल40101डीएल1969जीओआई005095
दूरभाष: +911124365161 **फैक्स:** +911124360644 **ई-मेल:** complianceofficer@recl.in **वेबसाईट:** www.recindia.nic.in

प्रॉक्सी प्रपत्र (प्रपत्र सं. एमजीटी-11)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य (यों) का नाम	फोलियो सं. / डीपी आईडी-क्लाईंट आईडी:
पंजीकृत पता:	
धारित शेयरों की संख्या:	ई-मेल आईडी:

मैं/हम, उक्त कंपनी के .... शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं:

1.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी:		
अथवा उनके न आने पर			
2.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी:		
अथवा उनके न आने पर			
3.	नाम:		
	पता:	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी:		

बृहस्पतिवार, 21 सितंबर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली छावनी, दिल्ली -110010 में आयोजित की जाने वाली कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक में या उसकी किसी आस्थगित बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने तथा नीचे निर्दिष्ट संकल्पों पर मत डालने (मतदान में) के लिए नियुक्त करता हूँ/करते हैं:

क्र.सं.	**विवरण**
सामान्य कारोबार	
1.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों को और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2.	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3.	डॉ. अरूण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047), जो चक्रानुक्रम पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
4.	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
विशेष कारोबार	
5.	कंपनी द्वारा प्रविष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए अनुमोदन लेना।
6.	प्रतिभूतियों के निजी स्थापन हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

आज, दिनांक .... 2017 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर .... प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर ....

यहां ₹ 1/- की राजस्व टिकट लगाएं

ईवीईएन (ई- वोटिंग इवेंट नंबर)	प्रयोक्ता आईडी	पासवर्ड/पिन

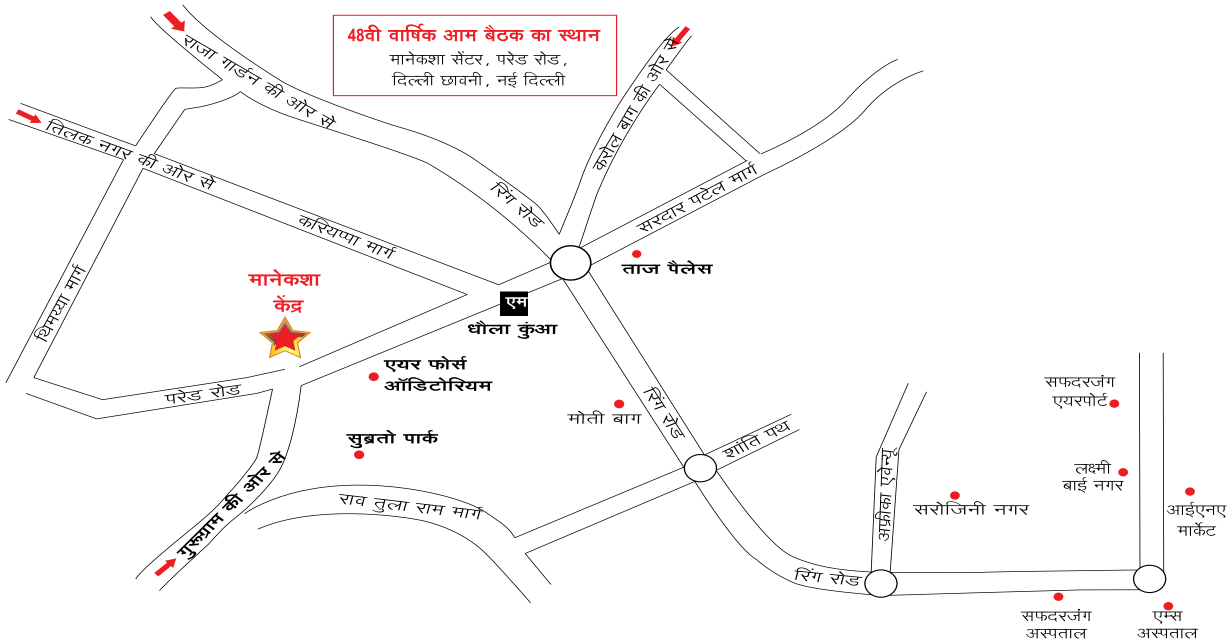

टिप्पणियां:

(1) प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह प्रपत्र विधिवत रूप से पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

(2) यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।

(3) एक व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से, जिनके पास कंपनी की शेयर पूंजी के मतदान अधिकारों वाले कुल मिलाकर अधिकतम दस प्रतिशत शेयर हैं, प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक के शेयर धारण करने वाला व्यक्ति एक एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली -110 003, टेली.: 91-11-24365161
फैक्स: 91-11-24360644, ई-मेल: compliancеofficer@recl.in
वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095